(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] षष्टम् विधान सभा के प्रथम सत्र का दसवां दिवस [संख्या 8

बुधवार

दिनांक 27 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सामान्य प्रशासन, वित्त, शिक्षा, सहकारिता तथा भेड़ व ऊन विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री शंकरलाल।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को भूमि का आवण्टन

74. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व राज्य सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत राजस्थान में कितने भूमिहीनों को भूमि आवण्टित की गई और कितने लोगों को आवासीय भू-आवण्टन किये गये ?

(2) ऐसे आवण्टियों को कब्जा दिलाने और आवासीय भू-खण्डों पर मकान बनाने में मदद करने हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में निम्न प्रकार कृषि प्रयोजनार्थ भूमिहीनों को भूमि का आवण्टन किया गया:—

	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1. नॉन कमाण्ड क्षेत्र	227145	670046
2. मध्यम एवं लघु परियोजना क्षेत्र	28173	83247
3. वृहत् परियोजना क्षेत्र	39138	372837

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,62,654 परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये।

(2) जिलाधीशों के द्वारा चैकिंग करने पर 95% आवंटितियों का अवाप्त भूमि पर कब्जा पाया गया है। बाकी 5% आवंटितियों द्वारा निम्न कारणों से कब्जा नहीं लिया गया:—

1. आवंटन में स्थगन आदेश होने के कारण।

2. आवंटितियों द्वारा आवंटित भूमि को लेने से इन्कार करने।

Page No 2

(2)

(श्री कैलाश मेघवाल)

3. आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे पाये जाने।

जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर 99.75% भू-खण्डों पर आवंटितियों को मौके पर कब्जा दिया जा चुका है। कब्जा न दिये जाने का कारण जमीन पर विवाद होना, पानी की डूब में होना एवं आवंटितियों द्वारा कब्जा न लिया जाना है। भू-खण्डों को विकसित करने हेतु राज्य सरकार की निम्न मदद देने की नीति है।

पिछड़ी जाति के परिवार, काश्तकार, कारीगर एवं खेतिहर मजदूरों को मकान बनाने हेतु खान से पत्थर, मरम, बजरी, चिकनी मिट्टी आदि बिना किसी कीमत अथवा टैक्स के उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेंस को-आपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 4000 रु. प्रति सदस्य को मकान बनाने हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार भू-खण्डों को विकसित करने हेतु कई प्रकार के विकास कार्यों पर व्यय करती है।

श्री शंकरलाल : यह जो आवंटन किया गया है उसमें कितनी कृषि भूमि और कितनी आवासीय भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए किया गया है ?

श्री कैलाश मेघवाल : इस प्रकार से आवंटन किया गया है:—

	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
(1) नान कमाण्ड क्षेत्र :		
(क) अनुसूचित जाति	79,165	2,46,605
(ख) अनुसूचित जन जाति	47,729	1,12,614
(2) मध्यम एवं लघु परियोजना कमाण्ड क्षेत्र :		
(क) अनुसूचित जाति	8,160	29,582
(ख) अनुसूचित जन जाति	6,175	10,879
(3) जनरल :		
(क) राजस्थान नहर योजना	28978	334493
(ख) गंगनहर योजना	3129	18954
(ग) भाखरा नहर	3047	6945
(घ) चम्बल	3984	12445

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिनको कब्जा नहीं मिला है, वह भी पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : जी नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : एक प्रश्न मुझे पूछ लेने दें, अध्यक्ष महोदय। जो चरागाहों की जमीन है वह गांव के जानवरों के चरने के लिए है, ऐसा नियम था कि वह किसी को नहीं दी जाये। लेकिन आपात-

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कालीन स्थिति के दौरान बहुत से अधिकारियों ने जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर चरागाह की भूमि उन लोगों को आवंटित कर दी है। वह भूमि अलाट होने के बाद वहां के हरिजनों और गांव के अन्य लोगों में कई स्थानों पर जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। वहां जानवरों को चराने के लिए कोई जगह नहीं रही है। यह अलाटमेण्ट गैर कानूनी हुए हैं। इसके बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री शंकरलाल : जो आवसीय भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं, उनका कब्जा दिलाने के लिए और उनको मकान बनाने के लिए धन दिलाने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी या उनको भी ऐसा कह देगी कि यह तो उस सरकार का काम था ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जो भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह बीच में कहां से बोलने लग गये। आपको राज्य मंत्री बनाया है क्या ? आपने राज्य मंत्री की शपथ ली है ? आप मंत्री नहीं हैं फिर आप जवाब कैसे दे रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : जिन के भू-खण्ड पहले से थे उनको भी शामिल किया जा रहा है। जिनको जमीन नहीं दी गई है, उनके लिए भी कहा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न नहीं कर पाया।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : अध्यक्ष महोदय, चार चार हजार रुपये दिये जाते हैं। एल. आई. सी. को जो नक्शा दिया है, वह काम का नहीं है। मकान बने नहीं हैं और अधूरे हैं। वह नक्शे चेंज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्या मंत्री महोदय नक्शों को चेंज करायेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य मूलचन्द सामरिया ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में अगर कोई झगड़े आयेंगे तो सरकार उनको सुलझाएगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : रोज झगड़े चलते हैं। अधिकारियों ने अधिक उत्साहित होकर चरागाह की जमीन आवंटित कर दी है। मीठालाल जी और कुंजीलालजी के पास बीसियों लोग पड़े हुए हैं। वे गांव वाले कहते हैं कि हमारी गायें क्या खाएंगी ? जिनको अलाट हुई है वे कहते हैं कि हमको सरकार ने दी है। आये दिन विधान सभा में ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : अमूमन ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष, महोदय, आये दिन हजारों झगड़े होते हैं। चरागाहों की जमीनों को अलाट कर दिया गया है ऐसे अलाटमेण्ट कैंसिल होने चाहिए। तभी ये झगड़े खत्म होंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही झगड़े पैदा किये हैं। जाते जाते

(श्री रतनलाल वर्मा)

ऐसी जमीन दे गये हैं। इसके कारण गांवों में तनाव पैदा हो गया है। वह जमीन रिकार्ड में चरागाह है।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह से भाषण करने का गलत तरीका है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रतनलाल वर्मा : इस प्रकार से गांवों में किया गया है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्य (उग) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से भूमि अलाट हुई है?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सराहनीय कार्य हुए हैं···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके पास कौनसा पोर्टफोलियो है?

श्री दाऊलाल जोशी (दीगोद) : अभी आपने जो जमीनें अलाट की हैं अनियमित, उनको छुड़ाया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : आप उत्तर दे रहे हैं क्या?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री औंकारलाल चौहान (घटरू) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न मेरा भी है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री औंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की घटनायें हुईं तो··

श्री मूलचन्द डागा : कौनसी घटनायें?

श्री औंकारलाल चौहान : तो क्या मुख्य मंत्री महोदय या मंत्री महोदय उनको रेगुलेराइज करने के लिए विचार करेंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आपने बहुत कुछ कह दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी बड़े शहर हैं और उनके बाहर जितने भी फार्म हैं वह सब कांग्रेस वालों के और पुराने मंत्रियों के फार्म हैं···

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह बिल्कुल असम्बन्धित प्रश्न है, इर्रेलेवेन्ट प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने सब गरीबों की जमीन ली है और आज हमको कह रहे हैं कि जमीनें वापिस ले रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उनकी जमीनों को गरीबों में बांट दिया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो बात आप कह रहे हैं, यह नियमों के खिलाफ है।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : आप नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप लिखकर दे दीजिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको सुनना पड़ेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल लिख कर दे सकता हूं। मैं साबित करके बताऊंगा कि जो भी अलाटमेंट हुआ है वह गैर-कानूनी हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : अपील करिये।

(व्यवधान)

श्री दाऊलाल जोशी : आप लड़ाओ आपस में। आप लड़ाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं साबित करने को तैयार हूं कि जिनको खातेदारी मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली।

एक माननीय सदस्य : आपने कुछ गलत अलाटमेंट किये और जिन गरीब लोगों के पास जमीन थी उनको आपने बेदखल किया। उनको वापिस जमीन दिलवा रहे हैं तो आप कहते हैं कि बेदखल कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अब आप जनता पार्टी में आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, शासन की तरफ से कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर तो आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, जो भी गलत अलाटमेन्ट हुए हैं, उनको...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इनको बाहर निकालो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप इस तरह से करेंगे तो यह अभद्र व्यवहार है। आपको सदन की परम्परा को मानना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब सही रूप से नहीं आय,

(एक माननीय सदस्य)
तो आप माननीय सदस्य को ××× रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द गलत है कि ××× बिठा दिया। इस शब्द को विथड्रा करवायें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द कह कर आसन का अपमान किया गया, वह शब्द हटा दिये जायं। उनको एक्सपन्ज किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

इससे आसन का अपमान होता है।

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव नहीं दे सकते यह तो आसन का काम है। माननीय सदस्य, स्थान-ग्रहण करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने एक शब्द बोला है, मैं समझता हूं पहले भी मेरे को अनुभव है, यानि यह कहना, अध्यक्ष महोदय, ××× नहीं कह सकते, यह शोभनीय नहीं है। हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए अपमानजनक बात है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के शब्द कहने के लिए अलाऊ नहीं करें और इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : आपने मेरा समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर नहीं किया तो इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं इसको एक्सपन्ज किया जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग को देख कर यदि एक्सपज योग्य हुआ तो एक्सपन्ज कर दूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन।

कलेक्टर कोटा द्वारा कन्वर्ट की गई भूमि

75. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कलेक्टर कोटा ने करीब दो या चार साल पहले छीपा बड़ौद तहसील की वन खण्ड में आने वाली महुआ खो की वन भूमि को, जो कि ग्राम काजाड़ीया तहसील छीपा बड़ौद के पास है, कन्वर्ट किया है? यदि हां, तो क्या इस जमीन को कन्वर्ट करने के लिए राज्य सरकार ने सहमति दी है या नहीं?

वन मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): जी हां। राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीस बीघा जमीन किसी सेठ को दे दी इसलिए कि वह कांग्रेस की ×××× करता था इसकी सरकार से इजाजत भी नहीं ली।

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 7

(7)

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

आज उसकी साठ बीघा जमीन पर सेठ का कब्जा है। दस हजार के पेड़ काट दिये गये और उनको बेच दिया। फिर भी कलेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : वह ××× अब आपके ××× हो गये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, 22 बीघा 9 बिस्वा जमीन पर किशनलाल ने नाजायज तौर पर संवत् 2025 में कब्जा किया था। तहसीलदार ने धारा 91 के तहत उनको बेदखल किया। बेदखल करने की कार्यवाही पर श्री किशनलाल ने एडीशनल कलेक्टर के यहां पर अपील की।

इस पर अतिरिक्त जिलाधीश ने फैसला दिया कि जो विवादग्रस्त भूमि है, उसको प्रार्थी ने काबिल काश्त बनाया है इसलिये काबिल काश्त परिवर्तन किया जाकर इसे नियमानुसार रेगुलेराइज किया जाए। इस पर तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर 10–4–74 को रेगुलेराइज किया गया। इस निर्णय पर वन विभाग ने एतराज किया है और राज्य सरकार से निरस्त करने के लिए कहा है। अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इस जमीन के लिए कलेक्टर ने जो फैसला दिया है, उसमें लिखा है कि क्योंकि इस जमीन पर ट्रेसपास हुआ है, कुए खुदवा लिए, मकान बनवा लिए इसलिए यह जमीन काबिल काश्त हो गई और सेठ को दी जाए। आप फाइल मंगाकर देख लें। जिलाधीश के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। गरीब भील–मीणाओं को तो तीन–तीन महीने की सजा दें, 5–5 हजार जुर्माना करें और सेठ को दान दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम का थाना) : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न का जो उत्तर आया है दफा 91 की कार्यवाही के संबंध में, उस उत्तर से कानूनी स्थिति देखते हुए स्वयं आप संतुष्ट हैं ?

श्री औंकार लाल चौहान : अगर मंत्री महोदय संतुष्ट हैं तो हमें कुछ नहीं कहना। यदि गलत कार्यवाही हुई है तो शीघ्र ही केंसिल करके भूमिहीनों को देने की कोशिश करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया है और सरकार के नोटिस में यह बात आई है, उसके बाद सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रतनलाल वर्मा : जो जंगलात की जमीन है उसके लिए पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए। रेवेन्यू विभाग को क्या अधिकार था ? क्या पुलिस कार्यवाही करेगी ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैंने प्रश्न किया है कि यह प्रश्न जब आपके ध्यान में आया, सरकार ने उसके बाद आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह जो एडीशनल कलेक्टर ने फैसला दिया और वन विभाग के

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

Page No 8

(8)

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
ध्यान में जब आया तो उसने राज्य सरकार को एतराज पेश कर दिया। राज्य सरकार से कहा गया है चूंकि यह वन विभाग की भूमि है, यह रेगुलेराइज नहीं की जानी चाहिए। अत: यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : करीब 62 बीघा जमीन पर ट्रेसपास किया है। क्या आप राजस्व विभाग से मालूम करेंगे ? सब की जेब भर दी और भीलों और मीणाओं को सजा दी।

श्री मूलचंद डागा : एक तरफ कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ प्रेमसिंह जी ने जो सवाल रखा है उस पर क्या कार्यवाही की, कृपया बतायें ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो अतिरिक्त जिलाधीश ने आदेश पास किये और कार्यवाही की, क्या आप स्वय महसूस करते हैं कि सही है ? कौन सी धारा के तहत अतिरिक्त जिलाधीश ने आदेश पास किये ? जहां तक मेरी जानकारी है, ये आदेश बिल्कुल गैरकानूनी है, इसको लॉ डिपार्टमेंट के अन्दर एग्जामिन करवाकर अतिरिक्त जिलाधीश के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। आप छाती पर हाथ रखकर बताइए कि क्या आप स्वयं संतुष्ट हैं ?

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) जंगलात की जमीन को कन्वर्ट करने के लिए एक जोइंट कमेटी है। जिलाधीश को अधिकार नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उसके बाद सरकार की स्वीकृति लेना जरूरी है। क्या यह सही है कि 62 बीघा से ज्यादा जमीन पर ट्रेसपास किया है ? कितनी जमीन पर किया है ? मैं अपने अनुमान से कहता हूं कि करीब 62 बीघा जमीन पर इस आदमी ने कब्जा कर रखा है, पक्के मकान बना रखे हैं। दूसरे, क्या राज्य सरकार की नीति है जो लैंड अलाटमेंट कानून से स्पष्ट है कि जो जमीन अलाट होगी वह या तो भूमिहीनों को होगी या उस आदमी को होगी जिसका जरिया गुजारे का खेती है ? क्या यह किशन पंजाबी किसान है ? तीसरी बात, आप वन विभाग से मालूम करें कि इस 62 बीघा जमीन में जो पेड़ हैं सारे पेड़ बाजार में बिके हैं ? इनका मुआवजा बनाया या नहीं ? नहीं बनाया, तो कौन जिम्मेदार है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तक केवल दो प्रश्न आए हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सब देख रहा हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं आपके काले कारनामे बता रहा हूं। यह कार्यवाही पिछली सरकार के समय एक विधायक थे, उसने की है। गवर्नमेंट ने और विधायक ने खूब पेट भरा है, आप जांच करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न विचाराधीन है। विचाराधीन कब तक रहेगा ? जो इल्लीगल आर्डर्स पास हुए हैं, उन्हें कब तक निरस्त कर देंगे ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : मंत्री महोदय ने कहा कि विचाराधीन है। ऐसा मामला है

(श्री मनोहर सिंह मेहता)
जिसमें सैंकड़ों पेड़ काट दिए गए हों, वन विभाग की जमीन को अलाट नहीं किया जा सकता, इतना होते हुए भी सरकार के विचाराधीन रहेगा या तुरन्त इस पर एक्शन लेंगे ? कृपया स्पष्ट करें। अगर वन विभाग की जमीन इस तरह से जाती रही तो फिर कुछ नहीं बचेगा।

श्री त्रिलोकचंद जैन : वन विभाग ने ऐतराज उठाया है और आज नहीं कह सकते कि जब एतराज उठाया गया तो यह नहीं कहा जा सकता कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐतराज की जांच हो रही है। एतराज इसलिए उठाया है कि जिलाधीश ने गलत आवंटन किया है, आप धैर्य रखें। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह मामला विचाराधीन है, सरकार जांच कर रही है। यदि कलेक्टर ने गलत आवंटन किया है तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है, आप स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही शीघ्र कर दी जाएगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वन विभाग...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य..

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक प्रश्न मुझे कर लेने दें। एक बात बता दें कि वन विभाग ने कब आपत्ति की है ? जमीन पर कब्जा हुए 15 साल हो गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप नहीं मानेंगे ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : तो शिरोधार्य को क्रियान्विति दी जाए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक प्रश्न है केवल। वन विभाग ने आपत्ति कब की ?

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न पूछने की अनुमति दें। अगर आपका सवाल आवश्यक हो तो अध्यक्ष जी के कक्ष में जाकर बात कर लें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह आपकी आदत है।

श्री अध्यक्ष : आखिर सदन की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। यह क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड : जनता आपके कारनामों को देख रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

उदयपुर जिले की पंचायतों में सरपंचों के रिक्त पद

76. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले की पंचायतों में सरपंचों के कितने पद कब से रिक्त हैं और

(श्री गुलाबचंद कटारिया)
इन पदों का कार्य नियमानुसार कौन कर रहा है ?

(2) क्या सरपंच और पंच, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) उदयपुर जिले की पंचायतों में सरपंचों के 63 पद जिस वर्ष से रिक्त हैं उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है एवं इन पदों पर उप सरपंच अथवा वार्ड पंच कार्य कर रहे हैं।

(2) जी हां। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या पंचायत समिति बड़गांव के देलवाड़ा गांव के सरपंच ने दो साल पहले ही त्याग-पत्र दे दिया था ? माननीय मन्त्रीजी ने जो मुझे लिस्ट दी है उसमें जो नाम सरपन्च का दिया है। वह गोपीवल्लभ दिया है। यह गलत है। वहां पर तो गोपीवल्लभ सरपन्च की जगह टेकचन्द काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि शायद मन्त्री महोदय को इस बात की सूचना नहीं मिली है। इसका वह जवाब दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप जाकर इन्हें बतायें। इन्हें कुछ भी पता नहीं है। यह तो सोते रहते हैं। यह जागते रहते पार्टी के सदस्य हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार जो सरपंच काम कर रहा है उसका नाम बता रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय गलत सूचना दे रहे हैं। गलत सूचना देना सदन की गरिमा को कम करना है वह भी मन्त्री महोदय गलत सूचना दें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार पहले वहां पर अम्बालाल नाम का सरपंच था उसने त्याग-पत्र दे दिया। उसके बाद में गोपीवल्लभ जी सरपंच का काम कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गोपीवल्लभ ने दो साल से काम करना बन्द कर दिया है। अब वहां पर टेकचन्द सरपंच का काम कर रहे हैं। वे वहां पर पहले पंच थे। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इतना लम्बा समय होने के बाद भी वहां अभी तक राज्य सरकार सरपंच के चुनाव कराने में असमर्थ है।

एक माननीय सदस्य : अब तो सभी जगह के चुनाव करा रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : गोपीवल्लभ काम नहीं कर रहे हैं इसके लिये जो माननीय सदस्य ने शिकायत की है उसकी मैं जांच करूंगा।

प्रश्न संख्या 77

श्री अध्यक्ष : श्री कुन्जीलाल ।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह विश्नोई ।

जयपुर एवं दिल्ली में नियुक्त आई. ए. एस. अधिकारी

78. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के ऐसे कौन–कौन से आई. ए. एस. अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति पिछले दस वर्षों में अधिकांशत: जयपुर या दिल्ली में ही रही है ?

(2) क्या कारण है कि उक्त अधिकारियों को इतने वर्ष तक किसी छोटी जगह यानि, बीकानेर, कोटा, अजमेर अथवा जोधपुर में नियुक्त नहीं किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अधिकारियों को छोटे शहरों में नियुक्त करने पर विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, जनसम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के पदों तथा जयपुर में संवर्ग तथा असंवर्ग पदों, जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की ही नियुक्ति होती है, की कुल संख्या 114 है अत: अधिकतर अधिकारियों को दिल्ली या जयपुर ही पदस्थापन पर रहना होता है ।

(3) अन्य स्थानों में जहां भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के संवर्ग पद उपलब्ध हैं उन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाती है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इन बड़े आई. ए. एस. अधिकारियों को राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर क्यों नहीं रखती है ? अगर बड़े आई. ए. एस. अधिकारी जिला मुख्यालयों पर रहेंगे तो जनता की ज्यादा समस्यायें सुलझेंगी । दूसरे, अध्यक्ष महोदय, यह लोग हमेशा से ही जयपुर और दिल्ली में ही रहते हैं वहां गलत तरीके से पैसा कमा कर जो लाते हैं उस दो नम्बर के पैसे को एडजस्ट यहां वहां करते हैं । इसके अलावा इन बड़े अधिकारियों की औरतें तरह-तरह के धन्धे करती हैं । तो मेरा निवेदन है कि ऐसे कितने आई. ए. एस. आफिसर हैं जो ज्यादातर दिल्ली जयपुर में ही रहे हैं और उनकी औरतों के नाम से व्यापार किया जाता है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धन्धा करते हैं और पैसे कमाने की बात है यह अलग से सवाल है । प्रश्न से संबंधित जो जवाब था उसका मैंने उत्तर दे दिया कि 114 आई. ए. एस. अधिकारी हैं जिन्हें ज्यादातर दिल्ली या जयपुर में ही पदस्थापन पर रहना होता है जो कि नियमानुसार रहते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कृपा करके इन नियमों में संशोधन करके इन बड़े अधिकारियों को राजस्थान में दूसरे जिला स्तर पर रखने का प्रावधान नहीं कर सकते क्या ?

Page No 12

(12)

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, नियमानुसार ही रहते हैं यह सही है। अभी की स्थिति ऐसी है कि नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है, क्योंकि यह पोस्ट कैडर पोस्ट है और इन पर बड़े सुपर-टाइम स्केल के आई ए. एस. अधिकारियों की ही नियमानुसार नियुक्ति होती हैं। ऐसी पोस्ट्स सिर्फ जयपुर, दिल्ली और अजमेर में हैं। बाकी दूसरी जगह इन्हें रखने के अभी तक नियम नहीं बने हुए हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या आपके दूसरे जुनियर आई. ए. एस. अधिकारी हैं ?···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह जितनी भी सुपर टाइम स्केल की पोस्ट्स हैं यह अधिकांशतः दिल्ली में और जयपुर में ही हैं। उन सीनियर कैडर की पोस्ट्स पर जूनियर आई. ए. एस. अधिकारी अपोइन्ट नहीं किये जा सकते। यह जूनियर आई. ए. एस. आफिसर हैं यह तो कलेक्टर, रजिस्ट्रार वगैरह की पोस्ट पर लगते हैं और जूनियर स्केल के आई. ए एस. आफिसर्स इन पोस्टों पर ही ट्रान्सफर्स होते हैं। बाकी सीनियर आई. ए. एस. अधिकारी दिल्ली या जयपुर में ही ट्रान्सफर होते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसे कितने सीनियर आई. ए. एस. आफिसर हैं जो कि दिल्ली भारत सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्त पर नहीं गए ? उनकी सूचना दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह अलग से प्रश्न है। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को अलग से पूछ लें। मैं आपको सूचना दे दूंगा। अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि कितने सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी हैं जो आज दिन तक दिल्ली भारत सरकार की सेवा में नहीं गये ? और नहीं गये, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या राजस्थान सरकार ने उनका नाम ही नहीं भेजा ? राजस्थान सरकार ने नाम भेजा तो क्या उन नामों को भारत सरकार ने मन्जूर नहीं किया ? अगर मंजूर नहीं किया, तो क्यों ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य अगर प्रश्न जानकारी के लिये करेंगे तो मैं उस प्रश्न का जवाब भी दे दूंगा। वैसे माननीय सदस्य आपको मालूम है कि कौन कौन नहीं गये हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वह लोग अपने परिवार वालों से धन्धा कराते हैं और फिर उस धन्धे में अपने दो नम्बर के पैसे को एडजस्ट करते हैं। यह लोग हमेशा जयपुर और दिल्ली ही रहे और कभी दूसरी जगह राजस्थान के इन्टीरियर में गये ही नहीं। जब तक यह लोग राजस्थान के अन्दर के गांवों में नहीं जायेंगे तो बेसिक राजस्थान की प्राब्लम्स कैसे जानेंगे ? वहां के हालात कैसे जानेंगे ? इसके अलावा जयपुर-दिल्ली में रह कर अपने दो नम्बर के पैसे का एडजस्टमेन्ट भी तो करते हैं। मैं आपको कई आदमियों के नाम गिना सकता हूं जो कि आज दिन तक राजस्थान के गांवों में नहीं गये। इसमें मालती इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मालिक हैं श्री बी. बी. एल. माथुर है जो कभी नहीं गये। इन्होंने लाखों रुपये कमाये हैं। वे दूसरा धन्धा करते हैं। इसके अलावा श्री महेन्द्र सिंह, जिनकी लुगाई ब्यूटीशियन का धन्धा करती हैं। जो नम्बर दो का पैसा उन लोगों ने कमाया है उसको इन धन्धों से मैन्यूपुलेट करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज दिन तक जो दिल्ली नहीं गये उनके लिए आखिर आपने क्या क्राइटेरिया बनाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस अधिकारी को कहां रखा और कहां नहीं रखा यह तो आप जानते ही हैं। आपकी सरकार थी। अगर आप शिकायत करते हैं कि इन अधिकारियों की जांच की जाय, तो अधिकारियों के साथ-साथ मैं फिर मन्त्रियों की भी जांच करूंगा क्योंकि उनके आदेशों से हुआ होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जांच करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अगर यह शिकायत है कि वह दिल्ली में और जयपुर में ही क्यों रहे तो उस शिकायत में वह मेरा नाम भी जोड दें क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जो बड़े आई. ए. एस. अधिकारी हैं जिनको प्रशासन का अच्छा ज्ञान है उन्हें हमारे यहां पर रखा जाय। मैं भी इस प्रश्न में सहानुभूति रखता हूं। हम देखते हैं कि किस प्रकार अच्छे अधिकारियों को हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर रख सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करें कि ऐसे कितने आई. ए. एस. और आई. पी. एस अधिकारी हैं जिन्होंने जयपुर में और दिल्ली में ट्रान्सफर होकर बडे-बडे भवन बना लिये हैं और एग्रीकल्चर फार्म भी बना लिये हैं? उनके पास यह लाखों रुपये के मकान और फार्म कहां से आये? क्या मुख्य मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करने के लिये जांच करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों ने मकान और फार्म बनाये, इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समितियों में फालतू खर्च को रोकने की योजना

79. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में जीप आदि का बहुत फालतू खर्चा होता है? यदि हां, तो इस फालतू खर्चे को रोकने के लिए सरकार कब तक क्या कदम उठाना उचित समझेगी?

(2) क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों में फालतू खर्चा रोक कर पंचायत समितियों की निजी आय से एवं सरकार द्वारा अनुदान व ऋण देकर ग्रामीण विकास कार्य पुनः चालू करवाने का निर्णय लेना उचित समझेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव सरकार कब तक करवाना उचित समझेगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) पंचायत समितियों में जीप आदि पर फालतू खर्चा किये जाने का कोई मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

(2) पंचायत समितियों की निजी आय से किन-किन मदों पर धनराशि व्यय की जावेगी इस संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये हुए हैं। ग्रामीण विकास कार्य फिर से शुरू करने के लिये राज्य सरकार नये सिरे से विचार करेगी।

(3) चुनाव इस वर्ष के अन्त तक निश्चित रूप से करा दिये जावेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वैसे पंचायत समितियों को यह राइट्स दिये हुए हैं कि 200 रुपये तक का खर्च वह कर सकती हैं लेकिन ऐसा पाया जाता है कि पंचायत समितियां तीन तीन हजार रुपये तक खर्च कर देती हैं। क्या मंत्री महोदय इस फालतू खर्च को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ? नियमों में तो सिर्फ दो सौ रुपयों तक खर्च करने की ही पंचायत समिति को पावर है। इस प्रकार अगर जीप वगैरह पर पंचायत समिति हजारों रुपये फालतू खर्च कर देती है तो राज्य सरकार उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ? वह बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, पंचायत समितियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। स्टाफ है, उसके पास काम नहीं है। कृपया जांच करायें कि जिस स्टाफ पर खर्चा किया जाता है वह वाजिब है या नहीं ? मैं समझता हूं कि वह सारा ही फिजूल खर्चा है क्योंकि पंचायतों के पास काम ही नहीं रहा है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय सदस्य, आपको जानकारी है कि पंचायत कानून में संशोधन हो रहा है। पंचायतें निष्क्रिय हो चुकी हैं, यह आप स्वीकार कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उस विधेयक का समर्थन करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कब से निष्क्रिय हैं ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री करतार सिंह।

समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को अनुदान के रूप में दी गई राशि

80. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को राज्य सरकार से कोई भू-गर्भ जल अनुसंधान (ग्राउन्ड वाटर रिसर्च प्रोग्राम) हेतु सन् 1974 में अनुदान दिया गया ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह राशि निर्धारित प्रयोजन में उपयोग कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इस धन राशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अब तक कोई जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? राज्य सरकार क्या शीघ्र ही इसकी जांच करने का विचार रखती है ?

Page No 15

(15)

(श्री करतार सिंह)

(4) क्या राज्य सरकार की सिफारिश से इस संस्था को भारत सरकार या अन्य विदेशी संस्थाओं से कभी कोई धनराशि प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितनी व कब-कब तथा इसकी सिफारिश का आधार क्या था ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां। समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र को राज्य सरकार से 1974 में टैंक्स में परकोलेशन के अध्ययन हेतु 1.30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(2) कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। संस्था ने भी पूरी राशि उपयोग में नहीं ली है।

(3) अनुसंधान केन्द्र ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन 30 जून, 1977 को भू-जल विभाग जोधपुर को प्रस्तुत किया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात् ही राशि के सदुपयोग या दुरुपयोग के बारे में ज्ञात हो सकेगा।

(4) सूचना संकलित की जा रही है।

श्री करतारसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 1 लाख 30 हजार रुपये आपने इस संस्था को दे दिये, बिना कार्य किये ही आपने इस संस्था को दे दिये। तीन तीन साल हो गये, इसकी ओर से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। आखिर इसका आधार क्या है ?

श्री महबूब अली : जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इस संस्थान की ओर से आयी है जिसका अध्ययन हो रहा है। जहां तक प्रोजेक्ट का प्रश्न है, हिन्दुस्तान में यह पहला प्रोजेक्ट है जिसको हाथ में लिया गया है। जिन कुओं में पानी कम हो जाता है या सूख जाता है तो तालाबों में बोरिंग करके, नया एक्सपेरिमेंट करके उनमें पानी बढ़ाया जाता है। इस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनी है, उसको बड़े बड़े इन्जीनियरों से पास कराया है। राज्य सरकार को संतोष दिलाया है कि इस प्रकार का एक्सपेरिमेन्ट करके आस पास के क्षेत्रों के कुओं के पानी का स्तर ऊंचा हो सकेगा। उसके लिये ही एक लाख तीस हजार रुपया मंजूर किया गया था। यह एक वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन है। हो सकता है कि उसके पास पैसा न बचा हो। इस रिपोर्ट का, जो उसने सबमिट की है, अध्ययन हो रहा है। इस अध्ययन के पश्चात् इस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री करतार सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि तीन साल से जांच चल रही है तो आखिर किस तालाब में इस संस्था के द्वारा जांच की गयी है और क्या काम किया है ? यह बतायें।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (पुष्कर) : दूसरा प्रश्न यह है कि यह संस्था बराबर पैसा खा रही है। क्या इस प्रकार की संस्थाओं को आप बन्द करने की कोशिश करेंगे ?

श्री करतार सिंह : मैं सदन को यह भी सूचना दे रहा हूं कि आई. ए. एस. अधिकारी इस संस्था के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं। सरकार की 1965 से बिल्डिंग किराये पर दी है। दस हजार रुपये महीने की किराये की आमद की यह बिल्डिंग है। पचास एकड़

(श्री करतारसिंह)

जमीन उसमें मौजूद है । राज्य सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिल कर, उन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस प्रकार से लाखों रुपया इकट्ठा किया है। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं । उन लोगों ने वहां पर कोई काम नहीं किया है। इसलिये मैं राज्य सरकार से और मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी उस संस्था के खिलाफ जांच आयोग बिठायेंगे जिसमें जन प्रतिनिधि सम्मिलित हों ? क्या आप इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ? राजकीय आवास दे रखा है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कौनसी तारीख को आयी और फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जावेगी ?

श्री महबूब अली : 30 जून, 1977 को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आयी है और फाइनल रिपोर्ट के लिये कह दिया गया है।

श्री मूलचन्द डागा : एक महीने से अध्ययन ही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री नत्थीसिंह ।

(व्यवधान)

इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री चिरंजीलाल गर्ग : काफी भ्रष्टाचार है....

श्री अध्यक्ष : वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, रहेगी। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : लाखों रुपयों का गोलमाल हो रहा है। मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जांच कराने की यहां सदन में घोषणा करें कि जांच करायी जावेगी 15 दिन में।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या 81

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री खेतसिंह राठौड़ :

नये स्कूल खोलने और क्रमोन्नत करने का आधार

82. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नये स्कूल खोलने तथा स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिये राज्य सरकार का क्या क्राइटेरिया है ?

(2) क्या विभाग के क्राइटेरिया अथवा मापदण्ड पर खोले गये स्कूलों तथा क्रमोन्नत किये गये स्कूलों को इस सत्र से चालू रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य में वर्ष 77–78 में कुल कितने स्कूल खोले गये तथा क्रमोन्नत किये गये ? उन्हें खोलने तथा क्रमोन्नत करते वक्त क्या आदेश दिये गये थे ? क्या उन्हीं आदेशों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारियों ने जांच की और विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजी है ?

Page No 17

(17)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(4) अब इस प्रकार जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड पर क्रमोन्नत किये गये व नये खोले गये स्कूलों की कितनी संख्या जिलेवार रह गयी है ? क्या निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने पर भी राजनैतिक कारणों से स्कूल बन्द किये जा रहे हैं तथा कुछ के क्रमोन्नत के आदेश रद्द किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) अभी तक ऐसे 29 सैकेण्डरी, 11 मिडिल तथा 57 प्राइमरी स्कूलों को चालू रखने के लिये आदेश जारी किये गये हैं। शेष पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

(3) (क) पिछली सरकार ने 250 माध्यमिक, 398 उच्च प्राथमिक, 398 प्राथमिक विद्यालय खोले थे।

(ख) पिछली सरकार ने जो आदेश निकाले थे उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ग) जिला शिक्षा अधिकारियों ने उन्हीं आदेशों के आधार पर ही नहीं वरन् मापदण्डों के आधारों पर जांच कर अपनी रिपोर्ट भेजी है।

(4) (क) ऐसे विद्यालयों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(ख) जी नहीं। किन्तु क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियां, जनता की अत्यधिक मांग, दुर्गम स्थान आदि के आधार पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

(मानदण्ड व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक ही प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रश्न के खण्ड (4) में जवाब दिया गया है और तालिका दी है उसके आधार पर आपने बताया है कि अमुक अमुक जिलों में इतने प्राथमिक, इतने उच्च प्राथमिक, इतने माध्यमिक और इतने सैकेण्डरी स्कूल खोले जावेंगे। आपने यह भी कहा कि जिला अधिकारियों के द्वारा जांच हो चुकी है। हम यह मान कर चलते हैं कि जिला अधिकारियों से जांच हो चुकी है, जो आपने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उसके अनुसार ये स्कूल खोले जावेंगे तो क्या सूची के अनुसार इसी सत्र में उन स्कूलों को खोल दिया जावेगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पिछली बार स्कूल खोले गये, मानदण्ड के आधार पर आ जाते हैं वह इस सूची में आये हैं। समस्त राजस्थान में ऐसे स्कूल भी हैं जो इस मानदण्ड के आधार पर आते हैं लेकिन सूची में नहीं हैं तो राज्य सरकार उन सब पर भी विचार करेगी कि प्राथमिकता किसको दी जाय। जैसा मैंने निवेदन किया, हम क्षेत्रीय संतुलन पर विचार करेंगे, क्षेत्रीय परिस्थितियों पर विचार करेंगे, दुर्गम स्थान आदि हैं तो उन पर भी विचार किया जावेगा। उस सारे परिप्रेक्ष्य में इन सब बातों पर विचार किया जावेगा। उस परिप्रेक्ष्य में जो स्कूल आते हैं वे खोले जावेंगे और नहीं आवेंगे तो नहीं खोले जावेंगे।

श्री मूलचंद डागा : नम्बर बताया जावेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार स्कूलों में से आपने जो लिस्ट दी है उसके अनुसार 148 स्कूल खोलने हैं और 500 में से 97 खोलने हैं···

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी···

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या मैं यह समझूं कि यह भी स्कूल खुल जायेंगे ? यह जो परिप्रेक्ष्य आप बता रहे हैं उसमें 900 के करीब प्राइमरी स्कूल रहते हैं, मिडिल स्कूल 400 रहते हैं और सैकेन्डरी 200 रहते हैं फिर इन स्कूलों को इग्नोर करने का क्या कारण है ? क्या मैं इसका यही कारण समझूं कि पुराने स्कूल मैंने खोले हैं इसलिए राजनैतिक कारण से इनको बन्द करना चाहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जिन स्कूलों की संख्या आपने प्रारम्भ में तय की थी अपनी सरकार के समय यह आवश्यक नहीं है कि उतने ही स्कूल यह राज्य सरकार खोले। विचार इस दृष्टि से है कि जितने स्कूल सब विचारों के कारण खोलेंगे उस परिप्रेक्ष्य में इन पर भी विचार कर लिया जायेगा। इसलिए यह कहना कि सब स्कूल खोले जायेंगे मैं इसके लिए अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मूलचंद डागा : सदन की कमेटी इसके लिए बन जाये, वह तय कर ले कि खोला जाये या नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने जिस प्रकार से स्कूल खोले हैं मेरे क्षेत्र में इस तरह के स्कूल हैं, जैसे नयाबांस और लीलाला काफी दूर दूर पड़ते हैं। दोनों स्कूलों में एक मास्टर है और यह मास्टर दो घंटे एक स्कूल में पढ़ाता है और दो घन्टे दूसरे स्कूल में पढ़ाता है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में बटाड़ा गांव है, वहां 150 बच्चों पर एक मास्टर है। इस तरह के मानदण्ड पर स्कूल नहीं खोले जायें और सारे स्कूलों में मास्टरों की पहले ठीक व्यवस्था हो, ऐसा सरकार कार्य करे, पिछले तीन सालों की तरह नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कृपया यह बतायें कि बजट में जो प्रोवीजन रखा गया था कि एक हजार प्राइमरी स्कूल, 500 मिडिल स्कूल और 250 सैकेन्डरी स्कूल खोलेंगे–मैं यह समझूं कि आप उसमें भी कमी करने जा रहे हैं और बजट प्रोवीजन कम करने जा रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विचार करके ही उसमें बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है और कमी भी की जा सकती है।

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का एक गम्भीर मसला है स्कूल खोलने का और मैं मंत्री महोदय से कहूंगा··

(व्यवधान)

···मैं यह कहूंगा कि आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी का गठन करें जो यह देखे कि राजस्थान में जो स्कूल खुलने जा रहे है वह वाजिब है या गैर-वाजिब हैं क्योंकि यह बहुत गम्भीर मामला है।

(श्री सुखलाल सेंणचा)

(व्यवधान)

मंत्री महोदय के पास बहुत से लोग इस बारे में आ रहे हैं और उनको किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल रहा है। लोग आपके पीछे घूम रहे हैं और हमारे पीछे भी घूम रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायकों की एक कमेटी बनाई जाय जो कि इसके आधार तय करे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया एक एक करके पूछें। वरना आपका यह प्रयास सफल नहीं होगा। यह प्रयास वृथा है। सरकार का उत्तर आ चुका है जो आपने सुना होगा। सरकार की विवशता के साथ भी आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। 1 महीना हुआ सरकार अभी आई है। इसको तीन महीने तो होने दीजिए। कुछ तो शांति रखिये।

(व्यवधान)

रुकावट मत डालिये। पूछना चाहते हैं तो सप्लीमेन्ट्री पूछ लीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इजाजत दी है तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो प्रश्नकर्ता को लिस्ट दी है उनके लिए क्या इस तरह का बजट में भी उचित प्रावधान किया था? क्या प्रेक्टिकली सब स्कूल खुल सकते हैं या ख्वामख्वाह रोब मारने के लिए और राजनैतिक वातावरण बनाने के लिए ही स्कूलों के नाम दिये गये?

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने नीति संबंधी बातें कही हैं। मेरा निवेदन है कि इस सदन के सदस्यों की हिस्सेदारी हो, संयुक्त मैत्रीत्व पैदा हो इसके लिए एक प्रश्न जो उठाया गया है कमेटी के निर्माण का, क्राइटेरिया तो जो है वह रहे ही लेकिन शिक्षा मंत्रीजी को क्या आपत्ति है कि इसको तय करने के लिए सदन की समिति हो और उसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व हो। वह यह देखे कि जो बात तय की जा रही है वह सही है या गलत है। जब खास तौर से दोनों तरफ से वातावरण बनाया जा रहा है, इस दिशा में सक्रिय और रचनात्मक चेष्टा हो रही है और सोचा जा रहा है कि राजस्थान को सही दिशा में निर्माण हो तो इस बात को मंत्री महोदय को बहुत विनम्रतापूर्वक मान लेना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर समिति का गठन अवश्य हो जिसमें जो भी निर्णय हो वह सब की सहमति से हो।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे सुझाव को मानने के लिए आपको धन्यवाद।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय,

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे रानीवाड़ा क्षेत्र में

श्री अध्यक्ष : पहले महिला बोल लें।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से केवल दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या नये स्कूल खोलने में राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम है? दूसरा सवाल यह है कि क्या बाड़मेर जिले का शिक्षा का प्रतिशत राज्य भर में सबसे कम है? तीसरा

(श्रीमती मदन कौर)
सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण काम के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने में विश्वास रखती है और अगर रखती है, तो क्या जिलास्तर पर कमेटी बना कर उसके माध्यम से स्कूल खोलने की सिफारिश मंगवायेगी और उन्हीं को स्वीकृत करेगी? क्या राज्य सरकार इसके लिए सहमत है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पहाड़ी क्षेत्र है और वहां के लिए जिन सैकेण्डरी स्कूलों के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजे और शिक्षा विभाग में प्रस्ताव भेजे लेकिन अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं हुई तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पांच-पांच प्रार्थना-पत्र आपके पास आये हैं। जुलाई महीना समाप्त हो रहा है क्या शिक्षा मंत्रीजी इस महीने के अन्त में पहाड़ी क्षेत्रों में जहां के लिए मांग की है जैसे कलंदरा की मांग है जहां 45 किलोमीटर पर भी स्कूल नहीं है वहां के लिए स्वीकृति शीघ्र भेजेंगे? आपके क्राइटेरिया ऐसे ही बन जाते हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है तो क्या सरकार वहां के लिए स्वीकृति शीघ्र भेजेगी?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

मंत्री महोदय यथासम्भव प्रयास करेंगे सभी आशाओं की पूर्ति करने के लिए। इसके उपरान्त क्या हो सकता है।

स्थगित प्रश्न।

श्री रतनाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र रानीवाड़ा में . . .

श्री अध्यक्ष : No. No, please, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनाराम : मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

स्थगित प्रश्न।

श्री सुखलाल सैंणचा : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है . . .

श्री अध्यक्ष : कोई गम्भीर प्रश्न नहीं है। मैंने स्थगित प्रश्न कह दिया है। इसके उपरान्त कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री रतनाराम : मान्यवर, मेरे क्षेत्र रानीवाड़ा में सरकार ने एक भी स्कूल नहीं खोला है कृपया रानीवाड़ा इलाके में मिडिल स्कूल के प्रावधान के लिये आदेश फर्मावें। वहां गरीबी है फिर भी सरकार ने उस क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं खोला है। एक स्कूल तो खुलवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न क्रमांक 83

श्री अध्यक्ष : इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि 30 वर्ष आपने राज किया, नियन्त्रण कोई चीज होती है इसका ध्यान रखिये। उधर के लोग करें तो क्षम्य भी हो सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष, मेरा प्रश्न है क्रमांक 83।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 4 काल कर लिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 1977)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, हाडेलर में गबन का मामला

4. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति हाडेलर–मेडा के अध्यक्ष श्री बीमाराम के नाम आडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन करना बताया गया था और उस रकम को श्री बीमाराम से शीघ्र वसूल कर अपने पास रखना एवं समय पर वसूल करना बताया गया था? यदि हां, तो वह रकम किस वर्ष की थी एवं कुल कितनी किन किन सदस्यों से वसूल कर अपने पास रखना एवं समय पर वसूली के उपरान्त बैंक में जमा न करना बताया गया था? उक्त आडिट रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सदस्यों से वसूल शुदा ऋण की रकम श्री बीमाराम ने श्री धनराज के नाम लिख कर श्री धनराज के फर्जी हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त करली एवं श्री धनराज के नाम 2500 रुपये रकम की वसूली निकलवा दी? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही कब एवं क्यों की गई?

(3) क्या यह सही है कि श्री धनराज को ऐसी फर्जी कार्यवाही मालूम पड़ने पर उसने कलेक्टर, जालौर को इसकी शिकायत की? यदि हां, तो यह शिकायत कब की गई एवं इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि श्री धनराज ने अपनी शिकायत पर सहायक पंजीयक अधिकारी, सहकारी समितियां, जालौर द्वारा सही एवं निष्पक्ष जांच न करने पर कलेक्टर, जालौर को दुबारा शिकायत की?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बीमाराम के नाम गबन की गई रकम की वसूली अब तक नहीं की गई है एवं उसका मुकदमा अभी तक पुलिस में दर्ज नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त मामला पुलिस को कब तक सुपुर्द कर दिया जावेगा?

सहकारिता मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति, हाडेलर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76 में श्री बीमाराम द्वारा गबन करना बताया गया है। आडिट रिपोर्ट में गबन की राशि श्री बीमाराम से वसूली योग्य बताई गई थी। रकम वर्ष 75-76 की थी। यह रकम ऋण वसूली की नहीं बताई गई थी। वरन हिस्सा राशि व शक्कर विक्रय की थी जिसे आडिट रिपोर्ट में वसूली योग्य बताया गया था। आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। रकम ऋण वसूली की नहीं थी। परन्तु यह सही है कि समिति की

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

रोकड़ बही में दिनांक 13-7-75 को रकम श्री धनराज के नाम दिखाई जाकर श्री धनराज से रसीद प्राप्त करली गई और बोल्ड भरा लिया गया।

(3) श्री धनराज द्वारा दिनांक 18-6-76 व दिनाक 7-7-77 को जिलाधीश, जालोर को शिकायतें की गई थीं। प्रथम शिकायत पर सहायक रजिस्ट्रार, जालोर द्वारा जांच की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट जिलाधीश, जालोर को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) श्री धनराज के द्वारा दिनांक 7-7-75 को प्रस्तुत शिकायती-पत्र में सहायक रजिस्ट्रार, जालोर द्वारा निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया गया था। इस शिकायती-पत्र पर वस्तु स्थिति से जिलाधीश, जालोर को सूचित किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति, जालोर के पास विचाराधीन है।

(5) अभी तक की जांच रिपोर्ट से श्री बीमाराम द्वारा गबन करना नहीं पाया गया है। अतः पुलिस में केस दर्ज नहीं कराया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह आडिट रिपोर्ट 1975-76 की अब सदन की मेज पर रखी गई है। यह बहुत पुराना मामला है। इस मामले की गम्भीरता को समझ कर उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक सवाल और पूछना चाहता हूं, फर्जी वांडों के बारे में। आप से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह विचार रखती है कि भविष्य के अन्दर सोसाइटीज का रुपया अध्यक्षों को नकद न देकर उसका चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा ? यह नीति का प्रश्न है इसके बारे में क्या राय है ?

एक माननीय सदस्य : यह चैक द्वारा भुगतान की व्यवस्था ठीक है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इस तरह की दो रिपोर्ट्स हैं। एक आडिट रिपोर्ट है और आडिट रिपोर्ट में बीमाराम को दोषी पाया गया है और दूसरी रिपोर्ट धनराजजी के बारे में है। यह दोनों रिपोर्ट विचाराधीन हैं। आडिट रिपोर्ट अभी कार्यालय में छप कर आई है। इसलिये कार्यालय वापस जांच करेगा। जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको उचित दण्ड देने की व्यवस्था करेंगे।

एक माननीय सदस्य : अलवर में 2॥ करोड़ का मामला है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

मेरी व्यवस्था सुनिये, आप नियमों का ध्यान रखिये कृपया।

एक माननीय सदस्य : इनको ट्रेनिंग की जरूरत है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

न्यूनतम जोत के खातेदारों से भू-राजस्व की वसूली

77. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में न्यूनतम जोत के खातेदारों का भू-राजस्व समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार किसानों को राहत देने के लिए व्यापारिक फसलों पर लगाये गये कर को समाप्त करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब से ?, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल 2½ (ढ़ाई) हैक्टेग्रर असिंचित भूमि पर भू-राजस्व वसूल न करने की राज्यपाल के अभिभाषण में घोषणा की जा चुकी है जो 1-4-77 से लागू होगी।

(2) अभी इस विषय में विचार नहीं किया गया है।। प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रावधायी निधि निदेशालय की स्थापना

81. श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक अधिकारी विशेष को प्रश्रय देने हेतु प्रावधायी निधि निदेशालय दिनांक 12-7-74 से खोला गया ?

(2) क्या यह सही है कि पहले प्रावधायी निधि कार्य एक अधिकारी को 200) रु. विशेष वेतन देकर कराया जाता था एवं अब नया विभाग खोलने से राज्य सरकार को 1,50,000 का अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था किन आधारों पर की गई ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा आपातकालीन समय में कर्मचारियों पर दबाव डाल कर प्रावधायी निधि विभाग में ही रहने के लिये हस्ताक्षर करवाये गये थे तथा राज्य सरकार ने उसी को आधार मान कर राज्य बीमा विभाग एवं प्रावधायी निधि विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता अलग अलग करने का निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी से विकल्प पत्र स्वतन्त्र रूप से क्यों नहीं भरवाये गये ?

(4) क्या यह सही है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को अनुग्रहित करने हेतु प्रावधायी निधि कार्यालय को 8 कि. मी. दूर जवाहर नगर में स्थानान्तरित किया गया है ? क्या इस स्थानान्तरण से प्रावधायी निधि से पैसा प्राप्त करने वाले पेन्शनशुदा कर्मचारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इस कार्यालय को पुनः सी-स्कीम के आसपास लाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(वित्त मंत्री)

(2) नवीन वेतनमान नियम, 1969 के प्रावधानों के प्रभावशील होने से पूर्व निदेशक, बीमा विभाग को 200/– रु. तथा एक उप-निदेशक को 150/– रु. प्रति माह विशेष वेतन प्रावधायी निधि का कार्य करने हेतु दिया जाता था। पृथक् से नया निदेशालय खोलने से अनुमानतः केवल 4250/– रु. प्रति माह का अतिरिक्त भार पड़ा है जो नगण्य है तथा अंशदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उचित है। यह व्यवस्था बीमा तथा प्रावधायी निधि विभाग में बढ़ते कार्य को ध्यान में रखते हुए की गई है।

(3) जी नहीं। कार्मिक विभाग के परामर्श के अनुसार ही जो कर्मचारी प्रावधायी निधि सम्बन्धी कार्य करते थे उनसे सहमति मांगी गई थी तथा उन सभी ने प्रावधायी निधि निदेशालय के रहने की सहमति स्वेच्छा से दी थी इसी के अनुरूप वरिष्ठता आदि निश्चित की गई थी अतः विकल्प स्वतन्त्र रूप से नहीं दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। प्रावधायी निधि कार्यालय को जवाहर नगर में स्थानान्तरण नहीं किया गया है। कार्य में वृद्धि के कारण तथा वर्तमान भवन में स्थान की कमी के कारण एक अन्य भवन किराये पर लिया गया है, जहां मुख्य रूप से जी. पी. एफ. का रेकार्ड रखा जाता है।

पेन्शनरों को भुगतान हेतु वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य खनिज निगम की योजनाएं

1. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य खनिज निगम ने अब तक क्या-क्या योजनायें हाथ में ली हैं और उनमें क्या-क्या कार्य किये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निगम ने विभिन्न प्रवृत्तियों में कितना-कितना धन लगाया है? जो कहां-कहां से प्राप्त किया गया, का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम की हिस्सा पूंजी कितनी है और किन-किन से प्राप्त की गई है और कार्यशील पूंजी कितनी है?

(4) शुरू से लेकर अब तक निगम को नफा या नुकसान क्या-क्या हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

उत्तर

(1) मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी के रूप मे राजस्थान में सरकार की ओर से खनन कार्य में रत है। कम्पनी की ओर से जिप्सम उत्पादन का कार्य विभिन्न अपने खानों पर, जिनके पट्टे कम्पनी के नाम हैं एवं चालू हैं। इसके अतिरिक्त राक फास्फेट के उत्पादन एवं विक्रय में भी, जिसमें कम्पनी राज्य सरकार के वर्किंग कान्ट्रेक्टर इन्डेन्टिंग एजेन्ट के रूप में, कार्यरत है। कम्पनी के कार्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1976 तक रु. 760.22 लाख निम्न प्रवृत्तियों में लगा रखा है :—

मद	रुपये लाखों में
1. स्थायी सम्पत्तियां (फिक्स्ड असेट्स)	215.09

(खनिज मंत्री)

2.	पूंजीगत कार्य (केपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस) प्रगति में	67.22
3.	चालू सम्पत्ति-ऋण एवं अग्रिम	474.75
4.	विनियोजन	0.10
5.	विविध अस्थगित-राजस्व व्यय	3.06
	योग:–	760.22

कम्पनी द्वारा विनियोजित पूंजी (केपिटल एम्पलोयड) रुपया 454.69 लाख थी जिसमें शुद्ध स्थायी सम्पतियां (फिक्स्ड असेट्स) एवम् कार्यशील पूंजी (वर्किग केपिटल) सम्मिलित है।

कम्पनी द्वारा उक्त धन राशि को निम्न स्रोतों द्वारा प्राप्त किया गया है। (31 मार्च, 1976 तक)

1.	दत्त अंश पूंजी (पेडअप केपिटल)	256.76
2.	अतिरेक एवं संचय-उधार (रिजर्व्स सरप्लस)	81.33
3.	ऋण (लोन्स)	186.98
	योग :—	525.07

(3) मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की 31–3–77 को समाप्त वित्तीय वर्ष में रुपये 500.00 लाख की अधिकृत अंश पूंजी (ओथोराइज्ड शेयर केपिटल) के विरुद्ध पूर्ण दत्त अंश पूंजी (फुल्ली पेडअप शेयर केपिटल) रु. 300.00 लाख रुपये थी। इस दत्त पूंजी में राजस्थान सरकार की भागीदारी रुपया 298.95 लाख तथा निजी अंशधारियों की भागीदारी रुपया 1.05 लाख रुपये थी। कम्पनी की 31-3-76 तक की कार्यशील पूंजी रु 239.60 लाख थी।

(4) मैसर्स राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 14 जून, 1973 से राजस्थान सरकार की स्वामित्व की कम्पनी के रूप में परिवर्तित हुई। वित्त वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक वर्षवार कम्पनी की लाभ की स्थिति निम्न प्रकार रही है:—

इकाई वर्ष	1973-74	74-75	75-76
(लाख रुपया) लाभ (कर देने के पहले)	5.12	21.65	12.07

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बाड़मेर जिले की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

3. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत कितने डीजल सेट किस मेक, कितनी ट्रढ़ एवं प्रतिष्ठापित क्षमता के उपयोग में लाये जा रहे हैं ? प्रत्येक जल प्रदाय योजना का अलग से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त डीजल सेटों में से किस-किस मेक के और कितनी प्रतिष्ठापित क्षमता के सेट कब से बेकार हैं और किन-किन की मरम्मत कब से की जा रही है ? मय विलम्ब के कारणों के प्रत्येक का अलग-अलग से विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त सभी जल प्रदाय योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त डीजल सेटों की भी व्यवस्था की हुई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
है ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ? कब तक अतिरिक्त डीजल सैटों की प्रत्येक जल प्रदाय योजनाओं में व्यवस्था की जायेगी ?

(4) उक्त डीजल सैटों की मरम्मत के लिये विभाग किस प्रकार व्यवस्था करता है और क्या विभाग उक्त व्यवस्था से संतुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) साधारणतः सभी स्थानों पर अतिरिक्त डीजल सैटों की व्यवस्था है। जहां पर नहीं है वहां धनराशि की उपलब्धि के अनुसार व्यवस्था की जा रही है।

(4) साधारणतः डीजल सैट की मरम्मत का कार्य जोधपुर की कार्यशाला में किया जाता है। यदि वहां कार्य की अधिकता से विलम्ब होने की आशंका हो तो निर्माता फर्म से सम्बन्ध स्थापित कर मरम्मत करवाई जाती है अथवा स्थानीय प्रतिष्ठापित कर्मशाला से निविदायें आमंत्रित कर मरम्मत करवाई जाती है। यह व्यवस्था, साधारणतः संतोषजनक है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखिये)

जालौर क्षेत्र के कुटीर उद्योग

4. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में छोटे कुटीर उद्योगों के विकास की संभावनाएं होते हुए भी अभी तक कोई कुटीर उद्योग नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब भविष्य में उक्त क्षेत्र में सर्वेक्षण के पश्चात् सरकार क्या-क्या कुटीर ग्रामोद्योग लगवाने की कोशिश करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र में महिलाओं को काम देने के लिए ऊन कताई का काम काफी विस्तृत रूप से गांवों में चलाया जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या योजना बनाई है एवं भविष्य में क्या योजना बनाई जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र में ऊनी पट्टू, सूती चद्दरें, खेस, पिछड़ी, ऊंट जट की कटियां एवं सूती दरियां गांवों में अच्छी बनाई जाती हैं ? यदि हां, तो ऐसे छोटे कारीगरों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई है एवं भविष्य में क्या-क्या सहायता दी जावेगी ? उपरोक्त ग्रामीण छोटे उद्योगों के विकास के लिए सरकार भविष्य में क्या नीति अपनाना चाहेगी ताकि अवकाश के समय में कृषि श्रमिक एवं अन्य ग्रामीण बेकारों को रोजगार दिलाया जा सके ?

(4) सांचौर में अन्य कौन-कौन से छोटे कुटीर ग्रामीण उद्योग लगाने की गुंजा-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
इश है ? ऐसे उद्योग लगवाकर ग्रामीण श्रमिकों एवं बेकारों को काम देने के बारे में सरकार कब तक क्या-क्या कार्यवाही करना चाहेगी ? और कौन-कौन से उद्योग कब तक शुरू कर रोजगार दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) कुटीर उद्योग सरकार द्वारा नहीं लगाये जाते। भविष्य में लगने वाले कुटीर उद्योगों को सरकारी नीति अनुसार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

(2) जी हां। सांचौर के लिए सरकार ने पृथक से कोई योजना नहीं बनायी। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में वर्तमान में कार्यशील खादी संस्था धीरम, खादी ग्रामोद्योग संघ, जालौर ऊन कताई का काम करती है। यदि उसके विस्तार का प्रस्ताव आता है अथवा नयी संस्थाओं के पंजीकरण का प्रस्ताव आता है तो उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा।

(3) इन उत्पादनों की विशिष्टता की कोई जानकारी सरकार को नहीं है। आम-तौर पर जो कार्य होता है वह कोर्स प्रकार का होता है। जालौर जिले में डिफरेन्शियल रेट्स आफ इन्ट्रेस्ट स्कीम लागू है। जिसके अन्तर्गत 4 प्रतिशत ब्याज दर से राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। केन्द्र सरकार को हाथ करघा विकास की सघन योजना हेतु जालौर जिले का चयन किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जालौर जिले में आगामी वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा। जिसके अन्तर्गत चयनित बुनकरों को सुधरे हाथकरघे एवं संयन्त्र आदि क्रय करने हेतु ऋण एवं अनुदान दिया जायेगा एवं उचित दर पर सूत एवं रंग रसायन आदि दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी, उत्पादित माल की विपणन व्यवस्था में भी सहायता दी जायेगी।

ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के विकास की ओर सरकार अधिकतम ध्यान देगी एवं इन उद्योगों के विकास प्रसार हेतु एक समन्वित योजना का क्रियान्वयन राज्य भर में किया जायेगा जिसके अन्तर्गत सांचौर क्षेत्र में भी ऐसे उद्योग लगाने वालों को लाभ होगा जिससे ग्रामीण बेकारों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

(4) सांचौर के लिए पृथक से कोई संभावना सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जालौर जिले में तेल मिल, दाल मिल, ग्वारगम, कैटिल फीड एवं कृषि यन्त्रों के छोटे उद्योग लग सकते हैं। ग्रामीण उद्योगों में हाथ-करघा, लोहारी सामान, जूतियां, ऊंट जट की पट्टियां एवं ऊन पट्टू आदि के उद्योग के विकास की संभावनाएं हैं। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु राज्य सरकार पृथक् से योजना बनायेगी। सरकार द्वारा उद्योग शुरू करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, जो उपक्रमी ऐसे उद्योग लगाएंगे उन्हें नियमानुसार सहायता दी जायेगी।

भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

6. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशन-पोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भू-प्रबन्ध विभाग के वरिष्ठ लिपिक, श्री उमर मोहम्मद

Page No 28

(28)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये अनधिकृत, गैर कानूनी, नियमों के विरुद्ध कृत्यों की जांच करने हेतु कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत का जांच परिणाम क्या रहा और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री उमर मोहम्मद उसके विरुद्ध चल रहे विभिन्न मुकदमों में विभिन्न दिनों को उपस्थित रहा तथा उन्हीं दिनांक को कार्यालय में भी उसकी उपस्थिति है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी जोधपुर से जयपुर सरकारी कार्य से आया ? यदि हां, तो जयपुर में कब-कब आया और कितने-कितने दिन रहा और किस किस सरकारी कार्य से आया ?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में जोधपुर से जयपुर में इतने अधिक मात्रा में सरकारी दौरे एक कर्मचारी नहीं किया करते थे ? यदि हां, तो अब इतने अधिक दौरे जोधपुर से जयपुर में उक्त कर्मचारी द्वारा ही क्यों किये जाते हैं ? क्या सरकार इन दौरों पर नियंत्रण रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मचारी द्वारा अनावश्यक किये जा रहे जोधपुर से जयपुर के दौरों पर रोक लगाकर सरकारी कोष का दुरुपयोग होने से बचाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री उमर मोहम्मद, वरिष्ठ लिपिक दोषी साबित हुए तथा उनकी दो वेतन वृद्धियां बिना भावी प्रभाव से रोकी जाने की सजा दी गई।

(2) जी हां। श्री उमर मोहम्मद वरिष्ठ लिपिक की दो वेतन वृद्धियां बिना भावी प्रभाव से रोक दी गई।

(3) जी हां। श्री उमर मोहम्मद वरिष्ठ लिपिक निम्नलिखित तारीखों में सरकारी कार्य से आये :—

सफर की अवधि	कारण
दो दिन 9-9-76 व 10-9-76	कर्मचारियों के राज्य सेवा नियम 244:2 के अन्तर्गत रिटायरमेंट के सम्बन्ध में रेकार्ड लेकर आये। उपस्थिति प्रमाण-पत्र दिया गया।
पांच दिन 14-10-76 से 18-10-76	फाइनेंशियल पावर रूल 3 जी. एफ. एण्ड ए. आर. के तहत लेने हेतु, बाली के कार्यालय के फेयर रेन्ट सर्टिफिकेट एवं स्टेशनरी लेने हेतु। दो दिन का उ. प्रमाण-पत्र भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर, से एवं तीन दिन का मुख्य कार्यालय से दिया गया।

(राजस्व मंत्री)

छः दिन 28-10-76 से 2-11-76	वाली के मकान किराये की फाइल के साथ फेयररेण्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु फिर भेजे गये। जिसका प्रमाण-पत्र दिया गया।
चार दिन 16-11-76 से 19-11-76	सेटलमेंट निरीक्षकों सदर मुन्सरिमों का सेवा अभिलेख लेकर भेजा गया। प्रमाण-पत्र दिया गया।
छः दिन 13-12-76 से 18-12-76	श्री उमर मोहम्मद वरिष्ठ लिपिक स्वीकृत शुदा अधिकृत अवकाश पर जयपुर आये हुए थे। निरीक्षकों की सीनियोरिटी लिस्ट पूरी करने हेतु इन्हें दिनांक 13-12-76 से 18-12-76 तक मुख्य कार्यालय में रोका गया जिसका प्रमाण-पत्र उन्हें दिया जाकर उसमें इन्दराज किया गया कि इन दिनों का किसी प्रकार का यात्रा एवं दैनिक भत्ता इन्हें देय नहीं होगा।

(4) राजकीय कार्य हेतु पूर्व में भी सरकारी कार्य से जोधपुर कार्यालय के कर्मचारी जयपुर आते जाते रहे हैं। श्री उमर मोहम्मद जयपुर का निवासी होने की वजह से इनको जोधपुर से जयपुर भेजा जाता था अन्य लिपिक जयपुर जाना पसन्द नहीं करते हैं। भविष्य में श्री उमर मोहम्मद को जयपुर दौरे पर न भेजने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

(5) श्री उमर मोहम्मद वरिष्ठ लिपिक को सरकारी कार्य से भविष्य में जयपुर भेजने में रोक लगा दी गई है।

ग्राम निमाज के भूतपूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति

7. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांव निमाज तहसील जैतारण के भूतपूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति, जिसे जागीर अधिग्रहण के समय राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निमाज गांव का ग्राम दरवाजा जिसमें होकर ग्राम जनता का आना-जाना होता है और बस स्टेण्ड पर गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में है, वह भी निजी सम्पत्ति में माना गया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या इस मुख्य द्वार का निजी सम्पत्ति में होने से भूतपूर्व जागीरदार इसमें ग्राम जनता के आने-जाने पर व दरवाजे की दीवारों पर कोई पोस्टर व झण्डा लगाने से रोक सकता है?

उत्तर

(1) सूची भवन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम घोड़ावड़ में अलाट की गई भूमि का कब्जा

8. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गेपर पुत्र श्री सांवल बादरी निवासी गांव घोड़ावड़ तहसील जैतारण को 6-6-72 को खसरा नं. 210 भूमि 20 बीघा अलाट हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गेपर को उक्त भूमि का कब्जा अभी तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब्जा कब तक दिलवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। श्री गेपर को उक्त भूमि का कब्जा दिया जा चुका है एवं इसका रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है।

ग्राम आगेव की गोचर भूमि

9. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गांव आगेवा तहसील जैतारण, जिला पाली की ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार जैतारण की उपस्थिति में ग्राम सभा कर स्थानीय गोचर भूमि में से अनावश्यक भूमि पृथक् कर स्कूल के विद्यार्थियों के लिए फुटबाल खेलने के मैदान बनाने हेतु प्रस्ताव पारित कर राजस्व विभाग के उप-खण्ड अधिकारी, जैतारण व जिलाधीश पाली को प्रेषित किये हुये करीब एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक निर्णय नहीं होने के क्या कारण हैं ? और अब इस सम्बन्ध में आखरी निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां।

तहसीलदार से अपूर्ण सूचना प्राप्त होने से अब तक जिलाधीश द्वारा इस मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब जिलाधीश के पास दिनांक 19-7-77 को अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है। अतः शीघ्र ही अन्तिम निर्णय ले लिया जावेगा।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में पाठशाला खोलने की मांग

10. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में एक मात्र माध्यमिक पाठशाला हाडेचा राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश बाद में रद्द कर दिए गए थे ? यदि

Page No 31

(31)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हां, तो क्यों ? अब उक्त पाठशाला को क्रमोन्नत करने के आदेश कब तक प्रसारित कर दिए जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की उच्च प्राथमिक पाठशाला क्रमोन्नत करने के पूर्व राज्य सरकार के आदेश जो बाद में रद्द कर दिए थे, वे आदेश अब तक वर्तमान सरकार द्वारा वापिस नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब वे आदेश कब तक जारी कर दिए जावेंगे ?

(4) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर प्राथमिक पाठशालाएं खुलवाने की स्थानीय जनता की मांग है और जहां पाठशाला भवन स्थानीय जनता द्वारा बना दिए गए हैं :—

1. जैतानियों का कुआं स्कूल ग्रामपुर।
2. जानवी ग्राम विश्नोध्यान गोलिया स्कूल भवन बना हुआ है।
3. "लालपुरावास" ग्राम चीतलवाना स्कूल भवन बना हुआ है।
4. बधाकुआ गोलिया ग्राम टापी स्कूल भवन बना हुआ है।
5. सायर का कोसिटा ग्राम।
6. साथरिया ग्राम।
7. पावटा ग्राम।
8. ग्राम सिलुसण।
9. खोखरिया कुआं के पास सरहद ग्राम सरणाऊ।
10. ग्राम डडूसण में दूसरी प्राथमिक पाठशाला।

(5) उक्त ग्रामों में ग्रामीण जनता की मांग के अनुसार प्राथमिक पाठशालाएं कब तक खोल दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13(14), शिक्षा (ग्रुप-1)/77 दिनांक 22-4-77 के द्वारा।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश थे कि वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर ही शालायें क्रमोन्नत की जायें। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13 (14) शिक्षा/(ग्रुप-1)/77 दि. 16-7-1977 के द्वारा शाला क्रमोन्नत के आदेश पुनः प्रसारित कर दिये गये हैं।

(3) शाला क्रमोन्नत के आदेश पुन: जारी कर दिये गये हैं।

(4) शाला क्रमोन्नत का प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।

(5) नये विद्यालय खोले जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार के समय इन स्थानों पर शालायें खोले जाने के लिए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

बामनवास से गढमोरा व दौसा लालसोट रोड से बधमोरा सागर वाया रिवाली, मांवरा सड़कों का कार्य

11. श्री कुंजीलाल पटेल (बामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील की

(श्री कुंजीलाल पटेल)
बामनवास से गढ़मोरा व दौसा लालसोट रोड से चंबमोरा सागर वाया रिवाली, भांवरा आदि की निर्माणाधीन सड़कों को स्वीकृत हुये 20 वर्ष होने के पश्चात् भी आज तक उसी हालत में पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इस पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुये अलग से अधिक वित्तीय साधन स्वीकृत कर उक्त दोनों सड़कों को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। इन सड़कों की स्वीकृति वर्ष 1971–72 में हुई थी किन्तु पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में इनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है।

(2) इस वित्तीय वर्ष में योजना मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अलग से राशि निर्धारित कर इन सड़कों का कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम बलून्दा में सैकेन्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति

12. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील जिला पाली के गांव बलून्दा में इस वर्ष सैकेन्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी थी परन्तु बाद में वह स्टे कर दी गई ? यदि हां, तो स्वीकृति कौनसी तारीख को हुई और स्टे कौनसी तारीख को, क्यों की गई व किसने की ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी गांव बलून्दा में सैकेन्डरी स्कूल की स्वीकृति हुई थी और दो माह तक सैकेन्डरी स्कूल रहा परन्तु बाद में फिर स्वीकृति रद्द कर दी गई थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

(3) क्या अब बलून्दा में सैकेन्डरी स्कूल की स्वीकृति कायम रहेगी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22–4–77 द्वारा बलून्दा गांव में माध्यमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा दिनांक 3–6–77 को इस आदेश द्वारा स्थगित किया गया कि जब तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न हो विद्यालय क्रमोन्नत न किया जावे।

(2) यह सही नहीं है।

(3) इसकी क्रमोन्नति के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर की सड़कों की मरम्मत का कार्य

13. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में 1) माकुपुरामेनावा (गुजरात सरहद तक) सड़क 2) डेडवा

Page No 33

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाखल–हरियाली–चोहटा अरणाय–सड़क 3) सांचौर–भवातड़ा–रिडका सड़क 4) सांचौर–अरणाय–खारा सड़क 5) बोहरा–सियावदा–बीजगोल सड़क 6) करड़ा–भाव सड़क 7) खारा भेरोल बीजरोल सड़क 8) हेडवा–डाबला–माम्बली सड़क 9) सिवाड़ा–गडाहेमा–भाव सड़क 10) सिवाड़ा–चीतलवाना सड़क 11) चीतलवाना–होती गांव सड़क 12) बार्कलियापुर धानता सड़क एवं खारा–गुंदाउ–साकल सुरावा, दुगावा सड़क 13) सांचौर बीछावाडी सरवाना सड़क, आदि का निर्माण गत अकाल वर्षों में, अकाल राहत कार्यों के रूप में करवाया गया था ? अगर हां, तो उक्त सड़कों में से कितनी कच्ची एवं कितनी पक्की डामर एवं मैटल एवं बांधला पत्थर सड़कें है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पक्की डामर एवं मैटल एवं बांधला पत्थर सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची में अभी तक नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी सड़कों को कब–कब मरम्मत सूची में लिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों में से कुछ पुरानी ग्रेवल सड़कों की भी विभाग द्वारा अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है ? अगर हां, तो ऐसी कौन–कौन सी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत नहीं कराई गई है ? अगर नहीं, तो कौनसी सड़कों की कब-कब मरम्मत कराई गई है ? सांचौर–चीतलवाना एवं सांचौर–भवातड़ा पुरानी ग्रेवल सड़कों की मरम्मत कब-कब पिछले तीन सालों में करवाई गई है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बार्कलियापुर धानता सड़क एवं हालीवाव, केरिया सड़कों का निर्माण न्यूनतम कार्यक्रम के तहत करवाया गया था ? जो सड़कें अभी तक अधूरी पड़ी हैं उन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(5) क्या सरकार हालीवाव, केरिया, गांव सड़क को पक्की डामर सड़क बनाना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों । जब कि केरिया ग्राम की बस्ती 2,500 से ज्यादा है और न्यूनतम कार्यक्रम के तहत यह गांव सड़क से जोड़ना जरूरी है ?

(6) क्या यह भी सही है कि ग्राम शासन वेवड़ा गांधी शताब्दी गांव घोषित किया गया था जिसको अभी तक पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? अगर हां, तो इसको पक्की सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

(7) क्या यह भी सही है कि धानता, पांचला, दुगावा अकाल राहत कार्य के रूप में बनी सड़क अभी तक अधूरी पड़ी है ? अगर हां, तो कब से ? अब इस सड़क को पूर्ण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(8) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित 13 सड़कों में से जो अकाल वर्षों में बनाई गई थीं कुछ सड़कों पर अभी तक ग्रेवल भी नहीं डाला गया है ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी सड़कें हैं एवं उन पर ग्रेवल कब तक डाल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। गत अकाल वर्षों में अकाल राहत कार्यों के रूप में इन सड़कों का निर्माण करवाया गया था। उनका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

	सड़क का नाम	डामर कि.मी.	मैटल कि.मी.	ग्रेवल कि.मी.	कच्ची सड़क कि.मी.	योग कि.मी.
1.	माकुपुरा नेनवा (गुजरात सरहद तक)	12	–	–	–	12
2.	डेडवा जाखल हरियाली चोहूरा भरणाय सड़क	–	–	–	6	6
3.	सांचोर भवातडा रिडका	–	–	47	18	65
4.	सांचोर भरणाय खारा	–	–	16	–	16
5.	चोहूरा लिपावव बीजरोल	–	–	4.5	3.5	8
6.	करडा भाव	–	–	32	–	32
7.	खारा सेरोल बीजरोल	–	–	3	6	9
8.	डेडवा डावला ग्रामली जाखल	–	8	4	–	12
9.	सिवाडा, गुडा हेमा भाव	–	–	16	7	23
10.	सिवाडा चितलवाना	–	–	9	–	9
11.	चितलवाना होतीगांव	–	–	12	–	12
12.	बावलिया पथाणातम एवं खारा गुन्दाऊ साकड दुराबा दुगाणा	4	25	–	1	30
13.	सांचोर बीखावाडी सरवाना	–	–	14	16	30

(2) यह सही नहीं है।

इनमें से निम्नांकित सड़कों को विभाग की मरम्मत सूची में ले लिया गया है:—

1. माकुपुरा नेनवा गुजरात सरहद तक।
2. सांचोर भवातडा रिडका।
3. सांचोर भरणाय खारा।
4. करडा भाव।
5. ग्रामली डावला डेडवा जाखल।
6. खारा गुन्दाऊ सांडक कुराव दुगाव।
7. बावलियापुर ग्रानता।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष सड़कें चूंकि अकाल राहत के अन्तर्गत बनाई जाने के कारण मरम्मत सूची में लिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) इनमें से सांचोर भवातड़ा, रिड़का, सड़क की मरम्मत करवाई गई है। बाकी सड़कों की मरम्मत धन उपलब्धता के अनुसार ही कराई जाती है।

(4) इन दो सड़कों में से केवल हालीवाण केरियास सड़क का ही कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत करवाया जा रहा है। इस सड़क पर अपूर्ण, कार्य प्रगति पर है। धनाभाव के कारण इसके पूर्ण होने की स्थिति बताया जाना संभव नहीं है।

(5) जी हां। हाली वाण से गांधव तक डामर सड़क बनी हुई है और हालीवाण से केरिया सड़क जो मेटल्ड है उस पर डामर कार्य प्रगति पर है।

(6) जी हां। ग्राम वासन देवड़ा तक डामर की सड़क बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है अतः सड़क बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी हां। अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 में इस सड़क पर मिट्टी का कार्य करवाया गया था। वित्तीय साधनों के अभाव में इस सड़क का निर्माण कार्य करवाना सम्भव नहीं है।

(8) जी हां। जिन सड़कों के हिस्से में ग्रेवल नहीं डाला गया है वे निम्न हैं:—

		किलोमीटर जिनमें ग्रेवल नहीं पड़ा है
1.	जाखल से अरणाई तक	6
2.	सांचोर से भवातड़ा का भाग	18
3.	चोरा वीजरोल	3.5
4.	खारा वीजरोल	6
5.	चिवाड़ा झाब	17
6.	खारा गुंदाऊ सांकड़ दुगान	1
7.	सांचोर सरवाना	16

वित्तीय साधनों के अभाव में इन सड़कों में ग्रेवल डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर परिषद्, जयपुर द्वारा लीज एवं किराये पर दी गई भूमि

14. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्तशासी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर चौकड़ी सरहद गणगौरी बाजार, चीनी की बुर्ज, नादरों की मस्जिद के पीछे अलमशहूर चौक खातियों के पश्चिमी दक्षिणी कोने की आम रास्ते की व श्रीमती तुलसी के मकान के बरामदे की भूमि नगर परिषद्, जयपुर ने लीज अथवा किराये पर दी है? यदि हां, तो किस व्यक्ति को कितने रुपये में कब से कब तक के लिये किन नियमों के अन्तर्गत दी है?

(2) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार नगर परिषद्, जयपुर द्वारा चौक और आम रास्ते व किसी के प्राइवेट मकान के बरामदे व बरामदे के आगे की भूमि लीज अथवा किराये पर नहीं दी जा सकती? यदि हां, तो श्री मोहन लाल पुत्र श्री चौथमल को उपरोक्त स्थान पर किस आधार पर भूमि लीज या किराये पर दी गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लीज अथवा किराये की भूमि पर पक्का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि लीज अथवा किराये पर दिये जाने से चौक व रास्ता छोटा हो गया है और आने जाने वालों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा कार व तांगे वगैरह नहीं आ जा सकते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लीज या किराये को समाप्त कर उक्त भूमि आम जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध करावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(5) यदि राज्य सरकार इस पर भी उसे लीज या किराये पर देना उचित समझती है तो उसे खुले आम नीलाम में बोली लगा कर अधिक से अधिक देने वाले को देने का विचार क्यों नहीं रखती है?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि जयपुर शहर चौ. सरहद गणगौरी बाजार चीनी की बुर्ज नादरों की मस्जिद के पीछे अलमशहूर खातियों के दक्षिणी पश्चिमी कोने में 17/19 फीट भूमि का एक टुकड़ा परिषद् द्वारा दिनांक 22-4-66 को श्री मोहनलाल पुत्र चौथमल को 33.75 रु. सालाना की दर पर एक साल के लिये किराये पर दिया गया था। यह किरायेदारी राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 30 के तहत की गई थी।

(2) यह सही है कि नियमानुसार चौक व आम रास्ते की भूमि किराये पर नहीं दी जा सकती परन्तु नगर परिषद् ने यह भूमि स्वतंत्र भू-खण्ड होने के कारण तथा किसी दूसरे के मकान से जुड़ी हुई न होने के कारण किराये पर दी थी।

(3) यह सही है कि नियमानुसार किराये पर दी हुई भूमि पर पक्का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता है।

(4) यह मामला विवादास्पद है एवं इस सम्बन्ध में कार्यवाही न्यायालय में चल रही है। न्यायालय के निर्णय हो जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

(5) भाग (4) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हजारीमल सारन, सदस्य विधान सभा की ओर से सरदार शहर नगर में भारी वर्षा के कारण कच्ची बस्तियां तबाह हो गई हैं, इस विषय में।

मेरी व्यवस्था है कि यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

(2) श्री उमरावसिंह ढावरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से प्रतापसागर बांध कोटा के पास बनाये गये अणु शक्ति बिजली घर में सरकार की काफी धनराशि खर्च होने के बाद भी बिजली का उत्पादन ठीक ढंग से न होने के विषय में। इस प्रस्ताव को यदि माननीय सदस्य चाहें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पूर्व में स्थापित एक अन्य व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसके अनुसार माननीय सदस्य यदि चाहें तो स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में पांच मिनिट के लिये बोल सकते हैं ?...

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : किसी भी असेम्बली में सत्ता पक्ष के लोगों को स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं मिलती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह कल निर्णय हो गया।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख को 10 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो इन्दिरा गांधी और संजय द्वारा किये गये अत्याचार की घोर निन्दा के लिये था। अभी तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया बतायें इस पर कब चर्चा होगी ?

श्री अध्यक्ष : एक मिनट !

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पूर्व में स्थापित एक अन्य व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि सदन में स्थगन प्रस्तावों पर आसन की ओर से की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव आदि के विषय में चर्चा न करें जो सदन की कार्य सूची में समाविष्ट न हो। माननीय सदस्य समय-समय पर ऐसे अनेक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि की सूचना देते हैं जिन पर भिन्न-भिन्न स्तरों पर कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आसन के लिये यह सम्भव नहीं है कि उन सब के बारे में सदन में माननीय सदस्यों को जानकारी दी जाय। अतः मैं माननीय सदस्यों से सानुरोध निवेदन करूंगा कि वे ऐसे प्रस्ताव आदि की जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए उन्हें सदन में न उठाकर मेरे कक्ष में मुझ से अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लें, जिससे कि सदन का समय भी नष्ट न हो और माननीय सदस्यों को सही जानकारी भी मिल सके।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री शंकरलाल !

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था का सदन में सम्प्रेषण

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक करके कृपया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : व्यवस्था का प्रश्न पहले लिया जाय। यह नियमों में है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह व्यवस्था है कि जो स्थगन प्रस्ताव...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपकी व्यवस्था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पेश किये जायें उनके बारे में पास्ट में यह प्रक्रिया थी कि जब वे रिजेक्ट किये जाते थे तो उसको अध्यक्ष महोदय पढ़कर सुनाते थे। आज जो व्यवस्था दी है उससे ऐसा महसूस होता है कि उनको चेम्बर में ही रिजेक्ट कर देंगे और सदन में पढ़कर भी नहीं सुनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं देंगे तो हम इस व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को देखते हुये, मानने में असमर्थ हैं। मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो पास्ट में कन्वेंशन रहा है उसके अनुसार पहले चर्चाएं होती थीं। वही कन्वेंशन रहना चाहिये, उसके आधार पर हम दो मिनट बोल सकते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था है उससे ऐसा लगता है कि आप अपने चेम्बर में ही उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसके बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने इससे पूर्व भी व्यवस्था दे दी है। आपने पहले यह भी माना है कि कोई भी काल अटेन्शन मोशन या स्थगन प्रस्ताव रखने वाले हर एक मेम्बर को दो या तीन मिनट देंगे ताकि वह अपने मोशन पर प्रकाश डाल सके। यह व्यवस्था आपके चेम्बर में भी डिस्कस हुई है। मुख्य मंत्री महोदय भी वहां पर थे। मुख्य मंत्री जी ने कहा मुझे इन पांच सालों का अनुभव नहीं है। हमने कहा, पांच साल में यह अनुभव रहा है। और आज आपने यह नई व्यवस्था दी है इसलिये यह निवेदन है कि पुरानी व्यवस्था को कायम रखें। हमारे जो कुछ ग्रिवेन्सेज हैं और पब्लिक इम्पोर्टेन्स के क्वेश्चन हैं वह सदन में लायें। अगर यह भी चेम्बर में डिसाइड होने लगे तो फिर हमारी बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिये जो पूर्व में व्यवस्था दी है उसी को बनाये रखें। आप कृपापूर्वक ऐसी व्यवस्था दें कि हां पक्ष के व्यक्ति भी इस तरह के एडजोर्नमेंट मोशन दे सकते हैं काल अटेन्शन मोशन दे सकते हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। इससे सरकार में जागरुकता रहेगी। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस पर एतराज नहीं होगा। जो आपने कृपापूर्वक व्यवस्था दी है और जो पुरानी व्यवस्था है, जिस प्रकार काल अटेन्शन मोशन और स्थगन प्रस्ताव के बारे में व्यवस्था माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में पढ़ी जाती है वही परम्परा कायम रखें।

(व्यवधान)

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिसका नाम पुकारा है, वह बोलें।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : आपको भी नाम से नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो व्यवस्था दी है वह पुरानी व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। सदन का कार्य सुचारु रूप से चले, सदन का समय नष्ट न हो, इसके लिये जो व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये दी है, अन्यथा यह समझें कि परम्परा के प्रतिकूल यह व्यवस्था है, ऐसा नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : आन पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपकी जो सूची है उसमें, श्रीमान, आज मन्त्री महोदय दो बिल इन्ट्रोड्यूज करने जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : बिल का इन्ट्रोडक्शन हो, उस समय आप अपनी आपत्ति उठायें....

श्री मूल चन्द डागा : मैं निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह पाइन्ट आफ आर्डर हुआ क्या ?

(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : अब, अध्यक्ष महोदय, बिल आये उस समय माननीय सदस्य अपना प्रश्न उठा सकते हैं। अभी प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। उस समय पर आपत्ति उठायेंगे तो मैं सुनूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ी कृपा है आपकी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, जो 10 सदस्यों के हस्ताक्षर से इन्दिरा गांधी और संजय की निन्दा का प्रस्ताव दिया था, उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक दिन रखा जायेगा, भाई, इसके लिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया गया है। उत्तर आने पर विचार किया जाएगा।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। मैंने आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है जिसमें करोड़ों रुपये राजस्थान की सरकार के खराब हुये हैं और खराब हो रहे हैं। कितनी इन्डस्ट्रीज और एग्रीकल्चर उससे नुकसान में जा रही हैं। इस तरह के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव की आपको सूचना दी है जिस पर आपने व्यवस्था दी है कि आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। पर मेरा इसमें एक ही निवेदन है कि अगर उसको आप राज्य सरकार के पास या मंत्री महोदय के पास भेजेंगे तो यह सदन खत्म हो जाएगा तब तक वे उसका जवाब नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनकी टालमटोल करने की आदत रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक का जो प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार ने अरबों रुपया खर्च किया है, एक करोड़ और बीस लाख रुपये का डीजल सेट कोटा के अन्दर वर्षों से पड़ा हुआ है और सारे राजस्थान की इन्डस्ट्रीज, सारे राजस्थान का एग्रीकल्चर बिजली से महरूम रही है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इस सदन में रख कर इस पर चर्चा करने के लिए आप समय बतायेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं फिर से बात करूंगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा उठाना हो तो स्थगन प्रस्ताव के इस अवसर पर ही आप चर्चा उठा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव में इसकी परिणति करने की आपकी इच्छा है तो जैसा आप चाहें करें लेकिन आज स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत स्वीकार करने में असमर्थ हूं। चर्चा उठाने के लिए पांच मिनट का समय दे सकता हूं। 'आप चर्चा उठा सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मिनिस्टर महोदय कहें कि मैं उसका जवाब दे दूंगा तो मैं निवेदन कर सकता हूं।

श्री सम्पतराम (विद्युत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इसको यहां रखना चाहें और आप व्यवस्था दें तो मैं मानता हूं कि यह जनहित का सवाल है और संसद को,Sorry, विधान सभा, को इसकी जानकारी मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने माननीय सदस्य से पांच मिनट बोलने के लिए कहा है, आज वे अपनी बात रख दें, मैं कल इस पर स्पष्टीकरण दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह सदस्य का अधिकार है कि वह अपनी बात रखना चाहें तो रख दें। मैं स्थगन प्रस्ताव में परिणत करने में असमर्थ हूं। यदि नहीं बोलना चाहें तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि माननीय विद्युत् मंत्री महोदय से कल जवाब मिलेगा ही। उनकी जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूं कि 1962–63 से राजस्थान में प्रतापसागर डेम, जो कि कोटा के पास है के पास हाईड्रोइलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट बनाया गया है। वहां से राजस्थान को बिजली मिलने वाली है।

इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है, गत सरकार के समय में जब कि यह यंत्र मंगाया गया था, बंगलोर से एक करोड़ बीस लाख रुपये में एक डीजल सेट मंगाया गया था। यह सिर्फ इसलिए मंगाया गया था कि जो कोटा के अन्दर डी. सी. एम. का श्रीराम फर्टीलाइजर कारखाना है, उससे इस सरकार का यह वायदा किया हुआ था कि तीन पैसे यूनिट में हम बिजली सप्लाई करेंगे। विद्युत् मण्डल के पास बिजली नहीं थी इसलिए बिजली पैदा करने के लिए यह यंत्र मंगाया गया। पर यह यंत्र एक महीना भी नहीं चला और आज दिन तक बन्द पड़ा हुआ है। उसके लिए मैं समझता हूं कि एल. आई. सी. से एक करोड़ रुपया उधार ले रखा है।

इसी तरह से जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक बिजली घर बनाया गया, जब से यह बिजली घर बना है तब से अब तक सैंकड़ों बार बन्द हो चुका है। इसकी जो हालत है वह राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार भी जानती है। इसमें कितनी ही ऐसी टेक्निकल

(श्री उमराव सिंह ढावरिया)

खराबियां हैं जिनकी वजह से यह दस-बीस दिन चलता है फिर बन्द हो जाता है। इस करोड़ों रुपये की योजना पर इन्जिनियरों ने अपना दिमाग लगा कर गलत तरीके से काम किया है। मैं राज्य सरकार से और खास तौर से विद्युत्-मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों की गलती है या जो जो इन्जिनियर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को गलत तरीके से बनाने और उस डीजल सेट को खरीदने में, जो कि एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए है, इस राज्य सरकार का एक करोड़ और बीस लाख रुपया खर्च किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इन दोनों चीजों से जो नुकसान हमारे यहां के उद्योगों को, हमारे यहां के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हो रहा है, बिजली के बिना और दूसरी इन्डस्ट्रीज को नुकसान हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन्जिनियरों ने उस डीजल सैट को खरीदने के लिए राय दी है, एक करोड़ और बीस लाख रुपये में खरीद लिया जावे इसकी सलाह दी थी। उस वक्त मैं भी इस सदन का सदस्य था और यह बात यहां पर रखी थी। दो इन्जिनियर पहले यहां से गये थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि यह डीजल सैट खराब है, यह नहीं खरीदा जाना चाहिए। उस वक्त डाक्टर के. एल. राव साहब सैंटर में मिनिस्टर थे, उनका खरीदा हुआ था इसलिए वह चाहते थे कि राजस्थान सरकार के मत्थे मढ़ दिया जावे, इसलिए फिर दो इन्जिनियर भेजे गए और उनसे यह रिपोर्ट ले ली गई कि यह डीजल सैट काम आने योग्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक महीने भी नहीं चला और बन्द हो गया। उसका एक करोड़ रुपये का ब्याज एल. आई. सी. को राज्य सरकार दे रही है। तो जिन दो इन्जिनियरों ने इस तरह की गलत रिपोर्ट दी है मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

यही हालत आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की है। मैं जब एस्टीमेट कमेटी का मेम्बर था तब हम सब वहां पर गए थे। उस वक्त यह बन रहा था। हमने सारी चीजों को देखा था। उस वक्त में भी हमारे ध्यान में कुछ इन्जिनियर यह बात लाये थे और कहा था कि कुछ चीजें जो सैट की जा रही हैं वे गलत तरीके से की जा रही हैं। नीचे से ऊपर जो प्लेटें लगनी चाहियें थीं उनकी जगह ऊपर से नीचे प्लेटें लगाई गई हैं और इसका फ्लो लूज है। जब तक इसको ठीक नहीं करायेंगे यह गड़बड़ रहेगी।

जो माननीय सदस्य बेगू से आने वाले हैं, श्री एच. एन. शर्मा वे उस हाईड्रो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं वे इस मामले में मुझ से भी ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर सदन इस बात की इजाजत उनको भी दे तो वह भी बहुत सारी टैक्निकल मिस्टेक्स की बातें रख सकते हैं। इसलिए माननीय विद्युत् मंत्री महोदय से मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बड़े बड़े दो काम हैं जिसमें राज्य सरकार का अरबों रुपया खर्च हुआ है उनकी जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी करवा कर जिन लोगों की इसके लिए जिम्मेदारी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनको बख्शिश नहीं होनी चाहिए।

(श्री उमराव सिंह ढावरिया)

इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर एच. एन. शर्मा को इजाजत दी जाय तो इसके बारे में और भी ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी इच्छा हो तो आप भी दो मिनट बोल लें।

श्री एच. एन. शर्मा : मैं इस बारे में ज्यादा जानकारी करके कल यदि मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो मैं विचार करूंगा।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एटमिक एनर्जी प्रधान मंत्री का डिपार्टमेण्ट है इसके ऊपर पूरी जानकारी करके बताना चाहूंगा इसलिए आज के बजाय कल रखा जाय तो अच्छा रहेगा। मंत्री महोदय भी कल जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था हो सकेगी तो मैं देखूंगा लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री शंकरलाल।

श्री सम्पतराम : स्थगन प्रस्ताव पर ऐसी परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मेरा नाम प्रकाश है और जो चाहें बोल रहे हैं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आप इसमें.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दुविधा में हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। अतएव मैं उनको विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेने दें।

श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय..

श्री सूर्य नारायण चौधरी : इससे पूर्व मुझे निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पांच रोज पहले आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करते हुए अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर अपना एक प्रस्ताव रखा था। कुछ मैंने जानकारी चाही थी नियम 127 के अंतर्गत। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बोलने का वक्त दिया जाय......

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : हुजूर, मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की राजनीति में जो हत्या की राजनीति का एक क्रम चला, एक कड़ी, शायद अंतिम कड़ी सुन्दर के हत्याकाण्ड से जुड़ी हुई है। राजस्थान में 31 अगस्त को सुन्दर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश होते ही उसने इस बात को

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

आशंका प्रगट की कि मुझे अगर दिल्ली की पुलिस के सुपुर्द किया गया तो वे जान से मार देंगे। बहरहाल 12 सितम्बर, 1976 को, श्रीमान, सांगानेर हवाई अड्डे पर दो जहाज आते हैं। एक जहाज में श्री संजय गांधी और श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और दूसरे जहाज से भीण्डर डी. आई. जी. पुलिस और श्रीमती मेनका गांधी आते हैं। उनका बाकायदा राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अभिनंदन किया जाता है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह गलत है। मैं भी मंत्रिमण्डल का सदस्य था। मैं नहीं गया हूं। यह आप कैसे कह रहे हैं यह गलत है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप नहीं थे। यह हो सकता है। आपको जानकारी नहीं होगी। ये सारी चीजें अभी आपको बतलाता हूं। पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सांगानेर हवाई अड्डे के वी. आई. पी. लांज के अन्दर संजय गांधी ने पहुंचकर सुन्दर डाकू को बुलवाया। सुन्दर उस वक्त हथकड़ियों में था। सुन्दर और संजय का वाद-विवाद हुआ और सुन्दर को संजय गांधी ने, जब वह हथकड़ियों में था, चांटा मारा। सुन्दर ने इसके प्रतिकार स्वरूप संजय पर थूका। ये सारी की सारी बातें हुईं। राजस्थान के जो मंत्री वहां पर मौजूद थे।

(व्यवधान)

उनको यह निर्देश देकर गया कि सुन्दर को अविलम्ब यहां से दिल्ली भेजा जाये।...

व्यवस्था का प्रश्न

किसी व्यक्ति के विरुद्ध बिना अध्यक्ष महोदय को सूचना दिये सदन में आरोप लगाना

श्री मूलचन्द डागा : प्वाइंट आफ आर्डर, सर।...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं तो तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : Yes, Point of Order.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 273 की ओर दिलाना चाहता हूं।...

श्री सूर्य नारायण चौधरी : पहले मेरे को बोलने दीजिये। उसके बाद आप पाइंट आफ आर्डर उठा लेना। किसी मंत्री का नाम नहीं लूंगा, जो वहां पर मौजूद थे। आप विश्वास रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना है :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature..."

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह डिफेमेटरी नहीं है। दिल्ली की अदालत में भी प्रोसीक्यूशन में यह कहा है :

Nothing is defamatory for a person who has no reputation of his own.

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। पहले इसको उठाने दीजिये।

Page No 44

(44)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री मूलचन्द डागा : रूल 273 के अन्तर्गत यह पाइंट आफ आर्डर पुट अप कर रहा हूं। पहले भी जो चेयरमैन थे, उन्होंने यह रूलिंग दे रखी है। रूल 273 में है :

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless....."

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जानते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप काफी विद्वान हैं।

"...unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

श्री सूर्य नारायण चौधरी : प्रीवियस इन्टीमेशन दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को कहने दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जो हाजिर नहीं है सदन में, इन्क्रीमिनेटरी और डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर कोई माननीय सदस्य देना चाहें, तो उससे पहले आपको सूचना देना जरूरी है। कृपया यह बताने की कृपा करें कि यह एलीगेशन लगाने की आपको सूचना दे दी है ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय को भी सूचना दी है? क्या मंत्री महोदय ने कहा है कि मुझे लिखकर दे दिया है ?

एक माननीय सदस्य : कब तक संजय गांधी और इन्दिरा गांधी को बचाओगे ? हजारों आरोप आने वाले हैं। कब तक बचाएंगे ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मैं अनुशासन के लिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आप बड़े योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष : जो पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है, उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। आप ने जो इंगलिश वर्सन पढ़ कर सुनाया है, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। There is no defamatory statement. The hon. Member is only making a statement on certain issues which he regards as facts.

श्री मूलचन्द डागा : They are defamatory.

श्री केदारनाथ : It is simply a narration of facts.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह डिफेमेटरी है। ये तो संजय गांधी के गीत गा रहे हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसके

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

बाद में सुन्दर को दिल्ली ले जाया गया। राजस्थान में जितने भी रिकार्ड उपलब्ध थे, उनमें हेरा-फेरी हुई है। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि सुन्दर ने विस्तृत 18 पृष्ठों का एक बयान दिया था पुलिस को जिसमें उसने सारी स्थिति को बताया था। इस बात के भी उसने पर्याप्त प्रमाण दिये थे कि श्री संजय गांधी उसको मरवाना चाहते हैं। वह स्टेटमेंट सी.बी.आई. अपने इन्वेस्टीगेशन के सम्बन्ध में राजस्थान की पुलिस से प्राप्त करना चाहती है। वह स्टेटमेंट राजस्थान की पुलिस ने सी.बी.आई. को आज तक नहीं दिया है। अभी तक इसका अनुसंधान, इन्वेस्टीगेशन इनकम्प्लीट, अधूरा पड़ा हुआ है। मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे वाक्यों का गलत अर्थ नहीं लगाया जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया के अन्दर यह सरकार, राजस्थान की पुलिस यह संबंधित रिकार्ड सामग्री नहीं देगी तो यह जांच पूरी नहीं हो पायेगी। सुन्दर को बेशक यहां पर पकड़ा गया है और पकड़ने के सम्बन्ध में और पकड़ने के बाद में जो बयानात उसने यहां पर दिये जो आशंकाएं यहां पर व्यक्त की हैं, उसको मूल रूप में वास्तविक रूप में सी.बी.आई. के सुपुर्द नहीं किया गया तो जांच नहीं हो पायेगी और जो राजस्थान के मंत्रीगण हैं, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रीगण...(व्यवधान).. वे उस समय वी.आई.पी. लांज में मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यह सारा का सारा तूफान, चांटा मारने और थूकने का हुआ, वे स्पष्ट रूप से बयान नहीं दें इस मुकदमे के सम्बन्ध में, सुन्दर की हत्या के सम्बन्ध में तो इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश पड़ना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक फौजदारी वकील की हैसियत से, एक क्रिमीनल लायर के नाते मैं इतना जानता हूं कि संजय गांधी ने अनेक स्थानों के ऊपर या उस समय वी.आई.पी. लांज पर सुन्दर का आमना-सामना करके कोई आशंका अपने जीवन को समाप्त करने की व्यक्त की हो। ऐसी परिस्थितियों में सुन्दर की मृत्यु हुई है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो कुछ भी राजस्थान के अन्दर गुजरा हुआ है, उस संदर्भ में, इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है—क्या संजय गांधी की हत्या में परोक्ष में या अपरोक्ष रूप से यह संबंधित था? मैं यह भी मानता हूं कि इस रिपोर्ट की, छोटी से छोटी और सारी की सारी जानकारी, सामग्री राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाये।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

मैं यथाशीघ्र समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था, कल हमारे सम्माननीय सदस्य बजरंग लाल शर्मा ने एक प्रश्न उठाया था। वह बहुत गंभीर प्रश्न था। मेरे को यह सूचना दी गयी है, मैं यह नहीं बता सकूंगा कि यह सूचना मेरे को किसने दी है, क्योंकि मुझसे विश्वास में यह व्यक्त किया गया है। यह सूचना मेरे पास में है कि राजस्थान के कुछ पुलिस अधिकारियों ने रोजनामचे गायब कर दिये हैं जिसमें सारी की सारी घटना का जिक्र किया गया है। संजय की विजिट के सम्बन्ध में, सांगानेर हवाई अड्डे के सम्बन्ध में जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध थी, उसको गायब कर दिया गया है। जो मंत्री महोदय सांगानेर हवाई अड्डे पर गये थे, उनके आने जाने

Page No 46

(46)

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

के सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री हो सकती थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। इस बात की चेष्टा की गई है कि संजय की 12 सितम्बर, 1976 की जो जयपुर की विजिट है, उसका सारा रिकार्ड खत्म कर दिया जाये और इस विजिट के सम्बन्ध में जनता को बिल्कुल पर्दे के पीछे रखा जाये। दुनिया के सामने यह सारी स्थिति नहीं आ सके। यह गंभीर प्रश्न है। आप लोग जानते हैं, हम लोग तो उस वक्त जेलों में बंद थे, मीसा में बंदी थे। जो भी कुकर्म किये हैं, इन्हीं लोगों ने किये हैं जो साथ बैठे थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रिमण्डल से अपेक्षा करता हूं कि जिन लोगों ने इस प्रकार की सरकारी रिपोर्ट को बरबाद करने या उसमें हेराफेरी करने की कार्यवाही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। सी. बी. आई. से इसकी इन्क्वायरी करवाई जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सुन्दर डाकू यहां पर था तो तेजसिंह विधायक को बुलन्दशहर से बुलाया गया और मीसा में बन्द कर दिया गया। उसको जेल में रखा गया जब कि वह निर्दोष बताया गया। उस पर अत्याचार किये गये। यह सारी जानकारी इसमें शामिल होनी चाहिए। हवाई अड्डे पर पैट्रोल डलवाया गया है। जब तक वह बात करते रहे तब तक पैट्रोल भरते रहे। यह पैट्रोल किस स्रोत से डलवाया गया है? यह सारी जानकारी इसमें शामिल की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। इतने संगीन चार्जेज लगाये गये हैं ...

एक माननीय सदस्य : सही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जब ऐसे महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि नाम लेकर कहें। शक में छोड़ना किसी माननीय सदस्य के लिये ठीक नहीं है। किस दिन आए? कौन कौन वी. आई. पी. मौजूद थे?

एक माननीय सदस्य : 12 सितम्बर को ...

श्री मथुरादास माथुर : कौन कौन मिनिस्टर रिसीव करने गये? कौन अधिकारी सुन्दर डाकू को लेकर आये थे? अगर ये बातें नहीं कही जाती हैं तो सदन में माननीय सदस्यों में शक पैदा कर देती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एयर इण्डिया के हवाई जहाज से आये थे और तत्कालीन मुख्य मंत्री उस समय वहां मौजूद थे।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

श्री मथुरादास माथुर : सरकार आपके हाथ में है। सभी मैथड आपके हाथ में हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह चर्चा उठाने से पहले अगर होम मिनिस्टर से चर्चा कर लेते ...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : होम मिनिस्टर बड़े ईमानदार और सत्यवादी हैं। वह आपकी बात नहीं मानेंगे।

श्रीमती उमला अरोड़ा : इस सरकार के बनने के बीच के टाइम में उन तथ्यों को गायब करने की कोशिश की गई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी आप रखते हैं....

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में क्या स्ट्रक्चर पास किया गया है, वेरी कमीशन के समय, यह आप जानते हैं। राजस्थान पुलिस किस किस तरह के हथकण्डे कर सकती है, यह वेरी आयोग की रिपोर्ट में है, गुनहगारों को सजा नहीं देते हैं। वेरी कमीशन की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान की पुलिस वायरलैस पैदा करने के लिए हिन्दुस्तान में सबसे आगे है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह आपका ही प्रश्न है। आप जो कर सकते थे वह कर चुके हैं। यह उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार के सवालात उठाने के बारे में यह तरीका नहीं है जो स्थिति कही गई है, उसको पूरी तरह से बताना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, अपने साथ में बैठे हुए साथियों से पूछ लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने किसी मुद्दे की चर्चा की है। डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने रूल 273 के अन्तर्गत यह आपत्ति की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो यह कहा गया है कि संजय गांधी 13 सितम्बर को आये थे जैसा कि कह रहे हैं तो कौन मंत्रीगण गये थे? कोई मंत्रीगण गये होंगे तो वह गाड़ी से गये होंगे। यह तथ्य छिपा नहीं रह सकता है। यह गोलमोल आरोप लगाये हैं। मैं स्वयं सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री था। इस प्रकार से आप आरोप लगाते हैं तो फैक्ट की बात कहिये। सुन्दर डाकू के सम्बन्ध में सी. बी. आई. इन्वेस्टीगेशन कर रही है। अगर जनता सरकार के जमाने में सी.बी.आई. इतनी इनकाम्पीटेण्ट हो गई हो तो खुदा हाफिज।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : खुदा हाफिज कह कर खुदा को ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक एक मसले को संभाला जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां वह गये थे। हमारी बातें रिकार्ड में मिलेंगी। मुख्य मंत्री निश्चित रूप से गये थे। बाकी बयाना से आने वाले माननीय सदस्य हैं, वह बतायेंगे।

(व्यवधान)

हमारे सामने जेल से गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उपस्थित करना चाहूंगा। 21 तारीख को मैंने प्रस्तुत किया था उसका जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में कहें।

श्री एच. एन. शर्मा : सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की छंटनी के विषय में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। 4500 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास भेजा गया है। उत्तर आने पर जानकारी दी जायगी।

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। साढ़े चार हजार कर्मचारियों का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : सुन लें माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : मुझे बड़ा आश्चर्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे व्यवस्था का प्रश्न हो या चेयर की तरफ से नाम आता हो मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। 127 की व्यवस्था हो गई है। जब टेबिल पर वह आया है तो इस बारे में आप ध्यान दें तो उचित है। इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को अनुभव है, ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। इसमें जो भी नियन्त्रण लाया जा सकता है वह लाया जायेगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आप उचित समझते हैं क्या इसको ?

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोल लीजिये।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं स्थगन प्रस्ताव जो दिया है उस पर बोलना चाहता हूं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मालूम है कि प्रस्ताव किस स्थिति में है, अगर सरकार उत्तर नहीं देती है तो सरकार को विवश मैं नहीं कर सकता, माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जैतारण तहसील ग्राम चावण्डिया में 25-6-77 को भारी वर्षा व तूफान से हुई जन हानि तथा सरकार द्वारा कोई राहत कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जैतारण तहसील के ग्राम चावण्डिया में 25 जून, 1977 को भारी वर्षा व तूफान से हुई जन हानि तथा सरकार द्वारा कोई राहत कार्य प्रारम्भ न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राहत कार्य प्रारम्भ होने से पहले मेरे क्षेत्र में चावण्डिया गांव के अन्दर 25-6-77 को जिस प्रकार का तूफान और आंधी आई, और उसके बाद भयंकर बरसात हुई जिससे मकानों का और पेड़ों का बहुत नुकसान हुआ और बहुत जन हानि हुई। ऐसे वृक्ष, जो सैंकड़ों वर्षों से खड़े हुए थे, उखड़ गये और मकान ढह गये। एक जगह पर पेड़ के नीचे दो औरतें, जो प्याऊ के पास थीं, पेड़ गिरने से दब कर मर गईं, उनके नाम हैं श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री फौजिया और श्रीमती मांगुडी देवी पत्नी श्री मांगीया उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। दोनों औरतें उस पक्की प्याऊ के नीचे बैठी हुई थीं। भयंकर तूफान आया और आसपास के वृक्ष टूट कर गिरते रहे। एक पेड़ उन पर भी गिरा और उन दोनों औरतों की दबकर मृत्यु हो गई। साथ ही जो आसपास की जमीन थी काश्त की, वह भी नष्ट हो गई। गांव के एक कोने में जो दुकानें बनी हुई थीं वह भी नष्ट हो गई। इस प्रकार काफी नुकसान हुआ। मैंने सारी सूचना जिलाधीश को और एस. डी. एम. को दे दी लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य है कि कोई सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे जब कि जैतारण और चावण्डिया के बीच में केवल चार मील की दूरी है। पांच जुलाई को वहां पर गये तो सब गांव वालों ने मिल कर उनको सब कुछ जो नुकसान हुआ था वह दिखाया। उसको देख कर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। उससे जो भी नुकसान हुआ, उसकी एक लिस्ट बनाई गई। उसके लिए भी माननीय मन्त्री महोदय को लिखा लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस बात को गांव वालों ने और मैंने महसूस किया है। आपने कई और जगहों पर राहत दी, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, जहां भी नुकसान हुआ है वहां पर राहत दी जानी चाहिए, चाहे बांसवाड़ा में हो, चाहे अलवर में हो या और कहीं भी हो लेकिन जहां पर औरतें मर गईं, इतने मकान नष्ट हो गये और इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई कि लोगों के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रहा फिर भी वहां पर कोई राहत नहीं दी गई। इसलिए मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय, जो इस विभाग के मन्त्री हैं, इस बारे में सदन को अवगत करायेंगे तो आगे इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर सकूंगा।

श्री सम्पतराम (अकाल राहत म[illegible] माननीय अध्यक्ष जी, श्री शंकरल[illegible] राजस्थान विधान सभा ने [illegible] प्रस्ताव सदन में रखा है [illegible] कारी स्थिति इस प्र[illegible]

जिलाधी[illegible] शंकरला[illegible] लिखि[illegible]

(श्री सम्पतराम)

उप-जिलाधीश को इस मामले की जांच करने हेतु आदेश दिये। उप जिलाधीश की जांच रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में पत्र क्रमांक विविध 77-78 दिनांक 8-7-77 दिनांक 12-7-77 को प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 20-7-77 को सहायता विभाग को सहायता के लिए अनुरोध किया गया तथा दिनांक 21-7-77 को राज्य सरकार ने जिलाधीश पाली को सहायतार्थ 5,000 रुपये स्वीकृत कर दिये और जिलाधीश द्वारा दिनांक 23-7-77 को प्रभावित 20 परिवारों को 2700) रुपये की सहायता निम्न प्रकार स्वीकृत कर दी गई है:—

(क) मृतक महिलाओं के 2 परिवारों को 500) रुपये प्रति परिवार के हिसाब से—

		राशि
1.	श्रीमती सीता देवी मृतक स्त्री के पति को	500) रुपये
2.	श्रीमती मांगुड़ी देवी मृतक स्त्री के पति को	500) रुपये
	योग	1000) रुपये

(ख) गम्भीर रूप से चोट आये हुए व्यक्ति को

.	श्री प्रभु	250) रुपये
	योग	250) रुपये

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आने के कुछ पहले दी गई है लेकिन यह पर्याप्त राहत नहीं है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना हमारे पास आई थी उसके अनुसार हमने पांच हजार रुपये भेजे थे और यह आदेश दिये थे कि जिस प्रकार से नुकसान हुआ है उसी के हिसाब से उनको दे दिया जाय। जहां तक कमोबेश का सवाल है तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। एक तथ्य मेरे ध्यान में और आया है जो माननीय सदस्य ने नहीं बताया, एक बच्ची भी गम्भीर रूप से घायल हुई थी। उसको भी सहायता दी जा सकती है तो दी जायगी।

श्री शंकरलाल : एक छोटी बच्ची थी।

आधा घंटे की चर्चा

बेरोजगारों को रोजगार

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 38 (10 मु. मं.) के उत्तर से, जो दिनांक 22 जुलाई, 1977 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा उठाता हूं।

श्रीमन्, जो सरकार भूखे को रोटी और बेकारों को रोजगार नहीं दे सकती वह कल्याणकारी सरकार नहीं कहला सकती।

(व्यवधान)

21-12-76 के जो आंकड़े मेरे पास हैं, 81933 तो मैट्रिक्यूलेट हैं...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कितने ?

श्री मूलचन्द डागा : 81933 ग्रेजुएट, 26,964 पोस्ट-ग्रेजुएट, 53355 बिलो मैट्रिक, 1,57,675 हैं, मेल 2,49,917, महिलाएं 22,100, अर्बन के अन्दर 1.48 लाख, 1,48,750 अर्बन में बेकार हैं और रूरल में 1,23,267 बेकार हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कब से हैं ?

श्री अवणलाल : यह तो आपके रजिस्टर्ड हैं।

श्री मूलचन्द डागा : गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्या काम करेगी ? आपने नया काम क्या किया ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, जरा फिगर्स फिर से पढ़ दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने आपकी सेवा में पेश किया अर्बन 1,48,750, रूरल में 1,23,267। इंजीनियर्स बेकार हैं 437, डाक्टर्स 256, लॉ ग्रेजुएट्स 407, एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स 366, ट्रेन्ड टीचर्स बी.एड 2171, आर्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स 3108, एम.एस.सी. 1034, बी. कॉम. व एम. कॉम. 961।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय गृह मंत्री व श्रम मंत्री सुनें,' The N. S. S. estimate of rural unenployment of differcent rounds......

श्री उमरावसिंह डाबरिया : आप पार्लियामेंट में अंग्रेजी बोलते होंगे, यहां हिन्दी में बोलें। यहां अंग्रेजी मलाउ नहीं करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं राज्य सरकार की बनाई हुई किताब, जो अंग्रेजी में है, को कोट कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह डाबरिया : ये आंकड़े कांग्रेस सरकार के बनाए हुए हैं, जनता सरकार के बनाए हुए नहीं हैं। क्यों अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हो।

श्री मूलचन्द डागा : कल ही एक रिपोर्ट पेश की श्री महबूब अली ने वह अंग्रेजी में पेश की है, सदन की मेज पर रखी है डाबरिया साहब ! मैं तो केवल एक्सट्रेक्ट पढ़ रहा हूं। डाबरिया साहब, धैर्य रखें मैं आपको अपना छोटा भाई मानता हूं :

"....is only 0.20% of the total population. This is an underestimate as the definition adopted in the N. S. S. is that any person who has worked even for one hour during the week preceding the survey is regarded as an employed person

सप्ताह में एक घंटा भी काम किया हो तो यह माना जायगा कि काम में लगा हुआ है। इसलिए आज जो बेकारी की समस्या है, उसका निराकरण करने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ? मुझे बहुत दुःख है कि आप आई. टी. आई. चलाते हैं, एक-एक विद्यार्थी पर आज आप 50 हजार रुपये खर्च करते हैं लेकिन आज आई. टी. आई. ट्रेन्ड 4 हजार लोग बेरोजगार हैं। एक-एक पर 40 हजार रुपये खर्च होते हैं और वे बेकार बैठे हैं।

श्री श्रवणलाल : यह सब आपके द्वारा बनाए गए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं श्रम मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां पर पेरेलल एजेन्सी चलाते हैं, एक तरफ आपका एम्पलायमेंट विभाग रजिस्ट्रेशन करता है, दूसरी तरफ प्लानिंग विभाग है आपके अधिकारी श्री सहगल कहते हैं मेरे यहां रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, वह मेनपावर खर्च कर रहा है, अपना रजिस्टर अलग बनाता है। मुख्य सचिव ने इजाजत दी कि बेरोजगार कृषि स्नातक कृषि विभाग में जायं इसके लिए कितने रुपये खर्च हो रहे हैं। हर आदमी पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके आंकड़ों के आधार पर 250) रु. खर्च होते हैं केवल रजिस्ट्रेशन के लिए। राजस्थान में बेकारी इतनी विशाल मात्रा में है कि आप लोगों को नौकरी नहीं दे सकते। इसके अलावा एम्पलायमेंट व इंडस्ट्री का कोई को-आर्डिनेशन नहीं, केवल आप रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। एक बेकार आदमी को आप कोई स्कीम नहीं दे सकते, आप उसकी जमानत नहीं दे सकते। केदारजी आप गलत जगह पर बैठे हैं, आप बड़े दिल वाले हैं,...

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : मैं सही जगह पर बैठा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : उद्योग विभाग व नियोजन विभाग दोनों का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। राजस्थान में प्रगतिशील कदम उठाने का दावा करने वाली सरकार अभी तो केवल हमारी गलतियों पर जीना चाहती है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना चाहती है। मेरा निवेदन है एक मंत्री एम्पलायमेंट के लिए होना चाहिये. वह इसका कोआर्डिनेशन करें। सदन की कमेटी होनी चाहिये जैसे विशेषाधिकार समिति व दूसरी समितियां होती हैं. वह सोचे कि किस प्रकार का को-आर्डिनेशन किया जाए और कितने आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया गया। अभी जवान, नौजवान लोग आपके साथ बहुत आये हैं लेकिन फिर भी बेकारी की समस्या भयंकर समस्या है। इसलिए आप कमेटी की घोषणा करें, और कमेटी बिठा कर कोआर्डिनेशन करें। एक मंत्री इसके लिए मुकर्रर करें। बेकार और दूसरे अर्द्ध-बेकार आज बादलों की मेहरबानी पर जीते हैं। अब तो अच्छी तरह से बारिश हो रही है। लेकिन मौसम बड़ा बेईमान होता है। ये जनता पार्टी वाले बिना मतलब बोल रहे हैं। यह आपका कसूर नहीं है, मौसम का कसूर है, आप बोलिए।

श्री रतनलाल वर्मा : आप जनता पार्टी पर बेकारी का दोष क्यों डाल रहे हैं ?

श्री गुल मोहम्मद : ये बेकारी के आंकड़े एक महीना पहले के हैं या उससे पहले के हैं ? कब के आंकड़े हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : आपकी शिक्षा पद्धति के कारण बेकारी बढ़ी है, आप स्वयं की निंदा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : नंगा होने से आत्म कल्याण हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह : जो भी योजना रखता है, उस पर सरकार को काम करने मत देना, अड़चने डालते रहना...

श्री गुल मोहम्मद : जो माननीय सदस्य ने आंकड़े रखे हैं, वह उनके 30 साल के

(श्री गुल मोहम्मद)
कारनामे हैं। खुद आप अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आधा घंटे की चर्चा उठाने पर भाषण देते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो अपनी बात पूरी नहीं कह पाया। मैंने तो शुरू किया है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय। इन्होंने आधा घंटे की चर्चा उठाई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अपनी सरकार की बदनामी करने के लिये उनको समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री माधोसिंह : आप उनकी रक्षा करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आप लोगों की रक्षा कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मूलचन्द डागा, आप अपनी बात कह दें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह लोग मुझे कहने दें तब कहूं। यह लोग मेरी बात में व्यवधान डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बात भी सही है इनके पास काम है ही क्या सिवाय व्यवधान करने के।

तो मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं, आर.आई. एम.डी.सी. है और जो एम्पलायमेन्ट डिपार्टमेन्ट है इन सभी में एक कोआर्डिनेशन आप करें। मैं तो राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एम्पलायमेंट के लिये तो एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर रखें जो कि एम्पलायमेंट के बारे में व्यवस्था करे। इसके साथ ही मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा सुझाव के रूप में कि वह इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनावे जो इस बात को देखे कि कितने-कितने लोगों को कहां-कहां पर एम्पलायमेन्ट दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आज न केवल शहरों में ही बल्कि गांवों में भी शहरों से अधिक बेकारी है। आपने भूमि सुधार किये हैं, कानून बनाये हैं, लोगों को जमीनें भी दी हैं, लेकिन मुझे दुःख है कि उन लोगों को जमीनों का पजेशन नहीं मिला है जिससे भी लोग बेकार हैं। इसके अलावा बावजूद इसके कि आपने सीलिंग कानून तो बना दिया, लोगों से जमीनें भी ले लीं लेकिन आज भी सैकड़ों लोगों ने ही नहीं बल्कि हजारों लोगों ने सीलिंग कानून की अवहेलना करके हजारों बीघा जमीनें बेनामी दबा रखी हैं। मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन लोगों से यह बेनामी जमीन छीन कर जो लोग गांव में खेतिहर हैं, उनमें वितरित की जाय। आज गांवों में बेकारी की बहुत भारी समस्या है। आज गांवों में खेतिहर हजारों और लाखों की तादाद में बेकार हैं। अगर आप सीलिंग कानून का सख्ती से पालन करेंगे और उन लोगों से जो कि बेनामी जमीन को जोत रहे हैं जमीन छीन कर बेकार लोगों को गांवों में दे देंगे तो गांवों में काफी बेकारी की समस्या का हल हो

(श्री मूलचन्द डागा)

जायेगा। आज ऐसे लोग हैं जो खेती नहीं करते हैं और जिन लोगों ने जमीनें ले रखी हैं या जिन लोगों ने गलत अलाटमेन्ट करा रखे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग खेती करें उन्हें ही जमीन दी जाये बाकी जिन लोगों का काम खेती करना नहीं है उनसे जमीनें छीन ली जायं। इसके अलावा जो आज तक गलत अलोटमेन्ट लैण्ड का हो गया है उसके लिये आपने कलेक्टर को पावर दे रखी है। उनके द्वारा कानून को सख्ती से लागू करा कर, जमीनें छीन कर भूमिहीनों को जमीनें देने की कार्यवाही शुरू करा दें। जो गलत आवन्टन हुआ उसके लिये आप कलेक्टर को आदेश दें कि तुरन्त उन्हें रद्द किया जावे।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में बेनामी जमीन को छीन कर गांवों में खेतिहर लोगों को जमीन देकर ही आप अपना काम समाप्त नहीं समझें, बल्कि उसके बाद में उन गरीब लोगों को दूसरे साधन भी उपलब्ध करावें ताकि वह लोग खेती कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आज सैंकड़ों की तादाद में और दूसरे लोग हैं जिन्होंने हजारों–लाखों बीघा जमीन दबा रखी है, उनसे वह सख्ती से छीनी जाय। जिन लोगों के खिलाफ में जमीनों के मुकदमे चल रहे हैं उन्होंने अगर कोई स्टे प्राप्त कर लिया हो तो यहां पर माननीय राजस्व मन्त्री जी बैठे हुए हैं उन्हें मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन्हें समाप्त करके उन जमीनों को भूमिहीन गरीब लोगों को अलाट करके बेकारी की समस्या से उनको छुटकारा दिलायें नहीं तो ऐसा होगा कि आज जो हमारे यहां पर बेकारी बढ़ रही है वह इतनी बढ़ जायेगी कि वे लोग दुखी होकर पूरे संविधान को ही तोड़ देंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस समस्या के लिये विभागों में कोआर्डिनेशन तो बैठायें ही जिससे सीलिंग कानून लागू हो, और जो हमारी इन्डस्ट्रीज हैं उनमें मिनिमम वैजेज लागू किये जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी जमीन है, मैं पेशे से वकील हूं और एम. एल. ए. भी हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे कानून बनाये और उसकी क्रियान्विति करे जिससे कि आज जो बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है उसको समाप्त करने की दिशा में कार्य हो सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं श्रम मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके श्रम मन्त्रालय में काफी गड़बड़ियां हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने सदन में आधे घन्टे की चर्चा उठायी है और पौन घन्टा तो माननीय सदस्य ही बोल चुके हैं। आधे घन्टे की चर्चा में दूसरे लोगों को भी बोलने की अनुमति दी जाती है। माननीय सदस्य लोक सभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें पता है कि आधा घन्टे की चर्चा में दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आधा घन्टा नहीं हुआ है। इसमें कुछ समय बाकी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, सारा समय आधा घन्टा इन्हीं के लिये ही नहीं है। यह आधे घन्टे की चर्चा सभी के लिये है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है बोलने वालों में। मैं भी बोलूंगा। मुझे भी बोलने का अधिकार है। मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। अध्यक्ष महोदय, समाप्त ही कर रहा हूं।

मैं इतना ही श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके श्रम डिपार्टमेन्ट में एक रामचन्द्र पालीवाल नाम के अधिकारी हैं उनके खिलाफ बहुत भारी शिकायतें हैं। मुझे ऐसा याद पड़ता है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक अखबार में पढ़ा था कि अजमेर में रायजादा नाम के आपके कोई आफिसर थे उन्होंने एक लड़की के साथ मोलेस्टेशन किया। उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की, यह भी जरा बता दें? श्री रामचन्द्र पालीवाल जो हैं उनके खिलाफ में बहुत भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। उनको डिप्टी डाइरेक्टर से चार्ज-शीट भी दी गयी है लेकिन अभी तक उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके अलावा एक अधिकारी हैं तेजसिंह राठोड़ जिन्हें आपने प्रमोशन्स भी दे दिया है जब कि उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार की बहुत भारी शिकायतें हैं। तो क्या जनता पार्टी इस तरह से भ्रष्टाचारी अधिकारियों को प्रमोशन देकर ही भ्रष्टाचार मिटायेगी?

श्री नवनीत पालीवाल : यह आप दोषारोपण किस पर कर रहे हैं? यह तो आपके ही कारनामे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : प्रमोशन तो उनको अभी आपने ही दिया है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो आपके ही पापों का फल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी के सदस्य नये हैं। इन्हें आप ट्रेनिंग के लिये किसी स्कूल में भेजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह कितनी देर तक बोलते रहेंगे, मेरा नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आधे घन्टे की चर्चा का प्रस्ताव दिया है। मैंने भी बेकारी की भीषण समस्या के बारे में...

श्री मूलचन्द डागा : प्वान ए पोइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। श्री सूर्यनाराण जी से पहले सुखलाल जी बोलेंगे। उनका नाम है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उनका नाम नहीं है। मैं बोलूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : उनका नाम है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पर वह तो बोलना ही नहीं चाहते हैं।

श्री सुखलाल संणचा (रायपुर) अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने चूंकि खड़े होकर बोलने का आग्रह नहीं किया। अगर उन्हें बोलना है तो वह खड़े होकर बोलें।

श्री सुखलाल संणचा : अध्यक्ष महोदय मैंने आधे घन्टे की सदन में चर्चा के लिये प्रस्ताव दिया था। यह राजस्थान में गरीबी, बेकारी और गरीब लोगों की रोटी रोजी के बारे में था। आपने उसकी जो स्वीकृति प्रदान की उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, हर साल हमारे यहां पर लोग हायर सैकेन्डरी और बी. ए. पास होकर हजारों की तादाद के अन्दर निकलते हैं। इनमें कई लोग टीचर्स के लिये ट्रेनिंग लेते हैं; कुछ लोग पी. एच. ई. सी. के सेन्टर्स की ट्रेनिंग लेते हैं। पर वह लोग ट्रेनिंग लेने के बाद हजारों की तादाद में बेचारे नौकरी की उम्मीद में बेकार बैठे रहते हैं और उन्हें राज्य सरकार कोई नौकरी नहीं दे पा रही है। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया पर अभी की सरकार क्या कर रही है इस भीषण समस्या के समाधान के लिये ? आज आपके पास आंकड़े भी नहीं होंगे इन बेकार लोगों के। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बेकारी को वह गम्भीरता से ले। माननीय सदस्य जो इस तरफ बैठे हैं या उस तरफ बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यह बेकारी की समस्या मेरे और माननीय सदस्य मूलचन्द जी के इलाके से ही संबंधित नहीं है यह आपके इलाके से भी संबंधित है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस समस्या को आप गम्भीरता से लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री सुखलाल संणचा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि राज्य सरकार सिर्फ दस हजार लोगों को ही रोजगार दिला पायेगी। अब इतने बड़े राजस्थान में आप केवल दस हजार लोगों को ही रोजगार दिला पायेंगे तो बाकी बेकार लोग क्या करेंगे ? यहां पर अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री महोदय ने यह बताया था कि युवा लोग बेरोजगार थे इसलिये वे यूथ कांग्रेस के अन्दर घुस गये और कांग्रेस ने उनके लिये कुछ नहीं किया सिवाय बेकारी बढ़ाने के। लेकिन अब यही बेकार युवा लोग जनता युवा मोर्चा बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई नौकरी का साधन नहीं है, काम नहीं है। अब वह क्या करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सभी इलाकों की यह समस्या है। मैं मेरे इलाके की बात आप से निवेदन कर रहा था। हमारा जो खनिज उद्योग है, मेरे इलाके के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि वहां एक उद्योग है जिसका उद्योगों से पूरा सम्बन्ध है, वह है चूने के भट्टों का उद्योग। अटपड़ा गांव है। हजारों बीघों के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र आया हुआ है, वहां का चूना पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर है। उस उद्योग को प्राइवेट पार्टीज को

(श्री सुखलाल सेंणचा)
लघु उद्योग के रूप में देते हैं। यदि राजस्थान सरकार इन भट्टों के काम को, इस उद्योग को अपने हाथ में लेकर, इसका राष्ट्रीयकरण करके, जो वेकार भाखर पड़ा हुआ है, उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, युवा लोगों को इस धन्धे में लगा सके तो काफी लोगों की रोजगार पर लगा सकती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सुखलाल सेंणचा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाह रहा था। इस गुलाबी नगर में बड़े-बड़े भवन बने हुए हैं उनमें लगा हुआ पत्थर मेरे इलाके से आया है। इस उद्योग में काम करने वालों के पास इस में लगाने के लिये पैसे की कमी है इसलिये इसका विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस उद्योग में हजारों लोगों को लगाया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरे इलाके में और जो बड़े उद्योग लग सकते हैं उनकी ओर ध्यान दें। आज हजारों की तादाद में युवा स्कूल, कालेजों से निकलते हैं उनके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है? वे लोग आज भी मारे-मारे फिर रहे हैं, न तो उनकी आगे पढ़ने की स्थिति है और न ही उनके पास कोई रोजगार है, न कोई धन्धा। वे आज भी राजकीय प्रवास भवन में हमारे पीछे या जो नये सदस्य आये हैं उनके पीछे फिर रहे हैं नौकरियों के लिये, रोजगार के लिये। और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो मैंने निवेदन किया है, आंकड़े दिये हैं, और कमेटी बनाने की मांग की है, उस ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहूंगा। केवल यह निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में योजनाओं का जो निर्माण हुआ है, प्लानिंग हुआ है, उसका जो आधार, क्राईटेरिया या कसौटी था, जिसके आधार पर योजनाओं का निर्माण किया गया वह बिलकुल गलत था। उसके कारण उस योजनाबद्ध विकास के अन्दर निरन्तर बेकारी बढ़ती चली गयी। किसी भी देश के विकास की कसौटी है आर्थिक प्रगति। उस आर्थिक प्रगति की एकमात्र कसौटी हो सकती है कि उस योजनाबद्ध विकास से बेकारी घट गयी है या बढ़ गयी है। यदि बेकारी बढ़ गई है और आर्थिक प्रगति घट गई है, तो उसको निश्चित रूप से योजना नहीं कहा जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि वह योजना गलत आधार पर बनाई गयी है।

दुर्भाग्यवश इस देश में 30 वर्ष में जो विकास के मुद्दे हो सकते थे, जो क्षेत्र विकास के हो सकते थे, उन पर विचार नहीं किया गया। एकमात्र चिन्तन रहा नेशनलाइजेशन आफ दी इन्डस्ट्रीज या हैवी इन्डस्ट्रीज। अध्यक्ष महोदय, इसका आप एक तुलनात्मक अध्ययन कीजियेगा। लाखों रुपये में एक आदमी को रोजगार मिलता है। पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हुए हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने योजना की नींव डाली। उसके फलस्वरूप निरन्तर बेकारी बढ़ती चली गयी। जो बेकारी की समस्या आज है उसका हल यदि कहीं है तो वह लघु उद्योग, छोटे-छोटे उद्योगों के विकास और साथ-साथ खेती के विकास में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान इस

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

मामले में सारे हिन्दुस्तान को मार्गदर्शन दे सकता है। लाखों एकड़ जमीन ऐसी है जिसको उपजाऊ बना सकते हैं। सन् 48 में, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का जिक्र कर रहा हूं, मैं विद्यार्थी था, उस समय डा. राम मनोहर लोहिया ने हिन्दुस्तान के विकास के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा था। उस पर चर्चा हो रही थी विद्यार्थियों के बीच में तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत ने सर्वे कराया तो मैंने कह पाया कि लूनी नदी में इतना पानी है कि उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। उस लूनी नदी के पानी को निकाल कर उस पर लिफ्ट योजना बना दी जाय तो सारा का सारा रेगिस्तानी इलाका सरसब्ज हो सकता है. लाखों लोगों को उससे रोजगार दिला सकते हैं और भूख मिटा सकते हैं। इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लूनी नदी में कहां है पानी ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अफसोस है कि आपने चिन्तन नहीं किया और धींगामस्ती में राज चलाया है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कहां है बताओ ना ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि सब सोइल वाटर है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि न खुद अध्ययन करते हैं...

श्री रघुनाथ विश्नोई : है ही नहीं, कहां है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भारत सरकार ने अनुसंधान कराया। विस्तृत जानकारी है। मथुरादास जी माथुर....

श्री रघुनन्दन व्यास : ओन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। ऐसी विस्तृत जानकारी किताबों को कोट करके कितने ही बुद्धिवादी लोगों ने झूठी जांच के नाम पर जनता के सामने रखी है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, रायपुर, लूणी नदी जहां से निकलती है उन गांवों में गया हूं, वहीं पर भी पानी नहीं है। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी ने पानी देवता के नाम से पंडित जी को बिठाया था वह जांच असफल गयी। खाली कुए आज भी पड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा कि बिना तथ्यों के भावनात्मक आंकड़े न दें तो ठीक होगा।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मुश्किल यह है कि इन्होंने कोई काम किया नहीं और हम को कुछ करने नहीं दिया जा रहा है।

मैं जानकारी दे रहा हूं, विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। अनुसंधान हुआ है। हो सकता है गलत हो। अपना मस्तिष्क तो लगायें। आप सुनने के लिये तैयार नहीं, समझने के लिये तैयार नहीं। उसका तो इलाज क्या ?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपने धींगामस्ती में राज चलाया, जैसा जी में आया वैसा किया। उसको समाप्त कीजिये और जनता के प्रति उत्तरदायित्व समझिये। मैं कब कहता हूं कि ऊपर पानी

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
दिखायी देता है। अन्डरग्राउण्ड पानी है, अथाह पानी है।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में, पिछले कालों में जो योजनाओं की कसौटी रही है, विकास की कसौटी रही है उसको समाप्त करके यदि योजना प्रगति की कोई कसौटी आप कायम करना चाहते हैं तो वह होनी चाहिए बेकारी को समाप्त करने की।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने का समय मांगता रहा हूं लेकिन मुझे अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे के ऊपर पांच मिनट हो चुके हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं अभी समाप्त किये देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आप कृपा करके मुझे बोलने का समय दीजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह समय है क्या समय मांगने का ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर !

श्री अध्यक्ष : आपको समय अवश्य मिलेगा। आप मुझसे कक्ष में मिलिये और आपकी उचित मांग होगी तो मैं विचार करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष जी, नीम-का-थाना से आने वाले माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं 'अरे बाबा' 'अरे भई,' यह संसदीय भाषा नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अजी हुजूर, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। आप उठा कर देख लीजिए।

एक माननीय सदस्य : फिर अभी हुजूर कहा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने तो हुजूर कहा है हुजूर को।

श्री मूलचन्द डागा : यह 'हुजूर' शब्द आप कहां से लाये ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अच्छा मैं निवेदन कर दूं....

श्री मूलचन्द डागा : आप घर में भी यही भाषा काम में लेते हैं क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सुमित्रा जी ने कहा तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह मुझे अलग से भी कह सकती हैं....

एक माननीय सदस्य : आप अलग से भी बात करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : She is quite right.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन कर दूं, हम तो नये नये हैं आपसे बहुत कुछ सीखेंगे लेकिन मेरे ख्याल से किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त कीजिए। हो गया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं जो माननीय मूलचन्द जी डागा ने सदन में रखा। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार राज्य में जो भीषण समस्या बेकारी की है, उसका मुकाबला करने के लिए प्रतिपक्ष से जितना सहयोग ले सके उसे लेना चाहिए। हमें मिलजुल कर इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए, चाहे गांधी दर्शन को लेना पड़े या लोहिया दर्शन को लेना पड़े या अन्य तरीके से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सके जिससे हम ऐसा विकास कर सकें जिससे बेकारी को साथ साथ समाप्त कर सकें उस प्रकार के विकास की संरचना करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इसको राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न मान कर और पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठ कर इसका हमको समाधान करना चाहिए। मैं इस बात के लिए स्वयं क्योंकि चर्चा उठाने वालों में से एक व्यक्ति हूं, आभारी हूं डागा जी का कि उन्होंने वहुत वजनदार सुझाव रखा है कमेटी के निर्माण करने का। मैं चाहूंगा कि इस बात का ख्याल रखा जाये कि कम से कम पैसा खर्च करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और बेकारी समाप्त हो सके।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं कि आपने मेरे प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में समर्थन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्रम मंत्री जी।

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न संख्या 38 का जो मैंने उत्तर दिया था उस पर आज माननीय सदस्यों ने आधा घन्टे की चर्चा उठाई है। माननीय अध्यक्षजी, इस आधे घन्टे की चर्चा का स्कोप बहुत सीमित है। मैं यह आशा करता था कि जो गरीबी के कारण हैं जो बेकारी के कारण हैं, जो आज 25 सालों से प्लान्ड इकॉनामी की कमी रही, इकॉनामिक पालिसी की कमी रही उसकी ओर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करते तो मैं उनका स्वागत करता।

माननीय अध्यक्षजी, यह मसला न तो स्टेट लेवल का है, यह मसला एक राष्ट्रीय लेवल का है। माननीय अध्यक्षजी, 24 साल के इस इकॉनामिक डवलपमेंट में बहुत कमियां रही हैं और हमारी सरकार ने गरीबी को मिटाने के लिए, बेकारी को मिटाने के लिए अब कुछ वर्किंग ग्रुप्स कायम किये हैं। छठे फाइव ईयर प्लान में उन वर्किंग ग्रुप्स ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ कमेटियां भी बनाई गयी हैं। माननीय अध्यक्षजी, आज हमारी पापूलेशन का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पावर्टी लाइन के नीचे है। 100 में से 60 हिस्सा जिस देश में पावर्टी लाइन के नीचे हो उस देश में उस समस्या को ओवरनाइट हल करना और वह भी आधा घन्टे की चर्चा के मार्फत हल करना तो बहुत मुश्किल है। मुझे सुझाव दिया गया कि कमेटी का फार्मेशन हो और इसके लिए एक मिनिस्टर अलग से काम करे। जहां तक आपकी भावना का सवाल है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन मंत्री बनने से इस समस्या का हल नहीं होगा। इस कमेटी के लिए क्या स्कीम हो, प्लानिंग में क्या दृष्टिकोण हो, इस एप्रोच के साथ इकॉनामिक पालिसी में क्या तब्दीली

(श्री केदारनाथ)

लायें–यह बेसिक प्रश्न है । आपने जहां एग्रेरियन रिफार्म्स किये वहां बेकारी बढ़ी है और खेतिहर मजदूर बढ़े हैं । इन्डस्ट्रियल पालिसी आपने बनाई वह ऐसी थी कि बड़े बड़े मालिकों ने केवल अपने प्रोफिट को ही ज्यादा ध्यान में रखा है । उन्होंने न कन्ज्यूमर का इन्ट्रेस्ट देखा और न एम्पलायमेन्ट का इन्ट्रेस्ट ही देखा। यह लेप्सेज रहे हैं, यह डेफिशियेन्सी रही है प्लानिंग की । अब हम कैसे उसको पूरा कर सकेंगे, तो एक एप्रोच आपके सामने आई है देहातों की ओर विकास की दिशा बढ़े और हैण्डलूम इन्डस्ट्रीज और पावरलूम इन्डस्ट्री की तरफ ध्यान दें। मैं यह भी मानता हूं कि देश में लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज भी होनी चाहिए। सेल्फ सफीसियेन्सी की स्टेज लानी है, यह मैं मानता हूं । मैं यह भी मानता हूं कि इकॉनामी का सेल्फ जनरेशन होना चाहिए । मगर फिलहाल शार्ट टर्म में क्या एप्रोच हो सकती है। केवल यही कि हम देहातों की तरफ जायें और जो लेबर इन्टेन्सिव स्कीम हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा एम्पलायमेंट दिया जा सके उन सारी स्कीम्स को हम हाथ में लें।

पिछली सरकार ने कुछ काम किये हैं, उनकी मैं तारीफ भी करता हूं। जैसे स्माल फार्मर्स के लिए डी पी.ए. पी. स्कीम गांवों में आपरेट की है और शहरों में एग्रो सर्विस सेन्टर्स कायम किये और इन्जिनियर्स को वहां पर एम्पलायमेंट दिया। इसके अलावा कुछ इन्जिनियर्स को काम चालू करने के लिए फैसेलिटीज दीं, डाक्टर्स को क्लिनिक खोलने के लिए व्यवस्था दी, शिड्यूल्ड कास्ट्स के ग्रेजुएट लोगों को भत्ते भी दिये और आई.टी.आई. के लिए अप्रेन्टिसशिप स्कीम भी चालू की। मगर यह सब सफीशियेन्ट नहीं है। इससे केवल फ्रिन्ज को ही टच कर पाये और अनएम्पलायमेन्ट के कारणों की गहराई तक भी नहीं पहुंचे। इसलिए सारी इकॉनामी को मोल्ड नहीं कर पाये । मेरा यह विश्वास है, माननीय अध्यक्षजी, जो सारे असेट्स अर्न किये हैं उनको हम नहीं ले पाये। यहां पर और बातें कहीं गयीं। मैं इस कमेटी का स्वागत जरूर करता हूं । मेरा मकसद है कि जितने भी डिपार्टमेन्ट्स हैं उनमें कन्सोलीडेटेड कमेटी काम करे और जो इन कामों में एक्सपर्ट हों उनका सहयोग ले ताकि जो रिफार्म करने चाहिये वह कर सकें। माननीय अध्यक्षजी, जब भी कोई रिफार्म हो, जनता में उसके लिए भावना पैदा की जाये। इसीलिये मैं सोचता हूं कि आपने जो बातें कही हैं एम्प्लायमेंट के लिये, डवलपमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की तो इसे पिछली सरकार ने खुद एक्जामिन किया और इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह राजस्थान के हित में नहीं है इसलिये उसको ठप्प कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले बजट में हम लोग इन्टीग्रेटेड एप्रोच को आपके सामने पेश करेंगे।

यहां पर माननीय मूलचंदजी ने दो-तीन अधिकारियों की चर्चा की भ्रष्टाचार के बारे में, ऐसा कोई मामला नहीं है कि एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज की लड़कियों से छेड़छाड़ की हो।

श्री मूलचन्द डागा : Cross cases have been filed in the court of Magistrate at Ajmer.

Page No 62

(62)

श्री केदारनाथ : आप पेश कर दीजिये। वैसे सारे नोट्स मैंने ले लिये हैं जो आप बोले हैं। उसकी जांच की जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गारन्टी देंगे कि नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया आपके होते हुए।

श्री केदारनाथ : दस साल वेट कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह मोरार जी की तरह बोलने लग गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदलाल जोशी : हमने भी 30 साल वेट किया है।

श्री शिवचरण सिंह : मंत्री महोदय, आपने 10 साल की बात कही है वह तो ठीक है लेकिन जो ओवर एज होने वाले हैं उनकी एज क्या आप दस साल और बढ़ा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

विधेयकों का पुरःस्थापन।

व्यवस्था का प्रश्न

वित्त विधेयक की प्रतियों का विधान सभा सदस्यों को वितरण

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। श्रीमान, मैं आपका अमूल्य समय इसलिये लेना चाहता हूं कि वित्त विधेयक जो पेश कर रहे हैं इसकी प्रतिलिपियां आज सुबह दी गईं। प्रेक्टिस एण्ड प्रासीजर आॅफ पार्लियामेंट में हैं:

"A Bill is not included in the list of business for introduction until copies of the Bill have been made available to the members at least two days before the date on which it is to be introduced."

अगर आपको इन्ट्रोड्यूस करना था तो इस विधेयक की कापियां हमें कम से कम दो दिन पहले मिलनी चाहिये थीं। पार्लियामेंट में 7-7 रोज पहले हमें कापियां उपलब्ध होती हैं। आपने सुबह कापियां दीं इसलिये इन्ट्रोड्यूस नहीं करने दिया जावे ताकि मंत्री महोदय जागरूक रहें। या तो सचिवालय की गलती है या आपकी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्षजी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो सारे बिल आने वाले थे उनका विचार किया और कार्यक्रम को विभाजित किया उसकी सूचना मैंने पहिले दे दी थी। सचिवालय को इसकी कापियां उपलब्ध करानी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : हमें कापी पहिले उपलब्ध होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार काम नहीं करती है। दो दिन बाद पेश करें, यह कहने की महरबानी कर दीजिये। दो दिन

(श्री मूलचन्द डागा)
पहिले कापियां मिलनी चाहिये। यह मैं आपको किताब से पढ़ रहा हूं . . .

"A Bill is not included in the list of business for introduction until copies of the Bill have been made available to the members at least two days before the date on which it is to be introduced."

दो दिन पहिले आपको . . .

श्री केदारनाथ : इसकी व्यवस्था हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप कानून मंत्री नहीं हैं।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : यह सही है। दो दिन पहिले सक्यूलेट की जानी चाहिये थीं। आखिर उसमें अमेंडमेंट देने पड़ते हैं इसलिये सदस्यों को समय चाहिये। जल्दी से लेजिस्लेशन बनाया जाये तो गलत भी बन सकता है और लोगों को भी पूरा सोचने का मौका नहीं मिल सकता।

श्री मूलचन्द डागा : धन्यवाद।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रूल्स रिलेक्स थोड़े ही किये जाते हैं। कोई स्पेशल मसला हो तो अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो आपत्ति उठाई है, मैं समझता हूं वह यथार्थ है। यह ताड़ना ही है। कम से कम लॉ डिपार्टमेंट को इस संबंध में हिदायत करनी चाहिये, ताकि उसकी तरफ से देरी न हो और सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चले, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं।

विधेयक पर हिन्दी भाषा में संशोधन

श्री उमरावसिंह ढावरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह आपने तीन विधेयक पेश किये थे, यह राजस्थान यूनिवर्सिटी विधेयक और जोधपुर यूनिवर्सिटी विधेयक और उदयपुर वाला – यह तीनों विधेयक इस सदन में पुरःस्थापित किये गये हैं। उनकी दोनों कापियां हमको मिलीं, अंग्रेजी में भी मिली और हिन्दी में भी मिली हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि राजस्थान का हर काम हिन्दी के अंदर किया जायगा। आज जब मैंने उन विधेयकों के ऊपर अपने संशोधन हिंदी में पेश किये तो आपका सचिवालय यह कहता है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं 1967 में यहां पर हिंदी में काम करने की घोषणा कर दी गई थी तो फिर मैंने हिन्दी में जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको रिजेक्ट करने का क्या कारण है? इस पर आपका संरक्षण चाहूंगा। उनको मन्जूर किया जाये और सारे के सारे विधेयकों के वक्त में उनको यहां पर रखने की इजाजत दी जाय।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप लीडर आफ दी अपोजीशन थे इस सदन में उस वक्त जो भी थे अध्यक्ष पदासीन थे उन्होंने व्यवस्था दी है कि अगर कोई विधेयक दो दिन पहले नहीं लाया गया तो उसको सदन में पुरःस्थापित नहीं होने दिया जायगा। ऐसा एक नहीं, 50 उदाहरण बता सकता हूं। गलत परम्परा डालने से इन मंत्रियों को रोकिये।

श्री अध्यक्ष : जो हिन्दी में संशोधन प्रस्ताव दिये हैं और भविष्य में देंगे, ले लिये जायेंगे, स्वीकार किये जायेंगे।

Page No 64

(64)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय काम हिन्दी में होना चाहिये, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यथासम्भव हिन्दी में ही होगा।

श्री रतन लाल वर्मा : हिन्दी में ही होना चाहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : आपको किसी बात का पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप सदस्य से सीधे बात मत करिये, अध्यक्ष महोदय से बात करिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको पता नहीं है...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 1977

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : मैं राजस्थान वित्त विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (शिक्षा-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

आपत्ति

पुर:स्थापित विधेयकों पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय का शिथिलन

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो बिल सदन में इन्ट्रोड्यूज किये गये हैं, इनमें सशोधन प्रस्ताव और संशोधन रखने का समय बहुत कम है। उसके लिये हमें समय बहुत कम मिला है। ये बिल आज ही प्रात: सर्क्यूलेट हुये हैं इसलिये किसी सशोधन प्रस्ताव या संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये कुछ समय रिलेक्स किया जाना चाहिये ताकि हम परसों तक संशोधन या अपने संशोधन प्रस्ताव विधान सभा सचिवालय को दे सकें और उसी वक्त सर्क्यूलेट करके यहां माननीय सदस्यों को वितरित किये जा सकें।

संशोधन विधेयक में आंग्ल भाषा में दिए गये संशोधन ही मान्य

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आफिशियल लेंग्वेज एक्ट के अन्तर्गत कोई भी अमेन्डिंग बिल आता है तो उस की फर्स्ट कापी अंग्रेजी की ही मान्य समझी जायेगी। जिस ओरिजनल एक्ट में अमेन्डमेंट आये, उसकी आफिशियल कापी जिसे इन्ट्रोड्यूज किया जायगा वह अंग्रेजी में ही होगी। अब तक एक्ट में कोई संशोधन होता है माननीय सदस्य हिन्दी में अपने प्रस्ताव व अमेन्डमेंट्स दे सकते हैं लेकिन उनके अंग्रेजी का ट्रान्सलेशन ही मान्य समझा जायेगा, मैं ऐसा मान कर चलता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। मेरा ट्रान्सलेशन से ही मतलब था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक में दिये हैं वे उसी के लिये दिये हैं जो अंग्रेजी और हिन्दी में आये हैं। विरोधी दल के नेता ने कहा कि व अंग्रेजी में हैं इसलिये अंग्रेजी मे ही मान्य समझे जाने चाहिये। तो जो अंग्रेजी नहीं जानते है और इस सदन में विधेयक पर अंग्रेजी में कार्यवाही होती है तो सदन के उन सदस्यों के लिये निरर्थक है। जब आपने बता दिया कि सारा काम हिन्दी में होगा, हिन्दी की घोषणा जब 1967 में ही कर दी गयी थी तो क्या 1977 में भी उसी प्रकार की घोषणा करते रहेंगे। जो एक्ट में परिवर्तन करने की बात है तो यह पिछली सरकार की ही गलती है। इसलिये जो पहले व्यवस्था आपने दी है कि सारा काम हिन्दी में होगा और सारा काम हिन्दी में किया जायगा, वह व्यवस्था ठीक है।

कार्य सलाहकार समिति द्वारा समय का बटवारा

एक निवेदन और करना चाहता हूं जो विधेयक रखा गया है, यह राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक काफी मोटा है और इसे काफी सोच समझ कर पास करने की आवश्यकता है। इसलिये इस सदन की कार्यवाही 30 तारीख तक और बढ़ा दी जाय ताकि सोच समझ कर काम करने का अवसर मिल सके वरना जो गलतियां कांग्रेस की सरकार ने गलत लेजिस्लेशन बना कर की है वह जनता पार्टी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
भी करेगी। इसलिये इस सदन की कार्यवाही को 30 तारीख तक बढ़ा दिया जाना चाहिये ताकि पूरी तरह इस विधेयक पर विचार करने का अवसर मिले। मैं समझता हूं इस पर सदन की राय ले लेनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, दो विधेयक से ज्यादा रखना भी एक दिन में मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा और न्यायसंगत भी नहीं होगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अन्याय नहीं, अध्यक्ष महोदय, होगा तो न्याय ही, जो अन्याय हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी और पुनरावृत्ति हमको करनी भी नहीं चाहिये। किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय एक ऐसा विषय है, जो काफी महत्वपूर्ण है और जिसका हमें काफी सोच समझकर विधेयक पास करना चाहिये। विश्वविद्यालय देश का चरित्र निर्माण करते हैं इसलिये ऐसे विषय पर शिक्षा मंत्री को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे शीघ्रता नहीं करें। अगर अगले सत्र तक स्थगित करने की बात सम्भव हो सके तो ज्यादा ठीक है।

श्री मूलचन्द डागा : हमने सलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव दिया है, उसको मान लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने भी सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव दिया है। अगर वह मान लिया जाता है तो ठीक है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया है वह देश के अन्य विश्वविद्यालयों से सबसे पीछे लिया है। इसलिये मैं यह चाहता हूं ऐसे काम के लिए एक दिन का समय बढ़ाना ठीक है। अगर इसे अगले सत्र में लिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। वैसे जल्दबाजी में किया गया काम गलत होता है।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाने का विषय आज सदन के समक्ष नहीं है यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का विषय है। इसलिये मैं इसके लिये अभी कोई इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सारा सदन एक राय है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसी सदन की बनी हुई होती है। इसलिए इसे मान लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

अगर सरकार के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है तो सदन विचार कर सकता है। अभी कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री रतनलाल शर्मा : इसमें समय बढ़ाने की बात···

(व्यवधान)

श्री बाऊलाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो निर्णय लिया है, उसकी चहुं ओर, चारों दिशा में, सारे राजस्थान में प्रशंसा की जा रही है।

(श्री दाऊलाल जोशी)
तीनों विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की दुर्दशा थी और अकर्मण्यता का पिछले दिनों जो वातावरण था वह पिछली सरकार के कारनामों का नतीजा था· · ·

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री दाऊलाल जोशी : माननीय सदस्य आप बीच-बीच में व्यवधान न करें। जब हम आपकी बात का सम्मान, आदर करते हैं तो आपको भी हमारी बात सुननी चाहिये। आप अनुभवी सदस्य हैं, संसद सदस्य रह चुके हैं, विधान सभा के भी पिछली बार सदस्य रह चुके हैं। आपको हमारी बात को भी शान्ति से सुनना चाहिये। हम भी तो आपकी बात को सुनते हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इतना महत्वपूर्ण मसला आज इस सदन के सामने है इसे कोई टालने वाली बात हो और अगले सत्र के लिये रखा जाय तो यह गलत परम्परा होगी। इसे आज ही लिया जाय। विश्वविद्यालयों के बारे में जो निर्णय पिछले दिनों लिये हैं उनसे सारे राजस्थान में और खास तौर से शिक्षा जगत में काफी प्रशंसा की लहर आई है। मैं समझता हूं इस सत्र में इस निर्णय को लेना ही चाहिये और टालने वाली प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : चिलम भर रहे हैं [illegible]

[illegible]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनुशासन की तरफ भी जरा ध्यान दीजिये, माननीय सदस्य!

श्री सम्पतराम (मंत्री, संसदीय मामलात) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्परा निश्चित रूप से अपनी सीमाओं में होती है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इन सब मुद्दों पर विचार किया है। उसमें विरोधी दल के नेता भी मौजूद थे। यह कहा गया था कि 29 तारीख तक विधान सभा का यह सत्र चलना चाहिये। उसी के अनुसार जो लेजिसलेशन हमारे सामने है और जो कार्य का बंटवारा किया गया है उसमें समय बढ़ाने का सवाल नहीं है।

विधेयक पर विचार

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

माननीय मंत्री महोदय सम्पतराम जी!

विधायी कार्य—विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जावे।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधे-

(श्री मूलचन्द डागा)
यक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्रीमान्, राजस्थान के न्यायालयों में सस्ता, सुगम और जल्दी न्याय नहीं मिलता। मेरा यह कर्तव्य है कि माननीय विधि मंत्री से यह प्रार्थना करूं कि वह यह बतलायें, आज राजस्थान की अदालतों में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं? हजारों की संख्या में मुकदमे पेंडिंग हैं। न्याय जो लोगों को मिल रहा है राजस्थान में वह सस्ता न्याय नहीं है, सुगमता से नहीं मिलता।

आप जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में एक दूसरी गलती बताना चाहता हूं। अभी भारत की केन्द्रीय सरकार ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अमेंड करके रखा है, बड़ी जांच के बाद। मेरी समझ में उधर बैठने वाले कई माननीय सदस्य वकील हैं, जो न्याय दिलाने में मदद देते हैं वे आज भी यह पसन्द नहीं करेंगे कि इस प्रकार का बिल आप एक सरकार की नकल करके ले आयें। हिन्दुस्तान में 22 राज्य हैं। 22 राज्यों में से आप मुझे बतायेंगे कि किन-किन राज्य में इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस प्रकार का अमेंडमेंट कर दिया गया है? आजकल की जिस प्रकार की पुलिस है उस पर किसी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। गलत चालान होते हैं। गरीब पीसे जाते हैं और आपने सेशन जज को कह दिया कि जो बयान ले लें वह मान लिया जावे। यह सिद्धान्तों के खिलाफ है, नियमों के विरुद्ध है। आप बड़े समझदार और उच्च कोटि के पहले मंत्री रहे हुए हैं। आज आप इस प्रकार का बिल लाने का साहस करके क्या चाहते हैं? मैं गवाह को देख नहीं सकूं और मैं उस गवाही पर निर्णय ले लूं। एवीडेंस एक्ट की आप हत्या करने जा रहे हैं। एवीडेंस एक्ट साफ कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट या सैशन जज जब तक डिमिनर नोट न कर ले, आप निर्णय नहीं कर सकते। फैसले के पहले के गवाह सामने आना चाहिए, उसका चेहरा दिखना चाहिए फिर मैं जज की हैसियत से फैसला दे सकता हूं। आप समझते हैं कि कागज को पढ़ने वाला फैसला दे दे। श्रीमान्, अगर आप जज होते, आपको किसी बात पर निर्णय लेना होता तो पहले गवाह को सामने बुलाते। कानून इजाजत नहीं देता कि पिछला रिकार्ड लिखा हुआ है उस पर अपना निर्णय ले लें। आप क्या चाहते हैं। मुझे खेद है, यह आपने लिखा है

"Under the existing law the trial of a session case opened by a particular Session Judge has to be completed by the same Session Judge."

पहले तो इस सिद्धांत को मानते हैं फिर कहते हैं:

"However, where a Session Judge has been transferred and the trial commenced by him has not reached an advanced stage, the High Court passes orders for the de novo trial of the case by the successor Judge. This, apart from entailing wastage of public money and time. "

महरबानी करके इन्साफ का खून मत कीजिये। जिसका केस चालान हो जाएगा, उसकी गवाही लेने से आप सैशन जज को डिबार

(श्री मूलचन्द डागा)

करना चाहते हैं। मैं साधारण मुकद्दमों के बारे में नहीं कहता। जो आपकी पुलिस के आधार पर प्रोसीक्यूशन पेश होते हैं उसमें नाइन्टी पर्सेन्ट केस फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? झूठी गवाही, पुलिस के काले कारनामे, राजनैतिक आधार पर लोगों को फंसाना। उसके बावजूद आप चाहते हैं कि सेशन ट्रायल हो। आगे आप कहते हैं :

> "As a natural corollary, the disposal of session cases is also considerably delayed. In order therefore, to ensure quicker disposal of session cases it is thought expedient that the law should be so amended as to enable a successor Session Judge to continue the trial of a session case from the stage at which it was left by his predecessor Judge."

जल्दी न्याय देने का मतलब यह नहीं है कि आंख मूंद कर न्याय दे दिया जाय। आंखें मूंद लें। सेशन जज की ट्रायल में मैं कहना चाहता हूं कि गवाह को बुलाया जावे। मैं लेटेस्ट रूलिंग पेश करता हूं किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय से कहता हूं कि हमारे सचिवालय की लाइब्रेरी भी इन्कम्पलीट है। इस लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। मैं आपका ध्यान इस रूलिंग की तरफ दिलाता हूं। रूलिंग कोट करना चाहता हूं ....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यहां कब से किताबें नहीं हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जब से आप आये हैं तब से।

> "In a criminal case, the Judge who convicts, must do so on the evidence heard by him and an exception is justified when it is recognised by the statute. Hence section 350. No such exception is applicable to a trial before court of sessions because section 350 applies only to proceedings before Magistrates, and a trial before the court of sessions is not a proceeding before a Magistrate. Hence the conviction and sentence by a court of sessions must be set aside where, in coming to his finding, the Sessions Judge has apparently acted on evidence not recorded by him but by his predecessor."

श्रीमान्, इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जब सेशन में......

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : रेफरेंस कोट कर दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : A. I. R. 1950, Lahore, page 173.

मैं रीसेंट रूलिंग बताना चाहता था लेकिन मंत्री महोदय, किताबें नहीं हैं। आप तो बड़े वकील हैं, उदयपुर में आपका तो नाम है। आपने तो, श्रीमान्, नीम का थाना में काफी वकालत की है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सेशन जज को डिस्टर्ब करने के लिए कहते हैं। आप नई अदालतें मुकर्रर नहीं कर सकते, नए जज मुकर्रर नहीं कर सकते और हमारे पर पाप लगाते हैं। पाप आपका है कि जो जनता न्याय लेना चाहती है उसको आप न्याय नहीं दे सकते आप पैसे की

Page No 70

(70)

(श्री मूलचन्द डागा)

कमी के कारण नए जजेज मुकर्रर नहीं कर सकते लेकिन यह करने लगे। मजिस्ट्रेट के लिये अगर अमेंडमेंट लाते तो मान लेता। लेकिन सेशन कोर्ट में मर्डर केसेज और हीनिअस आफेन्सेज का चालान होता है, एवीडेंस एक्ट का सेक्शन हण्ड्रेड फिफ्टी यह इजाजत देता है कि आप गवाहों के बयान मान लें, पढ़ लें। मेरा सारा केस पढ़ा है, माननीय सेशन जज दूसरा आता है, बीस गवाहों के बयान पहले जज ने ले लिए और फिर दूसरा आता है। तो वह भी उन बयानों को मान ले। महरबानी करके इस पर यह विचार करें। मैं आपको फिर यह प्रार्थना करता हूं, नम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं और अध्यक्ष महोदय की मार्फत करता हूं कि आप अपने खर्चे को बचाने के लिए, न्याय जल्दी देने के लिए सेशन जज से हर्गिज यह अपेक्षा मत कीजिएगा कि उनके सामने सारी गवाही न हो। आपका अमेंडमेंट जो हुआ है, इसी तरह का अमेंडमेंट जब कि मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था ......

श्री हरिकिशन (नदबई) : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गरीब किसान, सेशन जज बदलने पर बराबर अदालत में हाजिर होता रहे और केस के फैसले ही नहीं होने पायें? ऐसा माननीय सदस्य का विचार है?

(2-10 म. प.)

(मेजर श्री फतहसिंह, सभापति पीठासीन)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य, जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर था तब इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया था। उस समय कमेटी ने क्या फील किया वह आपकी सेवा में पेश करना चाहता हूं :—

"The Committee feels that the proceedings on the basis of evidence recorded by predecessor should be applicable only to courts of magistrates and not to the judges of sessions courts.

श्रीमान, यह सलेक्ट कमेटी में भी गया था और सलेक्ट कमेटी ने निर्णय लिया था "that this should not be applicable to the Sessions Judges.

सूर्यनारायणजी जरूर मेरी बात का समर्थन करेंगे। आपके चेहरे से मालूम होता है।

"It is one of the important principles of criminal law that the person who hears the entire evidence must give the judgement."

"A departure from this principle should not be permitted in the case of Sessions Judges. The section has been amended accordingly."

श्रीमान, मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भी उस कमेटी का मेम्बर था। मैं आपकी सेवा में यह सब पेश कर रहा हूं। माननीय सभापति जी, आप भी लरनेड वकील रह चुके हैं इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।....

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति जी तो इससे सहमत हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा तो यह आपकी राय अलग से देते हैं। यह तो राय नहीं दे सकते हैं।

Page No 71

(71)

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं . . .

श्री शंकरलाल : वह राय आपको अलग से दी होगी। सभापति की हैसियत से राय नहीं हो सकती।

श्री सभापति : कृपया आक्षेप न करें।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए, श्रीमन, मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु एक महीने के लिए परिचालित किया जाय, मैं ज्यादा समय नहीं चाहता, अगला सत्र आने वाला है . . . .

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दूसरे सदस्य को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत काम करना है।

एक माननीय सदस्य : मैं बैठ जाऊंगा परन्तु एक मिनट . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य : आपको एक व्यवस्था रखनी चाहिए। आप नियमों के अन्तर्गत . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी आपको अनुमति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप बार-बार बैठने के लिए कह रहे हैं। मुझे यही निवेदन करना है कि मैं भी 25/27 साल से एडवोकेट हूं। मुझे एक मिनट दीजिये।

श्री सभापति : आपका समय आते ही आपको बोलने का अधिकार दिया जायेगा। अभी नहीं।

एक माननीय सदस्य : मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा, माननीय सदस्य !

मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी जो नियम हैं, उनका वे अधिक अध्ययन करें ताकि इस तरह से कार्यवाही में बाधा उत्पन्न न हो। जब आपका समय आयेगा आपको बोलने का अधिकार मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : यह निवेदन है कि 6 दिन से नाम नहीं आ रहा है। जब बोलने का समय दिया जाता है तो शाम को साढ़े सात बजे समय दिया जाता है। जब कि सारी प्रेस चली जाती है। . . . . .

श्री सभापति : यहां प्रेस का काम नहीं है।

माननीय सदस्य। माननीय डागाजी, एक मिनट में समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही उसकी अनुपालना भी होनी चाहिए।

श्री सभापति : मैं सारे माननीय सदस्य गण से निवेदन करूंगा कि आज हमको

(श्री सभापति)

इन तीन विधेयकों पर विचार करना है, इनको पारित करना है। समय को देखते हुए हम को इस तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

मैं माननीय श्री मूलचन्द जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया एक मिनट में भाषण समाप्त करें। उनके समर्थन में और भी बोलने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

मेरी एक प्रार्थना थी। सेशन जज के सामने जब गवाह आता है तो वह गवाह के फेस एक्शन को नोट करता है। उसके सिर की तरफ देखता है। या तो आप यह व्यवस्था कर दें कि उनका फोटो लिया जायेगा, इससे भी नहीं होता है तो आप इस बात के लिए, सभापति महोदय, सेशन जज को कहें कि इस प्रकार की कार्यवाही न करें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री अजीतसिंह। इसके समर्थन में बोलेंगे।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन,) विधेयक, 1977 को तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। यह मेरा प्रस्ताव है। इसके समर्थन के लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, यह जो विधेयक आज इस सदन के अंदर लाया गया है, यह एक अध्यादेश की जगह आ रहा है। यह अध्यादेश 1976 के अंदर सरकार ने लागू किया था। इस अध्यादेश की आवश्यकता उस वक्त की सरकार को थी क्योंकि कई लोग जेलों में बंदी थे। वहीं पर कोर्टस् लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। जो मीसा के अंतर्गत, डी.आई.आर. के अन्तर्गत बंदी थे, जेलों के अंदर थे, उनके लिए कोर्टस् लगाई जायें, वहां उनकी सुनवाई हो इसलिए यह प्रक्रिया अपनाई गई थी और अध्यादेश लाया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि मौजूदा सरकार ने इसकी आवश्यकता क्यों समझी है? यह क्यों इसे बिल के रूप में ला रही है? इसके साथ ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिये थी जिससे गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता लेकिन वह न करके जिस लीक पर पुरानी सरकार चल रही थी, उसी लीक पर यह मौजूदा सरकार चलने का अभ्यास कर रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाना चाहिये जिससे इसके अन्दर ऐसे अमेन्डमेन्ट आ सकें जिससे जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, आज कोर्टस् के अन्दर भयंकर भ्रष्टाचार है। इनकी शिकायतें सिवाय हाई कोर्ट के और कोई नहीं सुनता है। हाई कोर्ट का जो कुछ खर्चा है, वह इतना ज्यादा है कि गरीब आदमी हाई कोर्ट को एप्रोच नहीं कर सकता। वकील और जज के बीच में ही सारा मसला उलझा रहता है यह जो आपने 326 में अमेंडमेन्ट किया है, वह अच्छा है। इससे जो डिले होती है, मैं समझता हूं कि वह दूर होगी। इसके अलावा जो दूसरी दिक्कतें हैं उनको भी दूर किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(श्री अजीतसिंह)

सभापति महोदय, दूसरा निवेदन यह करना है कि कोर्टस् के अन्दर जो आवाज पड़ती है, वह इस तरह से दी जाती है कि जो सुनने वाला है, वह अपने नाम को भी नहीं पहचान पाता है। उसकी तारीख पेशी निकल जाती है। छोटी कोर्ट की हालत बहुत खराब है। गलत ढंग से आवाज दी जाती है।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, गत विधान सभा में भी मैंने यह सवाल रखा था, कोर्टस् के अन्दर जो यह 'माय लार्ड' सम्बोधन करने की प्रथा है, इसको तुरन्त बंद किया जाना चाहिये। पहले भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार कर इसमें संशोधन करने का प्रयास किया था। मौजूदा सरकार को चाहिये कि जजों को "माय लार्ड' कहने की यह जो प्रथा है, इसको तुरंत बंद करें।

नकल की प्रक्रिया भी पेचीदा है। अर्जेन्ट कापी के लिए डबल फीस जमा करानी पड़ती है। समय पर नकलें प्राप्त नहीं होती हैं। इसकी व्यवस्था करें ताकि जनता को सुलभ न्याय मिल सके। अगर आपकी मन्शा अलग कोर्ट रखने की है तो इस बिल को लाना उपयुक्त है वरना आप इस बिल को लाकर क्या करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : माननीय श्री उगम राज मेहता

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचंद सांबरिया।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, यह बिल पहले पेश किया गया था किन्तु लैप्स हो गया था। उसी को इस बिल के जरिये से राज्य सरकार लाना चाहती है। सभापति महोदय, इस बिल में जज के स्थान पर मजिस्ट्रेट को स्थापित करना चाहते हैं। जज के स्थान पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सैकिण्ड क्लास को लाना चाहते हैं। एक दूसरा अमेंडमेन्ट है कि सेशन ट्रायल में कुछ गवाही हो जाने पर जज का ट्रांसफर हो जाने पर उसी जज को केस दिया जाया करता था। परन्तु इस अमेण्डमेण्ट से राज्य सरकार की मंशा यह है कि दूसरा आने वाला जज उसको कन्टीन्यू रख सकता है। सभापति महोदय, आप इस बारे में जानते हैं, ऐसे गवाह हैं, एक के ट्रांसफर होने पर दूसरे जज को लेने का अधिकार मिल जाये तो इससे लॉ का जो प्रिंसिपल है वह चौपट होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार की क्या मंशा है? पहले सरकार की मंशा यही थी कि जज के जरिये से फैसला होना चाहिये। अभी तक मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के जरिये से फैसला नहीं होता था। अब राज्य सरकार द्वारा कुछ खर्च में कमी करने के अलावा यह भी कहा गया है कि स्पीडी जजमेण्ट हो और जनता को सस्ता न्याय मिले। यह उद्देश्यों में बताया गया है। सभापति महोदय, जब इसको सदन में रखा गया है तो सेशन ट्रायल केसेज है उनमें बयान लेने आदि का आज तक जो भी कानून रहा है उसी आधार पर केसेज चलाने की आवश्यकता थी। यह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भी देखने की आवश्यकता थी यह किस हालत में आर्डिनेंस लाया गया था। अब नयी विधान सभा आयी है।

श्री सम्पतराम : इसमें इमर्जेन्सी से संबंधित कानून था, वह छोड़ दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप खुद ही वकील हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है। अगर उन्हीं के जरिये से फैसला करवायेंगे तो क्या जुडिशियरी को अक्षम करने की मंशा है? जो पहले कानून विद्यमान था उसको अलग करके स्पीडी न्याय दिलाना चाहते हैं उसकी पूर्ति किस प्रकार से होगी? इसमें मुझे शंका है। जज की स्थापना ज्यादा जगह की जाएगी तभी सही न्याय मिलेगा। परन्तु धन का अभाव मानकर अमेण्डमेण्ड इतनी जल्दी करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि तीन महीने के लिए नहीं तो कम से कम एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दें। इसमें जो उपयोगी सुझाव हमारे हैं जो एडवोकेट्स हैं, लायर्स हैं उनके सुझाव हों उन सुझावों को मानकर अगले बजट सत्र में आप पेश कर सकते हैं। इससे आपको बार बार सदन का समय भी नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत मैंने प्रस्ताव रखा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और जनता पार्टी के मेनीफेस्टों में डिसेण्ट्रलाइजेशन की बात कही गई है। यह कहा गया था कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि न्याय के लिए लोगों को दूर दूर से आना पड़े। इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भी कहा गया था कि गांवों में जो मुकदमे हैं, उनके फैसले की व्यवस्था गांवों में ही करें। सभापति महोदय, मूल भावना डिसेण्ट्रलाइजेशन की भावना है। यह जो संशोधन आया है इससे सेण्ट्रलाइजेशन होगा क्योंकि एक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के केसेज सुनने के अलावा दूसरे क्षेत्र के केसेज, जो कि उसके क्षेत्र में नहीं हैं, सुनकर फैसला देगा। आपने कारण दिये हैं, जिससे फसला गलत नहीं हो सके इसीलिए दूसरा मजिस्ट्रेट फैसला कर सके। मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि इससे आम जनता प्रभावित होती है। मान लीजिए जैसे आपके एण्टी-करप्शन के केसेज जयपुर में होते हैं तो पूरे राजस्थान के गवाहों को जयपुर आना पड़ता है। वह गवाह बाद में बदल भी जाते हैं तो इस प्रकार से न्याय नहीं मिल पाता है। कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, अगर उसको बढ़ायेंगे तो जनता को असुविधा होगी। अभी माननीय अजीत सिंह जी ने कहा था कि यह मीसा और डी. आई. आर. के लिए किया गया था। मीसा और डी.आई. आर. में जो बन्द थे उनमें से कोई कहीं का था कोई कहीं का था; इसलिये

(श्री शंकरलाल)

नवम्बर, 1976 में यह आर्डिनेंस बनाया गया था। एक तरफ तो जनता सरकार पिछली सरकार के अच्छे कामों में भी संशोधन करने जा रही है दूसरी ओर इसका टैरिटोरियल क्षेत्र बढ़ाना चाहती है। केसेज डिस्पोजल करने के लिए क्षेत्र को बढ़ाना चाहती है। तो, सभापति महोदय, जनता का हित चाहते हैं तो इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित करायें। इससे जनता की यह आवाज आयेगी कि वह यह बात नहीं चाहती। अपने संविधान की 19 वीं सूची का कहना है कि राज्य सरकार को अधिकार है। लेकिन आपने देखा होगा, प्रिवेन्शन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट है लेकिन जो मिलावट करते हैं, वह पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन मिलावट की वस्तु उस आदमी के पास पकड़ी जाती है जिसने मिलावट नहीं की। इस तरह से, सभापति महोदय, सैन्ट्रलाइज करने की बात मैं समझता हूं जनहित के अनुकूल नहीं है। मैंने पाली जिले की बात कही थी। पाली और देसूरी का जो क्षेत्र है वह पाली जिले के अन्दर आता है लेकिन जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसका क्षेत्र सिरोही कर दिया है। पाली के लिये जनता चाहती है, जनता पार्टी के एम. एल. ए. ने लिख कर दिया है और मन्त्री महोदय ने भी दिया है कि जनता को यह सुविधा दी जाय। इसलिए अगर आप जनता को इस प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज यह हालत है कि सेशन जज का ट्रान्सफर हो जाय तो वह सारी गवाहियों को फिर से सुनता है और दुबारा देखता है, यह ठीक नहीं है इसलिए यह नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यह भी ठीक नहीं होगा कि दूसरा जो जज आवे वह शुरू से उन केसेज को देखे······

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और सारी गवाहियों को दुबारा सुने। इसलिए अगर आप टी. ए. डी. ए. बचाने के लिये ऐसा करना चाहते हैं तो यह उपयुक्त नहीं है। चूंकि इससे जनता प्रभावित होती है इसलिए इनको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय जिससे जनता की राय सही रूप से मालूम हो सके और सही राय सामने आ सके।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह प्रस्ताव करेंगे कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

माननीय श्री प्रद्युम्नसिंह।

(अनुपस्थित)

गवर्नमेंट की तरफ से प्रभारी मन्त्रीजी इस वाद-विवाद का जवाब देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापतिजी, अगर प्रद्युम्नसिंह जी नहीं हैं तो मैं इसको मूव करना चाहता हूं,

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अगर इस तरह से इजाजत दी जाने लगी तो हर कोई सदस्य बोलना चाहेंगे। उन्हीं का मोशन है, नियमों के अन्तर्गत।

प्रभारी मंत्री जवाब देंगे।

श्री सम्पत राम (विधि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, भूतपूर्व सरकार ने दिनांक 22-11-76 को एक अध्यादेश के

(श्री सम्पत राम)

जरिये चार संशोधन किये हैं, मौजूदा सरकार ने उन चारों संशोधनों पर सभी पहलुओं से विचार–विमर्श किया और विचार–विमर्श करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंची है कि इनमें से दो संशोधन तो ऐसे हैं जिनको लाना उचित भी नहीं है, इसलिए उनको छोड़कर दो संशोधन लाने की कोशिश की गई है। पिछले संशोधन में यह थी कि किसी भी आदमी को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर दी जाय। उस संशोधन को हमने अस्वीकार किया, उसके पीछे धारणा यह थी कि एक ही व्यक्ति को अगर इच्छानुसार स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स देती रही तो ज्यूडिशियरी के प्रिन्सिपल को धक्का लगता है। दूसरे में यह था कि चाहे जहां पर मजिस्ट्रेट केसेज को सुनें। हमने यह किया है कि पब्लिक-मैन को भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में नियुक्त किया जा सकता है, यू. पी. में भी इस प्रकार का अनुभव किया गया था और वह ठीक रहा है। इससे करप्शन को प्रोत्सहान नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा अन्दाजा है, मैं ख्याल करता हूं कि जेलों में बन्दियों की सुनवाई की व्यवस्था एक आर्डिनेन्स के जरिये की गई थी, उनकी सुनवाई जेलों में ही की जाय। आज जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनको मालूम है उस समय जेलों में जाकर जज केसेज को सुन पाते थे लेकिन जेलों का जो वातावरण है उसमें सही मायने में जो न्याय का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। इसलिए हमने उन दोनों संशोधनों को नामन्जूर किया है।

अभी जो दो संशोधन सरकार ने रखे हैं, एक तो यह है कि हर मजिस्ट्रेट का जिले में जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन कुछ का जुरिस्डिक्शन बताना अनिवार्य हो जाता है जैसे ट्रान्सपोर्ट का है, सी. बी. आई. का है, रोडवेज का है, इनकी सुनवाई अलग अलग स्थानों पर की जा सकती है। इसके पीछे पब्लिक की कन्विनियेन्स का ध्यान रखा गया है, इससे सरकार के पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होगा और समय की भी बचत होगी।

दूसरा मामला जो है यहां जितने माननीय सदस्य वकालात जानने वाले हैं, वे वाकिफ होंगे कि बहुत दफा यह प्रश्न बार एसोसिएशन में भी डिस्कस किया जाता रहा है और जनता में भी इसकी चर्चा रही है कि जज के परिवर्तन होने पर बहुत से केसेज रह जाते हैं, उन केसेज को जज को आकर वापस सुनना पड़ता है। इससे कई प्रकार की दिक्कतें आती थीं, एक तो समय बहुत लगता था, दूसरे सरकार का पैसा भी खर्च होता था। मान लीजिये कि एक जज जोधपुर से धौलपुर आयेगा तो समय लगेगा और खर्चा भी होगा। इस प्रकार से जो केसेज दो महीने में तय होने चाहिए उनमें दो-तीन गुना समय लग जाया करता था। इसलिए यह जनहित में होगा कि जो नया जज आये वह उन केसेज को सुन ले। मैं समझता हूं कि यह एक इन्नोसेन्ट सा अमेन्डमेंट है। मैं समझता हूं इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं भेजा जाय।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के दो हिस्से हैं, जहां तक दूसरे.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 67।

श्री मथुरादास माथुर : On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally....

श्री सम्पतराम : मैं यह चाहूंगा कि यह पासिंग ऑफ दी बिल की स्टेज आवे उस वक्त अपने विचार व्यक्त करें तो अच्छा होगा to save time.

श्री मथुरा दास माथुर : सभापति जी, हमको दो अपोर्चुनिटीज मिलेंगी, एक तो जब बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया......

श्री सभापति : अभी उस पर कन्सीडरेशन शुरू नहीं हुआ। अभी तो प्रवर समिति को जाय या नहीं, यह सवाल है। क्या माननीय सदस्य संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री अजीत सिंह : मुझे अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अजीत सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं उन्हें किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का···

श्री सम्पतराम : It was not moved.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक, विचारार्थ लिया गया।

खंडश : विचार।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय··

श्री सभापति : जिन्होंने संशोधन दिया है उनको पहले अवसर दिया जाए।

श्री मथुरादास माथुर : It is on the principles of the Bill.

श्री सभापति : वह स्टेज बाद में आएगी।

श्री परसराम मदेरणा : सभापतिजी, नियम 67 के तहत आप मोशन को कन्सीडरेशन के लिए मूव कर रहे थे तो डीडवाना के माननीय सदस्य ने कहा कि वह अपने

(श्री परसराम मदेरणा)

विचार रखना चाहते हैं। आपने कहा पासिंग ऑफ दी बिल के स्टेज पर। वह थर्ड स्टेज है। सैकिंड स्टेज पर भी अगर प्रवर समिति या जनमत जानने के लिए कोई प्रस्ताव नियम 67 के तहत नहीं दिया है तो भी प्रिन्सिपल्स ऑफ दी बिल पर हरएक माननीय सदस्य को विचार रखने का हक है और इस अधिकार से वह माननीय सदस्य वंचित रह गये हैं। आप उनको पुन: अवसर दे सकते हैं प्रिन्सिपल्स ग्राफ दी बिल पर बोलने का। अगर इस अधिकार से वंचित रखेंगे तो तीसरा स्टेज है पासिंग का उस समय अपने विचार रखेंगे। लेकिन बोलने का अधिकार है नियम 67 में। बिल की तीन स्टेज होती हैं–इन्ट्रोडक्शन, कन्सीडरेशन व पासिंग।

श्री सभापति : मैं आपकी आपत्ति स्वीकार करता हूं और प्रिन्सिपल्स ऑफ दी बिल पर बोलने की इजाजत देता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मुझे एक सिद्धांत पर इस सदन में चर्चा करनी है। जहां तक हुई केसेज हैं, जो केसेज सुने जा - चुके हैं, मजिस्ट्रेट या जज द्वारा पर अधूरे हैं, उन मुकदमों को एक मजिस्ट्रेट ने सुना और उसमें शहादत हो गई और फिर उसके बाद उसका तबादला हो गया है...

श्री सम्पतराम : मजिस्ट्रेट का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उसके लिए पहले ही व्यवस्था है।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिन्सिपल्स की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस का सिद्धांत है कि जिस के सामने शहादत पेश हो, जो जज या मजिस्ट्रेट शहादत ले, जिसके सामने गवाह पेश हों वही उस केस का फैसला करे। इसके पीछे एक सिद्धांत है, हमारा जो क्रिमिनल जुरिसप्रूडेंस है, लॉ के एथिक्स हैं, वह यह हैं कि सिर्फ कागजों पर जो बयानात दर्ज किए जाते हैं उनके ऊपर ही फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि मुकदमात के अन्दर जो गवाह पेश होते हैं, उनके डिमिनर, उनके तौर तरीकों, उनकी शकल के आधार पर जज का दिमाग बनता है। इसलिए इस बात को सामने रखते हुए मैंने यह सिद्धांत का प्रश्न उठाया है कि यह जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी होती है कि जजमेंट देने से पहले एक जज का तबादला हो जाता है, तो यह लॉ आफ प्रिन्सिपल है कि दूसरा आदमी जो आता है, अगर शहादत रिकार्ड नहीं हों या पार्टली टेन्डर होती हैं तो हो सकता है तुरन्त उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति आता है वह उस मुकदमे की वापस से सुनवायी करे। ब्रिटिश जुरिसप्रूडेंस को हमने यहां अडाप्ट किया है। न्याय में देरी नहीं हो, फौजदारी मुकदमों का फैसला जल्दी हो इस भावना की कद्र करते हुए भी कोई इन्नोसेंट आदमी सिर्फ फाइल के आधार पर मारा न जाए, उसको सजा न हो जाए इसलिए इस पर जल्दी न करके कोशिश यह करनी चाहिए कि सही न्याय हो। जब किसी जज का ट्रांसफर करना हो तो सरकार देख ले कि अमुक जज के पास कितनी पार्टी के हुई केसेज हैं और वह कब तक खत्म कर देंगे। सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों का तो किसी समय भी तबादला हो सकता है लेकिन जो न्याय देने में लगे हुए हैं ऐसे अधिकारियों

(श्री मथुरादास माथुर)

को ट्रांसफर करने से पहले राज्य सरकार व उच्च न्यायालय को देखना चाहिए, कितने मुकदमात अमुक जज के पास पेंडिंग हैं, कब तक पूरा कर देंगे। जज पुराने मुकदमे पूरे करने के बाद ही नए मुकदमे सुनना शुरू किया करें। इसके अलावा छुट्टी चला जाय तो दूसरा आदमी उसकी जगह आ जाय। सेटिल्ड प्रिन्सिपल्स ऑफ लॉ जुरिसप्रूडेंस के आधार पर किताबें लिखी गई हैं। हो सकता है पहले की सरकार ने यह रखा हो लेकिन हमारे सामने सरकार नहीं है, हमारे सामने तो लॉ है उसको हमें देखना है। सभापति महोदय, अगर जल्दी में एक्स गवर्नमेन्ट गलती कर दे तो क्या यह उचित है कि वाई गवर्नमेंट भी उस गलती को कन्टीन्यू करे? पहले आर्डिनेन्स में नहीं था वह बात नहीं लेकिन आपने भी आकर उसी आर्डिनेन्स की नकल करके रख दी। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है इसमें जुरिसप्रूडेन्स के प्रिन्सिपल्स के अन्दर हम कुछ संशोधन करना चाहते हैं इसलिये इसको इतना जल्दी में पास कर देना उचित नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (लाडपुरा): सभापति महोदय, अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने यहां पर जुरिसप्रूडेन्स के सिद्धान्तों की बात की। मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर जो जुरिसप्रूडेन्स है वह सिर्फ ब्रिटिश काल के जुरिसप्रूडेन्स की नकल है। आज तक जितने भी कानून हिन्दुस्तान में बने हैं उसी को आधार मानते हुए वह बनते चले आ रहे हैं। मैं बड़े ही अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने गवाहों की बात कही उसमें यह है कि यह जो एक्ट संशोधन किया जा रहा है वह तो एडजेक्टिव लॉं में संशोधन किया जा रहा है। इसमें सब्सटेंटिव लॉं में कोई संशोधन करने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारे यहां पर इन्डियन एवीडेन्स एक्ट के तहत शहादतें भी ली जाती हैं, उनसे जिरह भी की जाती है और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो दुबारा एग्जामिन भी किया जाता है। तो यह तो एडजेक्टिव लॉं की बात है। इसके अलावा यह तो सर्वमान्य बात है कि अगर एक जज के बाद दूसरा जज आता है तो उसमें दिक्कत क्या है वह हीयर कर सकता है क्योंकि पहले वाले जज के सामने लिया हुआ डिमिनर नोट भी है, उस डीमिनर नोट में सभी लिखा हुआ है तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां थोड़े वर्ष पहले लॉं कमीशन बनाया। उसने हमारे हिन्दुस्तान के जो बड़े बड़े वकील और न्याय शास्त्री थे उन सभी की गवाही ली। इसके साथ साथ एक प्रश्नावली बना कर सारे देश की बार कोन्सिल को भेजी गई कि आप इनके जवाब दें, कोई सुझाव हों उन पर तो वह भी दें। उसके बाद में सारे देश के बड़े बड़े न्याय शास्त्री, जजेज वगैरह ने जो राय दी उसमें से जो बहुमत की राय थी उसको माना गया। उसके बाद में यह सब तय किया। सभापति महोदय, अगर एक जज के जाने के बाद कोई उसी केडर का उच्च जज उस केस को आगे कन्टीन्यू करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करने पर तो केसेज बहुत मात्रा में

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

कोर्ट्स में जमा हो जायेंगे और अधिक बढ़ जायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट के बारां मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 50 मुकदमें पड़े हैं और कोटा के सैशन्स जज की कोर्ट में 26 केसेज पैंडिंग हैं बिना उसी जज के उनका फैसला होने में समय लगता है। इस प्रकार लोगों को न्याय जल्दी नहीं मिल सकता है। इन्साफ मिलने में देर होती है। इसलिए मेरा निवेदन है जैसा कि विरोधी पक्ष के सदस्य ने कहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा निवेदन है कि जो यहां पर संशोधन राज्य सरकार द्वारा आया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाय उसको पारित करने में कोई जुरिसप्रूडेन्स के सिद्धांतों की कहीं पर भी अवहेलना नहीं होगी। जो विरोधी दल के सदस्य ने कहा वह तो सिर्फ विरोधी पक्ष के होने के कारण विरोध करने की दृष्टि से ही कहा है। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, आज जो सदन में दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जा रहा है इसमें ऐसा है कि यदि एक सैशन्स जज का स्थानान्तरण हो जाता है तो उसके बाद में उसी कैडर का उच्च न्यायाधीश आकर उसके आगे कार्यवाही शुरू कर सकता है। अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो, सभापति महोदय, आज जो लोगों को कोर्ट्स के चक्कर सालों काटने पड़ते हैं जिसमें हमारे देश के खास तौर से जो वर्ग गरीब हैं, काश्तकार हैं, मजदूर हैं उनका बहुत ज्यादा समय नष्ट होता है उनको केसेज में दस और बीस साल तक कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वकीलों पर पैरवी के लिये ज्यादा खर्च करना पड़ता है, अपना समय नष्ट करना पड़ता है, अपनी रोजी रोटी, कमाई से वन्चित होना पड़ता है, वह बन्द हो जायेगा। इसलिये, सभापति महोदय, जैसा कि विरोधी दल के सदस्य ने कहा मैं उनसे इत्तफाक नहीं कर सकता कि लोगों को जल्दबाजी में न्याय नहीं मिल सकेगा। यदि एक उच्च न्यायाधीश किसी के स्टेटमेन्ट रिकार्ड करता है और दूसरा उसी कैडर का उच्च जज आकर उस डीमिनर को ही मानते हुए आगे उस केस की कार्यवाही करता है तो मैं समझता हूं कि यह समय तो उस गरीब का बचा जिसके ऊपर केस चल रहा है। आने वाले जज को कोई भी जबरदस्त दिक्कत पहले वाले जज के सामने लिये हुए बयान को मानने में नहीं होगी। उसी डीमिनर नोट से आगे कार्यवाही हो सकती है। सभापति महोदय, अगर कोई आदमी क्रिमिनल लॉ के अन्तर्गत कोई केस करता है तो आज के दिन यह कार्यवाही वर्षों तक चलती है इससे लोगों को काफी परेशानी हो जाती है। इसके अलावा विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो डीमिनर की बात कही, मैं समझता हूं कि आज जो भी फैसले हमारे यहां पर कोर्ट्स में होते हैं उनमें किसी भी क्रिमिनल का पिछला इतिहास नहीं देखा जाता है और न ही उसकी शक्ल का ध्यान रखा जाता है, उसकी जाति का भी ध्यान नहीं रखा जाता, जो जुर्म उसने किया या नहीं उस पर सब कार्यवाही की जाती है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उसके साथ ही मुलजिम को बीयोन्ड डाउट मानते हुए फैसला करते हैं। किसी व्यक्ति के तौर तरीकों से, जाति-पांति से कोर्ट के जज को कोई मतलब नहीं है। जब आप न्याय देना चाहते हैं तो आप सस्ता और सुलभ न्याय क्यों नहीं दिलाते ? जुरिसप्रूडेन्स का यह सिद्धांत है कि Justice delayed is justice denied. उसी के साथ यह और कहा गया है कि Justice should not only be done but it should seem to be done. यह दूसरा जो सिद्धांत है वह ज्यादा फोर्सफुल है। डिले होने से न्याय एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आप यह बिल पास कर देते हैं तो लोगों को ज्यादा सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। लिटीगेशन में दोनों ही पक्षों का पैसों का नुकसान होता है। जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही दोनों पक्षों की बरबादी होगी चाहे हारने वाला ज्यादा बरबाद हो। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के पास होने में जुरिसप्रूडेन्स के प्रिन्सिपल्स की अनुपालना में कोई खिलाफत नहीं होती है उल्टे इससे गरीब लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय जल्दी मिलेगा इसलिए आप इसे जल्दी पारित करें।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क जयपुर): सभापति महोदय, यहां पर विरोधी दल के सदस्य ने जो बात कही उसके बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस बिल का जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स हैं उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसके अन्तिम पैरा में कहा गया है :

"The Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Ordinance, 1976 (Ordinance No. 12 of 1976) was promulgated by the Governor on the 20th day of November, 1976, with the prior instructions of the President of India. But the Bill replacing the said Ordinance could not be passed in the last session of the last Assembly due to its dissolution and the said Ordinance ceased to be in force after the 3rd day of March 1977. As a result of such lapse of the said Ordinance, new clause has been added to validate the acts, if any, done in consonance with the provisions of the said Ordinance.'

यह जो आर्डिनेन्स जारी हुआ राज्य सरकार द्वारा 20–11–76 को उस समय कांग्रेस सरकार का ही राज्य था, उसने ही इसे जारी किया था। उस समय उसे क्या पता था कि सत्ता में नहीं रहेंगे। जहां तक जुरिसप्रूडेन्स प्रिन्सिपल्स की बात है मैं विरोधी दल के नेता और सदस्य महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके लागू होने से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय ही मिलेगा। अगर आप यह नहीं करते हैं तो जुरिसप्रूडेन्स का जो फोरमोस्ट प्रिन्सिपल्स है Justice delayed is justice denied. अगर न्याय जल्दी नहीं मिलता है, एक केस के अन्दर एक जज ट्रायल करता है और उसका तबादला हो जाता है तो उसी कैडर का अगर कोई उच्च न्यायाधीश उसकी कार्यवाही आगे चलायेगा तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली

(82)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

है। आम तौर से यह जो 302 और 307 के केसेज जो होते हैं उनमें कई बार मुलजिमों की जमानतें नहीं होती हैं और आदमी जेल में सड़ते रहते हैं, अगर इस नजरिये से आप देखें तो काफी लोगों को राहत मिलेगी। इससे लोगों को शीघ्र न्याय मिलेगा। आज जो यह व्यवस्था इस कानून के तहत करने जा रहे हैं यह कांग्रेस सरकार करना चाहती थी। वही अब जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। फिर संशोधन क्या है कोई ज्यादा नहीं है। यही है कि अगर किसी जज के सामने कोई बयान रिकार्ड किये हैं और उसका तबादला हो जाता है तो उसी केडर का दूसरा जज आकर उन्हीं बयानों के आधार पर उस केस की कार्यवाही आगे शुरू कर सकता है। इसमें शीघ्र और सस्ता व सुलभ न्याय मिलने में कहीं कोई हर्ज या बुराई की बात नहीं है। मेरा यह भी निवेदन है कि जो आज बातचीत सदन में हो रही है, माननीय सदस्यों का शायद इस ओर ध्यान नहीं है जितने भी कार्य हो रहे हैं इस तरह के वहां जुरिसप्रूडेन्स के सिद्धान्त लागू होते हैं। जो इस तरह के अपराध करते हैं, जिन्हें कैद या जुर्माने की सजा दी जा रही है·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! प्रिन्सिपल्स ऑफ बिल पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बिल के ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स पर निवेदन कर रहा था····

श्री प्रद्युम्नसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। जुरिसप्रूडेन्स में बहुत बातें हो जाती····

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठे। यह व्यवस्था देने का आसन का काम है। उनको बोलना समाप्त करने दीजियेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय····

श्री सभापति : मैं आपका इन्तजार कर रहा था। मेरे पर कृपा कीजियेगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप याद करते, मैं फौरन हाजिर हो जाता।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं। बिल के आब्जेक्ट्स का उल्लेख करना चाहता हूं कि जुरिसडिक्शन क्रिमिनल लॉ में लागू होता है। इसके सम्बन्ध में सबसे बड़ी मांग यह हुई है कि दूसरे स्थान पर भी शीघ्र न्याय हो। इसलिए यह जो कदम उठाया गया है यह बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करता है। कांग्रेस सरकार ने अच्छा कदम उठाया था। उसको जनता सरकार ने अपना लिया है। शीघ्र न्याय मिले उसमें सदन के किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं हो सकता। इसलिये इस संशोधित बिल का सर्व सम्मति से पास कर दीजियेगा।

श्री सभापति : आप बोलिये। पांच मिनट से अधिक नहीं लेंगे। तीन विधेयक पास करने है इसलिये सहयोग दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप·····

श्री सभापति : आप शुरू तो करिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप चाहेंगे तो नहीं बोलूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सदस्य के चेहरे से ऐसा लगता है कि आप नहीं बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, जो बिल सदन में पेश किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये हैं। वे किसी दल विशेष के विचार नहीं ऐसा मैं मान कर चलता हूं। इस पर जो बात माननीय सदस्य ने कही है, विवक डिस्पोजल आफ केसेज के लिये जो अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है उसको पास करने जा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिये, कई माननीय सदस्य इस पर विचार व्यक्त कर चुके है। दो तीन खास बातों की ओर मैं इस अपार्चुनिटी का लाभ उठाते हुए विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लोअर कोर्ट में यह कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह व्यवस्था कर दी लेकिन आज हाई कोर्ट में जो केसेज पेन्डिंग हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके स्पीडी डिस्पोजल के लिये क्या कार्यवाही करने जा रहे है ? सदन में हमेशा से यह परम्परा रही है कि जब कोई बिल पेश होता है तो उसकी पहली स्टेज पर ही पूरे विषय पर बात कहने का अवसर मिलता है। यह परम्परा रही है। इसलिये इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? इसके बारे में बताने की कृपा कीजियेगा। पार्लियामेन्ट के अन्दर भी यह बताया गया है कि हाई कोर्ट में केसेज बढ़ते जा रहे हैं। हाई कोर्ट में जजेज की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है। राजस्थान में दूर दूर तक सब-डिविजन हैं, तहसील हैड क्वार्टर हैं वहां पर जजेज के रहने की व्यवस्था नहीं है। सरकार का इस विषय में क्या प्रोग्राम है ? पुरानी घिसी पिटी बात न कह कर यह बतायें कि इस विषय में क्या सोच रहे हैं ? यह बताने की कृपा कीजियेगा। रहने की व्यवस्था के अलावा अच्छी बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग खस्ता हालत में है, फर्नीचर नहीं है स्टेशनरी आदि की कमी है।

श्री सभापति : क्या यह प्रिन्सिपल्स आफ बिल पर चर्चा हो रही है ? माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिन्सिपल्स तक ही अपना भाषण सीमित रखें ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जल्दी न्याय देने की बात करते हैं। जब तक ये सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी तब तक वे जल्दी न्याय नहीं दे सकेंगे। उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं।

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : माननीय सदस्य, यह तो गवर्नर साहब के भाषण पर भी बोल चुके हैं। यह अमेन्डमेन्ट बिल से सम्बन्धित ही नहीं है।

श्री सभापति : कृपया…

श्री प्रद्युम्नसिंह : व्यवस्था दीजियेगा। क्या बिल के कन्सीडरेशन की स्टेज पर इन बातों पर नहीं बोल सकता जो सदन की परम्परा रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्य । आप बोलें, बिल के सिद्धान्तों पर ही बोलें । कहां विल्डिंग है और कहां नहीं, उस पर नहीं बोलें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : केवल सिद्धान्तों के अलावा और किसी विषय पर नहीं बोल सकते, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(विराम)

आपकी व्यवस्था हो तो बोलूं ?

(विराम)

आप यह व्यवस्था दे दें इस स्टेज पर नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं ।

श्री मंजूरअली (सवाई माधोपुर) : जनाबे सदर, यह अमेन्डमेन्ट बिल पेश किया गया है इस गरज से पेश किया गया है कि जो डिले हो रही थी केसेज के निपटारे में उसको रोका जाना है । दो मुद्दे सामने आते हैं, एक तो यह है कि गैर जरूरी देरी न हो । जल्दी फैसले हों । दूसरा यह है कि अब तक देरी होती आयी है वह भी रुके । मै अर्ज करूं कि पुराना उसूल है जैसा कि आपने फर्माया, आम फहम बात यह है कि मुजरिम पर जुर्म साबित होता है, जब जुर्म उसने किया है तो दो साल तक कोर्ट से क्यों सजा पाने से बचे ?जब कि वह मुजरिम पाया जाता है तो दो साल तक फैसला क्यों न हो ? जो सजा दो साल बाद मिलनी चाहिये थी वह दो महीने में ही क्यों न मिल जावे ? वह सजा पाने से बच नहीं सके । यह इन्साफ की लाइन पर है । इसमें किसी प्रकार की तरमीम की जरूरत नहीं है और इस अमेन्डमेन्ट को यहीं पास होना चाहिये ।

श्री बंसीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । सबसे बड़ी प्रिन्सिपल की बात है वह केवल परम्परा और प्रतिबंधता के आधार पर कही गई है । और यही कही गयी है कि ब्रिटिश परम्परा है या आंग्ल परम्परा है, जुरिसप्रूडेन्स है उसके आधार पर उस जज के द्वारा निर्णय होना चाहिए जो डी–ज्रूरे हैं जिन्होंने शहादत ली है या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जिन्होंने किया है गवाह का । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून निर्जीव नहीं होना चाहिए । यदि यही कानून आज से कुछ महीने पहले आता तो माननीय सदस्य जो विरोधी पक्ष में बैठे है वह इसकी भूरि भूरि प्रशंसा करते । मगर यह कुछ महीनों बाद में आया है और उसके पूर्व आपातकालीन स्थिति में यह आर्डिनेन्स के रूप में था । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ही कोई कानून रहना चाहिए । उसके आधार पर यह कानून सही है या नहीं और विधि प्रणाली ठीक है या नहीं, उसी के अनुसार निर्णय किया जाना चाहिये । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में मुकदमों में विलम्ब होता है वह हमेशा इस देश की प्रगति और कानून की प्रणाली में बाधक रहा है । वह विलम्ब हर हालत में दूर होना चाहिए । इसी आधार पर पूर्व में 1973 में और उसके पूर्व में जो संशोधन हुए हैं उनके द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालतों में जो निर्णय हुए हैं वह चाहे पूर्व में हुए हैं या उसके बाद हुए हैं । जो व्यवस्था पूर्व में थी वह समाप्त कर दी गयी है लेकिन जो मुकदमे सैशन्स कोर्ट में होते हैं उसके संबंधमें किसी तरह

(श्री बंसीलाल सारस्वत)

वे समझ लें कि कोई कारण रहा हो जिससे उसमें संशोधन नहीं किया है मगर फिर भी यदि संशोधन नहीं किया है तो केवल यही विधि संगत बात है कि विलम्ब न हो। मैं कहता हूं कि कानून प्रोग्रेसिव होना चाहिए और सजीव होना चाहिए। उस आधार पर यह जो संशोधन है यह केवल उचित ही नहीं है बल्कि आवश्यक भी है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करता हूं कि इस कानून को यथा हालत में पास किया जाना चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज: सभापति महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बाद में कन्सीडरेशन की स्टेज पर बोलें तो अच्छा रहेगा क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लिया जा चुका है।

श्री चिरंजीलाल गर्ग: सभापति महोदय, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा।

श्री सम्पतराम: बोल लेने दीजिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना): सभापति महोदय, इस सदन में जो चर्चा चल रही है, मैं तो यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि सैशन्स के केसेज बड़े अहम मसले वाले होते हैं। उन मुकदमों में बड़ी बारीकी से विटनेसेस को देखा जाता है। सुनवाई के दौरान में दोनों पक्षों की तरफ से जिस ढंग से अदालतों में पैरवी की जाती हैं उसको भी जजेज बहुत अच्छी तरह से निगाह में लाते हैं, जो इन्साफ करने का तरीका है उसके अनुसार सरकार की तरफ से और मुल्जिम की तरफ से, दोनों तरफ से जो बातें पेश की जाती हैं इनको इन्साफ की निगाह से वह देखते हैं। कुछ बातें (एक्शन की) होती हैं वह आंख से ही देखी जा सकती हैं और कागजों पर नहीं उतारी जा सकतीं इसलिए यह जरूरी है कि जो सेशन जज जिस केस को हाथ में ले उसको आखरी वक्त तक अन्जाम दे। सारी बातें कागजों में नहीं लिखी जा सकतीं। मुझे इस बात का खतरा है, सभापति महोदय, एक जज के ट्रान्सफर के बाद में उस रिकार्ड को सही तरीके से रखा जा सकेगा या नहीं। किसी अहम और पेचीदा केस में अगर एक भी लाइन इधर-उधर कर दी जाये तो इन्साफ ठीक ढंग से नहीं होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए मेरी राय में जो प्रिन्सिपल की बात है वही होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ रेलवे के खर्चे से बचने के लिए इस बात को करते हैं तो जो हमारा मकसद जनता को इन्साफ देने का है उससे ही अलग हट जाते हैं। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि यह जो बिल में अमेन्डमेन्ट है इसको इन्ट्रोड्यूज नहीं किया जाये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर): सभापति महोदय, इस बिल के समर्थन में दो एक बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह बात कही कि डिस्ट्रिक्ट जज सब ध्यान रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि वह बयान लेते समय उसके नीचे डिमिनर के बारे में नोट पुटअप कर देते हैं। इस दलील को हम लें तो यह फैसला हाई कोर्ट के सामने जाता है तो उस समय भी उनके सामने न्याय करने की बात रहती है। तो यह बात और यह दलील चलने वाली नहीं है। ऐसी कौनसी बात है जिसके ऊपर वह निर्णय करता है। एवीडेन्स चाहे एक जज रिकार्ड करे या दूसरा करे उसमें कोई फर्क नहीं

(श्री चिरंजी लाल गर्ग)

पड़ता और उस पर ही हाई कोर्ट फैसला देती है। यह जरूर है कि जितनी जल्दी ट्रायल हो सके उतनी जल्दी होनी चाहिए। जज किसी समय बार एसोसियेशन और किसी सत्र न्यायाधीश के बीच में संघर्ष हो जाये। उसके कारण से किसी जज का ट्रान्सफर होता है तो ट्रान्सफर पर जज जाता है। इसलिए जब वापस अधूरे मुकदमे की ट्रायल करने वाला है तो उसके दिमाग में प्रिजुडिसेज ऐड होती हैं। इस कारण से न्याय देने में बहुत दिक्कत होती है। वह प्रिजुडिसेज उसके ब्रेन में एक्ट करती हैं इसलिए न्याय सही नहीं हो पाता है। इसलिए यह बिल जिस रूप में रखा गया है वह उचित है।

श्री सभापति : क्या गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई उत्तर दिया जायेगा ?

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दोनों तरफ से जो माननीय सदस्य इस विषय पर बोले हैं उससे साफ जाहिर है कि सदन की क्या राय है। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं लॉ कमीशन लम्बे चौड़े रेफरेन्सेज लेकर देश के कानूनों को देखते हैं। उसमें उच्च कोटि के एडवोकेट्स, जनता के लोग भी होते हैं। सबकी राय लेते हैं और हर मामले में सही न्याय मिले इस दृष्टि से सब पहलुओं को देखते हैं। उस लॉ कमीशन की यह राय थी····

श्री मूलचन्द डागा : कौन से ईयर की लॉ कमीशन की रिपोर्ट है ?

श्री सम्पतराम : वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उल्लेख है···

श्री मूलचन्द डागा : बिना कोट किये जो आप कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं।

श्री सम्पतराम : वह मैं दिखा दूंगा। सब जगह यह बात बार बार आती थी इसमें संशोधन किया जाये। मैं समझता हूं विशेष बोलने की जरूरत नहीं। मैं यही ठीक समझता हूं इसको पास किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी आंतरिक आवाज नहीं कहती।

श्री सभापति : प्रिन्सिपल्स आफ दी बिल पर डिस्कशन से पहले ही मैंने सदन की राय जान ली थी। इसको विचारार्थ मान लिया जाये।

श्री मथुरादास माथुर : आप दुबारा ले लीजिये।

श्री सभापति : धन्यवाद।

तो प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

विधेयक पर खण्डशः विचार

अब खण्डशः विचार होगा।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा। खण्ड 2

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 व 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 व 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 व 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

श्री मूलचन्द डागा : प्रिएम्बिल और लांग टाइटल के लिये पूछ लीजिये, साहब।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक का अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री सम्पतराम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : मैं फिर प्रार्थना करता हूं साहब, आप इसको पारित न करें··

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ, भाई।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे हक है, भाई।

श्री सभापति : Please; Let us be very concrete and substantive.

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो रूल कोट किया है। पालियामेंट की जनरल सलेक्ट कमेटी में इस बात पर बड़ी भारी चर्चा हुई। मैंने पूछा था कि 1976 में अमेंडमेंट किया है उसके बाद कौन से राज्यों में इस एक्ट के अन्दर संशोधन हुआ? एक बात यह पूछी थी··

श्री सम्पतराम : इसी राज्य ने आर्डिनेंस किया था।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उस आर्डिनेन्स को नहीं मानता। यह सवाल सिद्धान्तों का है। गवाह के डिमिनर को नोट किया जाना चाहिये। बड़े बड़े व्यक्तियों ने, आपने खुद ने माना है कि अपराधी मर्डर केस में तब तक प्रासीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि गवाह जज के सामने एपीयर नहीं होता। कागजों पर फ़ैसला दे दिया गया उसमें उसकी भावना, बोलने का तरीका, यह सारी बातें कांउट करती हैं। मेहरबानी करके सैशन कोर्ट में ऐसा करने का मौका मत दीजिये। मैंने कमेटी का डिसीज़न बताया है। मर्डर और हीनियस आफेन्स के मामले में लिखे हुए बयानों पर आप फ़ैसला मत कराइये, यही आपसे फिर प्रार्थना करता हूं।

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति महोदय, कोई नई बात नहीं कही है। पिछली बातों की पुनरावृत्ति की गई है। इसलिए इसको विशेष वजन नहीं देना चाहिये। मेरा निवेदन है, इस बिल को पास कराया जाये।

श्री मंजूर अली : आपने यह फर्माया कि सारे वेस की···

श्री सम्पतराम : सभापति जी, गवर्नमेंट के रिप्लाई होने के बाद किसी सदस्य को अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : हम लोग काफी लिबरल रहे हैं।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए प्रचलित किया जाये। मैं, इस पर आपकी आज्ञा हो तो बोल लूं।

श्री सभापति : अवश्य।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में और हिन्दुस्तान के इतिहास में मैंने ऐसा काला कानून नहीं देखा। मैं आज कहना चाहता हूं ऐसा काला कानून कभी नहीं आयेगा, न मेरे ख्याल से आप इसको समर्थन देंगे। श्रीमान, संविधान 1950 में पारित हुआ। संविधान की सबने शपथ ली है। यहां जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने, जो संविधान के प्रति वफादारी के हामी हैं, शपथ ली कि संविधान के प्रति हम वफादार रहेंगे।

श्री सभापति : मैं क्षमा चाहता हुआ यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिन्सिपल्स पर बहस हो जाय तो अच्छा हो।

श्री मूलचन्द डागा : नियमों को देखिये, हुजूर। इस नियम में साफ लिखा हुआ है। नियम 66 यह है कि ;

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member in charge may make one of the following motions in regard to his bill, namely :—

(a) that it be taken into consideration, or

(b) that it be referred to a Select Committee of the House, or

(श्री मूलचन्द डागा)

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon"

मैंने, श्रीमन्, आपकी सेवा में यह नियम के अन्तर्गत जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है। मैं समझता हूं राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिये और राजस्थान की हाई कोर्ट के जजेज को मालूम होना चाहिये कि जनता पार्टी कैसा काला कानून इस सदन में पेश कर रही है . . .

श्री दाऊलाल जोशी (दीगोद) : काला कानून नहीं है। जिस प्रकार की अनियमिततायें और लूट खसोट नगरपालिकाओं में हो रही है, उसको तुरन्त भंग करके चुनाव कराये जायें। यह नहीं सोचना चाहिये कि हमारी ही यह बपौती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार सांगोद नगरपालिका में 9 मेम्बरों ने मिल कर सारी म्युनिसिपैलिटी की जमीनों पर कब्जा करके दुकानें बनाने का कार्य कर रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, इस कानून को जल्दी से जल्दी पारित करवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से राजस्थान की सरकार सक्षम है जो इस प्रकार की लूट खसोट का काम करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए और उसके लिये प्रावधान भी हैं म्युनिसिपल एक्ट में। आपकी सरकार तो आपकी भीड़ के कारण चिन्तन ही नहीं कर सकती है।

श्री दाऊलाल जोशी : वह तो आपकी सरकार ही करती थी।

श्री मूलचन्द डागा : 295 के नियम के अन्तर्गत, सभापति महोदय, मैं अपने विचार पेश कर रहा था। 1955 में राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज एक्ट बना। उस म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत चुनाव घोषित किया और सरकार ने चुनाव कराये। चुनाव के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति थी कि 352 अनुच्छेद के नीचे, संविधान के आर्टिकल को मैंने कोट किया है, आपात स्थिति थी। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, पार्लियामेंट के चुनाव, सारी पार्लियामेंट के चुनाव हुये हैं जब कि संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत आपात स्थिति थी, उसके बावजूद आपने यह रीजन दिया है। आपके रीजन्स को मैं पढ़कर सुनाता हूं, उस रीजन पर आप गौर फर्मायें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस नियम 66 के अन्तर्गत तो मेम्बर इन्चार्ज हैं वे सक्षम हैं, सलेक्ट कमेटी को भेजा जाय या नहीं भेजा जाय और पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेजा जाय या नहीं भेजा जाय, यह उनको ही अधिकार है। भाषा इस प्रकार से है :

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill......"

(श्री सभापति)

"Member-in-charge" means the Minister on the Treasury Benches."

इसलिये आपको अधिकार नहीं है। आपको तो जब संशोधन का समय आता है तब जाकर अधिकार होगा। पहले म्युनिसिपल एक्ट को विचारार्थ लेने के प्रस्ताव पर डिसीजन हो जाय। अभी यह 66 लागू नहीं होता है I need the help from the Minister.

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था नियमों के अनुकूल है। अभी जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह रूल 67 के (2) के नीचे बोल रहे हैं। प्रिन्सिपल्स आफ बिल पर किसी व्यक्ति को बोलना है तो जो मोशन आया है, उसके बाद बोल सकते हैं। जो पब्लिक ओपीनियन का प्रश्न है, उस पर बोल सकते हैं। आपने प्रिन्सिपल्स आफ बिल पर बोलने के लिये माननीय सदस्य को कहा तो कोई खड़ा नहीं हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने अपने मोशन मूव किये हैं वे बोलेंगे। इसलिये वे नियम 67 (2) (a) के अन्तर्गत बोलेंगे।

श्री सभापति : आपने क्या बताया, 67 के (2) (a) ?

श्री मूलचन्द डागा : 67 को पढ़ूं, श्रीमन्, आपकी सेवा में। अंग्रेजी में पढ़ने की इजाजत है ?

श्री दाऊ लाल जोशी : भगवान के नाम पर आपको हिन्दी में बोलना चाहिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : हिन्दी में बोलिये।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलने की कसम खा रखी है ?

श्री मूलचन्द डागा : 67 (2) (a) है:

"(2) At this stage, no amendments to the Bill may be moved, but—

(a) if the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment.....

यह मोशन हो चुका है। इस स्टेज पर अगर कोई सदस्य अमेन्डमेंट मूव करते हैं..

"that the Bill be referred to a Select Committee of the House or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion;"

इस मोशन पर मैं बोलने के लिये इजाजत देने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सभापति : बोलिये !

श्री मूलचन्द डागा : कृपा है।

तो, श्रीमन्, 1959 का राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट है, इसकी धारायें बड़ी स्पष्ट हैं। इस सदन के द्वारा जो म्युनिसिपल एक्ट बना है, उस म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत जो धारायें हैं उन धाराओं के अन्तर्गत अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुये हैं तो इलेक्शन पिटीशन करके उसको चेलेन्ज किया जा सकता है और उसके अन्तर्गत सारी बातें लिखने का हक था। अगर म्युनिसिपे

(श्री मूलचन्द डागा)

लिटीज के चुनाव, आप जैसा बताते हैं, गलत तरीके से हुए हैं तब भी, श्रीमन, उन धाराओं के अन्तर्गत, धारा 36 के अन्तर्गत इलेक्शन पिटीशन की जा सकती थी। म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत चुनाव हुए उसके बाद चाहे जनता पार्टी का चेयरमैन बने और काम करते हों उनको एक साल के बाद उस कानून में संशोधन करके आप एक कलम से पलटना चाहते हैं और लोकतन्त्र की जो इकाई हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। यह लोकतन्त्र की हत्या है...

श्री दाऊलाल जोशी : यह तो आपने ही की है।

श्री मूलचन्द डागा : जो लोकतन्त्र की इकाई है, जो लोकतन्त्र की आधार शिला है...

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : 12-12 साल तक बैठे रहे, यह कसूर आपका है या हमारा। कसूरवार तो इसके आप ही हैं।

श्री माधो सिंह : यह जो आप कह रहे हैं 12 साल, गलत है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये उनको।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो कह रहा था...

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जब आप खड़े हो जाते हैं तो मुझे बैठना पड़ता है। आपको ये बार-बार कष्ट दे रहे हैं। 1955 के राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट के अन्तर्गत चुनाव हुए इसके एक साल के बाद आप सीधे रास्ते से नहीं लाकर बैंक डोर एण्ट्री कराना चाहते हैं। इन संस्थाओं के सम्बन्ध में आज ही मेरे पास एक तार आया है, मेरी जेब में है...

श्री माधोसिंह (रेवदर) : और भी तार आए हैं, यह रहा।

श्री मूलचन्द डागा : और भी कई तार आए हैं।

श्री दाऊलाल जोशी : यह चुनाव ढकोसला था।

श्री मूलचन्द डागा : तार में यह कहा है कि सब जगह म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत चुनाव हुए हैं इसलिए उनको भंग नहीं किया जावे। जो एक साल तक काम कर चुके हैं उनको हटाकर प्रशासक के हाथ में म्युनिसिपेलिटीज को सौंपना चाहते हैं। एक तरफ आप प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जनता का राज चाहते हैं दूसरी तरफ चुनी हुई म्युनिसिपेलिटीज, जो एक साल से काम कर रही हैं, को हटा कर प्रशासकों के हाथों में जनता के भाग्य को सौंपना चाहते हैं। लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए और बातें करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अगर सेक्शन 295 को आप देखें तो इस सैक्शन 295 के अन्तर्गत म्युनिसिपेलिटियों को डिजोल्व करिये। 295 सैक्शन बिल्कुल साफ है। जो नगरपालिका भ्रष्ट काम करती हो, जनता में असंतोष हो, जनता उससे बहुत नाराज हो गई हो उनके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं 295 के नीचे। मैं

(श्री मूलचन्द डागा)

आपका उस सेक्शन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, देखिये, सेक्शन 295 क्या कहता है। लेकिन आपने वह रास्ता नहीं चुना, राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट को ताक पर रख कर आपने यह सोचा कि हम जनतंत्र की दुहाई देने वाले इस प्रकार का कानून लायें जो संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 13(2) की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने, सभापतिजी, यह लिख कर दिया है कि गवर्नमेंट एडवोकेट को बुलाया जावे और असेम्बली में सुना जावे। मैंने एक प्रार्थना-पत्र दिया है। चतुर्वेदीजी प्रोफेसर हैं, एडवोकेट नहीं हैं, कहीं आप गलती से नहीं मान लें कि मैं बुला लूंगा, क्योंकि आप बड़े सज्जन मालूम होते हैं चेहरे से। माणकचन्द जी भी बहुत सज्जन हैं। मैं संविधान के आर्टिकल 13 (2) को पढ़ता हूं।

"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this para; and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void."

ऐसा कानून न बना दें कि हाई कोर्ट के दरवाजे में और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही जिनको अधिकार मिल चुका है, जो मेम्बर बन चुके हैं, जिन मेम्बरों ने शपथ खाई है, जो संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं, जिन पर हमें विश्वास है, वही लोग आ करके यह न कह दें, कि आपने उनको खत्म कर दिया। 295 का उपयोग करके उनको चार्ज शीट नहीं दी। हमारा ट्रायल नहीं हुआ। बड़ा अच्छा किया? एक तो मुख्य मंत्री बड़ी घोषणा करते हैं। जोर शोर के साथ घोषणा कर देते हैं। यह एक और आपने कर दी। हम कहते हैं कि नोटिस क्यों नहीं देते हैं? 295 कहता है कि नोटिसेज दो। वह कार्यवाही नहीं करते लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने वाला इस प्रकार का कानून यहां ले आए, फिर कहते हैं कि कानून के अनुसार कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके सचिवालय की लाइब्रेरी में न किताबें हैं, न इन्तजाम है। यह सचिवालय, सेक्रेटेरियट ही नहीं, बहुत गरीब सेक्रेटेरियट है। मैं आपके सामने बसु की कमेंट्री पढ़ रहा हूं, कांस्टीट्यूशन की। इसके अन्दर दिया हुआ है कि लॉ कैसा होना चाहिए। यह पेज 113 है...

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव है कि जनमत जानने को प्रसारित किया जाय उसी सम्बन्ध में अपने को लिमिट कर सकें तो सहयोग होगा।

Please continue

श्री मूलचन्द डागा : आपकी मेहरबानी है। आपके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं।

जनता के द्वारा जो चालीस म्युनिसिपेलिटिज चुनी हुई हैं अगर उनके सम्बन्ध में रिकार्ड बता दें, अखबारों में खबर बता दें, जनता का आन्दोलन बता दें तो मैं मान सकता था कि इस अमेण्डमेण्ट को लाना वाजिब था। न जनता का आन्दोलन है, न जनता में आक्रोश है, न और कोई बात है तो क्या आप यह आक्रोश पैदा करने के लिए करना चाहते हैं। जनमत जानने के लिए मैं इसलिए कहता हूं...

श्री रतनलाल वर्मा : इमर्जेन्सी में चुनाव कराये जब कि लोगों को बन्द कर रखा था ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें ।

श्री मूलचन्द डागा : चालीस म्युनिसिपेलिटीज जो इलेक्टेड हैं, जो चुनिन्दा म्युनिसिपेलिटीज हैं उनके लिए क्या कभी ललित किशोर जी चतुर्वेदी के निवास स्थान पर किसी ने आन्दोलन किया, कभी आपके सामने आकर पैरवी की ? आपात-काल का खतरा था, तो तस्करों को खतरा था, जमाखोरों को खतरा था, हिंसा फैलाने वालों को, असंतोष फैलाने वालों को खतरा था ।····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! अब आप भी अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

माननीय श्री शंकरलाल जी ।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये । आपने जो मुझे बात कही तो मैं कहता हूं कि जनमत जानने का यह भी एक तरीका है, इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव के द्वारा यह राय दी है और मैं चाहता हूं कि जो म्युनिसिपेलिटीज बनी हुई हैं आप उनके बारे में जनता की राय ले लें यदि आप जनमत जानना चाहते हैं । इसलिए मैंने प्रार्थना की कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए सक्यूंलेट किया जाय ताकि राजस्थान की दो करोड़ जनता इस बात को जाने कि इस प्रकार का कानून है, जो संविधान की धाराओं के बिल्कुल खिलाफ है । मेरा सुझाव है कि इस कानून को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जावे और म्युनिसिपेलिटीज को भंग न किया जाय ।····

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : जनमत के प्रतिनिधि तो हम लोग बैठे हुए हैं । हम लोग राय दे रहे हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, आप बैठें ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं और हमें बैठना पड़ता है ।

श्री सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करें । अब समापन करें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं समापन ही कर रहा हूं आप आज्ञा देते हैं तो । मैं आपसे यह कहना चाहता था ··

श्री सभापति : आपने काफी कह दिया है । आप सहयोग दीजिए ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं, श्रीमान्, यह पढ़ देता हूं कि कानून कैसा बनना चाहिए ।

श्री सभापति : कानून तो बन गया है, जनता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय ···

श्री सभापति : माननीय शंकरलाल जी। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं पार्लियामेन्ट तक पहुंचे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए वापस आ गए।

श्री सभापति : माननीय शंकरलाल जी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, जो कारण इस बिल को पेश करने के लिये माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बताये हैं मैं उनकी ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने सबसे प्रथम यह बात कही है कि इमर्जेन्सी के अन्दर जो चुनाव हुए वह फेयर नहीं हुए। सभापति महोदय, अगर इस बात को स्वीकार किया जाता है कि इमर्जेन्सी में जो भी चुनाव हुए, ठीक नहीं हुए तो लोक सभा के जो चुनाव हुए वह भी इमर्जेन्सी के अन्दर हुए। लोक सभा के जो चुनाव होने के बाद इमर्जेन्सी खत्म हुए थी। तो माननीय प्रभारी मंत्री जी और जनता पार्टी की राजस्थान सरकार क्या यह कहना चाहती है कि इमर्जेन्सी के अन्दर जो भी चुनाव हुए, लोक सभा के जो चुनाव हुए इमर्जेन्सी में, वह इसलिए ठीक नहीं हैं क्योंकि वह इमर्जेन्सी में हुए थे? क्या अपनी केन्द्रीय सरकार के ऊपर और लोक सभा के जो चुनाव हुए उसके ऊपर सिद्धान्त लागू नहीं होता?

सभापति महोदय, प्रभारी मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि इमर्जेन्सी के दरमियान ऐसा एटमोसफियर था कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए। आगे जाकर यह कहते हैं कि बहुत से आदमी हिस्सा नहीं ले सके। हम जानते हैं, आपकी इच्छा है कि चालीस म्युनिसिपेलिटीज में चुनाव हुए उसके अन्दर आपकी जनता पार्टी के या आपके चहेते सदस्य चुनकर नहीं आए उनको आप अब भरना चाहते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इस बात को कहते हैं कि केवल इमर्जेन्सी के कारण चूंकि हम जेलों में थे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि कई लोग जेलों में थे इसलिये चुनाव में भाग नहीं ले सके, तो यह भी कोई कारण नहीं है। अगर जेल में रहने के कारण चुनाव में भाग नहीं लेने की बात करते हैं तो क्या उस समय यह प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि जेलों में रहने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता? यह बात सही मालूम नहीं होती है क्योंकि जेलों में रहने पर भी चुनाव लड़ने का कोई प्रतिबन्ध नहीं था बल्कि हमारे देश की जनता की परम्परा रही है कि उल्टे अधिकार बढ़ाते हैं। क्या लोक सभा के चुनाव इमर्जेन्सी में नहीं हुए? जेलों में आप भी बैठे हुए थे। जार्ज फर्नान्डीज जेल में थे। जेल में होते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 4 लाख से अधिक मतों से वे जीते। इसलिए आप चाहते तो जेल में बैठ कर चुनाव लड़ सकते थे। चुनाव जेल में होते हुए भी लड़ सकते थे। इसलिए यह बात उचित नहीं है कि जेलों के अन्दर थे इसलिए चुनाव ठीक नहीं हुए। जो चुनाव लोक सभा के हुए हैं वे भी इमर्जेन्सी में हुए थे। आपके हिसाब से तो

(श्री शंकरलाल)

फिर लोकसभा के चुनाव भी उचित नहीं हुए हैं।

आप यह भी कह सकते हैं कि आप डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन लाना चाहते हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं कि डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन बने तो मेरा निवेदन है कि इस बिल को एक महीने के लिए जनमत जानने के हेतु परिचालित कीजिये ताकि आपको मालूम हो सके कि ये जो छोटी छोटी 40 नगरपालिकाएं हैं, वहां की जनता क्या चाहती है? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां की जनता की राय लीजिये। यह डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं। आज आप यह ट्रेडीशन डालना चाहते हैं कि इन 40 नगरपालिकाओं के जो चुनाव हुए हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाये। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह एक गलत उदाहरण होगा लोकतन्त्र के अन्दर, जिनके कि अभी चुनाव हुए हैं, वहां की जनता को सुने बिना उनको समाप्त कर दिया जाये। अगर आप लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं, तो इस विधेयक को जनमानस, जनता की राय जानने के लिए परिचालित कीजिये। अगर उनकी राय यह आ जाती है कि चुनाव कराये जायें तो आप यह कानून ला सकते हैं। अभी इस प्रकार का कानून लाना उचित नहीं है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है, इस कानून को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यह बात अलग है परन्तु इस सदन के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भी यह शोभनीय नहीं होगा कि इस प्रकार का कानून हम यहां पर बैठ कर पास करें, जो चुनी हुई नगरपालिकाएं हैं, जिनके अभी चुनाव हुए हैं, उनको समाप्त कर दें। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : सभापति जी, यह नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में मेरा प्रस्ताव यह है कि "नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये" तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति जी, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और सरकारी पक्ष की ओर से राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि लोकतन्त्र की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इन म्युनिसिपेलिटीज़ को भंग कर के, यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा कर, सरकार कौनसे लोकतन्त्र को कायम कर रही है? जैसा कहा गया है, इमर्जेन्सी में ये चुनाव हुए हैं, इसलिए ठीक नहीं हुए। उस समय एटमासफीयर ठीक नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने विधिवत् कराये थे। बाकायदा सारी फार्मेलिटीज पूरी की गयी थीं। किसी नियम और रूल की अवहेलना नहीं हुई है। इसकी अगर अवहेलना हुई है तो उसकी पिटीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसे रीजन्स नहीं दिये जायें। अगर ऐसे रीजन्स उपलब्ध हैं तो बताया जायें कि इलेक्शन कहां अनफेयर हुए हैं। जितनी म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव हुए हैं, वे अनफेयर हुए हैं, यह नहीं माना जा सकता। कुछ की तो टर्म गुजर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गयी है और बाकी के चुनाव अभी हुए हैं। इन 40 म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर कितने ऐसे सदस्य चुन कर आये हैं, जो बिलकुल अयोग्य हैं, या कानून के खिलाफ चुन कर आये हैं? उनकी संख्या भी सरकार को बताना लाजमी है। 40 म्युनिसिपेलिटी क्षेत्र की बहुतसी जनता है, आर्गेनाइजेशन्स हैं, पोलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी मांग आई हो कि इनके इलेक्शन करवाये जाये क्योंकि प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसी रिपोर्ट भी नहीं है। इस लोक प्रशासन को, लोकतन्त्र को, मेरे ख्याल में एकदम इस कानून के जरिए सारी म्युनिसिपेलिटीज को भंग करके एक अच्छी परम्परा आप नहीं बना रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में इलेक्शन हुए हों, वह म्युनिसिपेलिटीज एक्ट के तहत हुए हैं और उसी प्रोसीजर के तहत आप भी इलेक्शन कराएंगे . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी दो मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो, सभापति जी, यह विधेयक म्युनिसिपेलिटीज को खत्म करने के लिए लाया गया है, और आप इनको भंग कर रहे हैं जब कि विधान सभा को भंग करते हैं तो राज्यपाल महोदय से रिपोर्ट मांगी जाती है। इसका एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को बिना पूरा किये म्युनिसिपेलिटीज जैसे छोटे मामलों के सम्बन्ध में यह विधान सभा में कानून पेश किया गया है, यह एक अच्छी परम्परा नहीं है।

यह भी कहा गया है कि पंचायत समितियों की म्युनिसिपेलिटीज बनाई गई हैं और पंचायत के मेम्बर सदस्य का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे उदाहरण बहुत ही कम हैं। हमारे जिले में सांचोर, आहोर म्युनिसिपेलिटीज बनी है। परन्तु वहां पर भी एडवाइजरी बोर्ड बना हुआ है। आप बतावें कि पंचायतों के मेम्बर कहां पर काम कर रहे हैं? इस बात का जो रीजन दिया गया है, मैं समझता हूं कि इसकी सूचना मंत्री महोदय ने प्राप्त की होगी, इसकी रिपोर्ट मंगायी होगी कि कितनी पंचायतों के सदस्य, नगरपालिका के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही कम होंगे। आप बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे मेम्बर हैं जिनकी पंचायतें नगरपालिकाओं में परिणित हुई हैं। इन मुद्दों को देखते हुए लोकतन्त्र की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्र नहीं किये जायें और जो बोर्ड हैं उनको चलने दिया जाये। उनकी अवधि खत्म होने पर उनके चुनाव करवाये जायें। वहां पर कोई अनियमित कार्यवाही नहीं हो रही है। वैसे ही भंग करना है तो राज्य सरकार के पास अधिकार है परन्तु यह कानून लागू करना अच्छी परम्परा नहीं है। इसलिए यह दरख्वास्त है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। लोकतन्त्र में, जैसा आप कह रहे हैं, जनता इस पक्ष में हो तो इसको करा दीजियेगा।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राज-

(श्री अजीतसिंह)

स्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। आज यहां पर कांग्रेस के सदस्य जोर शोर से लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं। आपकी मार्फत मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव हो रहे थे, उस समय मैंने विरोधी पक्ष की ओर से एक मेमोरेन्डम दिया था तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय को और म्युनिसिपेलिटीज जिनके पास थी गुलाबसिंह जी शक्तावत को कि आप यह चुनाव अनियमित करवा रहे हैं। जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको आपने गिरफ्तार करवा लिया है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, कि जितने अत्याचार नगरपालिका चुनावों के दौरान हुए हैं, वे ज्यादातर पाली जिले में हुए हैं। वहां पर जिन जिन लोगों ने फार्म भरे उन सब को थाने में बुला कर बेहद मारपीट की गयी। उन पर भयंकर अत्याचार किये गये। इन कांग्रेसी सदस्यों को शर्म आनी चाहिये। आज वे प्रजातन्त्र की यहां पर दुहाई देते हैं। उस वक्त कहां गये थे? मैंने 50 बार मंत्रियों के दरवाजे खटखटाये परन्तु मुझ को इजाजत नहीं दी गई। फार्म भरने की इजाजत नहीं दी गई। चुनाव लड़ने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायीं जिससे हम खड़े होकर जनता को अपनी बात कह सकते। इमर्जेन्सी में चुनाव करवाये गये। मजबूर होकर विरोधी पक्ष को यह प्रस्ताव पास करना पड़ा कि हम इन चुनावों का बहिष्कार करते हैं तब जाकर के कुछ सदस्यों को मुक्ति मिली। हाहाकार हुआ। सब लोगों को जेलों के अंदर कर दिया था। आप गिरफ्तारी के रिकार्ड देखिये तो यह स्वयं सिद्ध हो जायेगा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज इस बात को कह कर जले पर नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं। मुझे अफसोस है। अब जनता सरकार यह करना चाहती है, हम चाहते हैं कि सही प्रजातन्त्र की स्थापना हो। अपनी मर्जी के लोगों को जनता भेज सके। इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका जनमत जानने का प्रस्ताव था।

श्री अजीतसिंह : सभापति महोदय, ये प्रजातन्त्र की बात करते हैं, इसलिए मैं बोलने लगा था। हम इस एक्ट में जो अमेण्डमेण्ट कराना चाहते थे वह विचाराधीन है। प्रशासक के बजाय एक कमेटी नियुक्त करली जाय तो अच्छा होगा।

श्री मूलचन्द डागा : हमें मंजूर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात सुनने की कृपा करें।

श्री अजीतसिंह : इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें जो जनता की ढंग से सेवा कर सकें। आप जो कह रहे हैं वह उपयुक्त नहीं है।

श्री सभापति : माननीय उगमराज जी मेहता।

(अनुपस्थित)

माननीय मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन)

Page No 98

(98)

(श्री मूलचन्द सामरिया)
विधेयक, 1977, को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन नगरपालिकाओं के चुनाव उस समय कराये गये थे जब कि काली निशा छायी हुई थी, उस समय चुनाव कराये गये थे। मैं उनसे निवेदन करूं कि गवर्नर साहब की स्पीच · · · ·

(विद्युत्–व्यवधान)

(विराम)

गवर्नर साहब की स्पीच में यह कहा गया था। 40 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए हैं और कई पंचायतों को नगर पालिका में तब्दील किया गया है, उनको देखें कि वे कौन कौन सी हैं तो सही स्थिति का पता चलेगा। आपने कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उस समय कहां छुपे हुये थे। मैं निवेदन करूंगा कि जो चुनाव लड़ना चाहते थे वह डर गये थे।

श्री मूलचन्द डागा : क्या पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज है ?

श्री दाऊलाल जोशी : बिलकुल सत्य है।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया : सभापति महोदय, मजबूर करते हैं तो मैं कहूंगा कि साधारण नागरिक तो क्या प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने रामनिवास बाग में कहा था, माननीय संजय जी हम तो आपका बिगुल बजायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सौभाग्य या दुर्भाग्य से मुझे न्यायालय में पेश होना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृपया रिलेवेंसी रखें।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब मैं बोलूंगा तो सही नतीजे पर पहुंच जाऊंगा।

बिगुल बजाने की बात पर संजय गांधी ने कहा था कि हम को बिगुल बजाने वाले नहीं चाहिए। इस प्रकार से एक चीफ मिनिस्टर के लिए कहा जाए तो क्या वह माहौल चुनाव के अनुकूल था ? क्या उस समय निष्पक्ष चुनाव हो सकते थे ? उस समय जब चुनाव हुआ तो विरोधी दलों के सारे लोगों ने प्रस्ताव पास करके चुनाव का बायकाट किया। मेरे पूर्व वक्ता इस सम्बन्ध में बोले हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इस प्रकार की डिबेट की इजाजत नहीं दे सकता आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं कतई पक्ष में बोल रहा हूं। उस समय शासन से ऐसी व्यवस्था नहीं हुई थी कि कोई इमर्जेन्सी के बारे में नहीं बोलें।

एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने के बारे में जो बात है उसके लिए कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर चुनाव के समय तक रहें तो यह हार्ड एण्ड फास्ट रूल हो जाएगा।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

एडमिनिस्ट्रेटर रखना जनतन्त्र की परम्पराओं के खिलाफ होगा इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति के बजाय सलाहकार समितियों का गठन किया जाये। ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उनके बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने फर्मा दिया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : धन्यवाद।

श्री सभापति : आप ग्राम पंचायतों की बात कर रहे थे।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझ से पूर्व वक्ता ने इमर्जेन्सी की बात कही थी उस समय तो घण्टी नहीं बजाई थी। आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, कई पंचायतों के बारे में उस समय जो कार्यवाही की गई थी उसके बारे में कह रहे थे।

एक माननीय सदस्य : वाह! वाह!

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। यह प्रस्ताव मैंने रखा है। मैं भुक्त भोगी हूं। जब मैं जेल में था तो मांडलगढ़ नगरपालिका बनाई गई।

श्री मूलचन्द डागा : कितने दिन जेल में रहे?

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय डागा जी सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। केवल एक आदमी को अध्यक्ष बनाने के लिए मांडलगढ़ पंचायत को भंग किया गया। 17 गांव मिलाकर एक नगरपालिका बनवाई। बोर्ड को नोमीनेट किया, बीच में नगरपालिका का बोर्ड भंग किया गया। पंचायतों को भंग करके नगरपालिका बनाई गई, अब कहते हैं उन पंचायतों को वापस बनाया जाय। जो इन्होंने किया है, वास्तव में उसी जगह किया, उसी जगह चुनाव कराये जहां पर कि इनके लिए स्थिति अनुकूल थी, जहां पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी वहां पर इन्होंने चुनाव नहीं कराये। इसलिए आपने जो पहले के बोर्ड भंग किये इसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन मैंने यह निवेदन किया है कि इसे एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री सभापति : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा है कि इस बिल को रखने का कारण....

(4.10 म. प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री, सभापति, पीठासीन)

जो बताया गया है, उसमें यह बात बताई गई है कि चुनाव समय पर नहीं हो सके क्योंकि उस समय वातावरण कन्ड्यूसिव नहीं था। उस समय इमर्जेन्सी थी। इसके अलावा प्रभारी मंत्रीजी ने दूसरा कारण यह

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया है कि बहुत से लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। लोग आतंकित थे, एक पैनिक उनमें क्रिएट किया हुआ था, इसलिए उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। माननीय सभापतिजी, यह दलील तो एक बहुत ही लचर दलील है क्योंकि नगरपालिका चुनावों में 71 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया है। जब इतने लोगों ने चुनाव में भाग लिया तो यह फ्राइटन्ड स्टेट आफ माइण्ड की बात कहना एक काल्पनिक बात है। यह सही नहीं है कि मतदाताओं ने अपने फ्रन्चाईज का इस्तेमाल नहीं किया। अभी विधान सभा और लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी कहीं पर भी किसी राज्य में 71 प्रतिशत मतदान का एवरेज नहीं आता है। इसलिए इस विधेयक को लाने के लिए यह कारण देना, मैं समझता हूं कि सत्य से परे और तथ्यों से दूर है।

एक माननीय सदस्य : वोट कहां पड़े हैं?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा कारण यह दिया है कि चुनाव में लोग खड़े होने का साहस ही नहीं कर सके। वह इसलिए साहस नहीं कर सके कि वे बड़े भयभीत थे और उनका माइन्ड बहुत फ्राइटन्ड स्टेट की स्थिति में था। मतलब यह कि उनका मस्तिष्क बड़ा भयभीत था, आतंकित था और बड़ी भयभीत दशा थी उनकी। लेकिन यह कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि वह जेलों में थे इसलिए चुनाव नहीं लड़ सके।

श्री रतनलाल वर्मा : डरे हुए थे वे।

श्री परसराम मदेरणा : आप कृपया सुनिये। बीच में बार बार बोलने की आपकी आदत पड़ गई। आपको कुछ कहना हो तो राइट है आपको बोलने का, आप बोल सकते हैं। बोलने का एक प्रिन्सिपल है। बिल के प्रिन्सिपल पर आप भी बोल सकते हैं। लेकिन जब मैंने हाउस एन्गेज कर रखा है, फ्लोर मैंने आक्यूपाइड कर लिया है तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि...

श्री सम्पतराम माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता बहुत अनुभवी हैं फिर भी जो आदेश आपकी तरफ से होना चाहिए, वह आदेश वह स्वयं दे रहे हैं। यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने तो नियम की तरफ ध्यान दिलाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों क्या कर रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि संसदीय मामलात के मंत्रीजी मुझे संसदीय परम्परा का सबक सिखाने के लिए दो दफा पहले भी खड़े हुए और दो बार अभी भी खड़े हुए। आसन की यह व्यवस्था रही है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो और बीच में किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना हो तो आसन से अनुमति ली जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, दूसरा कारण यह बताया गया है कि लोग भयभीत थे, उनको डर था, वे फाइटफुल थे, मतदाता भयभीत थे, उनमें चुनावों में भाग लेने का साहस नहीं था। एक तरफ तो पाली से आने वाले माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य ने यह बात कही, पालियामेंट के चुनाव के टाइम पर भी इमर्जेन्सी कायम थी, लोग जेलों में थे फिर भी भारी संख्या में जीतकर आये हैं। इसलिए जेलों वाले भी खड़े होते तो कोई पाबन्दी उन पर नहीं थी। किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि वे अपना साहस नहीं बटोर सके। यह दलील ठीक नहीं है। इलेक्शन निष्पक्ष हुए। कल यहां पर, इस सदन में नेता और मुख्य मंत्री, नेता तो नहीं चुने गये हैं और जनता पार्टी ने अगर उनको चुन भी लिया तो..

श्री सम्पतराम : नहीं, वह सदन के नेता ही हैं, मैं सूचना के लिए कहता हूं।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी; विधि मन्त्रीजी कानून की जानकारी तो रखते नहीं हैं।

श्री सम्पतराम : यह प्रश्न यू. पी. विधान सभा में भी उठाया गया था और यह रूलिंग हो चुकी है, वह सदन के नेता हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह व्यवस्था अवश्य की गई होगी, किन्तु मैं समझता हूं कि यह पालियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था नहीं है। किसी बात को कह कर तालियां बजवाने से नई परम्परा नहीं डाली जा सकती। जहां तक नेता का प्रश्न है, मैं समझता हूं जनता पार्टी में कोई विवाद नहीं होगा लेकिन कोई और बात हो सकती है, उस बात को छोड़िये।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन का नेता

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, यह एक अहम् मसला है कि माननीय श्री भैरों सिंह जी मुख्य मन्त्री जरूर हैं और जनता पार्टी के नेता जरूर हैं लेकिन सदन का नेता वही व्यक्ति हो सकता है जो सदन का सदस्य हो। चूंकि मुख्य मन्त्री जी सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए सदन के नेता नहीं हो सकते। जनता पार्टी के नेता अवश्य हैं, लेकिन सदन के नेता नहीं हो सकते। जो सदस्य नहीं उसको वोट का राइट भी सदन में नहीं है। अगर आज भी कोई बात होती हैं तो उनको वोट का राइट नहीं है। इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा। वे जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनका आदर करता हूं। वे जनता पार्टी के नेता और मुख्य मन्त्री हैं, लेकिन सदन के नेता नहीं हैं। मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। न उन्होंने शपथ ली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इम्पार्टेन्ट मैटर है, इसमें..

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके जरिये सदन के सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह सदन के नेता हैं या नहीं, यह किस धारा के तहत डिस्कस किया जा रहा है ?

श्री सभापति : देखिये, माननीय सदस्य बैठिये। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मैं निवेदन करूंगा, हांलाकि यह जरूरी नहीं है, फिर भी यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस हाउस में दूसरे व्यक्ति को नेता नहीं चुना गया तो मुख्य मन्त्री जी ही नेता माने जायेंगे।

यह संविधान के बिल्कुल अनुकूल है। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं उसको ओवर रूल करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : कान्स्टीट्यूशनल प्रोविजन के बारे में आपने जो व्यवस्था दी, मैं उससे सहमत हूँ, 6 महीने के लिए मुख्य मन्त्री बन सकते हैं। नेता हैं या नहीं, वह भी आपने व्यवस्था दी। नेता हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था आपके द्वारा देना कौनसे नियम के अनुकूल है, मैं नहीं कह सकता हूँ। वह सदन के नेता हैं मुझे तो शंका थी लेकिन आपने व्यवस्था दी, मैं शुक्रगुजार हूँ।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

यहां पर दलील की गई कि पहले लोग फ्राइटफुल थे इसलिए देश में जो लोकतान्त्रिक परम्परायें हैं उनको वापस स्थापित करने के लिए चुनाव कराये जा रहे हैं। मेरा और मेरे दल का मानना है कि प्रजातान्त्रिक परम्पराओं की स्थापना नहीं हो रही है, उन पर कुठाराघात भी हो रहा है और कुठाराघात ही नहीं हो रहा, उनकी हत्या हो रही है। पार्लियामेन्ट्री सेट-अप के अन्दर, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड लोकल बोडीज हैं, जो अच्छी तरह से काम कर रही हैं, उनके सम्बन्ध में जनता की कोई शिकायत नहीं। अगर शिकायत है तो मेरा प्रस्ताव है कि जनमत लिया जाए। जनमत केवल 40 म्युनिसिपल बोर्ड्स में रहने वाली जनता का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जनता का ले लिया जाए। जनमत जानने के लिये बिल को परिचालित किया जाए तो सरकार को सही स्थिति मालूम हो जाएगी कि वास्तव में वहां की जनता क्या सोचती है।

मेरा निवेदन है कि यह जो विधेयक लाया गया है, इसके पीछे राजनैतिक विचारधारा है इसलिए यह प्रजातन्त्र की परम्पराओं को आगे ले जाने वाला नहीं है, पुनःस्थापित करने वाला नहीं लेकिन कुठाराघात करने वाला है। मैं उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है उसको आप पारित करायें। सदन में आज विधायी कार्य का पहला दिवस है, पहले दिन ही डेमोक्रेसी की हत्या करने जा रहे हैं, यह गलत परम्परा आप प्रस्तुत करेंगे। मुख्य मन्त्री जी पधार गए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि यह अहम मसला है, ऐसी इलेक्टेड इकाइयों को, जिनका दो साल से भी ज्यादा समय अभी बाकी है, भंग करने की बात करना किसी तरह से, किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके के अनुरूप नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव मैने रखा है, उसको पारित किया जाए।

श्री सभापति : श्रीमती मदनकौर।

Page No 103

(103)

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को सदन में प्रस्तुत किया गया, उसके उद्देश्यों को देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि जनता पार्टी की सरकार उन निर्वाचित नगरपालिकाओं के बोर्डों को भंग करना चाहती है जिन्हें गत वर्ष चुना गया था। मेरा निवेदन है कि जिन नगरपालिकाओं के चुनाव गत वर्ष हुए थे, वे छोटी नगरपालिकायें हैं और साधारणतः छोटे स्तर पर राजनैतिक दलों का असर कम होता है। वहां खड़े होने वाले व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत प्रभाव और लोकप्रियता राजनैतिक दल से कहीं अधिक महत्व की होती है। ऐसी हालत में जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं उनमें अगर राजनैतिक दलबंदी नहीं रखी जाए तो निश्चित रूप से ऐसी नगरपालिकायें अच्छा और निष्पक्ष काम कर सकेंगी।

दूसरी बात, यहां पर बार बार कहा गया और संशोधन के उद्देश्यों में भी यह बात आई है कि उस समय आपात्काल था जिसके कारण लोग भयभीत थे, उन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया या खड़े नहीं हुये। मतदान में भाग नहीं लिया इसके जो आंकड़े हमारे दल के नेता ने प्रस्तुत किये हैं अपने आप में सच्चाई को बताते हैं। दूसरी बात कही गई कि कुछ लोग खड़े नहीं हो सके, जो बिल्कुल गलत है। अगर किसी का नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज हुआ तो चुनाव याचिका की जा सकती थी न्यायालय के रास्ते खुले थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस समय नगरपालिकाओं के चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुए थे और लोगों ने खुलकर उसमें भाग लिया था। ऐसी हालत में यह आपका पहला लेजिस्लेटिव काम है और इसके माध्यम से अगर आप जनतंत्र की हत्या करना चाहें तो वह शोभा की बात नहीं होगी।

यह बात भी कही गई कि आपात्काल में ये छोटे चुनाव हुए, यह सही नहीं है। एक तरफ देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था लोकसभा के चुनाव हुए वे भी आपात्काल के दौरान हुए, उसके परिणाम आपके सामने आए। उनको तो आपने स्वीकार किया लेकिन दूसरी तरफ आपात्काल में जो छोटे स्तर पर चुनाव हुए उनके परिणामों को स्वीकार करने से आप मना कर रहे हैं? इससे स्पष्ट ही आपकी दल नीति नजर आती है। आप चाहते हैं कि अब जो चुनाव हों, वे जनता पार्टी के सत्ता के प्रभाव में हों। जब नगरपालिकाओं में सत्ता जनता पार्टी की आएगी तभी चुनाव को निष्पक्ष कहेंगे। सभापतिजी, नगरपालिकाओं के कार्य के संबंध में सरकार को शिकायत हो तो उसकी जानकारी सदन को देनी चाहिये। अगर नहीं है तो इस विधेयक को आप जनमत जानने के लिए परिचालित करें। शिकायतें जिन नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में आयें और भंग करने के पर्याप्त प्रमाण हों तो उन्हें भंग किया जा सकता है। सभी को भंग करें उसका आधार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय हरजीराम बुरड़क।

श्री परसराम मदेरणा : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री सभापति : I am sorry, माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री वृद्धिचंद्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1977 को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे । यह प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है ।

इसको अगर प्रवर समिति एग्जामिन करे, कानून की दृष्टि से भी अगर एग्जामिन करे तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेगी कि यह कानून, जो प्रस्तुत किया जा रहा है, गैर कानूनी है । तो इसका भी वह विश्लेषण कर सकेगी, अपनी राय व्यक्त कर सकेगी । यह जो कानून बनाया जा रहा है, यह प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । इमर्जेन्सी का जो काम हुआ भी संविधान के अनुसार हुआ । अभी तक इमर्जेन्सी का धारा 352 में प्रावधान है, इन्टरनल व एक्सटर्नल इमर्जेन्सी लागू की जा सकती है । अभी भी वह प्रावधान मौजूद है । जो भी इमर्जेन्सी के दौरान कानून बनाये गये हैं चाहे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हों चाहे प्रोविन्सेज की सरकार द्वारा बनाये गये हों वह सभी कानून लीगल हैं । सभापति महोदय, यह जो कानून है यह सन् 1959 में बनाया गया है । इस कानून के जो प्रोविजन्स है, सेक्शन 36 और सेक्शन 295 आफ दी एक्ट है वह इस बिल के पास होने के बाद में निरस्त हो जाते हैं । और जो सेक्शन 295 है वह भी निरस्त हो जाता है । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि इस प्रकार के जो लीगल फ्ला इस बिल के पास होने से रह जायेंगे, वह नहीं रहें ।

अगर यहां पर यह कहा जाता है कि इमर्जेन्सी के दौरान इलेक्शन फेयर नहीं हुए तो अपने आप सेक्शन 36 के अन्तर्गत राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है । उसके लिये कोई इलेक्शन पिटीशन भी कर सकते हैं । अगर किसी नगरपालिका में करप्ट प्रेक्टिसेज हो रही हैं, भ्रष्टाचार अधिक है तो उन करप्ट नगरपालिकाओं को गवर्नमेंट चाहे तो डिजोल्व कर सकती हैं, ऐसा प्रोविजन भी आलरेडी अभी नगरपालिका बिल में है । आप चाहें तो उनके खिलाफ में कार्यवाही कर सकते हैं । फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया ? जो बिल्कुल ही इलेक्शन गलत हुए हों, राज्य सरकार को चाहिए कि उन्हें रद्द कर दे । इसलिए मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि प्रवर समिति में इस सारे बिल को अच्छी तरह एक्जामिन करके उसके बारे में सही निर्णय लिया जा सके ।

दूसरी बात जो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चुनाव····

श्री सभापति : एक मिनट और है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह जो चुनाव हुए हैं उनमें 71 प्रतिशत जनता ने मतदान में भाग लिया । इसमें आब्जेक्ट्स आफ दी बिल में बतलाया है कि इस प्रकार का उस समय भय था, जो स्थिति थी वह बहुत ही आतंकपूर्ण थी । भय और आतंकपूर्ण परिस्थितियों में सही चुनाव नहीं हो सके । इसलिए इस बिल

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
को प्रवर समिति को सही तरीके के निर्णय लेने के लिए भेजा जाय। यह प्रवर समिति भी आपके विधान सभा सदस्यों की बनेगी और उसमें भी आपका बहुमत होगा। फिर प्रवर समिति बनाने में भय किस बात का है? आप घबड़ाते क्यों हैं? इसमें डरने की क्या बात है? आप इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर देंगे तो इसको अच्छी तरह से एग्जामिन किया जाकर सही निर्णय ले लिया जायेगा। यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। यह मैंने संशोधन प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सदन में जो बिल लाया गया है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। मैं उसका तो समर्थन करता ही हूं लेकिन इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने के लिये मैंने इसलिए संशोधन प्रस्ताव रखा है कि इस बिल में जो खामियां हैं या जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। जैसे राजस्थान में नगरपालिका एक्ट में नगरपालिकाओं की कई श्रेणियां बनी हुई हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सैकन्ड ग्रेड और तृतीय ग्रेड व फोर्थ ग्रेड म्युनिसिपेलिटी हैं। ये श्रेणियां राज्य सरकार ने जनसंख्या के आधार पर बनायी थीं। मगर मेरा इसमें सुझाव है कि यह आप के हिसाब से एक, दो, तीन, चार श्रेणियां होनी चाहिए। जिसकी सबसे ज्यादा आय हो उसको 'ए' ग्रेड वाली नगरपालिका बनाया जाना चाहिए न कि जनसंख्या के आधार पर। चाहे जनसंख्या किसी नगर की ज्यादा है और आय कम है तो आप उसमें नीचे की श्रेणी वाली नगरपालिका बनायें। इसके अलावा नगरपालिका के अभी जो वार्ड बनाये हुए हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर नगरपालिका प्रशासन कोई गलत काम करता है तो नगरपालिका को पावर्स होनी चाहिए कि वह एक्शन सीधा ले सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वार्डों में किसी वार्ड की पापूलेशन 500 है, किसी की 700 है और किसी की आठ सौ मतदाताओं की आबादी है। इस प्रकार छोटे बड़े जो वार्ड हैं उनमें जो अन्तर अभी तक रखा हुआ है उसे समाप्त किया जाय।

इसके अलावा, सभापति महोदय, हमारे देश में इमर्जेन्सी लगी उसमें कई लोगों को कम्पलसरी सरकारी नौकरी से रिटायर किया गया। हालांकि कम्पलसरी रिटायरमेन्ट की बात नगरपालिकाओं पर लागू नहीं होती थी। वैसे इमर्जेन्सी में जो ज्यादतियां हुई उनके बारे में तो मैं आपको पहले ही निवेदन कर चुका हूं लेकिन अभी और उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि नगरपालिका (संशोधन) विधेयक चल रहा है। हमारे लाडनूं नगरपालिका के प्रशासक ने आत्माराम व्यास को अपनी निजी रंजिश के कारण नौकरी से हटाया। तो मेरा निवेदन है राज्य सरकार को कि इस प्रकार के लोगों को सीधी कार्यवाही करके दण्डित किया जाना चाहिए। इसमें संशोधन होना चाहिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैंने आपके सम्मुख संशोधन प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए रखा है।

Page No 106

(106)

श्री सभापति : श्री आलम अली खां ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : सभापति महोदय, म्हारो प्रस्ताव है, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। म्हूं तो सीधी सीधी बात जाणूं, बार बार सामला पार्टी वाला कैयो के इमर्जेन्सी सूं कोई फर्क ना पड़्यो। जो चुणाव हुआ वा सही हुआ। सभापति महोदय, इमर्जेन्सी में जो चुणाव हुआ उणमें काफी अत्याचार हुयो। अठे जो लोग बैठ्या है वह प्रजातन्त्र री दुहाई दे रया है। वह सरासर गलत के रया है। दूसरे वे लोग जो सामने बैठ्या है उणाने खुले शब्दां मां म्हूं केवणो चाहूं कि इमर्जेन्सी में बहुत ही ज्यादतियां होवे है और इमर्जेन्सी बहुत ही खतरनाक है। इमर्जेन्सी जो म्हांके मुल्क में लागी वह सिर्फ, सभापति जी, एक व्यक्ति और व्यक्ति विशेष रे वास्ते ही इमर्जेन्सी लगाई गयी ही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। ऐसा मेरा भी संशोधन प्रस्ताव है। श्रीमान्, इस विधेयक को लाकर जनता में जनता पार्टी भ्रान्ति पैदा कर रही है कि दलगत भावना से प्रभावित होकर यह बिल लाया जा रहा है। श्रीमान, मैं इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की बात कह रहा हूं चूंकि इस बिल में काफी पहले से ही खामियां हैं। अगर आप इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? आपका उसमें भी बहुमत रहेगा। आपके जो स्वायत्त-शासन मन्त्री हैं वे उस प्रवर समिति के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। उसमें सभी सदस्य, उनके जो भी मुद्दे हैं वह अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे। वहां अच्छी तरह से स्पष्टीकरण होगा।

चुनाव कराने के लिये आप बिल को लाये हैं तो देखना यह है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी। वैसे विरोधी दल के नेता ने कहा कि जनता के 71 प्रतिशत लोगों ने मतदान में भाग लिया। तो यह बात तो गलत हो गया कि लोगों में भय था। अब सवाल है सरकार ने जबरदस्ती की तो यह बतायें कि किन किन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका गया? इमर्जेन्सी में किन-किन उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया? कितने उम्मीदवारों के नाम खारिज किये गये? अगर इमर्जेन्सी में लोगों को इलेक्शन लड़ने के लिये दबाया गया, दल के लोगों को डराया गया तो उस वक्त इलेक्शन बिना दल के नाम से ही लड़े गये थे। कांग्रेस ने चुनाव अपने दल के नाम से नहीं लड़ा। ज्यादतियां कितनी हुई? क्या चुनावों में भ्रष्टाचार की शिकायतें राज्य सरकार के पास आई हैं? अगर आपके पास शिकायतें आई तो इन शिकायतों की संख्या कितनी है? वह संख्या आप बताने की कृपा करें। लोक सभा के चुनाव होने के पश्चात् कांग्रेस के जमाने में कितने लोगों ने लोकसभा के अन्दर या राज्य सभा के अन्दर उनको उठाया?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बोलने कौन देता था ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लोक सभा में उन मामलों को उठाया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब संसद सदस्यों ने लोक सभा चुनावों के बाद इस मुद्दे को नहीं उठाया तो आप बतायें कि कितनी शिकायतें आपको प्राप्त हुईं जबरदस्ती के साथ वोट डलवाने की या नहीं डलवाने की ? इसलिये, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें तो काफी शान्तिपूर्वक इस पर विचार हो सकता है। प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहती है सरकार तो मैं इतना कम से कम जरूर चाहूंगा कि जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं, प्रभारी मंत्री उन पर प्रकाश डालने की कोशिश करें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिये और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये, प्रस्ताव है इनका स्कोप अलग अलग है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं वे यह जानते हैं कि इनका दोनों का अलग अलग स्कोप है। जो माननीय सदस्य बोलेंगे वह प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के पक्ष में बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रवर समिति के लिये ही बोला हूं।

श्री सभापति : आप बैठिये। इस स्कोप को ध्यान में रख कर ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, ...

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपकी बात से ऐसा लगता है कि मैं स्कोप से बाहर बोला हूं।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : सभापति महोदय, इस बिल को जो नगरपालिका का है, सलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय या नहीं, इस पर मैं अपनी राय दे रहा हूं। इस बिल में जो अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है उसमें इस लाइन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पैरा 23 बी (2) सब क्लाज (1) में यह लिखा है:

"all things done, actions taken and orders passed or omitted to be done, taken or passed by any administrators thereof, in the exercise or purported exercise of the power conferred or in the discharge of duties imposed, by or under any of the provisions of this Act or the rules and byelaws made thereunder, during the period of extension of any such Administrator under sub-section (1) shall be deemed to have been validly done, taken or passed or omitted to be done, taken or passed and no such exercise of powers or performance of duties or omission in their exercise of performance and no such action, thing or order shall be called in

(श्री अब्दुल अजीज)

question in any court merely on the ground that at the time when such power was exercised or duty was performed or the action was taken or the thing was done or the order was passed or omitted to have been exercised, performed, taken, done or passed, the term of such administrator had expired."

किसी भी अदालत में आपके एड-मिनिस्ट्रेशन के लगाये हुए आफिसर के आदेश और कारनामों को चैलेन्ज नहीं किया जावेगा। इस अधिकार को लोकतांत्रिक प्रणाली में शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि एड-मिनिस्ट्रेटर लगाया जाय वह जागरूक हो, पालिटिक्स और शियासत से दूर हो क्योंकि जो सेमी गवर्नमेंट बोडीज होती हैं, लोकल बोडीज होती हैं वे हमारी विधान सभाओं और संसद की तरह नहीं होती हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि केवल इमर्जेन्सी के नाम पर और उसकी आड़ में साल भर पहले चुनी हुई नगरपालिकाओं को खत्म करना बिल्कुल अनुचित है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह में प्रस्तुत करे।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह।

श्री माधवसिंह (सोजत) : सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह में प्रस्तुत करे। अभी स्वायत्त शासन मंत्री भी टूर पर गये थे तो जगह जगह पर उन्होंने अपने भाषणों में यह कहा कि नगर-पालिकाओं में भ्रष्टाचार बहुत है, कई प्रकार की नई बातें हैं और काम करने का तरीका है उसमें सुधार करने की जरूरत है। इसको जल्दी में पास करेंगे तो क्योंकि जनता सरकार नई आई है, नई बातें इसमें जो डालने का विचार करती है, वह नहीं कर पायेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि माननीय विधायक या कोई हों वे अपने सुझाव प्रवर समिति को दे सकें और जो भी तकलीफें हैं, जो भी असुविधायें हैं उनको दूर किया जा सके। यह कहते रहे हैं कि इनका तो इमर्जेन्सी में चुनाव हुआ। तो आप यही कहना शुरू कर दीजियेगा कि किसी चुनाव में जनता पार्टी चुनाव जीत कर आ गयी तो वह चुनाव तो सही हुआ और यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई तो वह चुनाव ठीक नहीं हुआ। जनता पार्टी का फार्मेशन हुआ है उसके बाद चुनाव हुए हैं वह सही हुए हैं बाकी नहीं। वैसे ही आप आपस में लड़ते रहे हैं। कांग्रेस को 40 पर्सेन्ट वोट मिले वह आपके आपस में लड़ते रहने के कारण ही मिले हैं और यही स्थिति रही है।

श्री दाऊलाल जोशी : आप अपनी अन्तरात्मा से कह रहे हैं ?

श्री सभापति : सूची में जिनका नाम है उनके अलावा नहीं बोलेंगे।

माननीय श्री मांगीलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

माननीय श्री सालिगराम ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामरघुनाथ ।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। इस बिल के स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में तीन बातें बताई गई हैं। आप इनको वापस ले लें तो मैं बोलना बन्द कर दूं।

एक तो यह है, इसके अन्दर यह कहा गया है :

"........most of the electorate either stayed away from polling, or did not exercise their right of franchise in free and fearless manner."

इसका मेरा जवाब यह है कि जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं और मदेरणा साहब ने दिये हैं, उनके अनुसार 1976 में पर्सेन्टेज आफ वोटिंग 71 पर्सेन्ट हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : डंडे से वोट पड़वाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : 1974 में 72 म्युनिसिपेलिटीज के चुनाव हुए उसमें 76 पर्सेन्ट वोटिंग हुआ। जब कि इमर्जेन्सी में 1976 में 71 पर्सेन्ट वोटिंग हुआ। इसलिए यह दलील जो स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दी गयी है कि लोगों को मौका नहीं मिला, मासेज को मौका नहीं मिला यह इन आंकड़ों से गलत साबित होती है।

दूसरी बात यह कही कि केन्डीडेट्स ने चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। इसका मेरा जवाब यह है कि इलेक्शन हुए इमर्जेन्सी में, उसमें 1976 में नम्बर आफ केन्डीडेट्स पर सीट 3.10 पर्सेन्ट है। 3 पेर सीट का एवरेज रहा। इसलिए यह कहना कि केन्डीडेट्स ने हिस्सा नहीं लिया, आंकड़ों से साबित नहीं होता है।

अब बात यह रह जाती है कि हमारी जनता सरकार ने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो बातें कही हैं, वे गलत हैं तो उनके लिये दलीलें दी जाती हैं वे भी गलत मालूम होती हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मिनट दे दिया जाय।

इसलिये मैंने निवेदन किया है सलेक्ट कमेटी में इसलिये भी भेजना चाहते हैं, यह लेजिस्लेशन है किसी म्युनिसिपेलिटी के माननीय सदस्यों का लीगल राइट लेना चाहते हैं, प्रिंसिपल एक्ट में प्रावधान है उनके अनुसार ही आप लीगल राइट ले सकते हैं। राइट एक्रूड टू ए मेम्बर है, जो एक्ट के अन्तर्गत हक मिला हुआ है उसको आप इसके जरिये से छीनना चाहते हैं। तो उस राइट को लेने के लिए लॉ में प्रोविजन

(श्री मथुरादास माथुर)

होना चाहिए वह आपने नहीं किया और दूसरा स्टेट्यूट लाकर उनके राइट्स हैं वह खत्म करना चाहते हैं, यह बहुत गलत है। अब, माननीय सभापति महोदय, यह कलरेबल लेजिस्लेशन है। कलरेबल लेजिस्लेशन उसको कहते हैं जिसमें मंशा कुछ और होती है और बात कुछ और लिखी जाती है। इसलिए यह लॉ बैड हो सकता है, यह लॉ कलरेबल हो सकता है, यह लॉ एडवर्स हो सकता है। आप किसी की मियाद बढा सकते हैं लेकिन उसकी मियाद को कम करते हैं तो वह एडवर्स लॉ हो जायेगा। इसलिए सलेक्ट कमेटी में इसको भेजा जाय। वहां इसके सारे लीगल आस्पेक्ट्स पर विचार किया जा सकता है। इसके ऊपर ओपीनियन के लिए एडवोकेट जनरल को भी बुलाया जायेगा और उनकी भी राय आ जायेगी। जब कांग्रेस सरकार थी तो जो पार्लियामेंट के और दीगर इलेक्शन हुए वह फेयर और फ्री हुए इसको भैरोंसिंह जी भी मानते हैं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी मानते होंगे कि पार्लियामेंट के चुनाव जिस समय हुए उसमें इमर्जेन्सी में कितना रिलेक्सेशन हो चुका था ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं मानता हूं कि फेयर और फ्री हुए।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदय····

श्री सभापति : बैठिये, बैठिये।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं इस सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री दाऊलाल जोशी : मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति महोदय, सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आज के निर्धारित कार्य के पूरा होने तक के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। कार्य सलाहकार समिति ने पहले ही 29 तारीख तक सदन की कार्यवाही चलाने की सिफारिश की है और आज की कार्यसूची में 3 विधेयक हैं। उनमें फाइनेन्स बिल भी है। यह सारे बिल पास हो जायेंगे ऐसा मानकर चलते थे। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है कि आज का निर्धारित कार्यक्रम पूरा होने तक कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाये यह उचित है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों की राय जानना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, यह रोज रोज 9 बजे तक बैठना कतई ठीक नहीं है। आप चाहें तो एक दिन का समय और बढ़ा दें।

श्री श्रवणलाल : पहले भी कार्यवाही रात को एक-एक बजे तक चली है।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि आज का जो एजेन्डा है उसके पूरा होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय आज का एजेन्डा समाप्त होने तक बढ़ाया गया।

श्री खेतसिंह

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैंने भी यह प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। लेकिन न तो मुख्य मंत्री जी सुनने के लिए तैयार हैं और न माननीय मंत्री महोदय ही सुनने के लिए तैयार हैं, उन्होंने तो भावना बना ली है कि जैसे तैसे इसको हम पास करेंगे ही आज···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य···

श्री खेतसिंह : और इस कानून के लिए चाहे जितनी अच्छी दलील दी जायें तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास दलील है क्या ?

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका (संशोधन) बिल सदन के सामने प्रस्तुत है। कई माननीय सदस्यों ने जहां एक ओर इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए कहा है वहां कुछ सदस्यों ने इसे प्रवर समिति को सौंपने की भी बात कही है। मैं बड़े अदब से, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि चुनाव जब हुए थे उस समय देश और प्रदेश की क्या स्थिति थी। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, उन बातों पर विस्तार में नहीं जाना चाहता जिन पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय काफी चर्चा हो चुकी है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इन 40 नगरपालिकाओं के जिस समय चुनाव हुए उस समय डी. आई. आर. में 40 जगह के 154 लोग गिरफ्तार थे जिनको किसी भी दृष्टि से चुनावों में भाग नहीं लेने दिया गया। यह डी. आई. आर. में कौन लोग थे, यह थे सम्माननीय नागरिक···

(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : XXX तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बिलकुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूं लेकिन छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जब शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, कहा···

XXX अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैंने यह नहीं कहा ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल यही कहा था ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मेरी रक्षा कीजिए ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोलने की शिष्टता का ध्यान नहीं रखते और मर्जी आये जैसी बात कह देते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : यहां न कोई XX X है और न बहिनजी । सब माननीय सदस्य हैं ।

श्री सभापति : सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 64 मीसा के अन्दर बन्द थे जिनको बिना कारण बताये जेल के सींखचों के पीछे रखा गया था । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन 64 में 7 लोग झालरापाटन नगरपालिका के मीसा के अन्दर जेल में थे । इनमें 5 तो नगरपालिका के सदस्य थे और भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे, उन्हें जेल में रखा गया था । आज कहा जा रहा है कि नगरपालिका के चुनाव शुद्ध स्थिति में हुए . . .

श्री मूलचन्द डागा : एक उदाहरण ही दिया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझे बीच में इन्ट्रप्ट नहीं किया जाय ।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि जरा शांतिपूर्वक सुनें ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, हमने जो मुद्दे उठाये उनका तो कोई जवाब ही नहीं है । यह भाषण नहीं दें और जो सदन में हमने मुद्दे उठाये हैं उन मुद्दों का जवाब दें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इब्तिदा है जरा धैर्य रखिये । केदारनाथ अग्रवाल को भरतपुर जेल में रखा गया और ओमप्रकाश मित्तल को भरतपुर जेल में रखा गया । श्री ओमप्रकाश मित्तल हिन्डौन के निवासी हैं और केदारनाथ अग्रवाल करौली के निवासी हैं । इन्होंने नगरपालिका के चुनावों में लड़ने की बात की । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस समय की तथाकथित सरकार ने प्रस्तावकों को मिलने नहीं दिया और न कोई सहायता दी फार्म आदि के भरने के लिए । वह फार्म भरना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं भरने दिया गया । मैं नहीं चाहता सारा बातों की चर्चा करना ।

सभापति महोदय, पंचायतों की बात की जा रही है और इसका जिक्र उन्होंने किया है । जो कालिमा छाई हुई थी, जनता पार्टी सरकार जब से आई है कटिबद्ध है उस कालिमा को दूर करेगी चाहे वह नगरपालिका के चुनाव हों या कहीं के भी चुनाव हों । मैं लम्बी चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि प्रेस पर सैन्सरशिप कैसी थी, चुनावों के लिए प्रेस पर किस प्रकार की सैन्सरशिप थी, इसकी जानकारी में विरोधी पक्ष को देना आवश्यक

XX X अभिव्यक्ति/शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं समझता। प्रेस के माध्यम से समाज के सामने सही बातें रखी नहीं गयीं जनता को बातें बताई नहीं गईं, बोलने की स्वतन्त्रता नहीं रही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं थी और आज की स्थिति में कहा जा रहा है कि चुनाव बड़े आसान तरीके से हुए। इस बात की बहुत चर्चा की जा रही कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराये गये। राजनैतिक तरीके से सौदेबाजी करके कभी तीन साल और कभी चार साल के लिए इनकी टर्म बढ़ायी। जनता पार्टी वह नहीं करेगी। हम तीन साल में निरन्तर चुनाव कराते जायेंगे इसकी मैं सदन में घोषणा करता हूं। परम्परायें डालनी होंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, स्थिति यह थी····

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय··

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तशरीफ रखिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब चुनाव होने वाले थे, 51 स्थानों पर चुनाव होने की घोषणा की गई लेकिन केवल 39 स्थानों पर चुनाव कराये गये। चालीसवां चुनाव बाद में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के क्षेत्र में कराया गया। जनता पार्टी तो उस समय नहीं थी, जो मोर्चा था उसके तीन लोग खड़े होने वाले थे, उनको कैसे भय दिखाया गया, आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं। उस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उस समय उन तीन लोगों को डी. आई. आर. में गिरफ्तार किया। शायद कांग्रेस के लोग यह बताना चाहते थे कि जो भी चुनाव में खड़ा होने की बात करता है, सहयोग की बात करता है·····

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात पूरी तो करने दीजिये।

इन तीनों की एप्लीकेशन्स यहां प्राप्त हुई हैं, चुनाव विभाग में भी प्राप्त हुई हैं, ऐसा वातावरण बना कर खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, कहा गया कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे। हम लोग जेलों में थे। कांग्रेस सरकार के एम. पी., डी. एस. पी. यह बात कहते थे कि मीसा की तलवार आप पर लटक रही है, डी. आई. आर. की तलवार आप पर लटक रही है, चुनाव की बात की तो मीसा में अन्दर नजर आयेंगे। भय की बात की, उसकी चर्चा करना चाहता हूं····

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह असेम्बली है, विधान सभा है, कोई चौपड़ नहीं····

श्री बाऊ लाल जोशी : चौपड़ और विधान सभा दोनों जगह अधिकार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपातकाल में बोलने की स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई थी। बोलने की स्वतंत्रता तो अब हम को मिल गई। प्रेस का सेन्सरशिप खत्म हो गया। उस इमर्जेन्सी के काल में चालीस नगरपालिकाओं के चुनाव भय के वातावरण में हुए। इसलिए अब पहला काम यह है कि नगरपालिकाओं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

को भंग किया जाये और दुबारा चुनाव कराये जाये। इसलिये यह बिल आपके सामने है।

इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किये जाने की बात कही गई। जनमत की बात कहना चाहता हूं। जनता ने जनमत किस तरह दिया, लोक सभा के चुनाव में और बाद में विधान सभाओं के चुनाव में आपको विरोधी दल में बैठा दिया। जनमत का आदर करते हुए यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि वह काला समय था और काले समय में किया हुआ काला काम, भारत की जनता और प्रदेश की जनता अब बरदाश्त नहीं करना चाहती है। अभी सवाल किया है, कितने लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किये। दोस्तों और भाइयों, जिस समय चुनाव...

एक माननीय सदस्य : यह दोस्तों और भाईयों क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : इनको चौपड़ पर ले जाओ, यह विधान सभा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दूसरा सवाल आकर खड़ा हुआ, पिछली बार नगरपालिकायें पंचायतों से बनाई गई। पंचायत की स्थिति आप जानते हैं उसके बारे में एक बिल आपके सामने आने वाला है। 12 साल पूरे हो गये, 13वां साल चल रहा है, इतने साल पंच बैठे रहे। नगरपालिकायें जो बनी उसमें वही पंच वार्ड, नगरपालिका के सदस्य बनकर आगये। स्थिति यह है। यह स्थिति कभी भी अच्छी नहीं है। इस सारी स्थिति की शायद प्रधान मंत्री को जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारी नगरपालिकायें जो पंचायतों से बनी हैं उनकी स्थिति देख लीजिये। ऐसी स्थिति में जो यह दोनों बातें आ कर खड़ी हुई हैं, जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिये और प्रवर समिति को सौंपे जाने की, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति बनी है, जो कालिमा दूर हुई है उसमें यह कदम रह गया है। इस कदम को उठाने के लिये यह बिल आपके सामने प्रस्तुत किया है। जनता पार्टी ने तय किया है, हमने निश्चय किया है कि नगरपालिकाओं में प्रशासकों की व्यवस्था देर तक नहीं रखें। अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में या नवम्बर के पहले सप्ताह में 40 के अलावा जितनी भी शेष नगरपालिकायें हैं, एक–दो को छोड़ कर सभी नगरपालिकाओं के चुनाव करायें जायेंगे।

दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूं कि हम परम्परा बनाना चाहते हैं चाहे नगरपालिका के चुनाव हों, चाहे पंचायतों के चुनाव हों, तीन साल पूरे हों उसके बाद सारी तैयारियां चुनाव की होनी चाहिये। जिस तरह लोक सभा और विधान सभा के चुनाव समय पर होते हैं, उसी प्रकार नगरपालिकाओं के चुनाव समय पर होते रहें।

सभापतिजी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने, जो विरोधी दल से आये हैं, लोक सभा के चुनाव की इमर्जेन्सी में हुए चुनाव से तुलना की। क्या इनमें अन्तर नहीं था ? क्या राजस्थान के अन्दर सारे लोग गिरफ्तार नहीं थे ? क्या स्थिति दोनों समय एक जैसी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

थी ? क्या स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ था ? दोनों समय की स्थिति में अन्तर है। यह बिल आपके समक्ष प्रस्तुत है, सदन के समक्ष प्रस्तुत है। मैं चाहूंगा, प्रवर समिति वाला प्रस्ताव, जनमत वाला प्रस्ताव वापस लेंगे और मुझे और सरकार को सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सभापति महोदय, छोटा सा प्रश्न मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हो रहे थे· · ·

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं जवाब होने के बाद· · ·

(व्यवधान)

इनका जवाब होने के बाद आप न बोलें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये शब्द एक्सपंज किये जायं।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, मैं निवेदन करूंगा क्या वे वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं वापस ले रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आपके वापस लेने से क्या होता है ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

दूसरा प्रश्न· · ·

श्री खेतसिंह राठौड़)
श्री मूलचन्द डागा)
श्री मथुरादास माथुर) हां पक्ष जीता।

(व्यवधान)

हम डिवीजन चाहते हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं· · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन की मांग नहीं की गई।

श्री सभापति : मैंने निर्णय सुना दिया है। डिवीजन की मांग नहीं की गई है। आपने पहले नहीं कहा।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो ज्यादती है, श्रीमन। बहुत ज्यादती है।

श्री सभापति : दूसरा प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री खेतसिंह राठौड)
श्री मूलचन्द डागा) Ayes have it.

श्री बाऊ लाल जोशी)
श्री माणकचन्द) Noes have it.
श्री सूर्यनारायण चौधरी)

श्री खेतसिंह राठौड : आप वापस बोलिये। नियमों का पालन कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक बार और बोल दीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1977 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के, लिए जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

श्री मूलचंद डागा : हम डिवीजन मांगते हैं इसमें।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : Ayes have it

(व्यवधान)

श्री सभापति : डिवीजन के लिये तो नहीं कहा।

श्री मूलचन्द डागा : डिवीजन के लिये आप कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णय घोषित कर दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : हम यह कहते है हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। ना पक्ष नहीं जीता है। Ayes have it।

श्री सभापति : माननीय विरोधी दल के नेता यह चाहते हैं कि डिवीजन किया जाय तो मैं डिवीजन कराने के लिये तैयार हूं।

(विराम)

इस प्रश्न के ऊपर, संशोधन के ऊपर डिवीजन मांगा गया है...

(मत-विभाजक-घंटी)

(विराम)

श्री खेतसिंह राठौड : वापस कहिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

ना पक्ष में हों वे एक तरफ खड़े हो जायं।

श्री खेतसिंह : There is no provision.

श्री सभापति : ना पक्ष वाले हाथ उठायें...

श्री मूलचन्द डागा : ऐसा कोई प्रावधान नियमों में नहीं है।

श्री सभापति : मैं फिर प्रश्न रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1970 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन

(श्री सभापति)
प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड : अमेन्डमेन्ट हैं आपकी पार्टी के लोगों के...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : खण्डशः विचार किया जायगा। खण्ड दो में संशोधन है।

श्री माणकलाल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बदकिस्मती है कि 30 वर्षों की ट्रेनिंग के बाद भी आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

श्री माणकलाल (नैनवा) : सभापति महोदय, मैं जो यह संशोधन विधेयक नगरपालिका का है, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, इसका समर्थन कर रहा हूं। इसमें मेरा संशोधन है जो निम्न प्रकार है:—

The following words be omitted from sub-section (3) of Section 23-A sought to be substituted "by notification in the Official Gazette.

मैं यह चाहता हूं कि जो नगरपालिका में नाजायज, प्रबंध और दबाव के जरिये अतिक्रमणकारी आकर बैठे हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र निष्कासित किया जाय। इसी भावना के अनुरूप मैं यह चाहता हूं कि इसके अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन नियुक्त करने के लिये प्रावधान कर रहे हैं तो प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व यह अनिवार्य रखा गया है कि इस को राजस्थान ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाय। मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इसको इस संशोधन में से निकाल दिया जाय। इसका कारण यह है कि इस प्रक्रिया में समय लगने की आशंका है। गजट समय पर प्रकाशित नहीं होता है और देर हो जाती है तो उन अतिक्रमणकारियों को मौका मिल जायगा और वे सारे गलत दस्तावेजों को गायब कर देंगे, तब्दील कर देंगे और अनेक नाजायज काम करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े से बड़े अपाइन्टमेंट के समय जिन आदमियों को रखा गया उनके लिए यह आवश्यक नहीं है, मंत्रिमण्डल के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि पहले गजट में आये और फिर बाद में शपथ लें। मैं, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑफिशियल गजट में प्रकाशित किया जाय, इसके मैं विरोध में नहीं हूं। प्रकाशित तो कर दिया जाय, महत्वपूर्ण अपाइन्टमेंट्स

(श्री माणकलाल)

के लिए यह होना आवश्यक है। लेकिन प्रकाशन नहीं हो तब तक वह प्रभावशील नहीं हो, इसके मैं खिलाफ हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि यह क्लाज अनावश्यक रखा गया है, यह बिल्कुल गलत है। आज के युग में, जहां आदेश हो जायें, समाचारपत्रों में आ जाये, सूचना मिल जाये सम्बन्धित व्यक्तियों को तो वह उसी समय प्रभावशाली मान लिया जाय। इसलिए यह जो पुराना एक गलत तरीका रखा गया है यह गलत है मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। जब हमारे वहां यह राजस्थान टाउन एण्ड म्युनिसिपैलिटीज एक्ट लागू नहीं था, मैं नगरपालिका नैनवा में सभापति था। वहां पर यू.पी. म्युनिसिपल एक्ट लागू था, उसमें यह प्रावधान था कि जब तक गजट में प्रकाशन नहीं होगा तब वह बोर्ड फंक्शन नहीं कर सकता। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि छः महीने तक लगातार गजट में प्रकाशन नहीं हुआ। हम लोग रोजाना गजट की प्रतियां देखते रहे और चक्कर लगाते रहे सरकारी दफ्तरों के। तो मैं आप लोगों से माननीय सभापतिजी के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि यह जो अनावश्यक क्लाज है उसको अमेंड कर दिया जावे और यह जो कानून है, संशोधन बिल है इसको अविलम्ब पारित कर दिया जावे। जिस समय चुनाव कराए गए थे उस समय कहते हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं जो लोक सभा चुनाव के समय थीं यह बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या इस बात की इजाजत थी, प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ कोई बोल सके? मैं कहता हूं कि इसके लिए कोई इजाजत नहीं थी। अखबारों को इजाजत नहीं थी कि बीस सूत्री कार्यक्रम के खिलाफ कुछ भी प्रकाशित कर सकें। प्रधान मंत्री इन्दिरा गान्धी के खिलाफ कोई बात प्रकाशित नहीं कर सकते थे। इजाजत थी तो इस बात की कि बीस सूत्री कार्यक्रम का इन्दिरा गान्धी के नाम का समर्थन करो और नाम पर वोट लो। अभी हमारे वक्ताओं ने यह कहा कि ये दबाव से, धोंस धपट्ट से चुनाव हुए थे। यह बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं कि इसकी अविलम्ब अनुपालना की जावे और इसी नीयत से यह अमेन्डमेंट रखा है। हमारे जो डागा साहब हैं, वे भी हां कर रहे हैं ऐसा मुझे पता चल गया है। तो यह सर्वसम्मति से पास होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक: सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा संशोधन है खण्ड 2 में। जो सैक्शन 23 का (क) है उसके आगे एक छोटा सा प्रोवीजो जोड़ा जाय। जो इस प्रकार है:—

The following proviso shall be added in sub-section (3) of section 23 A sought to be substituted:—
"provided that no new Tax shall be levied by the administrator so appointed."

जो प्रशासक नियुक्त किये जावें वह नए अध्यक्ष नगरपालिकाओं के होते हैं लेकिन उनको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि टैक्स जितने लगे हैं वे ज्यादा प्रशासकों के टाइम में लगे हैं। यह सब लोग जानते हैं कि यह जनतांत्रिक भावनाओं के

(श्री हरजीराम बुरडक)

खिलाफ हैं। चुने हुए लोग जो टैक्स लगायेंगे तो उसमें लोगों का ज्यादा विश्वास होगा। उनको भरोसा होगा कि हमारे लोगों ने टैक्स लगाये हैं। अगर प्रशासकों द्वारा टैक्स लगाये गये तो यह जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। इसलिए इस संशोधन को स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि लम्बे समय तक तो प्रशासक रहेंगे नहीं। चुनाव थोड़े ही दिनों में होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशासक टैक्स नहीं लगायें।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी कि यह बिल तुरन्त प्रवृत्त हो। ऐसी मेरी मान्यता है कि इसमें जितनी देरी होगी उतना ही नुकसान है। प्रशासक महोदयों के माध्यम से बहुत दिनों तक ये चलेंगी नहीं। इन नगर पालिकाओं के जल्दी चुनाव होंगे, पंचायत राज संस्थाओं के जल्दी चुनाव होंगे तो हमारा काम सही रूप में चलेगा। यह मेरी मान्यता है कि इस संशोधन के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कोई एतराज नहीं होगा। संशोधन इस प्रकार है :—

The following proviso shall be added in sub-section (3) of SectionA 3 Sought to be substituted :—

"provided that the administrator, so appointed, shall not levy any new tax."

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, दो संशोधन माननीय सदस्य महोदयों की तरफ से आये हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं किन्तु जैसा कि नैनवा से आए हुए माननीय सदस्य महोदय ने कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट एकदम छप जाता है इसलिए जैसा उनको लगा कि इसमें विलम्ब होगा तो ऐसा विलम्ब किसी प्रकार से नहीं होगा। एक वाइड पब्लिसिटी हो जायेगी, इसके लिए यह सारा प्रोवीजन है। इसलिए मैंने जब यह बात उनके सामने रखी है कि एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट निकाल कर साया कर दिया जाएगा तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्रीमान माणकलालजी अपना संशोधन वापस ले लें।

जैसा माननीय सदस्य श्री हरजीरामजी का सुझाव आया, निश्चित रूप से मैं इसका आदर करता हूं। कई बार ऐसी स्थिति होती है वैसे अभी कोई सम्भावना नहीं है, किन्तु जैसा आप देख रहे हैं, जनता पार्टी को जो राज्य सौंपा गया है, पुरानी वाली सरकार ने दिवालिया स्थिति में राज्य सौंपा है। जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कल चर्चा की थी। यह एक्ट का भाग बनने वाला है, आगे कभी हो सकता है, आगे कभी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि जो नगरपालिकाओं के चुने हुए सदस्य ऐसी स्थिति कर जायं कि जिसके कारण आगे नगरपालिका का चलना ही मुश्किल हो जाय। वैसे मैंने कहा है कि टैक्स नहीं लगाने चाहिए प्रशासक को, हम भी यह प्रयत्न करेंगे, किन्तु इसका प्रावधान बिल में नहीं किया जा सकेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह भूखी नंगी सरकार के ××× प्रतिनिधि आए हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : यही शालीन भाषा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आगे कोई भी चुन कर आए वह ऐसा नहीं कर सके इसलिए हरजीरामजी बुरडक की भावनाओं का पूरा आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य स्थिति में जब भी प्रशासक कार्य करें तो प्रशासकों द्वारा नगरपालिकाओं में तभी कर लगाये जायं जब कि विशेष स्थिति बने। लेकिन इस समय एक्ट के अन्दर उनको डिप्राइव कर दें तो वह स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस आशा से मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य श्री हरजीरामजी बुरडक अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री शंकरलाल : पाइन्ट आफ आर्डर, वैसे तो यह प्रिन्सिपल है कि no taxation without representation. वैसे भी टैक्स नहीं लगा सकते हैं। क्या जनता सरकार यह चाहेगी कि एक्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स लगाये?

श्री सभापति : मैं इसको पोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं मानता। देखिए माननीय सदस्य, यह पहला माननीय श्री माणकलाल जी का संशोधन प्रस्ताव है इसके ऊपर मैं मतदान कराऊंगा।

श्री केदारनाथ : वे वापस लेने की आज्ञा मांगेंगे।

श्री माणकलाल : प्रभारी मंत्री महोदय ने इसको अविलम्ब गजट में प्रकाशित करने का आश्वासन दिया है इसलिए मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह हम से पूछिए हम इजाजत दें या इजाजत नहीं दें।

श्री सभापति : माननीय माणकलालजी ने संशोधन वापस ले लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : आप हम से पूछेंगे तब होगा। हमसे पूछिए कि वापस लिया जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि माननीय माणकलाल ठाकुर ने खंड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की इजाजत दी गई।

श्री माणकलाल : मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय हरजीराम बुरडक अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं इसकी इजाजत दी जाय?

श्री मूलचन्द डागा : लिया ही नहीं उन्होंने वापस।

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी मोशन जब आप वोट के लिए पुट अप करते हैं तो आपको यह कहना पड़ेगा कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य इस संशोधन प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें, जो विपक्ष में हों वे ना कहें। इस

××× शब्द उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसराम मदेरणा)
तरह से पुट कर दीजिए तो यह सही प्रोसेस होगा। इस तरह से यहां पुट-अप नहीं हो रहा है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से पुट-अप कर दीजिए।

श्री सभापति : मैंने निवेदन किया और पहले भी निवेदन किया था कि माननीय हरजीराम बुरडक अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ...

श्री मूलचन्द डागा : वह वापस नहीं लेंगे। उनकी अन्तर आत्मा की आवाज बोल रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : सभापति महोदय, आपको पहले पूछना चाहिए था कि जो जो सदस्य प्रस्ताव वापस लेना चाहें वे ले लें। मैं दो तीन बार यहां पर कहने के लिए खड़ा हुआ लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया।

मंत्री महोदय ने इस बात से सहमति प्रकट की है कि चुने हुए लोगों के द्वारा ही टैक्स लगाया जाय, इसलिए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो कहा है, वह सही है। जब कोई अमेंडमेंट इस सदन में मूव हो जाता है तो वह सदन की प्रापर्टी होती है। इसलिए जब माननीय सदस्य इसको वापस लेना चाहते हैं तो इसकी इजाजत सदन से ली जानी चाहिये। यही तरीका सभापति महोदय अपनायेंगे तो ठीक संसदीय परम्परा होगी।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि श्री हरजीराम बुरडक ने खण्ड 2 में जो संशोधन रखा है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गयी।

श्री हरजीराम बुरडक : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोडा : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उससे मैं आश्वस्त हूं। मैं सदन से अनुमति चाहती हूं कि मुझे संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जावे।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्रीमती उजला अरोड़ा ने खण्ड 2 में जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्रीमती उजला अरोडा : सभापति महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि के बारे में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना व नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को पारित किया जाये।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति जी, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यह आशा करता था···

श्री केदारनाथ : आपका राइट है, बोलिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति जी, हमारी पार्टी ने, विरोधी दल ने जो मुद्दे उठाये हैं, उन मुद्दों का जवाब नहीं दिया गया है। सवाल यह था कि आज आप यह जो काला कानून पास करने जा रहे हैं, यह संविधान की हत्या है। आर्टिकल 13, क्लाज–2 मैंने यह आपकी सेवा में पेश किया था, कान्स्टीट्यूशन का हवाला दिया था, उसके बारे में इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा :

"In order to determine whether a law is inconsistant with a fundamental right, the mode in which the object of the legislation is sought to be achieved is also a relevant consideration for, even though the object of a legislation be constitutional, or even laudable if it is secured by a method which offends a fundamental right, the law must be struck down as unconstitutional."

आदरणीय माथुर साहब ने बताया है कि फन्डामेंटल राइट हमको मिला है।

श्री केदारनाथ : यह फन्डामेंटल राइट आज याद आया है ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा था कि नगरपालिकाओं के चुनाव के बाद लोगों ने आपके सामने कितनी इलेक्शन पिटीशन की है, वह बतायें ? कितने लोगों ने लिख कर दिया है, रिकार्ड में दर्ज है, पुलिस में कम्पलेन्ट की है ? इस तरह की कितनी डाक्यूमेंट्री एविडेन्स हैं, वह बताइये ? आपने यह भी नहीं बताया कि कोई जन आन्दोलन हुए हैं। यह पूछा था। इससे लोगों में भ्रान्ति हो रही है। आप यह कानून ला रहे हैं, संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, वह छीन रहे हैं। यह लोकतन्त्र की हत्या होगी। यह लोकतन्त्र की हत्या आप संविधान की शपथ लेते हुए कर रहे हैं। जो फन्डामेन्टल राइट्स मिल चुके हैं, उनके खिलाफ यह कानून लाकर कार्यवाही कर रहे हैं। एक मुद्दा था, धारा 295 के अन्तर्गत

(श्री मूलचन्द डागा)
नगरपालिकाएं भंग कर सकते थे। इस प्रकार का संविधान विरोधी कानून आप पास करते हैं तो हम विरोध करते हैं। हम वाक आउट··

श्री श्योपत सिंह मक्कासर (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, इस विधेयक पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : माननीय सदस्य तो वाक आउट कर गये थे।

श्री मूलचन्द डागा : अभी समय है। वोट लेने के समय वाक आउट करेंगे।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : संशोधन के दौरान···

श्री मूलचन्द डागा : कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता हैं, धुरन्धर हैं।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : मैं नहीं समझता पाली से आने वाले माननीय सदस्य, जो पार्लियामेंट में भी रहे हैं, का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि सदन का समय बरबाद किया जाये। यही उनकी सेवा है। इस सदन में राजस्थान के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा राजस्थान की जनता भी है जो दीर्घाओं में बैठ कर हमारी कार्यवाही को देख रही हैं। वे सब इस कार्यवाही को गंभीरता से देखते हैं और आप यह क्या तमाशा बना बैठे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, ये विधेयक पर बोल रहे हैं? इनका उपदेश नहीं चाहिये।

श्री सभापति : आप तो वाक आउट कर गये थे?

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : मैं इनके खिलाफ सेन्सर प्रस्ताव लाऊंगा। हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इस विधेयक पर मेरे मित्रों ने बहुत कुछ कहा है और बड़े जोर जोर से प्रजातन्त्र की दुहाई दी है। इसको काला कानून बताया है। मुझे हैरानी होती है कि कौन लोग यह बात कह रहे हैं। यह वे लोग कह रहे हैं जिन्होंने संविधान को, हमारे देश के संविधान को इन्दिरा गांधी का गुलाम बना कर छोड़ दिया, जिन्होंने संजय गांधी और इन्दिरा गांधी का गुलाम बना कर छोड़ दिया। 42 वां संशोधन किया। उस वक्त आप कहां गये थे। आप तो प्रजातन्त्र के हामी थे। क्यों नहीं बोले?

श्री मूलचन्द डागा : बोला था। अमेन्डमेन्ट दिया था।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहूं, नगरपालिकाओं के चुनाव किस एटमासफियर में किये गये। इमर्जेन्सी के दौरान हुए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह दलील रखी कि इमर्जेन्सी के दौरान तो पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं। परन्तु वे इस बात को भूल गये, उस वक्त हम जेल में नहीं थे, बाहर आ गये थे आपके नगरपालिका के चुनावों के समय में अखबारों पर सेंसर था। मीटिंग की इजाजत नहीं थी। एप्रोच की इजाजत नहीं थी। चुनावों के बारे में एक शब्द बोलने की इजाजत नहीं थी। जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं उन्होंने नगरपालिका चुनाव बायकाट कर रखा था। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर चुनाव कराना है तो सारे के सारे लोगों को जेलों से बाहर

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

निकालो। विधान सभा में यह सवाल आया था, जेलों से छोड़ो सेंसरशिप हटाओ। अगर आप मानते हैं कि फेयर चुनाव हुआ था तो डर क्यों रहे हैं। यह तो डैमोक्रेटिक वे है। अब चुनाव हो रहा है। 15 वर्षों से आप ने म्युनिसिपेलिटी के चुनाव नहीं कराये। पंचायतों के 15 सालों से चुनाव नहीं कराये हैं। आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं। आप कोई संशोधन की बात करें तो समझ में आता है। यह प्रजातन्त्र इस प्रकार का नहीं है। आप संजीदा लोग हैं। चुनाव कराये जाने चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि एक दो का ही क्यों सारे राजस्थान की सारी म्युनिसिपेलिटी के चुनाव नवम्बर-दिसम्बर से पहले पहले होने चाहिए। आप डर रहे हैं। पहले जो मार पड़ी है। यह सही है कि जनता ने आपको थपथपाया है। फिर भी आप भयभीत हैं। इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सारे राजस्थान की म्युनिसिपेलिटी का चुनाव होगा। यह राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा।

श्री मूलचन्द डागा : हजारों रुपये खर्च हो जायेंगे।

श्री सभापति : मैं मना नहीं करूंगा। उन्हें स्वयं समझना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : सभापति महोदय, मैं सिरोही नगरपालिका के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां सारे के सारे सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहां पुलिस के डर से, मजिस्ट्रेट के डर से लोगों के नाम विथड्रा कराये गये हैं। निर्विरोध चुनाव का नाटक रचाने के लिए जबरदस्ती लोगों को बन्द किया गया इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : कोई रिकार्ड है? कोई दस्तखत हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, चुनाव के बारे में कहा गया है। चुनाव तो होने चाहिए। उनसे डरना नहीं चाहिए। लेकिन नगरपालिका चुनाव को एक साल ही हुआ है। इन चुनावों में कोई निर्विरोध चुनाव नहीं हुआ है। सभी में संघर्ष होकर ही चुनाव हुआ है। चुनावों के बाद एक साल में ही जिन नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये हैं, उनका फिर से नया चुनाव कराने की बात कही गई है। जो कि 3 साल में चुनाव होने की बात है, उससे एक नयी बात सामने आती है। जब विरोध होकर, संघर्ष होकर चुनाव हुआ है तो वहां नया चुनाव होने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हीं म्युनिसिपेलिटी के चुनाव होने चाहिए जिनमें ज्यादतियां हुई हैं। उनको भंग करके चुनाव कराते। अगर सभी जगह ऐसा हुआ तो सभी जगह ऐसा कराते। इस प्रकार से चुनाव कराने की बात सिर्फ एक राजनैतिक पार्टी के लाभ के लिए कही जा सकती है। इसलिए साल भर के बाद चुनाव कराने की जो बात कही गयी है उसका मैं अपनी पार्टी की ओर से विरोध करता हूं। यह अच्छी बात नहीं है। मैं उस पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहता हूं जो इन चुनावों से राजनैतिक लाभ उठाने की बात करती है। यह राजनैतिक लाभ उठाने के लिए चुनाव हैं

(श्री नूरा)

इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका विरोध करता हूं।

श्री दाऊ लाल जोशी : आप कांग्रेस की हां में हां मिलाने वाले हैं। आपने किया ही यही है।

श्री माधोसिंह (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, सिरोही में जो निर्विरोध की बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सिरोही जिले में 4 म्युनिसिपेलिटीज हैं जिनमें से 3 में संघर्ष हुआ है। एक है जिसमें निर्विरोध हुआ है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री माधोसिंह : 16 कांग्रेस के और 5 विरोधी दल के सदस्य हैं।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मन्त्री।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनका जवाब मैं दे चुका हूं। लोक सभा के चुनाव भी 5 साल के बजाय 4 साल में किये गये हैं। इसके लिए खर्चा नहीं हुआ है? एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। इससे पहले निर्विरोध निर्वाचितों के प्रतिशत की बात करता हूं। इससे पहले 71 मे 72% रहा। 74 में 29% और इस प्रकार 40 म्युनिसिपेलिटीज में 145 निर्विरोध आये हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊ लाल जोशी : आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 48 नगरपालिकाओं के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्विरोध चुने हुए हैं। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। इस नाते मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री मूलचन्द डागा : Noes have it

कई माननीय सदस्य : Ayes have it

श्री सभापति : हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री दाऊ लाल जोशी : हिन्दी में तो बोलो।

(मतदान सूचक घण्टी)

श्री खेतसिंह राठौड : अभी मिनिस्टर भी आपके पूरे नहीं आये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 1977 पारित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : काला कानून पास किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : काला कानून पास किया गया।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977

श्री सभापति : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977। प्रभारी मंत्री जी श्री कैलाश मेघवाल प्रस्ताव करेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री शंकरलाल। जनमत जानने हेतु प्रस्ताव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव रखा है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पंचायतों के चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए इसलिये चुनाव होने चाहिए। मैंने इस सदन का सदस्य होने के नाते, चाहे कोई भी सरकार रही, इस बात की आवाज उठाई है कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिए।

एक माननीय सदस्य : इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपने ?

श्री शंकरलाल : यह सरकार पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराना चाहती है, मैं इस निर्णय का तो स्वागत करूंगा, लेकिन सभापति महोदय, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए यह जो राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 लाया गया है इसमें पंचायतों के चुनाव की बात तो कही है, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषदों को भंग करने की बात भी कही गई है। सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पंचायत राज और लोकतान्त्रिक प्रणाली के सिद्धान्तों के खिलाफ है। आप पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें, पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें, जिला परिषदों का गठन जल्दी से जल्दी करें। लेकिन आप उनका गठन करने से पहले उनको भंग करके उनमें प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह एक अच्छी परम्परा और लोकतान्त्रिक प्रणाली नहीं होगी। आपने पंचायत समितियों के चुनाव कराने की तिथि भी घोषित की है, जैसा कि प्रभारी मंत्री जी ने कहा, अक्टूबर-नवम्बर के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव होकर रहेंगे। पंचायतों या पंचायत समितियों के चुनाव के बारे में माननीय

(श्री शंकर लाल)

प्रभारी मंत्री जी ने यह भी कहा कि इनके पुनर्गठन के बारे में विचार किया जा रहा है। यह पुनर्गठन कब होगा ? यह भी उन्होंने कहा था, शायद पंचायतों के चुनाव के पहले पुनर्गठन की बात कही थी। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पंचायतें और लोकतांत्रिक संस्थायें हैं अगर उनके अन्दर प्रशासक नियुक्त कर दिये, जो आज दिन तक नहीं हुए हैं और बाद में उनको सारी शक्ति भी देने की बात कह रहे हैं यानि वह भी सरकारी आदमी को सारी शक्तियां दे रहे हैं तो पंचायतों को सारी शक्तियां देना, मैं समझता हूं, ठीक नहीं है। आप पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, लेकिन पंचायत एक्ट के अन्दर यह प्रावधान है कि यदि पंचायतों की अवधि समाप्त होती है तो जब तक नये चुनाव होकर नये सरपंच और पंच नहीं आ जाते तब तक पुराने सरपंच और पंच ही काम करते हैं। जो रिलेवेन्ट सेक्शन है वह है 7ए, इसके अन्दर है :

"Notwith standing anything contained in section 7, the Sarpanch and Panchas of a Panchayat, of which the term of office has expired, shall continue to hold office till the day immediately preceding the date of first meeting of the Panchayat as a result of the periodical general elections."

सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आप जल्दी से जल्दी करायें। अक्टूबर नहीं, सितम्बर में करायें, अगस्त में करायें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो प्रशासक नियुक्त करने की बात करते हैं और उनको अधिकार देने की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि यह स्वयं आपकी नीतियों के प्रतिकूल होगा। यह जो प्रावधान है यह केवल ग्राम जनता को प्रभावित करने वाला है। पंचायतों के अन्दर जो प्रशासक नियुक्त करने की बात आपने कही है जब कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर आज दिन तक प्रशासक नियुक्त नहीं हुआ, आप इसमें जनता की राय लीजिए कि जनता क्या वास्तव में प्रशासक नियुक्त करवाना चाहती है ? इसलिए मैंने जनमत जानने के लिए एक माह के लिए परिचालित करने के लिए कहा है। एक माह के अन्दर जनता की राय आ जायगी तब आप निर्णय लें और आप जो नया कानून लाना चाहते हैं, वह लायें। अभी पंचायतों को भंग करके उनमें प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं, यह उचित निर्णय नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं लेकिन प्रशासकों की नियुक्ति नहीं करें तो उपयुक्त होगा।

(4.52 म. प.)

(मेजर श्री फतह सिंह, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

एक माननीय सदस्य : हमेशा भंग करके चुनाव कराये जाते रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सभापति जी, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। यह प्रस्ताव मैंने रखा है। परन्तु इस बारे में माननीय मन्त्री जी ने पंचायतों में भी प्रशासक नियुक्त करने की बात कही। उसके बारे में स्पष्टीकरण कराने के नाते मैं यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायतों की संख्या कितनी है यह आप भली भांति जानते हैं। 235 पंचायतें हैं उनमें किस प्रकार से प्रशासक नियुक्त करेंगे ? तीन-चार पंचायत के ऊपर एक सचिव भी नहीं है आज।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, यह बिल में नहीं है कि पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंचायतों में नहीं, पंचायत समितियों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेंगे, यही मतलब है आपका ?

सभापति महोदय, जैसे अभी ९ विधान सभाओं को भंग करके इमीजिएटली चुनाव कराये गये, इसी तरह से आप इनको भंग करके पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव भी करा सकते हैं। इसमें क्या आपको दिक्कत है ? अगर आपकी चुनाव कराने की मन्शा है, प्रस्ताव है, इसका तो मैं बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि यह पंचायतों के चुनाव बहुत ओवरड्यू हो चुके हैं। जो भी गवर्नमेंट रही उसने हमेशा यही कहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने नगरपालिकाओं के लिए कहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं मानता हूं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव तुरन्त कराये जाने चाहिए, आपके इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं परन्तु प्रशासकों को नियुक्त करके अभी तो आप टाइम लेना चाहते हैं। वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि परिसीमन के मामले में ज्यादा समय लगने की गुंजाइश है तो इसके बारे में विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा अवधि नहीं बढ़ायेंगे। ऐसा नहीं हो कि प्रशासक नियुक्त करके आप अवधि बढ़ाने में लग जायं। वैसे कम से कम छः महीने तो लग जायेंगे। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा कि आपने जो घोषणा की है कि यह अवधि आगे नहीं बढ़ायेंगे तो आप तुरन्त इलेक्शन करा दीजिए। अभी बजट सत्र भी आ रहा है। इसलिए थोड़े समय के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कर दिया जाय, यही कहना है। जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है पंचायत समितियों में, उनमें आपकी जो प्रशासक नियुक्त करने की भावना है यह थोड़े लोगों को अच्छी नहीं जंचेगी।

इसलिए सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रशासक नियुक्त करके बाद में समय देते रहें, पंचायतों को छोटी बड़ी करने में लग गये तो यह लोकतन्त्र के हित में नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह : सभापति जी, यह जो बिल पेश हुआ है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, I am feeling disturbed.

श्री अजीतसिंह : सभापति जी, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

यह जो बिल सदन के सामने है, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप इस पंचायत राज में प्रशासक की नियुक्ति की नई परम्परा डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसको मैं उचित नहीं मानता। हमारी जनता पार्टी और सारी जनता इस बात से संतोष प्राप्त नहीं कर सकती कि नई परम्परा डाली जाए। जैसे नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति का काम चल रहा है और वर्षों तक प्रशासक नियुक्त रहते हैं और चुनाव होते नहीं। उसी प्रकार जब परिसीमन हो रहा है और पंचायती राज पर कई कमेटियां बैठीं जिनकी रिपोर्ट्स है, उन पर विचार करके चुनाव करवायेंगे तो उसमें काफी समय लग जाएगा। इतने समय प्रशासक के नीचे जिला परिषद् और पंचायत समितियों को रखना उचित नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जनमत जानने लिए इसको परिचालित करें। यह भी फैसला करें कि आखिर प्रशासक कौन बनेगा। यह निश्चय आपने नहीं किया है।

श्री सभापति : माननीय श्री उगमराज मेहता !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मेघराज !

(अनुपस्थित)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

माननीय श्री हरजी राम बुरडक !

श्री हरजी राम बुरडक : मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं परन्तु प्रवर समिति को सौंपने के पीछे मेरा यही विचार है कि इस विधेयक में और भी कई कमियां हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप दृढ़ रहना अपने प्रस्ताव पर, बिगड़ना नहीं करना।

श्री हरजी राम बुरडक : कुछ भी निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि प्रशासक कौन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या अवधि होगी। जब आप इन संस्थाओं के चुनाव जल्दी करा रहे हैं तो इस समय इस प्रकार की व्यवस्था करना उचित नहीं होगा।

दूसरे, पंचायत समितियों का नियंत्रण पंचायतों पर कैसे होगा ? यह एक्ट में दिया हुआ है कि पंचायत समितियों का सामान्य नियंत्रण होगा लेकिन इस एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर पंचायत समितियों का नियंत्रण पंचायतों पर न हो, उसकी हिदायतें पंचायतें न मानें तो एक्शन लिया जाएगा। इसलिए एक्शन लेने का प्रावधान होना

(श्री हरजी राम बुरडक)

चाहिए । इसलिये इस बिल को प्रवर समिति को सौंप दिया जाए जो सारी बातों को देख कर अपनी रिपोर्ट दे देगी । एक सप्ताह का समय बताया है, अगर राज्य सरकार को जल्दी हो तो एक सप्ताह में खास फर्क नहीं पड़ता ।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अब्दुल अजीज !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री माधवसिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सालिगराम !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मांगीलाल !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामरघुनाथ चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के लोग चले गए ।

श्री सभापति : Janata Party should take note of it.

माननीय श्री आलमअली खां !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री वृद्धिचंद्र जैन !

श्री वृद्धिचंद्र जैन : सभापति जी, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि-पर्यवसान) विधेयक, 1977 का एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे । यह संशोधन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है । मूल विधेयक 1959 के अन्दर पास हुआ था उसमें कोई प्रावधान प्रशासक का नहीं है । प्रावधान न रखने का प्रयोजन यह था कि ये डेमोक्रेटिक संस्थायें हैं जिनका डीसेंट्रलाइजेशन की दृष्टि से महत्व है । इसलिये प्रशासक की किसी भी तरीके से नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और प्रशासक के नीचे संस्थायें नहीं दी जानी चाहिए । परन्तु जनता पार्टी ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके अन्दर इन संस्थाओं के लिए प्रजातांत्रिकप्रणाली को छोड़कर प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान किया है । इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव मैंने इसलिये रखा है क्योंकि यह बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के विरुद्ध है । अब यह भी प्रश्न उठता है कि नगरपालिका में इस प्रकार के प्रावधान होने से, प्रशासक का प्रावधान होने से, नगरपालिका के चुनाव बार-बार आगे बढ़ जाते हैं और प्रशासक पर उसकी जिम्मेदारी आ जाती है । ऐसा न हो कि सरकार की मंशा यही हो और पंचायतों के चुनाव आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका ढूंढा गया हो । ये सब बातें प्रवर समिति में एग्जामिन की जा सकती हैं । अगर वाकई सरकार की चुनाव कराने की मन्शा है, तो जैसा नगरपालिकाओं के लिए कहा है कि नवम्बर के पहले सप्ताह में चुनाव कराये जायेंगे उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट कर दिया जाय क्योंकि शीघ्राति-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

शीघ्र निर्णय नहीं होगा। हमारी सरकार जब थी, उस समय भी मैंने विरोध किया और कहा था कि बार-बार चुनाव स्थगित न करें, चुनाव स्थगित करने से हमारे दल को नुकसान हुआ। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपने भी प्रशासक की नियुक्ति करके चुनाव स्थगित कराने का तरीका अख्तियार किया तो यह प्रजातांत्रिक प्रणाली के हित में नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर !

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री मणिराम, आप बोलिये।

श्री मणिराम (तारानगर) : सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव को करीब 12-13 साल हो गये। उन पंचायतों में और पंचायत समितियों में वही पंच और सरपंच तथा प्रधान लोग जमे हुए हैं। मैं इस पक्ष में हूं कि पंचायत और पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी दुबारा होने चाहिए। प्रजातन्त्र में प्रजातांत्रिक तरीके से काम होना चाहिये इसलिये यह चुनाव होने जरूरी हैं। सभापति महोदय, पिछले सालों में पंचायतों में और पंचायत समितियों में जो गड़बड़ घोटाले हुए, जो गबन हुए, जो भ्रष्टाचार हुए हैं वह किसी भी माननीय सदस्य से छुपे हुए नहीं हैं। पिछले सालों में करीब 12-13 सालों में हमने यही देखा कि गांव में किसी गरीब व्यक्ति का पशु खुल कर कहीं चला जाय तो दूसरी पंचायत वाले उस पशु को वहां बन्द करके उसे नीलाम कर दिया करते थे। अगर उस पशु का मालिक उसके बारे में कोई शिकायत करता, उसको पता लगने पर पीछे पीछे जाता तो यह कहा जाता कि यह पशु तो बहुत अर्से से यहां पर बन्द है इसलिये इसको नीलाम किया गया है। इस प्रकार, सभापति महोदय, इन पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषदों में बहुत भारी घोटाले हैं। मेरा निवेदन है कि नये चुनाव कराये जायं ताकि नये जन प्रतिनिधि आयें और उन पुराने सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों के जो घोटाले हैं उन्हें जनता के सामने लायें, उनके लिये जो दोषी व्यक्ति हैं उन्हें दण्डित किया जाय और उन लोगों के खिलाफ में गबन घोटालों के लिये मुकदमे चलाये जायं। मैं इसके पक्ष में हूं कि पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषदों के शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जायं। अच्छा, मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री हजारीमल !

श्री हजारी मल (सरदारशहर) : सभापति महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करे।

(श्री हजारी मल)

सभापति महोदय, मेरी यह निश्चित राय है कि आज जो भी पंचायतें, पंचायत समितियां हैं जो जिला परिषदें हैं वे निष्क्रिय और निकम्मी हो चुकी हैं। इतने वर्षों तक कांग्रेस सरकार लगातार इनकी अवधि बढ़ाती रही, वह गांवों में इस बात का प्रयास करती रही कि कांग्रेस का उन पर कमान्ड रहे इसलिये चुनाव नहीं कराये। लेकिन इससे इन पंचायतों व पंचायत समितियों ने अपना विश्वास जनता में खो दिया है। कांग्रेस सरकार इसलिये चुनाव नहीं करा रही थी कि कहीं वह पंचायत, पंचायत समितियों के चुनाव में जनता में अपना विश्वास खो न दे। ये पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद् कांग्रेस सरकार की एक एजेन्सी बन कर काम करती रहें, इसी कारण से पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम में बार-बार संशोधन किये गये। पहले राज्य सरकार को इसमें वह पावर्स नहीं थी कि पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद् के प्रमुखों को निलम्बित कर सके लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने इस एक्ट, अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया कि राज्य सरकार उनको निलम्बित भी कर सकती है। कांग्रेस सरकार ने लोगों को निलम्बित भी किया। राज्य सरकार ने तानाशाही प्रवृत्ति अपना कर ऐसा किया। सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों को निलम्बित करने का कोई औचित्य नहीं था। पर यह इसलिए किया गया कि राज्य सरकार का भय इन सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों में बना रहे ताकि यह लोग कांग्रेस के पक्ष में रहें।

सभापति महोदय, इस बात का मैं आपके सामने ताजा उदाहरण पेश करना चाहूंगा। अभी जब लोक सभा के चुनाव हुए थे तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कई सरपंचों को, प्रधानों को सस्पेन्ड कर दिया था। लेकिन जब उन लोगों ने कांग्रेस का साथ देने की हां भर ली तो उन लोगों को वापस बहाल कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने उनके सस्पेन्शन के आर्डर रिवोक कर दिये। यह तमाशा भी राजस्थान की जनता ने अभी थोड़े महीने पहले देखा था। सभापति महोदय, आज पंचायत, पंचायत समितियां, वगैरह बिल्कुल अनुपयोगी हो गयी हैं इसलिये चुनाव तो होने ही चाहिये लेकिन आपने इस बिल में प्रशासक नियुक्त करने का जो प्रावधान किया है वह ठीक नहीं किया। उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम देख चुके हैं कि जिन संस्थाओं में आपने प्रशासक नियुक्त किये उनसे कोई बहुत बड़ा लाभ जनता को हुआ हो वह बात नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है। आप इसके बजाय अगर पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को भंग कर देते और प्रशासक की जगह आप सलाहकार समिति और प्रशासक के साथ बना देते तो काफी ठीक रहता। मेरा यही निवेदन है कि आप प्रशासक के साथ सलाहकार समिति भी बना दें तो वह उनके काम की अच्छी तरह से देख-रेख कर सकेगी।

श्री सभापति : श्री करतार सिंह !

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। इस प्रस्ताव पर

(श्री करतार सिंह)
विचार व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय इस पक्ष में मैं हूं। साथ ही पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायं उनकी वकालत करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में आज पंचायत, पंचायत समितियां सभी बिलकुल निष्क्रिय हो गयी हैं। वे बिलकुल ही अयोग्य हो गयी हैं। फिर भी मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि आप पंचायत समतियों और जिला परिषदों के अन्दर प्रशासक की नियुक्ति करें क्योंकि यह जो प्रशासक लोग हैं इनका हमारी राजस्थान की ग्रामीण जनता को ही कटु अनुभव है, ये प्रशासक लोग नगरपालिकाओं में पहले नियुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी वहां की जनता के दुःख-दर्द नहीं सुने। इन प्रशासकों का हमेशा ही अफसरशाही रवैया रहता है, वह जनता की बात सुनते नहीं और इस तरह जनता को इन प्रशासकों से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है और खास तौर से मैं पंचायत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आप चुनाव जल्दी से जल्दी करायें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अवधि पर्यवसान) बिल जो पेश हुआ है इसके उद्देश्यों और कारणों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दुःख हुआ। जो जनता पार्टी चुनावों के पहले पंचायतों के चुनावों को कराने का ढोल पीटती थी उसने चुनाव नहीं करा कर अब वहां पर प्रशासक नियुक्ति का कार्य किया है। यह दुरंगी चाल मुझे जनता सरकार की मालूम पड़ती है। अभी यहां पर मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी करायें। आपने अगर प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया है तो उसके साथ-साथ आप इन प्रशासकों के साथ सलाहकार समितियां बनाने का प्रावधान भी रखें। यह सलाहकार समितियां जनता के प्रतिनिधियों की होंगी इसलिये वह जनता के दुःख-दर्द को समझेंगी।

सभापति महोदय, मैंने प्रवर समिति को इस बिल को सौंपने की बात कही है। वैसे ये पंचायतें और पंचायत समितियां निष्क्रिय हो चुकी हैं, पंचायतों की तो बैठकें ही नहीं हो रही हैं, वहां बुरी तरह भ्रष्टाचार फैल रहा है और अब आपने इसके साथ जो प्रशासक नियुक्ति की बात कही है तो आप बतायें कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के प्रशासक आप किसे नियुक्त करेंगे? आपने उप जिलाधीश को कृषि उपज मंडी समिति का प्रशासक बना दिया है, उपजिलाधीश को ही नगरपालिका का प्रशासक बना दिया है, उप जिलाधीशों को ही जो बी. डी. ओ. हैं, आप पंचायत समितियों के प्रशासक बनायेंगे और उन्हें आप उनके सचिव का काम करने को कहेंगे। तो क्या उप जिलाधीश या एस.डी.एम. के पास बहुत अधिक काम नहीं हो जायेगा? इसके अलावा पंचायत समितियों का काम यह प्रशासक कब देखेंगे? यह विचार करने की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे सुझावों की तरफ ध्यान दिया जाय।

(श्री करतार सिंह)

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां पर माननीय सदस्य जब कोई अन्य सदस्य बोलते हैं तो उसे टोकते हैं, यह उचित नहीं है। यहां बैठकर डिबेट में जो भाग लेते हैं उनकी भावनाओं पर छींटा-कसी करते हैं यह सदन की परम्परा के विपरीत है।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री करतार सिंह : मेरा यह निवेदन है, भविष्य में माननीय सदस्यों को यह सूचित कर दें कि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बीच में डिस्टर्ब न करें और चुप रहें। उनको मेरी बात नहीं सुहाती है तो वे चले जायं।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री करतार सिंह : मेरा निवेदन है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति सभी पहलुओं पर विचार कर सकेगी। मैं इसके पूर्ण समर्थन में हूं कि यह विधेयक पास होना चाहिये क्योंकि यह बहुत आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंह !

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मुझे समय दिया जाय।

श्री सभापति : मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरडक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके पश्चात् पहला नाम श्री प्रद्युम्नसिंह का था दूसरा आपका नाम था, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां और नवां।

श्री अब्दुल अजीज : मैं लघु शंका के लिये गया था। मुझे ख्याल नहीं था कि आप मुझे समय दे देंगे।

श्री सभापति : लघु शंका के लिये गये होंगे।

क्या हाउस की इच्छा है कि आपको बोलने का मौका दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मौका दिया जाता है। बोलिये !

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैं भी यह चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव हों।

श्री सभापति : एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं। मुझे क्षमा करेंगे मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। हाउस की परम्परा यह रही है कि जब माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाता है तो सदन में उनको उपस्थित रहना चाहिये। यह परम्परा रही है। माननीय सदस्य जो नये आये हैं वे इसका ख्याल रखें।

(व्यवधान)

Please don't discuss. You are also new,

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि-पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह में प्रस्तुत करे। यह मेरा प्रस्ताव है।

इसका मुख्य कारण यह है कि जिस अमेन्डमेन्ट को ला रहे हैं इससे तो मैं इन्कार नहीं करता कि चुनाव नहीं होने चाहिये। मैं ताईद करता हूं कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिये जो कि काफी अर्से से नहीं हुए हैं। लेकिन साथ ही मैं यह चाहूंगा कि कितने लम्बे अर्से तक वह एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे ? चुनाव की तारीख भी आपने नहीं बताई। इसी बीच में गांव के अनपढ़ लोगों को जरूरीयात की चीजें चाहिये, जैसे सीमेन्ट, शक्कर, बीज, खाद आदि, उनको उन चीजों को लेने में दिक्कत होती है। किसान और आफिसर के बीच के लोग होंगे, वे अनपढ़ लोगों का बेजा फायदा उठायेंगे। सीमेन्ट वगैरह उनको सही मिलती रहे इसके लिये सरकार तिथि निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त उसी क्षेत्र की जानकारी रखने वाला आफिसर हो तो ज्यादा उपयुक्त होगा, यह सब फैसले सलेक्ट कमेटी कर सकती है इसलिये इसको एक माह के लिये सलेक्ट कमेटी में भेज दें तो वह राय देगी। एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाते हैं, तो, असेंसियल कमोडिटीज, जिनका मिसयूज किया जा सकता है, के डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों के अनपढ़ होने का बेजा फायदा बीच के लोग नहीं उठा सकें इसलिये, चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी जाय। लेकिन उप जिलाधीश उसी एरिया की जानकारी रखने वाले को वहां लगाइये।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह !

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। आप जिला प्रमुख हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने भी यह प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान पंचायत समिति (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। इसके पीछे भावना यह है कि चुनाव कितने ही करवा लें, पंचायत समिति और जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। चुनाव होने से ही पूरा विकेन्द्रीकरण हो जायगा या पंचायती राज जम जायेगा यह बात होने वाली नहीं है। इसलिये मैं चाहता था कि पूरी बातों पर गौर करके और शक्ति केन्द्रित करके जनता पार्टी ने घोषणायें भी की हैं और सर्वोदयी नेता जय प्रकाश जी भी इस पर जोर दे रहे हैं, हम भी यह चाहेंगे कि आप पहले इनका सशक्त बनाइये। ये सशक्त बन जाती हैं फिर चुनाव करायेंगे तो निश्चित रूप से नयी दिशा मानी जावेगी। अगर यह समझें कि कोरी चुनावों से शक्ति आ जावेगी तो वह आने वाली नहीं है। एक तो मेरा यह मुद्दा था जिसके कारण मैंने निवेदन किया कि इसको सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। सादिक अली रिपोर्ट, गिरधारीलाल व्यास कमेटी रिपोर्ट और भारतीय पंचायत परिषद् ने जो सुझाव दिये उन सब को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिये कार्य कीजिये और फिर पंचायतों के चुनाव करायें ताकि लाभ मिल सके।

(श्री खेत सिंह राठौर)

एक नयी परम्परा डाल रहे हैं, पंचायती राज में आप एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स आम तौर पर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। आप ने स्वयं ने भी इस बात को माना है और हमने अच्छी तरह से इसका नतीजा पाया है। जहां-जहां ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में काम दिये वहां निश्चित रूप से असफलतायें मिली हैं। फेमिली प्लानिंग को उनके सुपुर्द किया उसका लाभ आपको मिला। आप पंचायती राज को उनके सुपुर्द करने जा रहे हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आपकी आप जाने। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को यह अधिकार देते हैं तो प्रधान और प्रमुख और जिस किसी से भी उनका द्वेष है उनको वे निकालने की कोशिश करेंगे पूर्ण रूप से, मन चाहे ट्रान्सफर्स करेंगे और काम करेंगे। कई टैक्स लगा देंगे और कई की वसूली शुरू कर देंगे। अनाप-शनाप ट्रान्सफर्स करेंगे। ये पाबन्दियां नहीं लगायीं तो मुख्य मंत्रीजी, निश्चित रूप से आपके लिये घातक होने वाला है। मैं तो आपका हमदर्द हूं और शुभचिन्तक हूं इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं।

दूसरे आप से यह भी निवेदन करना चाहता था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार से पंचायती राज में एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाये थे। देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाये जाने के बाद वहां पर क्या हालत बिगड़ी। उसे भी आप ध्यान में लायेंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उद्देश्य एवं कारणों का विवरण देते हुए इस बात को माननीय श्री कैलाश मेघवाल जी ने कहा है कि "समस्त पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पदावधि 31 दिसम्बर, 1977 तक या इन निकायों के आम चुनाव कराये जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, बढ़ाई थी।" इसका मतलब यह हुआ कि 31 दिसम्बर से आगे किसी भी हालत में इसकी मियाद नहीं बढ़ रही है। मैं खास तौर से जानना चाहता हूं इसलिए कि मैंने एक प्रश्न पूछा था पहले, मुख्य मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया था कि यह भी विचाराधीन है। वह प्रश्न मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार एक एम.एल.ए. का चुनाव क्षेत्र, एक तहसील का क्षेत्र और पंचायत समिति का क्षेत्र इन तीनों को को-टरमीनस करने की सोच रही हैं? तो, मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया कि यह हमारे विचाराधीन है। तब से मेरे दिमाग में फितूर आया कि इसका मतलब तो यह हुआ कि आप सोचे हुए बैठे हैं कि आपकी कोई चुनाव कराने की इच्छा नहीं है और आप आगे से आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। जैसा हमने किया था वैसा ही आप करना चाहते हैं? यदि यही इच्छा है और वह भी एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिये करने की इच्छा है तो यह बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली चीज है। इसलिए मैं माननीय कैलाश जी मेघवाल से चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण खुले तौर से करें जैसा कि नगरपालिका के मंत्री महोदय ने कहा कि हम अक्टूबर में निश्चित तौर पर चुनाव कराने जा रहे हैं वैसे ही आप भी निश्चित महीना बता दें। यदि आप निश्चित महीना बता देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी ध्यान रहेगा और और जनता को भी भेय रहेगा कि आपकी चुनाव कराने की मंशा है।

(श्री खेतसिंह राठोड़)

अगर आपकी मंशा नहीं है तो फिर वापस पंचायत और पंचायत समितियों को री-आर्गनाइज करने की बात आ जाती है। एक बात आप कहेंगे कि हम पंचायतों को यथावत् रख रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें भी डाउट है क्योंकि पंचायत एक्ट में प्रावधान है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर कर सकते हैं, फिर भी आज यह कानून पास करवा रहे हैं। इस कानून में यह प्रावधान पहले से ही है। इसलिए सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके इस मामले को खत्म करने की आपकी इच्छा है, तो ऐसा कह दीजिये कि हम पंचायती राज्य को बिलकुल साफ कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में आपकी जो भी नीति है उसको साफ बताइये।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जब तक आप इसको सक्षम यूनिट नहीं बनायेंगे और इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक कोरे चुनाव कराने से सत्ता का विकेन्द्रीकरण सही ढंग से हो जाय, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

इन विषयों को लेकर मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि आप इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि हम और आप सब सहयोग से इसको बिल के रूप में वापस यहां लायें। हम आपको सहयोग देते हुए इसको पास करायें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री पंचायत) : माननीय सभापति महोदय, जो उद्देश्य इस विधेयक को लाने के बताये गये हैं वह यह है कि पंचायत और पंचायत समितियों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना स्वरूप ही खो दिया है इसलिए यह बिल लाया गया है। मैं आपको निवेदन करूं कि यह जो पंचायत समितियां वर्तमान में हैं इन पंचायत समितियों का गठन 1965 के जनवरी माह में हो गया था। उस समय की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अनुसार 3 साल के लिए इन संस्थाओं के चुनाव हुए थे। इसके बाद साधारणतया 3 साल के बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे। लेकिन जो राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 है और इसके बाद जो पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1959 है उसमें इस बात की व्यवस्था की गई कि एक साल तक के लिए यह चुनाव आगे बढ़ाये जा सकते हैं। वह एक साल का समय तो 3 साल पूरा होने के बाद उस समय बढ़ा दिया। उसके बाद एक साल के बाद भी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं आये तो एक अध्यादेश के द्वारा कार्यावधि बढ़ाई गई। यह 'अध्यादेश' शब्द का मैं गम्भीरता से इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि पंचायती राज के स्वरूप को खत्म करने में और उसको आज जिस खोखले रूप में लाकर राजस्थान में खड़ा कर दिया है उसमें अध्यादेश की शक्ति, जो राज्य सरकार को मिली है का भयंकरतम उपयोग हुआ है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि एक नहीं एक के बाद पांच बार अध्यादेश जारी किये गये इस पंचायती राज्य की कार्यावधि बढ़ाने के लिए।

पहला अध्यादेश जो जारी किया गया उसमें यह था कि 3 साल के बजाय 5 साल की अवधि गिनी जाये। प्रारम्भ में जनता के

(श्री कैलाश मेघवाल)

सामने जब वोट लेने गये तो पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रनिनिधि चुने वह 3 साल के लिए चुने थे उस अवधि को पहला अध्यादेश लाकर 5 साल के लिए कर दिया। इस 5 साल के बाद एक साल की अवधि बढ़ाई तो 6 साल हो गए और 6 साल के बाद भी चुनाव नहीं हुए तो 1 साल का जो प्रावधान था कि 1 साल तक इन चुनावों को आगे बढ़ा सकते हैं तो 1 साल को 3 साल कर दिया गया और एक अध्यादेश फिर जारी कर दिया गया। फिर जब 8 साल में भी चुनाव नहीं कराये जा सके तो उस 3 साल को 4 साल कर दिया गया। जब 9 साल होने पर भी चुनाव नहीं कराये जा सके तो फिर उस अवधि को 5 साल कर दिया गया, एक अध्यादेश जारी करके और 5 साल करने के बाद भी यह अवधि 1974 तक होती थी, उस समय तक भी तत्कालीन राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी तो उसके बाद 5वां अध्यादेश जारी किया कि यह तो 31 दिसम्बर, 1977 तक स्थाई रहेंगे।

यह मैंने इसलिए निवेदन किया कि जो स्थिति बनी उस स्थिति में देश में लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और 1972 में विधान सभा के चुनाव हुए तो ऐसी कोई परिस्थिति राज्य सरकार के सामने नहीं थी कि पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाते। फिर क्या कारण थे कि जो प्रतिनिधि 3 साल के लिए चुने गये थे वह आज 13 साल तक बने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रतिनिधि अपने स्वरूप को खो चुके हैं।

2 अक्टूबर, 1959 में नागौर में स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने जिस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था, प्रारम्भ में इसको जो स्वरूप दिया, मैं आश्वस्त हूं, उस समय की जो पंचायत समितियां थीं उनको थोड़े विकास के कार्यक्रम दिये गये। उन विकास के कार्यक्रमों में सोइल कन्जर्वेशन के कार्यक्रम थे, कृषि के कार्यक्रम थे, गांवों की सड़कों के कार्यक्रम थे और खाद के कार्यक्रम थे, इसके बाद लिंक रोड के कार्यक्रम थे फिर डिगिंग आफ वेल्स के कार्यक्रम थे – यह सारे कार्यक्रम पंचायत समितियों को दिए गए थे। लेकिन धीरे-धीरे इन सारे कार्यक्रमों को इनसे लिया गया और आज केवल एजूकेशन रह गया है, फेमिली प्लानिंग की व्यवस्था रह गई है और पंचायतों के ऊपर कंट्रोल रह गया है। यह स्थिति रह गई है। फेमिली प्लानिंग का जो स्वरूप रह गया है उससे साधारणतः अब सही ढंग से फेमिली प्लानिंग करने में भी बाधायें उपस्थित हो रही हैं। अब इसके बारे में पंचायत समितियां नहीं बोल सकतीं। पंचायती राज के बारे में जैसा मैंने कहा कि 3 साल के लिए चुनाव हुए किन्तु आज यह प्रतिनिधि 13 साल से बैठे हैं। इस कारण वह किसी बात के लिए उत्तरदायी नहीं रह गये हैं जो आज हो रही हैं। सारी अव्यवस्था पंचायत समितियों में है।

सवेरे श्री विश्नोई जी कह रहे थे कि पंचायतों में बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और उनके पास काम कुछ भी नहीं है, सारा स्टाफ बेकार बैठा रहता है। इसके बाद जो भी मुझे सूचना मिली वह यह है कि सिवाय इसके कि ट्रांसफर्स की सूची आजकल पंचायत समितियां जारी कर रही हैं और कोई काम नहीं कर

(श्री कैलाश मेघवाल)

रही हैं। कहीं 30 अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया है तो कहीं 60 का कर दिया है। इस तरह से सारी अव्यवस्था हो रही है। इस सारी पृष्ठभूमि में यह सोचा गया कि प्रतिनिधि अपना स्वरूप खो चुके हैं और पंचायती राज का ढांचा एक खोखला ढांचा रह गया है। उस स्थिति में मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों का तो जैसा मैंने निवेदन किया, पंचायती राज संस्थाओं से विश्वास उठ गया है। इसलिए पहला काम यह है कि गांवों के लोगों में अधिक से अधिक पंचायती राज संस्थाओं के प्रति विश्वास भरा जा सके, पंचायतों को ठीक स्वरूप दिया जा सके। पहिले की सरकार इस काम को ठीक ढंग से नहीं निपटा पाई है। एक माननीय सदस्य ने पूछा कि चुनाव कब करायेंगे ? मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि दिसम्बर तक चुनाव अवश्य करा दिये जायें। अब सवाल यह है कि नया ढांचा कैसा हो ? मेरा निवेदन है कि वह एक प्रभावी ढांचा हो। स्वयं माननीय खेतसिंह जी का भी सुझाव है कि पंचायतों का ढांचा प्रभावकारी हो। इसलिए मैं निश्चित तारीख नहीं कहता। नया ढांचा हम बनाना चाहते हैं, नई स्थिति हम लाना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि पंचायत समितियों का स्वरूप वैसा हो ? तो जैसा आपने कहा, पंचायत राज के सम्बन्ध में सरकार के पास कई रिपोर्ट्स हैं, दूसरी जगह जहां-जहां पंचायती राज संस्थायें चल रही हैं उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। हम चाहते हैं राजस्थान की जनता को हम जो नया ढांचा दें वह प्रभावी ढांचा दें।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया, प्रशासक की नियुक्ति करने के बारे में। यह व्यवस्था, मूल रूप से जो एक्ट है, उसमें स्थायी रूप से इन्ट्रोड्यूज नहीं कर रहे हैं। यह एक अन्तरिम व्यवस्था है। अन्तरिम व्यवस्था में जो प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं उनके पास कैसा काम रहेगा ? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन इस बात का विश्वास रखे कि अधिक समय तक यह प्रशासक नहीं रहेंगे। इसलिए यह अन्तरिम व्यवस्था है। इसमें मूल रूप से जो एक्ट है, उसका संशोधन नहीं किया गया है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बातें तय करनी हैं जिनके आधार पर इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आया। इसकी आड़ में दूसरी बातें अधिक कही गईं जिनके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय और आज ही उसे पास करने में मदद की जाये। प्रवर समिति की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने दो मुद्दे उठाये थे एक तो यह कि अन्तरिम व्यवस्था में ट्रांसफर्स वगैरह के बारे में आप क्लेरिफिकेशन करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने जो बताया उससे साफ है कि आज एक दिन में ही दो बातें कह दीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति जी, मैं भी एक सवाल पूछना उचित समझता हूं। चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में यह जो दो तरह की घोषणायें की हैं मैं माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि स्पष्ट घोषणा करें इस बारे में।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बात कही है कि मुख्य मन्त्री की घोषणा अलग है, यह बिल्कुल गलत है। मुख्य मन्त्री जी ने जो घोषणा कल की थी, अगर गठन में देरी हुई तो हो सकता है चुनाव थोड़ा आगे जायं लेकिन राज्य सरकार का दृढ़ निश्चय है पंचायतों के चुनाव दिसम्बर तक करा दिये जायं। अगर कोई विशेष बाधा उपस्थित हो जाय, तो हमारी मजबूरी होगी।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति जी, दो प्रश्न माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा। एक तो यह कि क्या पंचायतों को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का इरादा है? दूसरा, 31 दिसम्बर, 77, जो इस स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में आपने कही है, आगे चुनाव ले जाने का इरादा है? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, इन तीनों संस्थाओं का पुनर्गठन करने का इरादा है क्या? अगर है, तो आप वैसा बतायें। चौथी बात यह भी बता दें, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिये जो विभिन्न रिपोर्ट्स राज्य सरकार के पास मौजूद हैं उन पर चिन्तन करके, पंचायती राज को पूरा सार्थक करके चुनाव कराने का इरादा है या पहिले? जनता को भ्रम न रहे, हम लोगों को भी भ्रम न रहे इसलिये यह बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चार प्रश्न खड़े किये हैं उन चारों प्रश्नों का मैं समझता हूं एक ही उत्तर है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि पंचायतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पंचायतों को उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। पंचायतों के द्वारा ग्रामीण जनता का राजस्थान के विकास में ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्वमेंट हो उस ढंग की स्थिति निर्माण करने की आवश्यकता है। एक दूसरा सुझाव था कि पंचायत समितियों को विधान सभा क्षेत्र से को-टरमीनस बनाया जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि यदि सामान्य परिस्थितियां रहीं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे तो 31 दिसम्बर से पहले चुनाव करा देंगे।

अब रहा पुनर्गठन का सवाल, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं कि यदि पुनर्गठन का काम हाथ में ले लें तो दिसम्बर, 77 तक पूरा नहीं कर पायेंगे इसलिए पुनर्गठन के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि कम से कम समय में पुनर्गठन की कार्यवाही समाप्त हो जाय? इसी पर विचार कर रहे हैं और विचार करने में यदि यह लगा कि एक दो महीने में ही पुनर्गठन हो सकता है तो उसके लिए थोड़ा-सा समय और लग सकता है, और चुनाव दिसम्बर में न करा कर अगले महीने कराये जा सकते हैं। तो उस पुनर्गठन के महत्व को समझते हुए थोड़ा-सा समय का कोई अन्तर नहीं होगा। आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि पंचायतों के चुनाव टालने की हमारी नीयत नहीं है, जितनी जल्दी सम्भव होगा हम चुनाव करायेंगे। हम पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहते हैं, पंचायतों को उपयोगी बनाना चाहते हैं। इसलिये जैसा माननीय सदस्य, जो डीडवाना से आये हैं, ने कहा उसी तरह हम भी कार्यवाही कर रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स का हम अध्ययन कर रहे हैं। अन्य राज्यों में जिस प्रकार की व्यवस्था आज है उसका अध्ययन कर रहे हैं। अन्य राज्य इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं या नहीं ? यह सारी सामग्री एकत्रित होने के बाद इस कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता हुई तो संशोधन लायेंगे। चुनाव जल्दी करा देंगे आप विश्वास लेकर चलें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के जो प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री हरजीराम बुरडक : सभापतिजी, जो प्रस्ताव वापस लेने चाहें उनको मौका दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी वाले वापस ले लें।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री हरजीराम बुरडक ने जो संशोधन प्रस्ताव विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का रखा है उसे वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है...He is in time.

श्री करतारसिंह : सभापति महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये श्री करतार सिंह ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री करतारसिंह : सभापति महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : अब प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि-पर्यवसान) विधेयक, 1977 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड (2) पर श्री हरजीराम बुरडक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सभापति जी, आसन से एक ऐसी रूलिंग हो चुकी है कि हिन्दी में ही अमेन्डमेंट रखे जा सकते हैं। चूंकि ओरिजनल अमेन्डमेंट बिल इंगलिश में हैं इसलिए रूलिंग के हिसाब से ही इंगलिश में ही अमेंडमेंट आना चाहिए नहीं तो अमेन्डमेंट बेकार है। मैं तो यह कहूंगा कि वह अमेंडमेंट ही नहीं है। ओरिजनल बिल इंगलिश में है, इसलिए इंगलिश में ही आना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् जो आथोराइज्ड बिल है वह इंगलिश में है।

श्री सभापति : I will just try to find out.

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं, मुझे सूचना मिली है सचिवालय से कि ओरिजनल अधिनियम हिन्दी में है और अंग्रेजी में उसका ट्रान्सलेशन किया गया है।

माननीय श्री हरजीराम बुरडक!

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय सभापति जी, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि उप खण्ड (2) में शब्द 'प्रशासक' के पश्चात् शब्द 'एवं पांच सदस्यीय अवैतनिक सलाहकार समिति' अन्तःस्थापित किये जायं।

यह मेरा छोटा सा संशोधन प्रस्ताव है। इसमें माननीय पंचायत मंत्री देखेंगे कि कोई अलग से तो खर्चा होने वाला नहीं है। अगर सलाहकार समिति होगी तो प्रशासक को भी काम करने में सहयोग मिलेगा और लोगों के मन में भी यह होगा कि जनतान्त्रिक सरकार में जनता के प्रतिनिधियों को महत्व दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा जो मेरा संशोधन प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाय।

दूसरा संशोधन प्रस्ताव यह है, इस खण्ड के उप-खण्ड (3) के अन्त में नवीन परन्तुक निम्न प्रकार जोड़ा जावे। 'परन्तु शर्त यह है कि ऐसा प्रशासक किसी प्रकार का नवीन कर नहीं लगा सकेगा।'......

श्री मूलचन्द डागा : एक नम्र निवेदन है, सभापति जी, जो अमेन्डमेंट रखा है, उसी पर बोलें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि सदन का टाइम बचाने के लिये एक साथ ले लिये जायं तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी को भोजन पर जाना है इसलिये जल्दी है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपको पत्तल का इन्तजार करना है क्या ?

श्री सभापति : जब तक सदन बैठना चाहे, मैं बैठने को तैयार हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी आपने जो घोषणा की है उसके अनुसार प्रशासक को टैक्स भी नहीं लगाने चाहिये। प्रशासक के लिये मैं समझता हूं यह उचित होगा और माननीय मंत्री जी भी सहमत होंगे। मुख्य मंत्री जी यहां बिराजे हैं, वे भी सहमत होंगे इसलिये यह संशोधन प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये। इससे जनता में यह भावना आयेगी कि जो टैक्स लगाया जा रहा है वह हमारे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लगाया जा रहा है। जिस प्रकार नगरपालिकाओं में टैक्स जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लगाया जाता है, जनता उसे सहर्ष स्वीकार करती है, उसी प्रकार पंचायत समिति में भी टैक्स के प्रति जनता का विश्वास होगा। इसलिये मैं चाहूंगा दोनों प्रस्ताव स्वीकार किये जायें।

श्री सभापति : श्री विरदमल सिंघवी !

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति जी, विधेयक के उद्देश्य में यह बताया गया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् ने प्रतिनिधियों ने स्वरूप खो दिया है, इस कारण यह विधेयक लाया जा रहा है। जनता पार्टी जनतन्त्र में विश्वास करती है लेकिन अब जो प्रशासक नियुक्त करेगी, वह नौकरशाही में से करेगी। केवल नौकरशाही के प्रशासक होंगे, यह बात कही गई है, इसका मैं विरोध करता हूं।

"मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि उप खण्ड (2) में प्रयुक्त शब्द "किसी पंचायत समिति" के बीच में प्रयुक्त शब्दों "राज्य सरकार के लिये किसी अधिकारी को" विलोपित किये जावे।

प्रशासक की नियुक्ति इस प्रकार न हो। इससे नौकरशाही को बल मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें जो जोड़ा गया है, राज्य 'सरकार के लिये किसी अधिकारी' को यह विलोपित किया जाय। नगरपालिका अधिनियम को देखें तो उसमें भी प्रशासक नियुक्त करने की बात है लेकिन उसमें किसी सरकारी आफिसर को ही प्रशासक बनाया जायगा, यह बात नहीं है। यह बात न जनतन्त्र के हित में है और न उचित है। इसलिये नौकरशाही को अधिकार देना ठीक नहीं है। हमारे जन प्रतिनिधि क्यों नहीं काम कर सकते हैं। वहां के पंचायत क्षेत्र के जो अच्छे लोग हैं वे काम क्यों नहीं कर सकते, यह समझ में नहीं आया। खास तौर से जिला परिषदों में और पंचायत समितियों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें होंगी और सरकारी अधिकारी उनको ठीक प्रकार समझ सकेंगे, इसमें मुझे काफी शंका है। वास्तव में सरकारी अधिकारी उन समस्याओं को ठीक प्रकार उतना नहीं समझ पायेंगे जितना वहां की जनता के प्रतिनिधि। आज आफिसरों पर वर्क लोड ज्यादा है, उनको एक्जीक्यूटिव का भी काम करना पड़ता है, उनको केसेज का काम भी करना पड़ता है और यदि उनको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया तो इतना वर्क लोड बढ़ जायेगा कि वे उसको ठीक प्रकार सम्भाल भी नहीं पायेंगे। इधर–उधर गांवों के लोग पंचायत समिति के माध्यम से कोई काम कराना चाहते हैं। जब वे पंचायत समिति के कार्यालय में जायेंगे तो मालूम

(श्री विरदमल सिंघवी)

होगा कि आफिसर साहब दौरे पर गये हुये हैं और उनको एक काम के लिये ही बार-बार चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार के आफिसर न होकर कभी आपको गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के सरकारी अधिकारी को भी नियुक्त करना पड़े तो आपको आई. ए. एस. आफिसर भी नियुक्त करना पड़ सकता है। एक आई. ए. एस. अफसर को भी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना, बन्दिश लगाकर चलना कि इसके सिवाय और किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, उचित नहीं है। इसलिए इन शब्दों को हटाया जाय। मैं समझता हूं कि इससे आपको व्यापक अधिकार होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा छूट रहेगी। इसकी छूट रहेगी कि जिस व्यक्ति को उपयोगी समझें राज्य सरकार को अधिकार है कि उसको नियुक्त कर सके। कम से कम अपने आपको बन्दिश में नहीं डालें। यह अधिकार होगा तो आप किसी भी व्यक्ति को लगा सकेंगे, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय श्री मूलचन्दजी डागा।

श्री मूलचंद डागा : जनता पार्टी का यह दूसरा तोहफा है। पहला तोहफा नगर पालिकाओं को भंग करने का मिला और दूसरा तोहफा यह मिला कि लोकतांत्रिक इकाइयों को भंग कर दो। मुख्य मन्त्री लोकतन्त्र की बड़ी बातें करते हैं और अब वे लोकतान्त्रिक इकाइयों में प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं तो मैं कहता हूं इसमें संशोधन क्या कर रहे हैं। आपने यह रखा है :

"An Officer shall be appointed."

सुपरिन्टेन्डेंट भी आफिसर होता है। आफिसर का मतलब क्या है? माननीय कैलाश मेघवाल बड़े वकील हैं, आपने यह बिल में रखा है :

"The State Government shall appoint an officer of the State Government to be an Administrator...."

तो महरबानी करके आफिसर को पंचायत एक्ट में डिफाइन करें। मैंने संशोधन प्रस्ताव में रखा है :

उप-खण्ड (2) में प्रयुक्त शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "ऐसा अधिकारी जो जिला उपखण्ड अधिकारी के समकक्ष से कम न हो," तथा शब्द "या यथास्थिति जिला परिषद् का प्रशासक नियुक्त करेगी" के स्थान पर शब्द "या यथास्थिति जिला परिषद् का प्रशासक जो जिलाधीश अथवा अतिरिक्त जिलाधीश के समकक्ष से कम न हो, नियुक्त करेगी।"

Not below the rank of an S. D. O. or a Collector including Additional Collector.

इसलिए मैंने कहा, आप तो पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को भी कर दोगे। इसलिए आप आफिसर डिफाइन करिये कि आफिसर कैसा होना चाहिये। या तो सब डिविजनल आफिसर रैंक का हो या कलेक्टर या एडीशनल

(श्री मूलचन्द डागा)
कलेक्टर हो। बड़ा सीधा संशोधन है, इसको मानने का कष्ट करें।

दूसरा मैंने दिया है कि आप बराबर यह कह रहे हैं कि हम प्रशासन के अन्दर लोकतांत्रिक इकाइयों में प्रशासक के हाथ में ज्यादा अधिकार देना नहीं चाहते। श्रीमान्, मैंने इसलिए अमेंडमेंट रखा है कि उप-खण्ड (3) में प्रयुक्त शब्द 'कृत्यों का' के पश्चात् अभिव्यक्ति "धारा 22 (ए) तथा धारा 33 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों के अलावा", जोड़े जायं। ज्योंही आपका प्रशासक मुकर्रर होगा क्या काम करेगा वह?

Powers to revise the decisions of the Standing Committee.—The Panchayat Samiti on an application made to it otherwise examine the record and may reverse or modify the decision...

आते हो जो सारे जजमेंट हो चुके हैं लोकतांत्रिक इकाइयों में, वह मंगा कर कहेगा, चलो रद्द। यह आपकी प्रशासकों को पावर देने की मंशा है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी स्वस्थ परम्परायें डालें। यह अधिकार उनको नहीं दें जिससे जनता के चुनिन्दा लोग जो निर्णय ले लें उस निर्णय को वह अपनी कलम की एक नोक से खत्म कर दें।

दूसरा मैंने संशोधन दिया है 33 में, जिसके लिए जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी कहा है। इसलिए मेरी बात को एग्री करेंगे। अब 33 में क्या है श्रीमान्।

Powers to impose tax and raise funds—A Panchayat Samiti may impose levy in the prescribed manner.

33 में यह है कि आप किसी भी प्रकार से और किसी भी तरीके से उनको टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देंगे। अब क्या होगा? नई पद्धति में आपने कह दिया है:

"An Officer shall be vested with all the powers."

थोड़ी तो महरबानी करो। यह क्या कर रहे हो? यह भारत में जनतांत्रिक परिपाटी को खत्म कर देना चाहते हो। आगे यह लिख दिया है:

"On such termination of the term as has been provided for in sub-section 1 the State Government shall appoint an officer of the State Government to be an Administrator of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad, as the case may be"

श्रीमान् इसमें लिखा है:

"An Administrator appointed under sub-section (2) shall exercise all powers vested in and discharge all functions of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad..."

सारी पावर्स, जो चुने हुए सदस्य करें, आपका राष्ट्रपति करे, वह एक्सरसाइज करे:

"An Administrator shall exercise all powers vested in and discharge all functions of a Panchayat Samiti or a Zila Parishad..."

(श्री मूलचन्द डागा)
यह लोकतन्त्र की हत्या है। महरबानी करके देखिए। इसलिए मैंने लिखा कि आप टैक्स की पावर और जो 21(ए) है उसका अधिकार जो है उससे उनको वंचित कर दीजिये फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करिये। मुझे आपके चेहरे से लगता है कि मेरी बात को मानेंगे और सही बात को स्वीकार करेंगे, मेरा ख्याल है आप जवान हैं इसलिए मेरी बात को मानेंगे।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य हरजीराम बुरडक ने जो संशोधन पेश किया है यद्यपि उनकी भावानाओं की कद्र की जानी चाहिए लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया यह अन्तरिम व्यवस्था बहुत कम समय के लिए होगी, उस अन्तरिम व्यवस्था में प्रशासक किस रूप में काम करेंगे यह माननीय मूलचन्द जी डागा, सदस्य से निवेदन कर दूं कि यह जो अधिकारियों के ऊपर सन्देह किया है, आज दुर्भाग्य से हम इस स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि प्रशासकों को कई बार भूतपूर्व सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, राज्य सरकार के द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त कर व्यक्तियों को जो अधिकार दिये गये और जिस ढंग से उन अधिकारों का दुरुपयोग किया गया इसलिए जैसे ही प्रशासक की बात आती है एक शंका और आशंका माननीय मूलचन्द जी को होती है, वह उनके लिए स्वाभाविक है कि ठीक ढंग से व्यवस्था चल नहीं पायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा कि जनता पार्टी की सरकार अधिकारी के रूप में जिनकी भी नियुक्ति करेगी उन पर नजर भी रखेगी और इस बात की कोशिश करेगी कि किसी भी अधिकार का दुरुपयोग न हो। राज्य सरकार को पंचायत एक्ट और पंचायत समिति एण्ड जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने कि यह जो सरकारी प्रशासक नियुक्त किये जायेंगे वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर पायेंगे। ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी जो जनता के विरुद्ध हो। जो आपने संशोधन पेश किये हैं, सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचायत समिति स्तर के कार्य, जो अधिकारी राजकीय सेवा में हैं, जो सम्भाल सकेंगे, उन्हीं को वहां पर प्रशासक लगायेगी और जिला परिषद् का जो कार्य है उसको जो अधिकारी सम्भाल सकेंगे उन्हीं को वहां पर लगाया जायगा।

इसके बाद मैं समझता हूं कि यह दूसरा संशोधन जो माननीय बिरदमल जी सिंघवी का है कि "सरकारी अधिकारी" शब्द को विलोपित किया जावे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि इसको विलोपित कर दिया तो उसके बाद यह सवाल सामने आएगा कि सरकारी अधिकारी प्रशासक न हों। जैसा कि विगत में बताया गया है, हमारा उद्देश्य यह है कि अविलम्ब नए चुनाव कराये जायं और नए चुनाव निष्पक्ष ढंग से, सही ढंग से सम्पन्न हों, यह हमारी मंशा है। माननीय सदस्य का यदि सुझाव मान लिया जाय तो साधारण रूप से बहुत से लोगों द्वारा यह आरोप लग सकता है कि जनता पार्टी के चहेते लोग हैं उनके रहते शायद स्वतंत्र चुनाव न हों। उस परिपेक्ष में देखेंगे तो मेरा निवे-

(श्री कैलाश मेघवाल)

दन है कि आप यह मानेंगे कि ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी होगा तो वह ज्यादा उचित रहेगा बनिस्बत इसके कि अन्तरिम व्यवस्था में बाहर के व्यक्तियों को लाकर यहां बिठायें और आलोचना के कारण बनें। मैं समझता हूं कि माननीय मूलचन्द जी डागा मेरे विचार से सहमत होंगे। इसलिये माननीय सिंघवी जी के सुझाव को मैं मानने में असमर्थ हूं। वे कृपया स्वयं अपने संशोधन वापस ले लें। श्री हरजीरामजी बुरडक से निवेदन है कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है उसके संदर्भ में आप अपना संशोधन वापस ले लें और जैसा खण्ड प्रस्तुत हुआ है उसी रूप में उसे पास करें।

श्री हरजीराम बुरडक : टैक्स नहीं लगाने के बारे में भी बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ऐसी अन्तरिम व्यवस्था में सरकारी प्रशासक को टैक्स लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए लेकिन फिर भी राज्य सरकार के पास काफी अधिकार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अलग-अलग जुबानी ही बात कहते हो, एक्ट में कुछ बात नहीं है। जबानी ही जबानी कहते हो। आफिसर टैक्स नहीं लगायेगा यह तो कहते हो लेकिन एक्ट में कुछ नहीं है। क्यों माणकचन्द जी सुराणा राय दो ना।

श्री माणकचन्द सुराणा : सदन में दिए गए आश्वासन का बहुत बड़ा महत्व होता है यह माननीय मूलचन्द जी डागा अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रकार से राज्य सरकार से आश्वासन मांगा कि इन प्रशासकों को अन्तरिम व्यवस्था में टैक्स नहीं लगाने दिया जाय और माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन सदन में दे दिया है तो आपको इससे आगे नहीं जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, यह एश्योरेन्स चीफ मिनिस्टर की ओर से नहीं आया है न ही मिनिस्टर ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिनिस्टर ने कहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मैंने यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि यह जो अन्तरिम व्यवस्था है. . .

श्री सभापति : Reply must come from the Government.

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो अन्तरिम व्यवस्था होगी, उसमें प्रशासक अपने पद का दुरुपयोग न करें और जन हित के विरुद्ध कोई निर्णय न लें, इस बात की पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जायेगी। राज्य सरकार को पंचायत अधिनियम और जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार इतने व्यापक हैं कि वह इनका कन्ट्रोल कर सकती है। इसके अतिरिक्त भी मैं स्पेसिफिक रूप से सदन को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि प्रशासक जो नये कर लगाने के अधिकारी हैं, वे कोई इसके अन्तर्गत, जो उनको अधिकार हैं, कर नहीं लगाएंगे।

श्री अब्दुल अजीज : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत समिति, मकराना में प्रधान नहीं है और वहां पर ए. ई. ओ. को चार्ज दे रखा है। यह हमारा तजुर्बा है आप ख्यालों में हैं। ख्याल में ही कानून बना रहे हैं। इसका लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और फिर विवश होकर आप यह कह देंगे कि हम यह उम्मेद

(श्री अब्दुल अजीज)
नहीं कर रहे थे। आज यह हो रहा है कि लोगों को सीमेन्ट के परमिट नहीं मिल रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह हो रहा है।

श्री नवनीत पालीवाल : सीमेन्ट का टैक्स से क्या सम्बन्ध है ?

श्री सभापति : क्या कोई माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तावों को वापस लेने को तैयार है ?

श्री हरजीराम बुरडक : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय श्री हरजीराम बुरडक और माननीय श्री बिरदमलजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री बिरदमल सिंघवी : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ?

श्री सभापति : माननीय डागा जी, आप भी ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 2 को विधेयक का अंग स्वीकार किया जाये।

(विराम)

मैं तो यह सोच रहा था कि आप इधर बैठे हुए हैं....

प्रश्न यह है कि माननीय श्री मूलचन्द डागा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 2, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

खंड 1 पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया था और इस पंचायती राज की ज्योति, लौ जलाई थी। उस राज की लौ को कांग्रेस वालों ने पिछले 13 साल में बुझा दिया था पंचायती राज के जो मूलभूत सिद्धांत थे, उसकी हत्या इस तरफ बैठने वालों ने कर दी थी।

श्री मूलचन्द डागा : आज हत्या कौन कर रहा है ? आज की बात करो।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। परन्तु गांधीजी के नाम पर, 'सत्यमेव जयते' के सिद्धान्तों पर राज्य करने वाले इन कांग्रेस वालों ने कदम कदम पर गांधीजी के सिद्धांतों की हत्या की, संविधान की हत्या की और आज संविधान की दुहाई देते हैं तो बड़ा अफसोस और आश्चर्य होता है। संविधान की हत्या करने वाले संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तीस साल तक सत्ता में रहे, इन तीस सालों में किस प्रकार पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया, आज पंचायती राज के हामी होकर पंचायती

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

राज की पैरवी करते हैं। पंचायत समितियों के चुनाव सन् 1965 में हुए थे। सन् 1965 के बाद बराबर इन संस्थाओं के चुनाव आगे बढ़ते चले गये। पंचायती राज में जो लोग प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख बने उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है। यह देखने की बात है। मैं कोटा क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां सन् 1965 में चुनाव हुए थे। जब चुनाव हुए तो मैं पंचायत समिति का प्रधान चुना गया था। 1967 में विधायक बन गया। वहां के जो आज प्रधान काम कर रहे हैं उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इस प्रकार झालावाड़ जिला परिषद् ने खुल कर सत्ता का दुरुपयोग किया। कांग्रेस के राज में हमेशा इनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया। उनके उचित, अनुचित कामों पर आप लोग मोहर लगाते रहे। इसलिये जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री जो यह विधेयक लाये हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं। और उसमें मेरा यह अमेंडमेंट है कि इसको तुरन्त लागू किया जाये, प्रभावशील बनाया जाये। मेरा संशोधन है: उप-खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय।

"(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा"

इसके बारे में मैं मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहूंगा। वहां पर स्टेन्डिंग कमेटी बनी हुई है। जिला परिषद् की स्टेन्डिंग कमेटी बनी हुई है। भंग कर देंगे तो वहां का प्रशासन किस ढंग से करेंगे? जो उप-समितियां बनी हुई हैं, उन पर ये प्रशासक क्या निर्णय लेंगे? यह बताने का कष्ट करें। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : मेजर फतहसिंह। Deprived of the right to speak.

श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति जी, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये, "यह तुरंत प्रवृत्त होगा।" यह मैं क्यों निवेदन कर रहा हूं, यह मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री को और राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं कि पंचायती राज की जो अन्त्येष्टि होने वाली थी, उसको आपने बचा लिया है। अगर यह राज्य नहीं बदला होता तो कांग्रेस की सरकार तो शायद यह ताम्र पत्र जारी करने वाली थी कि आपने 12 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया इसलिए आपको यह अधिकार दिया जाता है कि जब तक आप जीवित रहें, इन पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भोगते रहें। लेकिन राज्य बदला। अब आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस महान काम को हाथ में लिया। यह बहुत शुभ किया। यह इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसको लागू करें। दूध का जला हुआ छाछ को फूंक कर पीता है। जब आप किसी काले नाग को छेड़ेंगे तो उसको छेड़ने से भारी से भारी खतरा हो सकता है। इन पंचायत समितियों ने बहुत घोटाले किये हैं, शिक्षा का सत्यानाश किया

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

है, 12–12 वर्ष तक अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हुए, जिस अध्यापक ने प्रधान को खुश कर लिया, सरपंच को खुश कर लिया, उसकी स्कूल में हाजिरी लेने की जरूरत नहीं रही। मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूं जहां सिर्फ एक लड़का है। अध्यापक ने प्रधान को खुश कर लिया तो वह आज भी बना हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपका अधिक वक्त नहीं लूंगा। केवल मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधान बनने से पहले जिनके पास कुछ नहीं था। वे लखपति हैं। यह मैं अपने क्षेत्र के प्रधान के लिये निवेदन कर रहा हूं। मैं अनर्गल निवेदन नहीं करता हूं। जिनके पास कुछ नहीं था, वह 80–80 हजार अपनी लड़की की शादी में लगाते हैं। बलाई और चमारों को दो सौ, तीन सौ आदमियों का भोज बनाने पर सजा मिलती है और ये 5–5 हजार का भोग लगाते हैं। जब जांच होगी तब लाखों के घोटाले मिलेंगे। तब पता चलेगा कि किसने क्या किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को तुरन्त लागू करें।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैंने इसमें यह संशोधन रखा है, उप खण्ड (3) के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये, 'यह तुरन्त प्रवृत होगा' यह तुरन्त प्रभावी होना चाहिये। अभी माननीय मनोहर सिंह जी मेहता ने मेरी भावना को व्यक्त कर दिया है। मैं इतना निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां के प्रधान हैं, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वह सारे कृत्यों में लिप्त हैं। इसलिए मैं संशोधन प्रस्तुत करते हुए निवेदन करूंगी कि इसको तुरन्त प्रभावी किया जाये। साथ ही मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इसे तरन्त प्रभावी करें।

श्री सभापति : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास : खण्ड (1) की धारा (3) में कहा गया है, "जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियमित करे।" मैंने यह प्रतिस्थापित करने के लिये ही संशोधन रखा है, "यह तुरन्त प्रवृत्त हो।" ज्योंही यह बिल पास हो इसे तुरन्त लागू किया जाये। इसका कारण यह है कि हमारे यहां आगे ही व्यवस्था बिगड़ चुकी है। प्रधान और सरपंच सभी बिगड़ गये हैं। मैं यह सुझाव देता हूं कि ग्राम सेवक और जो पंचायत प्रसार अधिकारी हैं, उनकी प्रसाशनिक नियुक्ति करें. पंचायतों को सुधारने के लिए एक बिल और लायें। मैंने तो अमेन्डमेण्ड दिया था मेरा ख्याल था, शायद इस बिल में आये। लेकिन बाद में पता चला कि पंचायत समितियों वाला विधेयक अलग है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों की लाखों की जमीन हजम कर ली गई है। पट्टों की कीमत लाख लाख रुपयों की होगी। हमारे यहां का एक उदाहरण दूंगा। सरपंच ने 5 लाख रुपये की जमीन बेची लेकिन राज्य कोष में एक पैसा जमा नहीं हुआ है। झगड़े की स्थति में 40 पंचायतें सक्रिय हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों में भी यह तुरन्त लागू करें। यही मेरा

(श्री रघुनन्दन व्यास)
संशोधन है, माननीय मंत्री महोदय कृपया इसे स्वीकार करें।

श्री मूलचन्द डागा : आज ही प्रशासक नियुक्त कर देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इस पर संशोधन है। वह यह है कि इसको तुरन्त लागू किया जाये। सर्व प्रथम मैं राज्य मंत्री जी का यह विधेयक लाने के लिए स्वागत करता हूं। जिसके लिए हम बहुत उत्सुक थे, वह राज्य मंत्री जी सदन में लाये।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री दिग्विजयसिंह : धन्यवाद तो मैं दे रहा हूं। इसमें यह है कि "राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा····" इसमें मेरा यह निवेदन है कि इसके बजाय इसको तुरन्त लागू करायें।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, जो भावनायें माननीय सदस्यों ने प्रकट की हैं, कि इसको तुरन्त लागू किया जाये, मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्रातिशीघ्र लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, उसी के अनुसार व्यवहार करना है। फिर भी माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के बाद कोई विलम्ब नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों से, जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं, निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें। उनकी भावनाओं के अनुसार यह तुरन्त प्रभावी किया जाएगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिला दिया है तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं क्या वे अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

माननीय श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जी हां। मैंने निवेदन किया कि जब माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिला दिया है तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा विश्वास दिलाने पर सदन के सभी माननीय सदस्यों की अनुमति से मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय मन्त्री महोदय के आश्वासन पर मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं। माननीय मन्त्री महोदय से यह आशा करूंगा कि वे पंचायतों में सुधार के लिए जल्दी ही विधेयक लायेंगे।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री मनोहरसिंह मेहता, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री रघुनन्दन व्यास, श्री दिग्विजयसिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 स्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : Long title and preamble.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना एवं नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय।

श्री ज्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इससे पंचायतों की शक्ति को एकत्र करके जनता को वापस पंचायती राज दिया जा सकेगा। इसके साथ साथ मैं पंचायत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, वह यह देखें कि इस दौरान पंचायत समितियों का जो पुराना एक्ट है, उसमें कहां कहां पर कौन-कौनसी चीजें हैं जिनको दुरुस्त किया जाना है, किस प्रकार इस कानून को ठीक बनाना है हमारा पंचायत राज कानून 12 साल में मुर्दे के समान हो गया है। इसलिए दूसरे राज्यों में देखना चाहिए कि वहां कहां कहां पंचायत एक्ट में बदला गया है और कहां-कहां सुधार किया गया है।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान में और खास तौर से मेरे जिले में कई गांवों की आबादी को मिला कर पंचायत का बहुत बड़ा एरिया लिया

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

गया है। मेरा निवेदन है कि पंचायतें छोटी होनी चाहिए। हमारे पड़ोसी प्रान्त पंजाब का तजुर्बा हमारे सामने है। वहां पर एक गांव को पंचायत का यूनिट माना है, और पांच सौ और एक हजार की आबादी पर एक पंचायत कायम की है। अगर ऐसा किया जाय तो यह ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर पंचायतें बड़ी हुई तो फैसला लेते वक्त कई परेशानियां पैदा होती हैं इसलिए मेरे इस सुझाव को ध्यान में रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जहां तक प्रशासक नियुक्त करने का सवाल है मेरा विश्वास है कि बी. डी. ओ., तहसीलदार या एस. डी. एम. को प्रशासक नहीं लगाया जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि वे आलरेडी काम से दवे हुए हैं। इनको लगाया तो पंचायतें फिर लावारिस हो जायेंगी। इसलिए इनकी जिम्मेदारी पंचायतों के सरपंचों या जिला परिषदों के प्रमुखों को सौंपी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापित महोदय, राजस्थान के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रशासक मुकर्रर करने जा रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो मठाधीश उनमें बैठे हुये हैं और जिनको वे लोग रखना चाहते थे, जिन चहेतों को उनमें लगाया गया था, जिनको निकालना नहीं चाहते थे। उनको राज्य सरकार हटा रही है। आज हमारी सरकार ने जनता के सामने यह रखा है कि जो जनता के अधिकार हैं, लोकतान्त्रिक अधिकार, उनको वह वापस देने जा रही है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पंचायत और जिला परिषदों के ऊपर अंकुश लगाया है लेकिन इसमें कमियां भी रखी हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव भी जल्दी से जल्दी कराये जावें। आज अगर देखा जाय तो पंचायती राज संस्थाओं की आमदनी का स्रोत क्या है। उसके लिए अलग से कोई फण्ड्स नहीं हैं, कांजी हाउस से कुछ आमदनी होती है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। रूल 86 के अन्तर्गत। माननीय सदस्य स्कोप के बाहर बहस कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय डागा साहब को बीमारी है, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि वे मेन्टल हास्पिटल में आकर इलाज करायें। माननीय मंत्रीजी ने जो कमियां रखी हैं उनको दूर किया जाय। कांजी हाउस से जो पैसा आता है उसको भी सरपंच लोग अपनी जेब में रख लेते हैं। मैंने देखा है कि राशन कार्ड के लिए एक-एक, दो-दो और दस रुपया तक सरपंच ले लेते हैं, यह शर्म की बात है, इससे प्रजातन्त्रीय प्रणाली में लोगों का विश्वास हटता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति जी, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जो एजेन्ट, दलाल और चमचे थे वह खत्म हो गये हैं और लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को फिर से मिल रहे हैं। लोगों को सही और स्वच्छ शासन मिले, यह खुशी की बात है इससे गांवों में खुशी की लहर पैदा हो जायगी। हम हमारे नये प्रधान, नये सरपंच और नये प्रमुख चुन सकेंगे, उनको चुनने का मौका मिलेगा और जो दलाल और चमचे 12 साल से वहां पर बैठे हुए हैं उनके प्रति जो लोगों को घृणा उत्पन्न हो गई थी वह दूर होगी और लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी, इसलिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जब हम लोग गांवों में जायेंगे तो यह कह सकेंगे कि हम यह करके आये हैं और हमने लोकतन्त्र की जड़ें जमाने के लिए यह किया है इसके लिए एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री नूरा : सभापति जी ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नियम 86 का ध्यान रखते हुए बोलें।

श्री नूरा : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करूंगा कि यह चुनाव जो 12 साल में नहीं हुए अब शीघ्र कराये जायेंगे। यह बिल स्वागत योग्य है और अपनी पार्टी की तरफ से मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मंजूर अली : आधा मिनट। मैं वजीरे मुमलेकत को तफसीर के साथ शुक्रिया पेश करता हूं। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं कि यह जम्हूरियत की तरफ हमारा पहला कदम है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने जो थोड़े में अपने विचार व्यक्त किये वह अधिनियम के पक्ष में हैं और अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (अवधि पर्यवसान) विधेयक, 1977 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः दिनांक 28-7-77 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायः 7.39 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 28 जुलाई, 1977 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 का विवरण)

क्रम सं.	नाम पंचायत समिति	नाम पंचायत जिसमें सरपंच का स्थान रिक्त है	रिक्त होने का दिनांक वर्ष	रिक्ति का कारण	नियमानुसार कौन कार्य कर रहा है
1	2	3	4	5	6
1.	धरियावद	श्री रामचन्द्र सिंह सरपंच, भारेल	1965	प्रधान चुने जाने से	श्री राजमल, उप सरपंच
2.	,,	श्री उदा, सरपंच, लोहागढ	5-3-69	मृत्यु	श्री गोपिया, उप सरपंच
3.	,,	श्री नाथिया, सरपंच, ग्राड	1970	,,	श्री कालिया, उप सरपंच
4.	,,	श्री रूपाराम, सरपंच, खोठडा	1973	अविश्वास प्रस्ताव से	श्री पन्नालाल, पंच
5.	सराड़ा	श्री असगरअली, सरपंच, वीरपुरा	1975	मृत्यु	श्री हारा, उप सरपंच
6.	,,	श्री रतनलाल, सरपंच, थाना	1965	प्रधान चुने जाने से	श्री शिवनाथ सिंह, उप सरपंच
7.	,,	श्री भूरालाल, सरपंच, वडगांव	1970	अविश्वास प्रस्ताव से	श्री प्रतापसिंह, उप सरपंच
8.	,,	श्री कवरा, सरपंच, करावली	1970	,,	श्री माना, उप सरपंच
9.	सलूम्बर	श्री मानसिंह, सरपंच, बस्सी	1973	प्रधान चुने जाने से	श्री पूंजालाल, उप सरपंच
10.	गिर्वा	श्री पृथ्वीराज, सरपंच, मटून	1975	न्याय पंचायत में अध्यक्ष बनने से	उप सरपंच
11.	,,	श्री मेघा, सरपंच, सरू	1977	मृत्यु से	उप सरपंच
12.	,,	श्री गणेश पटेल, सरपंच, कानपुर	1977	,,	उप सरपंच के काम नहीं करने से अब नाम मांगा है।

1	2	3	4	5	6
13.	गिर्वा	श्री प्रतापसिंह, सरपंच, कुरावड़	1975	प्रधान बनने से	श्री शम्भूसिंह, उप सरपंच
14.	झाडोल	श्री कालूलाल, सरपंच, झाडोल	1967	त्याग-पत्र से	उप सरपंच
15.	,,	सरपंच, अंटाटिया	1977	,,	,,
16.	,,	जेकड़ा	1966	,,	,,
17.	,,	मादड़ी	1971	,,	,,
18.	खैरवाड़ा	श्री भाग्यराम, पंचायत थाणा	67—68	न्याय पंचायत में सदस्य बनने से	,,
19.	,,	श्री पदमचन्द छाणी	1965	प्रधान बनने से	,,
20.	,,	श्री गौतमलाल, पंच, खैरवाड़ा	71-72	त्याग-पत्र से	,,
21.		श्री दामोदरलाल, पंच, ऋषभदेव	1977	मृत्यु से	,,
22.	,,	सरपंच, मुहूर	70-71	त्याग पत्र से	नियुक्त पंच
23.	,,	श्री नानालाल, पंच, खांडीग्रोबरी	74-75	मृत्यु से	उप सरपंच
24.	,,	सरपंच, कोजावाड़ा	,,	,,	,,
25.	मावली	श्री नाथूलाल, सरपंच, मावली	1-4-69	त्याग-पत्र से	श्री बेणीराम, उप सरपंच
26.	,,	श्री खेमराज, सरपंच, लदानी	17-12-75	मृत्यु	श्री भगवानलाल, उप सरपंच
27.	,,	श्री शोभानाथ, सरपंच, कलीचड़ा	11-3-70	,,	श्री भैरूलाल, उप सरपंच
28.	,,	श्री दूदा, सरपंच, वडीयार	1974	,,	श्री गिरवर सिंह, उप सरपंच
29.	,,	श्री मोलीराम, सरपंच, सांगवा	1969	प्रधान बनने से	श्री जगदीश, उप सरपंच
0.	भीन्डर	श्री रामलाल, सरपंच, तारावट	30-9-75	मृत्यु	श्री नवलराम, उप सरपंच

31.	,,	श्री जयचन्द, सरपंच, मोतीड़ा	1974	,,	श्री खुमाणसिंह, उप सरपंच
32.	,,	श्री हरीसिंह, सरपंच, मजावड़ा	1976	,,	श्री गोपालसिंह, ,,
33.	,,	श्री देवीलाल, सरपंच, बाना	8-8-75	त्याग-पत्र	श्री राधाकिशन, ,,
34.	आमेट	ओलना का खेड़ा	1975	मृत्यु	श्री गणेश, पंच
35.	,,	सरदारगढ़	4 माह से	निलम्बित	श्री कजोड़, उप सरपंच
36.	भीम	सरपंच, पीपली	6 वर्ष	,,	उप सरपंच
37.	,,	सरपंच, सेमलिया	5 वर्ष	,,	,,
38.	देवगढ़	कामलाघाट	7 वर्ष	,,	श्री उदा, उप सरपंच
39.	,,	सरपंच, सूरदास का गुढ़ा	2 वर्ष	,,	श्री शंकर लाल, ,,
40.	,,	सरपंच, लदानी	2 वर्ष	त्याग-पत्र	उप सरपंच
41.	राजसमन्द	श्री पृथ्वीसिंह, सरपंच, भातमा	5 वर्ष	प्रधान बनने से	श्री पृथ्वीसिंह, ,,
42.	,,	श्री तेजसिंह, सरपंच, कुवांरिया	3 वर्ष	मृत्यु से	श्री उदयसिंह, ,,
43.	,,	श्री खुमाणसिंह, सरपंच, माटोली	8 वर्ष	,,	श्री शिवशंकर, ,,
44.	कुंभलगढ़	श्री जीवा, सरपंच, लाम्बोडी	9 वर्ष से	,,	श्री धरमचन्द, ,,
45.	,,	श्री केसरीमल, सरपंच, सेवन्त्री	10 ,,	प्रधान होने से	श्री लक्ष्मणसिंह, ,,
46.	,,	श्री गुलाब, सरपंच, गडवार	7 ,,	मृत्यु	श्री अमरा, ,,
47.	,,	श्री तख्तसिंह, सरपंच, ओलावर	10 ,,	,,	श्री भेरूंलाल, ,,
48.	,,	श्री गुलाबसिंह, सरपंच, कालींजर	2 ,,	त्याग-पत्र से	श्री चन्दनसिंह,
49.	,,	श्री माधोसिंह, सरपंच, बदड़ा	1 माह से	मृत्यु से	श्री देवीचन्द, उप सरपंच
50.		श्री अमरसिंह, सरपंच, कागुजा	5 वर्ष से	,,	श्री केसरसिंह, ,,
51]	,,	श्री बगतसिंह, सरपंच, उसर	5 ,,	,,	श्री कन्हैयालाल

157

1	2	3	4	5	6
52.	खमनोर	श्री गिरधारी, सरपंच, भैंसाकमेड	6 मास से	मृत्यु	श्री खुमा, सरपंच
53.	,,	श्री गोपीलाल, सरपंच, बडाभानुजा	2 वर्ष से	,,	श्री गेहरीलाल, ,,
54.	,,	श्री देवीसिंह, सरपंच, पाखंड	5 ,,	,,	श्री छोगालाल, ,,
55.	,,	श्री जोधसिंह, सरपंच, बामनहेड़ा	7 ,,	,,	श्री शंकरलाल, ,,
56.	गोगुन्दा	श्री बरदीचन्द, पंचायत, कमोल	12 ,,	त्याग-पत्र	श्री प्यारचन्द, ,,
57.		श्री बरदीचन्द, पंचायत, सेमड़	8 ,,	मृत्यु	श्री सुमेरसिंह, ,,
58.	बड़गांव	श्री रघुवारसिंह, सरपंच, गांडेच	8 ,,	,,	श्री गोपाललाल, ,,
59.	,,	श्री अम्बालाख, सरपंच, देलवाडा	5 ,,	त्याग पत्र	श्री गोपीबल्लभ, ,,
60.	,,	श्री हमेरसिंह, सरपंच, [illegible]रड़ा	9 ,,	मृत्यु	श्री केसरसिंह, ,,
61.	कोटड़ा	श्री मोगा, सरपंच, मेवाडों-का-मठ	12 ,,	त्याग-पत्र	श्री केसर, ,,
62.	,,	श्री सोहब्बतसिंह, सरपंच, माहड़ी	11 ,,	मृत्यु से	श्री दोलतसिंह, ,,
63.	खमनोर	श्री किशनलाल, सरपंच, उपली ओड़न	8 ,,	,,	श्री छोगालाल, ,,

(159)

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न सं. 78 की सूची)

सूची–उन आई.ए.एस. अधिकारियों की जिनकी नियुक्तियां पिछले दस वर्षों में अधिकांशतः जयपुर या दिल्ली में रही हैं:—

1. श्री मोहन मुखर्जी
2. श्री आर.डी. थापर
3. श्री ए.के. राय
4. श्री जे.एम. लालवानी
5. श्री जी. के. भनोत
6. श्री शेरसिंह
7. श्री मोहिन्द्र सिंह
8. श्री टी.एन. चतुर्वेदी
9. श्री एन.सी. भटनागर
10. श्री जे.एस. मेहता
11. श्री भीम सिंह
12. श्री बृजराज बहादुर
13. श्री एम.एम. कोहली
14. श्री आर.सी. सूद
15. श्री आर.के. शास्त्री
16. श्री एम.एम.के. वली
17. श्री एम.एस. सदाशिवन
18. श्री बी. हूजा
19. श्री मंगल बिहारी
20. श्री डी.के. सक्सेना
21. श्री आनन्द मोहनलाल
22. श्री ए.एल. रूंगटा
23. श्री आर.के. सक्सेना
24. श्री बी.सी. पाण्डे
25. श्री पी.के.बी. कुरुप
26. श्री के.एल. बराया
27. श्री नरेश चन्द्र
28. श्री वी.बी.एल. माथुर
29. श्री तेज कुमार
30. श्री वी.आई. राजगोपाल
31. श्री के.वी. शंकरन
32. श्री अनिल बोर्दिया
33. श्री आर. रामाकृष्णा
34. श्री पी.एन. बहल
35. श्री डी.एन. प्रसाद
36. श्री एस.पी. बिश्नोई
37. श्री राजेन्द्र जैन
38. श्री यतीन्द्र सिंह
39. श्रीमती प्रोतिमा बोर्दिया
40. श्री ओंकारसिंह
41. श्री आर.एल. मिश्रा
42. श्री एल. एन. गुप्ता
43. श्री जी.के. मिश्रा
44. श्री भगवान राम
45. श्री एच. एम. माथुर
46. श्री ए. वी. गणेशन
47. श्री टी. वी. रमणन
48. श्री ए. एस. राठौड़
49. श्री पी. एस. वर्मा
50. श्रीमती कुसुम प्रसाद
51. श्री सतीश कुमार
52. श्री वी.के. जुत्सी
53. श्री ए.एस. मेहता
54. श्री डी.आर. मेहता
55. श्री एल.एन. लड्ढा
56. श्री आई.जी. भिंगरन
57. श्री के.के. भटनागर
58. श्री एस.एल. जोशी

Page No 160

160

59. श्री विजयसिंह
60. श्री एम.एल.मेहता
61. श्री अरुण कुमार
62. श्री आर.के.अग्रवाल
63. श्री वृजेन्द्रसिंह
64. श्री माया राम
65. श्री के.एन.भार्गव
66. श्री बी.एन.बहादुर
67. श्रीमती जुमकी सतीशकुमार
68. श्री पवन चोपड़ा
69. श्री हरिश नय्यर
70. श्रीमती कृष्णा भटनागर

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

निलम्बित राज्य कर्मचारी

83. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी को छः महीनों से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी, जो छः मास से अधिक समय से निलम्बित हैं, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके द्वारा किसी दोषी राज्य कर्मचारी को 6 महीनों से अधिक समय तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता हो।

1 जुलाई, 77 को जिन निलम्बित राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों की अवधि 6 माह से अधिक हो गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त की गई भूमि

85. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत कितनी कितनी भूमि किन किन भूतपूर्व राजाओं से अवाप्त की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवाप्त की गई भूमि का क्या भूमिहीन लोगों में वितरण किया गया है ? यदि हां, तो किस किस को कहां कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य में भूतपूर्व राजाओं से राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 एवं 1975 के तहत करीबन 57427 एकड़ भूमि के अवाप्ति के आदेश दिये गये थे की सूची संलग्न है।

उपरोक्त अवाप्त भूमि में से अब तक भूमि आवंटित की गई है, के विस्तृत विवरण की सूची संलग्न है।

(162)

राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 एवं 1975 के तहत भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि की अवाप्ति हेतु दिये गये आदेशों का विस्तृत मानचित्र:—

सूची खण्ड (1)

क्र.सं.	नरेशों का नाम	अवाप्ति योग्य कृषि भूमि (एकड़ों में)
1.	अलवर	105❀
2.	किशनगढ़	5942
3.	बीकानेर	6441
4.	बूंदी	1224
5.	भरतपुर	85
6.	धौलपुर	❀
7.	बांसवाड़ा	3272
8.	कुशलगढ़	1354
9.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	337
10.	डूंगरपुर	17402
11.	जयपुर	5846❀
12.	जैसलमेर	1756❀
13.	जोधपुर	11753❀
14.	झालावाड़	×
15.	कोटा	×
16.	प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़)	×
17.	सिरोही	574❀
18.	सवाई माधोपुर (करोली)	447❀
19.	टोंक	×
20.	उदयपुर	889❀
	योग	57427

× 1. इस अधिनियम के तहत अवाप्ति योग्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। झालावाड़, प्रतापगढ़ (चित्तौड़) टोंक।

❀ 2. भूतपूर्व नरेश अलवर, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, सिरोही, करोली एवं उदयपुर ने वर्ष 1975 में पुनः रिट याचिका दायर कर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिये थे।

राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 एवं 1975 के तहत भूतपूर्व नरेशों से अवाप्त भूमि में से अवाप्त भूमि के मानचित्र

सूची खण्ड (2)

क्र. सं.	नरेशों के नाम	जंगलात विभाग को स्थानान्तरित	भूमिहीनों को आवंटन	स्कूल हेतु सुरक्षित	गोचर हेतु सुरक्षित
1.	बीकानेर	5857	--	--	784 एकड़
2.	बूंदी	1224	--	--	--
3.	डूंगरपुर	17402	--	--	—
4.	जोधपुर	—	2409	432	—
5.	भीलवाड़ा	--	204	--	—
6.	सिरोही	—	576-74	—	—
	योग	24283	3170-74	432	784 एकड़

कुल योग:—28670 एकड़ भूमि

पंचायतों के निलम्बित सरपंच

86. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मार्च सन् 1972 से मार्च, 1977 तक राज्य में सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के कई सरपंचों को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस ग्राम पंचायत के सरपंच को किन किन कारणों से निलम्बित किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । भूतपूर्व सरकार द्वारा जिन जिन सरपंचों को मार्च, 1972 से मार्च 1977 तक निलम्बित किया गया था इनका जिलेवार कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

87. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं हैं जो चल रही हैं तथा उससे पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कहां कहां पानी की बड़ी टंकियां (over head tanks) बनाई गई है तथा उनमें से कितनी ऐसी टंकियां हैं जो बनी तो हैं पर उनको प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है ? ये टंकी कब से बेकार है, का विवरण दर्शाते हुए कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 889 ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर जल वितरण किया जा रहा है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त योजनाओं में बनाई गई टंकियां व काम में न आ रही टंकियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवक क्वार्टरों तथा आवासीय क्वार्टरों के मरम्मत के ठेके

88. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने ग्राम सेवक क्वार्टरों व समिति के आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत का ठेका दिया था ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार किसको ठेका दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि ठेका देने के लिए कोई टेण्डर भेजा गया ? यदि हां, तो टेण्डर नोटिस कब जारी किये गये और टेण्डर कब आये और किन किन ने टेण्डर दिया और उसमें क्या 2 रेट दी गई ? टेण्डर नोटिस आये हुए टेण्डरों की प्रतियों सहित

(श्री हुरजीराम बुरडक)
सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस कार्य का एस्टीमेट बनाना और उस पर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति लेना आवश्यक था ? यदि हां, तो कब किसने एस्टीमेट बनाया तथा किस अधिकारी से कब स्वीकृति ली गई ? एस्टीमेट व स्वीकृति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उपरोक्त कार्य के लिए कब कब कितना भुगतान ठेकेदार को किया गया तथा कार्य कब शुरू किया और अब कितना भुगतान करना शेष है ?

(5) भुगतान करने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(6) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता होने की शिकायत सरकार को मिली है ? यदि हां, तो कब, क्या और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(7) ठेका किस श्रेणी के ठेकेदारों को देना था तथा किस श्रेणी के ठेकेदार को दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति लाडनूं की प्रशासन उप समिति के निर्णय दिनांक 28-1-77 के अनुसार मैसर्स सुरेन्द्र एन्टरप्राइजेज को ठेका दिया गया।

(2) जी हां। टेण्डर नोटिस दिनांक 19-1-77 को जारी किये गये थे व टेण्डर दिनांक 28-1-77 को प्राप्त हुए। जिन जिन पार्टियों से टेण्डर प्राप्त हुए थे उनके नाम व उनके द्वारा दी गई दरें निम्न प्रकार थीं :—

	नाम पार्टी	रेट
(1)	श्रीचन्द चोरडिया, मन्त्री प्रगतिशील श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि., लाडनूं	पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर. 1976 की दर से 35 प्रतिशत ऊपर।
(2)	श्री चन्द वर्मा, ठेकेदार, लाडनूं	पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर. 1976 की दर से 35 प्रतिशत ऊपर।
(3)	श्री नोरतनमल जैन, मैसर्स गोपीनाथ नवरतन एण्ड कम्पनी, रजिस्टर्ड कन्ट्राक्टर, चौथी पट्टी, लाडनूं	पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर. 1976 की रेट से 30 प्रतिशत ऊपर।
(4)	विजयसिंह वेद, रजि. ठेकेदार सी क्लास, लाडनूं	पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर. 1976 की रेट से 35 प्रतिशत ऊपर।
(5)	सुरेन्द्र एन्टरप्राइजेज पांचवीं पट्टी, लाडनूं	पी. डब्लू. डी. बी. एण्ड आर. 1976 की रेट से 25 प्रतिशत ऊपर।

टेण्डर नोटिस एवं प्राप्त टेण्डरों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(पंचायत मंत्री)

(3) जी हां। श्री कंवरिया, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एस्टीमेट बनाये गये। तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता, जोधपुर से दिनांक 17–5–77 द्वारा प्राप्त हुई। एस्टीमेट के स्वीकृति आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) कनिष्ठ अभियन्ता की सिफारिश पर दिनांक 19-2-77 को पंचायत समिति के आवासीय क्वार्टरों की मरम्मत हेतु 5000) अग्रिम दिये गये एवं रनिंग बिल प्रस्तुत करने पर 5000) का समायोजन करते हुए शेष राशि रु. 4516. 13 पैसे का भुगतान दिनांक 10–3–77 को किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता की सिफारिश पर दि. 7–4–77 को ग्राम सेवक क्वाटरों की मरम्मत हेतु 5000) रु. अग्रिम दिये गये। ठेकेदार से रनिंग बिल प्राप्त न होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी राशि का भुगतान किया जाना बकाया है।

(5) चैक द्वारा भुगतान किया गया।

(6) इस सम्बन्ध में एक शिकायत जिला धीश, नागौर को दिनांक 26–4–77 को प्राप्त हुई है जिसकी जांच के लिए उप जिला विकास अधिकारी, नागौर को निर्देश दिये जा चुके है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(7) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अध्यापक

90. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष 5 सितम्बर को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुने हुए अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है? यदि हां, तो इस चयन का आधार क्या है?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत रत्न आदि अलंकरणों को समाप्त किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार अध्यापकों को गत वर्ष की भांति सम्मानित करेगी?

(3) क्या यह सही है कि अध्यापकों की पुरस्कृत सूची में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिकतर संस्था प्रधानों का ही बाहुल्य होता है। यदि हां, तो वे पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है या प्रशासनिक अधिकारियों को जिनके पास फण्ड एवं शोषण शक्ति भी होती है।

(4) क्या यह सही है कि इन पुरस्कृत संस्था प्रधानों में से कुछ बाद में गबन के आरोपों में भी शामिल पाए गए? यदि हां, तो ऐसों के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की? अब तक के सम्मानित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जाये।

उत्तर

(1) जी हां। चयन का आधार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, राज्य सरकार अध्यापकों का सम्मान पूर्ववत जारी रखेगी।

(3) पुरस्कारों का निर्णय करते समय अध्यापक व प्रधानाध्यापक में कोई भेद नहीं रखा जाता। पात्रता व योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता।

(शिक्षा मंत्री)

(4) (क) जी हां, एक अध्यापक ऐसे थे।

(ख) इनका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(ग) विभाग ने इनकी पेन्शन से चौथाई भाग 5 वर्ष के लिये कटौती करने के आदेश 16 अप्रेल 1977 को जारी कर दिए हैं।

सम्मानित अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर में परीक्षा लेने की व्यवस्था पर व्यय की गई राशि

91. डा. गंगा सहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है, कि अलवर में पिछले 10 वर्ष से राज्य की ओर से कक्षा 3 से 9 तक की परीक्षा लेने की व्यवस्था चल रही है ? यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि लगी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक इस योजना का आय-व्यय का कोई आडिट नहीं कराया गया है ? यदि आडिट कराया गया है तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। इसमें राज्य सरकार की कोई धनराशि नहीं लगी हुई है। केवल छात्रकोष में प्राप्त परीक्षा शुल्क से यह व्यवस्था की जाती है।

(2) यह सही नहीं है। समय समय पर कराये गये आडिट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधायक निवास जयपुर का नक्शा

92. श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधायक निवास, जयपुर के पुराने नक्शे में उसकी पिछली दीवार सीधी है जब कि इस समय उसमें खांचा है ? इस सम्बन्ध में सबसे पुराने नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस मामले में राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी फंसे हुए हैं जिससे गत वर्षों में इस मामले पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा ? यदि हां, तो चार दीवारी में जहां खांचा है वहां किस अधिकारी का मकान है तथा यह मकान कब से है ?

(3) क्या यह सही है कि यह अधिकारी पहले अधिशासी अभियन्ता था तथा उसके पास ही विधायक निवास का चार्ज था ?

(4) क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) वह सही नहीं है। इस विभाग में उपलब्ध सन् 1926 के सबसे पुराने नक्शे में भी दीवार में खांचा बताया गया है। नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। विधायक निवास के पीछे की जमीन के खांचे में अन्य व्यक्तियों के साथ भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री डी. पी. जैन का भी मकान है। ये प्लाट नगर विकास न्यास द्वारा आवंटित किए गये थे तथा इन मकानों के बारे में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(3) विधायक निवास के पीछे की जमीन में अन्य व्यक्तियों के साथ श्री डी. पी. जैन भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता का मकान भी है जो अधिशासी अभियन्ता (भ. व प.) जयपुर के पद पर रह चुके हैं और विधायक निवास भी उनके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित था। श्री जैन को 1952 (7-2-52) को यह प्लाट नगर विकास बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया और उस समय वे विधायक निवास के इन्चार्ज नहीं थे, अपितु तकनीकी सहायक मुख्य अभियन्ता के पद पर थे।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 1977)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित पाठशालाएं

10. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आनन्दमार्ग, जमायते इस्लाम एवं मुस्लिम लीग संस्थाओं द्वारा राज्य में कई पाठशालाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो इनकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही शालाओं में साधारण शिक्षा के अलावा संघ अथवा संस्था के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है?

(3) क्या यह सही है कि इन शालाओं में राष्ट्र गान या ईश प्रार्थना के स्थान पर संस्थाओं से ताल्लुक की प्रार्थना गायी जाती है और देश के महान् नेताओं की आलोचना करते हुए संघ संचालक एवं संस्थाओं के निर्माताओं की प्रशंसा की जाती है? यदि हां, तो क्या ये राष्ट्र की एकता के द्योतक हैं?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा ऐसी कोई पाठशालाएं राज्य में नहीं चलाई जा रही हैं। आनन्दमार्ग, जमायते इस्लाम एवं मुस्लिम लीग से उनके द्वारा पाठशालायें चलाने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न सं. 1 की सूची)

कम्पनी द्वारा किये गये कार्य का पूर्ण विवरण

रॉक फास्फेट

कम्पनी ने गत तीन वर्षों में रॉक फास्फेट के उत्पादन एवं ममवा हटाने में एक नया कीतिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार रॉक फास्फेट की बिक्री में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिससे राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा :-

वर्ष	उत्पादन ओर	मैट्रिक टन में ओवर बर्डन	कुल रॉक हैन्डलिंग	बिक्री (मै.टन में)	आय (राज्य सरकार को रुपयों में)
1974-75	4,01,179	6,18,589	10,19,768	1,60,734	9,14,17,114
1975-76	4,51,198	9,06,560	12,57,758	2,60,749	10,48,02,884
1976-77	5,00,340	11,08,219	16,08,559	5,88,973	17,84,50,000

झामर कोटडा में रॉक फास्फेट के खनन् को और अधिक यन्त्रीकृत करने का प्रयास किया गया है। भारी क्षमता वाली मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है जैसा कि निम्न सूची से विदित होगा:-

झामर कोटडा खान पर स्थित मशीनें

यन्त्र	साइज	संख्या
1	2	3
1. क्रशिंग प्लांट	150 टन 1 मैट्रिक प्रति घंटा	1
2. अर्थ मूविंग यन्त्र		
(i) रोटेरी ड्रिल	250 मि.मि. (इलेक्ट्रीक)	1
(ii) ब्लास्टहोल ड्रिल	160 मि.मि.	3
(iii) ब्लास्ट होल ड्रिल	112 मि.मि.	5
(iv) शावेल	4-6 क्यूबिक मि. (इले.)	2
(v) शावेल	1-91 क्यू.मि.	4
(vi) शावेल	1-15 ,,	2
(vii) डम्पर	35 टन	10
(viii) डम्पर	25 टन	12
(ix) डम्पर	13 टन	6
(x) कम्प्रेसर	1000 सी.पी.एम. (इले.)	1

1	2	3
(xi) कम्प्रेसर	डीजल (600) सीपीएम 365 सीपीएम, 180 सीपीएम	7
(xii) वाटर स्प्रिन्कलर	–	2
(xiii) लुब्रीकेटिंग वान	–	1
(xiv) एक्सप्लोजिव वान	–	2
(xv) एम्बुलेन्स वान	–	2
(xvi) ट्रक्स	–	2
3. ट्रैक्टर	40 हा. पा.	5
4. फ्रंट एण्डम लोडर	2 क्यू.यूडि.	1
5. रोड ग्रेडर	130 हा. पा.	1
6. बुल डोजर	180–250 हा.पा.	6

निकट भविष्य में अन्य बड़ी मशीनों के क्रय किये जाने की योजना है। जिन मशीनों के आदेश दिये जा चुके हैं—उनकी सूची निम्न है:—

आदेश दिये गये यंत्रों की सूची

	यन्त्र	साइज	संख्या
1.	ब्लास्ट होल ड्रिल (इलेक्ट्रिक)	250 मी.मी.	1
2.	बुलडोजर	250 हा.पा.	2

बेनिफिसियेशन प्लान्ट

झामरकोटडा स्थित खान पर लगभग 30 मिलियन टन निम्न प्रतिशत (18 प्रतिशत पी 2'05 ग्रेड) की 32 ओर को विक्रय हेतु बनाने के लिये पी 20'5 की प्रतिशतता 32 प्रतिशत अथवा ऊपर तक बढाना होगा तथा इम्प्योरिटीज को दूर करना होगा। इस कार्य हेतु बेनिफिसियेशन प्लान्ट लगाये जाने की योजना विचाराधीन है। बेनिफिसियेशन दो प्रकार से किया जा सकता है—

(अ) केलसीनेशन विधि; (ब) फ्लोटेशन विधि।

इन दोनों विधियों में से केलसीनेशन विधि—फ्लोटेशन के मुकाबले में अधिक लागत की होगी। कम्पनी द्वारा बेनिफिसियेशन की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। कम्पनी ने देश एवं विदेश की प्रख्यात प्रयोगशालाओं से सम्पर्क स्थापित किया है और रॉक फास्फेट के नमूने देश के अतिरिक्त ब्राजील एवं फ्रांस की प्रयोगशालाओं को भेजे गये हैं। केलसीनेशन तरीके के सम्बन्ध में सेल्फोस (फ्रांस) और नेशनल मेटेलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सेरना (ब्राजील) और इण्डियन ब्यूरो आफ माइन्स, नागपुर शीघ्र ही फ्लोटेशन के

सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सेन्ट्रल माइन्स प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट, रांची को माइन्स प्लानिंग के लिये नियुक्त किया जा चुका है तथा सिंचाई एवं स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग (पी. एच., ई. डी.) औद्योगिक जल की व्यवस्था की योजना बना रहे हैं। इन्जि-नियर्स इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) को कम्पनी द्वारा तकनीकी सलाह-कार नियुक्त किया गया है। रेलवे साईडिंग एवं विद्युत् के सम्बन्ध में सर्वे का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की योजना है।

जिप्सम

कम्पनी द्वारा जिप्सम का खनन् कार्य बीकानेर डिवीजन में जामसर, पिरेरा, लूणकरण-सर, बेशली, हरकासर, पूरबसर, भादी, महिला एवं सूरतगढ़ की खानों में तथा पाली जिले की खुटावी खान पर किया जा रहा है। निम्न तालिका से जिप्सम के उत्पादन एव बिक्री तथा आय के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होगी:–

वर्ष	उत्पादन (मै. टन में)	बिक्री (मै. टन में)	आय (कम्पनी की) (रुपयों में)
1973-74	2,57,178	2,94,666	69,89,000
1974-75	3,81,882	3,56,310	1,08,20,000
1975-76	1,93,614	2,23,381	80,20,000
1976-77	2,54,229	2,68,625	1,19,29,300

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न सं. 3 की सूची)

प्रश्न संख्या 1 की सूची

बाड़मेर नगर में विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं पर प्रतिष्ठापित जेनरेटिंग सेटों की सूची:—

क. सं.	योजना का नाम	मेक	बी. एच. पी.	प्रतिष्ठापित संख्या
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना गिराब-खाडीन	किर्लोस्कर क्यूमिन्स	144/127/56.5	2/2/2
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चौहटन	स्कोडा	20	2
3.	पंप व टैंक जल प्रदाय योजना धनाऊ	किर्लोस्कर	14	1
4.	,, ,, आलमसर	सिडोज	54	1
5.	,, ,, धुम्बली	किर्लोस्कर	11.5	1
6.	,, ,, ढोली	किर्लोस्कर	14.3	1
		रस्टन	18.6	1
7.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पादरू—गोलिया	मिडोज	54	2
8.	,, ,, समदड़ी, कल्याणपुरा, अराब	—	14.4	2
9.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना बिसाला	स्कोडा	30	1
		बेपे 2	75	2

1	2	3	4	5
	ग्रामीण जल प्रदाय योजना, गहररोड	स्कोडा	30	3
		मिडोज	54	1
	,, ,, मुरुर	मिडोज	54	2
10.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना उन्डू कम्पालिया	रस्टन	63	2
	उन्डू पनीवड़ा	लैलेन्ड	60	2
	कानासर काश्मीर	मिडोज	54	2
	मोयार-बनाई	लेलेन्ड	60	2
	सवाई पदमसिंह	बेदे 2	7.5	2
	अजीतड़ा	मिडोज	5.54	1
	चुली	अजीत	10	2
	भादारेस	जवाहर	9.5	1
	मोमडा-बायतु	लेलेन्ड	100	4
	हुडडूमाटाना	6 वाई डी. ए.	82.5	2
11.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, हुडू माटाना	या. ए. 3 किर्लोस्कर	25	2
	धोरी मन्ना	प्रीमीयरा केल्ड	56	2

प्रश्न संख्या 2 की सूची

बाड़मेर जिले में मरम्मत के लिए बेकार पड़े जैनरेटिंग सैटों की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	मेक	मरम्मत के लिए जैनरेटिंग सैटों की संख्या	मरम्मत में भेजने का समय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रामीण जल प्रदाय योजना				
	विसाला	जेऐ 2	1	अप्रेल, 76	सैट मरम्मत हेतु जोधपुर कार्यशाला में भेजा हुआ है जिसके बारे में सम्पर्क जारी है।
	गडरारोड़	स्पोडा	1	जनवरी, 77	सैट की स्थानीय कार्यशाला में मरम्मत की जा रही है। एक माह के करीब तैयार करा दिया जावेगा।
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना,				
	उण्डू-कश्मीरिया	रस्टन	1	अप्रेल, 77	सैट मरम्मत हेतु स्थानीय कार्यशाला में है। एक माह के करीब तैयार करा दिया जावेगा।
	कानासर-कश्मीर	मिडोज	1	मार्च, 77	सैट मरम्मत हेतु स्थानीय कार्यशाला में है। लगातार सम्पर्क किया जा रहा है एवं जल्द ही ठीक कराने का प्रयास किया जा रहा है।
	सवाई पदमसिंह	ऐ ऐ 02	2	मार्च, 75	मरम्मत हेतु जोधपुर कार्यशाला में भेजे हुए हैं लगातार सम्पर्क किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
	झाड़ग्रा-चूली	अजीत	1	अक्टूबर, 76	आवश्यक पुर्जे मंगाने के प्रयास जारी हैं।
	भीमड़ा-वायतू	लेलेन्ड	3	जुलाई, 77	एक सैट के लिए मरम्मत हेतु पुर्जे उपलब्ध कराये जा रहे हैं एव शेष दो सैटों के लिए मामूली मरम्मत चाहिए जो एक माह के करीब तैयार हो जावेंगे।
	हूडड़ भाटाला	6 वाई डी ए	1	जुलाई, 77	सैट मरम्मत में है उसके लिए प्रयास जारी है।
	हूडड़ भाटाला	आर ए 3 किर्लोस्कर	1	--	स्टेंडबाई एक सैट कार्यरत है एवं एक सैट की मरम्मत जल्द ही कराने के प्रयास जारी है।